

छत्तीसगढ़ विधान सभा

की

अशोधित कार्यवाही



(अधिकृत विवरण)



षष्ठम् विधान सभा

पंचम सत्र

शुक्रवार, दिनांक 07 मार्च, 2025
(फाल्गुन 16, शक सम्वत् 1946)

[अंक 09]

Web copy



छत्तीसगढ़ विधान सभा

शुक्रवार, दिनांक 07 मार्च, 2025

(फाल्गुन 16, शक संवत् 1946)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई.

{अध्यक्ष महोदय (डॉ. रमन सिंह) पीठासीन हुए}

तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर

जिला-बिलासपुर अंतर्गत अनुकंपा नियुक्ति के लंबित प्रकरणों का निराकरण

[गृह]

1. (*क्र. 1370) श्री धर्मजीत सिंह : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) क्या गृह विभाग अंतर्गत अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करने का नियम हैं? हां, तो विस्तृत विवरण दें? (ख) बिलासपुर जिला अंतर्गत पुलिस विभाग में विगत 02 वर्षों में अनुकंपा नियुक्ति के कितने प्रकरण प्राप्त हुए हैं, उनमें से कितने प्रकरणों का निराकरण कर लिया गया है एवं कितने प्रकरण लंबित हैं? (ग) कंडिका "ख" के लंबित प्रकरणों का निराकरण कब तक कर लिया जाएगा, विस्तृत विवरण दें?

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) : (क) छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग (नियम शाखा) मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक एफ 7-1/2019/1-3 नवा रायपुर, दिनांक 15.04.2024 द्वारा अनुकंपा नियुक्ति के संबंध में जारी एकजाई पुनरीक्षित निर्देश 2013 एवं उसमें समय-समय पर किए संशोधनों के आधार पर गृह विभाग के अंतर्गत पुलिस विभाग में अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की जाती है। (ख) बिलासपुर जिला अंतर्गत पुलिस विभाग में विगत 02 वर्षों में अनुकंपा नियुक्ति के 25 प्रकरण प्राप्त हुए हैं, उनमें से 14 प्रकरणों में अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की गई तथा 02 प्रकरणों में नियमानुसार अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता नहीं होने से प्रकरण नस्तीबद्ध कर निराकरण कर लिया गया है। 09 प्रकरण लंबित है। (ग) विभिन्न कारणों से लंबित प्रकरणों का नियमानुसार परीक्षण उपरांत पात्रतानुसार यथाशीघ्र अनुकंपा नियुक्ति प्रदान किये जाने के संबंध में कार्यवाही की जावेगी। जानकारी संलग्न¹ प्रपत्र अनुसार है।

¹ परिशिष्ट "एक"

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय गृह मंत्री जी से बिलासपुर जिले के अंतर्गत अनुकंपा नियुक्ति के संबंध में जो जानकारी मांगी थी, उसका उन्होंने अपने नियमों का हवाला देकर जवाब भी दे दिया है। मैं इस संबंध में दो विशिष्ट प्रकरण की ओर माननीय गृह मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। एक, शहीद उप निरीक्षक की पत्नी के अनुकंपा नियुक्ति का मामला है और एक बीमारी से ग्रस्त एक बच्ची जो हमारे ही गांव की है, उसकी बच्ची के अनुकंपा नियुक्ति का मामला है। मैं माननीय गृह मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूँ कि वीर शहीद उप निरीक्षक निलेश पांडेय, उनकी पत्नी श्रीमती कल्पना पांडेय को आपने सहायक उप निरीक्षक (अ) के पद पर नियुक्ति दी है। इसको उप निरीक्षक के पद पर नियुक्ति देने में आपको क्या तकलीफ थी? कृपया इसकी जानकारी मुझे बता दीजिये, फिर मैं दूसरा प्रश्न पूछूंगा।

श्री विजय शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का प्रश्न का उत्तर इसमें दिया गया है, परंतु माननीय सदस्य ने एक और प्रश्न पूछा है कि शहीद उप निरीक्षक निलेश पांडेय, उनकी पत्नी श्रीमती कल्पना पांडेय जिनको सहायक उप निरीक्षक (अ) के पद पर नियुक्ति दी गई है। चूंकि अगर शहीद है तो उसमें विशेष रूप से पूरे विभाग की और पूरी सरकार की यह स्थिति होती है कि कैसे भी करके उनके परिवार की सहायता अच्छे से अच्छा किया जाये। इसलिए उनकी पत्नी को Minimum Constable पद है उससे अतिरिक्त लिपिकीय पद में महिला होने के नाते उनको A.S.I. (M) में नियुक्ति दी गई थी। यह नियुक्ति सन् 2013 में दी गई थी।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय उप मुख्यमंत्री जी को बताना चाहता हूँ कि शहीद उप निरीक्षक युगल किशोर वर्मा, शहीद उप निरीक्षक विनोद कौशिक, शहीद उप निरीक्षक दीपक भारद्वाज की पत्नी को उप निरीक्षक (अ) के पद पर नियुक्ति प्रदान की गई है। इसी तरह से प्रधान आरक्षक श्री दुष्यंत सिंह की पत्नी श्रीमती चेतना सिंह को वर्ष 2011 में प्रधान आरक्षक (अ) के पद पर नियुक्ति लेने उपरांत गृह विभाग द्वारा वर्ष 2021 में पद संशोधन कर सहायक उप निरीक्षक के पद पर नियुक्ति दी गई है। फिर इसमें श्रीमती कल्पना पांडेय का क्या दोष है? जब आपने इतने लोगों को नियुक्ति दी है तो इसको भी आप सहायक उप निरीक्षक (अ) के पद पर नियुक्त कर देते। हाई कोर्ट ने अपने सुनवाई में भी यह कहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद-14, समानता का अधिकार के अंतर्गत उपरोक्त उदाहरणों के आधार पर विचार करते हुए आवेदिका को प्रारंभिक नियुक्ति दिनांक से उप निरीक्षक के पद पर नियुक्ति एवं वरिष्ठता का लाभ प्रदान करने हेतु विचार करें। इसमें क्या दिक्कत है? मेरे पास बहुत से उदाहरण हैं, जिसको मैं पढ़ सकता हूँ कि उप निरीक्षक युगल किशोर वर्मा, श्री दुष्यंत सिंह की पत्नी, चौबे जी के बेटे के लिए विशेष रूप से डिप्टी कलेक्टर पद पर नियुक्ति, कर्मा जी शहीद के बेटे के लिए विशेष रूप से नियुक्ति डिप्टी कलेक्टर पर, यह तो अपने पति के पद के लिये ही अधिकार मांग रही है। उस शहीद की विधवा को भटकना पड़ रहा है, यह तखतपुर

विधान सभा के पोंडी गांव की रहने वाली है। अध्यक्ष महोदय, मैं यहां पर प्रश्न बहुत ही व्यथित मन से और मजबूरी में उठा रहा हूँ। अगर आप शहीद परिवार को पद सम्मान के साथ दे देंगे तो क्या तकलीफ होगी? वह छत्तीसगढ़ के लिये शहीद हुये हैं, उनकी पत्नी को छोटे पद पर रखने का क्या अर्थ है, है तो बाबू का ही पद, है तो तृतीय वर्ग कर्मचारी का ही पद, अध्यक्ष महोदय? मैं आपसे पहला यह निवेदन करना चाहता हूँ कि क्या इस मामले पर इसी तरह से विचार करेंगे? एक अच्छा सा जवाब दे दीजिएगा। अध्यक्ष महोदय, यह एक बच्ची है, एकता तिवारी। इसकी मां सहायक उपनिरीक्षक (अ) के पद पर बिलासपुर में कार्यरत थी, इसके पहले बाल सिपाही बनाया गया, उसके बाद में सिपाही बना दिया गया, इसमें भी बहुत से उदाहरण हैं, जो मैं पढ़ सकता हूँ। मेरे पास यह आदेश की कापी है। श्रीमती श्वेता सिंह, पति आरक्षक क्रमांक, 992 विकास सिंह, निवासी शुभम विहार, लाफागढ़ को सहायक उपनिरीक्षक के (अ) पद पर अनुमति प्रदान की गई।

श्री लखेश्वर बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्नकाल है, आप प्रश्न करिये? यह तो भाषण हो गया है।

श्री अजय चन्द्राकर :- आसंदी में तो अध्यक्ष महोदय हैं, आप व्यवस्था कब से देने लगे हैं, व्यवस्था देने वाले हैं ना?

श्री धर्मजीत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, मैं रिफरेंस देकर पूछूंगा। मेरे को मालूम है कि आप बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन मुझे जरा पूछने दीजिए, मैं अच्छा या बुरा जो भी पूछ रहा हूँ? अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से रूपेश खलको को भी प्रधान आरक्षक के पद पर नियुक्ति दिया गया है, उसके नीचे नहीं दिया गया है। यह बहुत से आदेश की कापी है। अध्यक्ष महोदय, मैं दोनों मामले में आपसे यह चाहता हूँ कि शहीद की विधवा को अगर उसकी मांग के अनुरूप, उसके पति के रैंक के हिसाब से दे सकते हैं तो वह कर दें और इस लड़की के लिये भी विचार कर लें। मैं यह कागज दे दूंगा। आप इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे क्या और जरूरत पड़ी तो जैसे विनोद चौबे के बेटे के लिये, महेन्द्र कर्मा के बेटे के लिये, कैबिनेट में जाने की जरूरत पड़ेगी तो वहां पर भी इसे ले जाने का कष्ट करेंगे क्या? मैं यह पूछना चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये।

श्री विजय शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसे कोई भी प्रकरण जिनमें प्रावधान से पृथक किसी नियुक्ति देना होता है तो वह कैबिनेट का ही निर्णय होता है कि नियमों को शिथिल करके आगे उनकी नियुक्ति उनको दी जाये। अध्यक्ष महोदय, वर्तमान स्थिति यह है कि वर्ष 2013 में जिनको नियुक्ति दी गई थी और स्व. श्री नीलेश पांडेय जी की पत्नी श्रीमती कल्पना पांडेय जी को वर्ष 2013 में एस.आई.(एम) के लिपिकीय पद पर नियुक्ति दे दी गई, उन्होंने ज्वाँइन कर लिया और अब तक वह कार्यरत है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अब कार्यरत होने से पुनः एक बार हो जाने के बाद इसमें जो

हमारे वर्तमान अनुकंपा नियुक्ति के प्रावधान हैं, उन प्रावधानों में यह स्पष्टतः भी है कि आवेदक को एक बार अनुकंपा नियुक्ति दिये जाने के पश्चात उनके द्वारा किसी अन्य मद पर अनुकंपा नियुक्ति के आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा। अब तक यह प्रावधान है और इस प्रावधान के आधार पर यह संभव नहीं है कि एक बार वर्ष 2013 में जिनको नियुक्ति दे दी गई, उसके बाद पुनः उनको....।

श्री धर्मजीत सिंह :- हाई कोर्ट ने भी कहा है, कम से कम हाई कोर्ट के आदेश पर विचार कर लीजिए और वह लड़की जिसके बारे में मैं बोल रहा हूँ, श्वेता पट्टी-लिखी है, सक्षम है, वह पूरी तरह से योग्यता रखती है, आप उसके मां की पद में सहायक उप निरीक्षक (अ) के पद पर नहीं तो कम से कम प्रधान आरक्षक के पद पर रखिये ना ? अनुकंपा नियुक्ति में एकदम चपरासी बनाने की परंपरा मत रखिये। कोई भी पद में रहता है, उसके बच्चे को चपरासी बना दो, बाबू बना दो, सिपाही बना दो, ऐसा करके आप अपने कर्तव्यों से पीछे मत हटिये। अध्यक्ष महोदय, सब को हक होता है, सब को बड़े पद पर बैठने की इच्छा होती है। मेरा स्पेसिफिक इन दोनों केस में आपसे एक ही आग्रह है कि इस पर एक बार फिर से विचार करके या इसके कैबिनेट में बुलवाकर कर दीजिए, जब दूसरे मामले में कैबिनेट में फैसला हुआ है तो इसमें भी करा दीजिए साहब ? आपसे और तो कुछ नहीं मांग रहे हैं, आपकी कोई गलती भी नहीं निकाल रहे हैं। कुछ लोगों का ऐसा हुआ है, मैं उदाहरण दिया हूँ, मैं वह कागज भी लगा दूँगा, उसके बेस पर कम से कम कर दीजिए, आपका क्या बनना-बिगड़ना है ?

श्री विजय शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे बनने और बिगड़ने का मसला नहीं है, अगर सबका बनता है तो मेरा भी बनता है, मैं यह मानता हूँ। वर्तमान में प्रावधान के अंतर्गत यही स्थिति है, वर्ष 2013 के बाद फिर से अगर एक होता है तो बहुत सारे प्रकरण होते हैं, फिर सब कहेंगे कि ऐसा ही होना चाहिये। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य महोदय ने जो विषय रखा है, वह प्रावधानों के साथ रखा है और विशेष रूप से यह शहीद परिवार है। इनकी ऐसी अपेक्षा है, ये कोर्ट में भी गई हैं, कोर्ट ने भी कहा है। इन सारी बातों को देखते हुए कम से कम इस विषय के लिए इसमें शहीद की विधवा हैं, उनके लिए कहा गया है तो इस मामले को अपनी तरफ से कैबिनेट के समक्ष रखकर मैं निवेदन कर लूँगा। कैबिनेट का जो भी निर्णय होगा, उसमें बात करके इसका निर्णय बाद में कर लूँगा। (मेजों की थपथपाहट)

दूसरा विषय जो आपने कहा था, इसमें एक बच्ची का मामला था, जिसमें उसको बाल आरक्षक बनाकर अब तक काम करती रही हैं और प्रावधान की आरक्षक पद का है, अन्यथा सभी बड़े पद पर ही जाना चाहते हैं। अब इसमें आगे और जो भी प्रावधान बनेंगे, वर्तमान प्रावधानों के आधार इसमें कोई स्थिति नहीं बनती।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक आखरी प्रश्न पूछकर मैं समाप्त करूँगा। अगर एस.आई. है तो शहीद परिवार को अनुकम्पा नियुक्ति एस.आई. के पद में दे दीजिए। अगर

सामान्य मृत्यु हुई है तो उसको एकदम 3 रैंक नीचे मत करिए न। अगर ए.एस.आई. है तो उसको कम से कम प्रधान आरक्षक का पद दे दीजिए न। उस बच्ची को प्रधान आरक्षक देने में क्या तकलीफ है ?

अध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी वही करेंगे, जो प्रावधान में है। उससे हटकर करने में दिक्कत है।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उसको बदल भी तो सकते हैं साहब, कानून तो यही बनाते हैं न और बाकी लोगों की जो अनुकम्पा नियुक्ति हुई है, वह सब फिर कानून में कहां हुआ है, जो मैं बता रहा हूं, मैं उदाहरण दे रहा हूं। मेरे पास आदेश की कॉपी है। वह कोई कानून में हुआ है क्या ? आपके अधिकारी की मर्जी से कोई कानून बनेगा और आपके अधिकारी की मर्जी से दूसरे के ऊपर कानून लादा जाएगा, यह भी गलत है। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि कम से कम प्रधान आरक्षक के पद पर दूसरी बच्ची को अनुकम्पा नियुक्ति दे दें और शहीद की विधवा के बारे में एक बार पुनर्विचार करके उनकी मदद करेंगे क्या ? मैं आपके पास दो दिन बाद कागज का ज़ापन दे दूंगा।

श्री विजय शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने पहले ही पूरे विषयों को दिया हुआ है और विभाग के पास भी पूरी जानकारी है। शहीद परिवार का जो विषय है, उसके लिए मैं अवश्य ऐसा करता हूं, परन्तु बाल आरक्षक के रूप में जिनकी नियुक्ति हो गई है और बाल आरक्षक के रूप में वे काम करके अभी आरक्षक पद के लिए उनसे अनेक बार कहा गया, अपनी योग्यता, क्षमता के आधार पर उन्होंने स्वीकार या अस्वीकार अभी कुछ भी नहीं किया है। परन्तु स्थिति वही बनी हुई है। इस पर यह कह पाना संभव ही नहीं है कि उनको किसी और बड़े पद पर तुरंत ही नियुक्ति दी जा सकेगी।

विधान सभा जांजगीर-चांपा क्षेत्र में स्वीकृत विकास कार्यों की अद्यतन स्थिति

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

2. (*क्र. 1342) श्री ब्यास कश्यप : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) विधानसभा क्षेत्र जांजगीर-चांपा के ग्रामीण क्षेत्रों में 01 जनवरी, 2024 से 31 जनवरी, 2025 तक मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना अंतर्गत कितने कार्यों के लिए, कितनी राशि की स्वीकृति प्रदान की गई है? कार्यों की अद्यतन स्थिति क्या है? विकासखंडवार जानकारी प्रदान करें ? (ख) 01 जनवरी, 2024 से 31 जनवरी, 2025 तक विधानसभा क्षेत्र जांजगीर-चांपा अंतर्गत ग्रामों में महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत कितनी राशि के कितने कार्य स्वीकृत किये गये? कार्यों की अद्यतन स्थिति क्या है ? विकासखंडवार जानकारी प्रदान करें? मजदूरी एवं सामग्री भुगतान में कितनी राशि व्यय की गई ? (ग) जिला पंचायत जांजगीर-चांपा द्वारा 01 जनवरी, 2024 से 31 जनवरी, 2025 तक विभिन्न मदों से प्राप्त ब्याज की राशि से कितनी राशि के कितने कार्य स्वीकृत किये गये हैं? कार्यों की अद्यतन स्थिति क्या है? विकासखंडवार जानकारी प्रदान करें ?

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) : (क) जानकारी संलग्न "प्रपत्र-अ"² अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्न "प्रपत्र-ब" अनुसार है। (ग) जानकारी संलग्न "प्रपत्र-स" अनुसार है।

श्री ब्यास कश्यप :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जांजगीर-चांपा क्षेत्र में स्वीकृत कार्यों की अद्यतन स्थिति के विषय में माननीय मंत्री जी से मेरा प्रश्न था । माननीय मंत्री जी का जवाब आया है, वह यह है कि मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना में 20.80 लाख रूपए के 8 कार्य स्वीकृत किए गए थे । खाली स्वीकृति कागज पर ही है, कार्य प्रारंभ नहीं हुए हैं । कारण बताया कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के कारण यह काम नहीं हो सका है, जबकि बजट की स्वीकृति मार्च में हो जाती है और वह अप्रैल तक जारी हो जाता है । दिसम्बर-जनवरी में आचार संहिता लगी है और यह वित्तीय वर्ष का बजट भी चला जाएगा तो ये काम हो पाएंगे या इसकी स्वीकृति पुनः आगामी वित्तीय वर्ष में रहेगी या रूक जाएगा या मिलेगा ?

श्री विजय शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो विषय कहा है कि मुख्यमंत्री ग्रामीण समग्र विकास योजना के अंतर्गत उनके विधान सभा में कितने कार्य स्वीकृत हुए हैं ? तो कुल 8 कार्य हैं, जिसके लिए 20.80 लाख रूपए स्वीकृत हो गए हैं । प्रारंभ में इनको जानकारी उपलब्ध कराई गई, तब यह स्थिति थी। वर्तमान में इनके कार्यों के स्वीकृति आदेश भी जारी हो गए हैं ।

श्री ब्यास कश्यप :- माननीय अध्यक्ष महोदय, स्वीकृति आदेश कहां-कहां, किस-किस ग्राम पंचायत में कितने राशि की है, इसकी जानकारी प्राप्त नहीं हो पाई। सिर्फ यह जानकारी प्राप्त हुई कि 8 कार्यों के लिए इतनी राशि लगी है । कृपया करके स्वीकृति आदेश प्रदान करें कि किन-किन ग्राम पंचायतों में कहां-कहां कितनी है, वह उपलब्ध करा देंगे ।

अध्यक्ष महोदय, उसमें एक विषय मनरेगा के अंतर्गत भी था कि मनरेगा के अंतर्गत कार्य तो स्वीकृत किए गए हैं, परन्तु अधिकांश काम अभी भी अप्रारंभ है । यह राष्ट्रीय योजना है, काम के साथ-साथ मजदूरों को लाभ पहुंचाने की भी योजना है, पर वह काम भी अगर अप्रारंभ है तो ऐसा क्यों, क्या कारण है ? हमारे क्षेत्र में यह भेदभाव क्यों हो रहा है ? कृपा करके आपसे जानकारी चाहता हूं ।

श्री विजय शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय विष्णु देव जी की सरकार है, पालनहारी सरकार है । इसमें भेदभाव का विषय हो ही नहीं सकता । विशेष रूप से माननीय सदस्य ने जो जानकारी मांगी थी, वह उपलब्ध कराई गई है। इनके विधान सभा क्षेत्र के दोनों विकासखंडों नवागढ़ और बलौदा, में जो अप्रारंभ कार्य दिख रहे हैं, चूँकि नरेगा का कार्य है, पंचायत से प्रस्ताव लेकर कार्य को स्वीकृत करके रखा जाता है और जब काम की मांग करते हैं, तब वह कार्य वहां पर प्रारंभ किया जाता है, तो अप्रारंभ कार्यों से व्यथित होने की कतई आवश्यकता नहीं है। अगर हम जनजागरण करके और

² परिशिष्ट "दो"

काम की मांग करवा सकें, तो कार्य तो स्वीकृत होकर रखा हुआ है, आप जरूर कार्य करवा लें, उसमें कहीं कोई संशय नहीं है। राशि और कार्य सब कुछ स्वीकृत होकर रखा है।

श्री ब्यास कश्यप :- माननीय मंत्री महोदय, धन्यवाद। उसी प्रकार से जांजगीर-चांपा में ब्याज की राशि से स्वीकृत कार्यों की अद्यतन स्थिति की भी जानकारी आपने उपलब्ध कराई है। नवागढ़ विकासखंड में कुल 15 काम स्वीकृत हुए थे और 14 काम अपूर्ण हैं, एक ही काम पूर्ण है। यह स्थिति बताती है कि हमारे माननीय अधिकारी, आप, हम सब मेहनत करते हैं, कार्य की स्वीकृति करा लेते हैं, परंतु कार्य को पूर्ण करने में जो लापरवाही बरती जा रही है, वह उचित नहीं है। इससे गांव का विकास कैसे हो पाएगा? माननीय मंत्री महोदय, यह आपका विभाग है, हम चाहेंगे कि आप जो भी दें, हमें उतनी ही स्वीकृति पर्याप्त है पर समय सीमा पर कार्य तो हो जाए। ये न हो कि वर्तमान में बजट में जो स्वीकृत काम हैं, वह कार्य अगर अपूर्ण हैं, या फिर शुरूआत ही नहीं हो पायी है, आप उस पैसे को वापस बुला लेते हैं, तो ऐसे में विकास कहां हो पाएगा? मैं आपसे चाहूंगा कि आप कम से कम इस विषय में अपना वक्तव्य दें, ताकि ये भी कार्य पूर्ण हो जाए?

श्री विजय शर्मा:- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जिस विषय पर कहा है कि जांजगीर-चांपा में विभिन्न मर्दों में जो ब्याज की राशि है, उससे हुए निर्माण कार्यों के संदर्भ में, तो 15वें वित्त की राशि और जिला पंचायत विकास निधि ऐसे दो निधियों के ब्याज की राशि से वहाँ निर्माण कार्य स्वीकृत किए गए हैं और वह भी बहुत पुराना नहीं है। माननीय सदस्य स्वयं जिला पंचायत की उस बैठक में उपस्थित थे, जिसमें ये निर्णय लिया गया और निर्णय लेने के बाद फिर जिला पंचायत को ही स्वीकृत करना है, वहीं पर इस कार्य को आगे बढ़ाना होता है और वहीं पर यह काम आगे भी बढ़ाया गया है। नवागढ़ में 15 कार्यों में से 01 कार्य पूर्ण और 14 अपूर्ण मतलब प्रगतिरत बताए गए हैं और बाकी अन्य स्थानों पर भी ये कार्य स्वीकृत हुए हैं। मैं सोचता हूँ कि समय पर वह पूरे हो जायेंगे। ये उनके हाथ का, उनके अपने जिला पंचायत का विषय है।

श्री ब्यास कश्यप :- माननीय अध्यक्ष महोदय।

अध्यक्ष महोदय :- उन्होंने जवाब दे दिया है।

श्री ब्यास कश्यप :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जवाब आ गया है, इस बात को मैं स्वीकार कर रहा हूँ। माननीय मंत्री महोदय, मुझे जिला पंचायत में 5 साल कार्य कराने का भी अनुभव है। सम्माननीय सदस्य बैठे हुए हैं, सम्माननीय सदस्य भी जिला पंचायत के पदेन सदस्य रहते हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- आपको अनुभव है या भाभी जी को अनुभव है?

श्री ब्यास कश्यप :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा भी अनुभव है, क्योंकि मैं सांसद प्रतिनिधि के तौर पर वहाँ बैठा था। मेरा यह कहना है कि वहाँ सम्माननीय सदस्य बैठते हैं, सांसद और विधायक उसके सदस्य रहते हैं, परंतु ऐसा भेदभाव क्यों? जब सभी सम्माननीय सदस्यों को कहीं पर बराबर राशि

आवंटित की जाती है, तो मेरा प्रश्न है कि हम चाहेंगे कि सम्माननीय विधान सभा के सदस्यों को भी उसमें सम्मिलित किया जाए, ताकि उनके भी विकास काम हों। हम भी कोई प्रायवेट मांगते नहीं हैं, विकास काम के लिए मांगते हैं। सभी सदस्यों की तरफ से मैं यह बात कह रहा हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मेरे मन की जो पीड़ा है, उस बात से मैं आपको अवगत करा रहा हूँ कि विधायक बने सवा साल हो गए, परंतु विधायक बनने के बाद जो विधायकों का अधिकार होता है, उस अधिकार मैं लगातार कटौती की जा रही है। बजट सत्र समाप्त होने को है, न आज तक जनसंपर्क की राशि हमारी अनुशंसा पर दी गई, न कि माननीय प्रभारी मंत्री के द्वारा कहीं पर कुछ राशि दी गई और न हमारे एक भी काम की कहीं पर कोई बात आ पाती है। हमारे साथ ऐसा भेदभाव क्यों? हमारा जो अधिकार है, वह तो कम से कम हमें मिले। माननीय अध्यक्ष महोदय, कहते-कहते थक गए, कृपा करके हमारे सम्मानित जितने विरोधी दल के लोग थे, इनके लिए तो ऐसा न हो, मैं आपकी तरफ से आग्रह करना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय :- बजट की चर्चा में पंचायत विभाग की चर्चा होगी, उसमें ऐसे सारे विषयों को बोलने का पर्याप्त अवसर है। ये प्रश्नकाल है, प्रश्न तक ही सीमित रहें। प्रश्न क्रमांक 03 श्री विक्रम मण्डावी।

श्री ब्यास कश्यप :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जी, धन्यवाद।

"नियद नेल्लानार योजना" अंतर्गत निर्माण कार्यों की जानकारी

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

3. (*क्र. 817) श्री विक्रम मंडावी : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) "नियद नेल्लानार योजनांतर्गत" वर्ष 2024-25 में दिनांक 31.01.2025 की स्थिति में बीजापुर जिले में किन-किन कार्यों हेतु कितनी-कितनी राशि, किस-किस मद से स्वीकृत हुई? विकासखण्डवार कार्य का नाम, स्वीकृत राशि सहित जानकारी दें? (ख) प्रश्नांश 'क' के अनुसार स्वीकृति कार्यों की वर्तमान भौतिक एवं वित्तीय स्थिति क्या है? कितनी राशि जारी हुई एवं जनवरी 2025 की स्थिति में कितनी राशि व्यय हुई? विकासखण्डवार कार्य का नाम सहित जानकारी दें?

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) : (क) एवं (ख) की जानकारी "पुस्तकालय में रखे प्रपत्र" अनुसार है।

श्री विक्रम मंडावी:- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि बस्तर के जिलों के लिए जो नियद नेल्लानार योजना बनाई गई है, क्या इसके लिए बजट में कोई प्रावधान है या नहीं है?

श्री विजय शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, नियद नेल्लानार योजना यह सारी योजनाओं का कन्वर्जेंस है। मैं माननीय सदस्य महोदय को इस विषय पर बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं। यह एक योजना नहीं है यह तो सारी योजनाओं का कन्वर्जेंस है। यह एक अभियान की तरह किया जा रहा है। इसका प्रॉपर डैशबोर्ड बना है। एक-एक गांव के एक-एक काम की मॉनिटरिंग ऑनलाईन अपडेट होती रहती है। इसमें यह पूरी योजनाओं का कन्वर्जेंस है। यह महायोजना है।

श्री विक्रम मण्डावी :- अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाह रहा था कि इस योजना में शासन से कोई स्पेशल बजट का प्रावधान है या नहीं है ?

श्री विजय शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही कहा है कि सारी की सारी योजनाओं का बजट इसी का है। इसमें जो गांव हैं, उसमें आप सारी की सारी योजनाओं का बजट इसी का मान लीजिये।

श्री विक्रम मण्डावी :- अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाह रहा था कि आपने जो स्वीकृत कार्य बताये हैं, उसमें अप्रारंभ कार्यों की संख्या कितनी है और उनकी स्वीकृत राशि कितनी है ? जो कार्य अप्रारंभ हैं, उनके क्या कारण है ?

श्री विजय शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो कहा उसके तहत बजट में कुछ राशि का प्रावधान इसलिए भी किया गया है ताकि अगर हमें इस तरीके से कार्यों से कुछ काम अतिरिक्त स्वीकृत करने हैं तो भी बजट में 5 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। कुल कार्यों में से प्रगतिरत् अपूर्ण कार्यों की संख्या 137 हैं। इसमें 3 करोड़ 42 लाख रुपये का भुगतान हुआ है और कुछ राशि शेष है, जो भुगतान की जानी है।

श्री विक्रम मण्डावी :- अध्यक्ष महोदय, जो कार्य अप्रारंभ हैं, उनके क्या कारण है ?

श्री विजय शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह वर्तमान में प्रश्न का अंश नहीं था। माननीय सदस्य ने वर्तमान में कार्यों की भौतिक स्थिति के बारे में कहा था। सभी कार्यों की भौतिक स्थिति वर्तमान में प्रारंभ अथवा अप्रारंभ के रूप में दी गयी है। यदि हम एक-एक कार्य की जानकारी देंगे कि किन कारणों से कार्य अप्रारंभ है, तो समय लगेगा। यदि माननीय सदस्य यह भी जानना चाहते हैं तो मैं कालांतर में माननीय सदस्य को इसकी जानकारी उपलब्ध करा दूंगा। यह मेरे लिए भी बहुत जानकारी युक्त होगा।

श्री विक्रम मण्डावी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें मेरा एक और प्रश्न है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या इस योजना के तहत भविष्य में और भी गांवों को जोड़ने की कोई कार्ययोजना है ?

श्री विजय शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बड़ी प्रसन्नता के साथ अब इस विषय को थोड़ा विस्तार करके बताना चाहता हूं क्योंकि यह महत्वपूर्ण प्रश्न भी है और समूचे छत्तीसगढ़ एवं

समूचे भारतवर्ष के लिये बहुत आवश्यक भी है। माननीय मुख्यमंत्री, श्री विष्णु देव साय जी ने जो नियद नेल्लानार अभियान प्रारंभ किया है, उसके माध्यम से बीजापुर जिले में अब तक 19 कैम्प और यदि आपको जानकारी देने के उपरांत के दो दिन पहले का काऊण्ट कर लेंगे तो 20 नये कैम्प लगाये जा चुके हैं। हमारे जो 19 पुराने कैम्प लगे हुए हैं, पुराने अर्थात् नयी सरकार के बाद के हैं। उसमें 27 ग्राम पंचायतों को और 58 ग्रामों को लिया गया है। अभी फिर से जो 20वां कैम्प लगा है, उसमें फिर से कोई ग्राम पंचायत और ग्राम सम्मिलित हो जायेंगे। मैं बड़ी ही प्रसन्नता के साथ आपको थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूं। माननीय सदस्य महोदय बहुत अच्छे से इस बात को जानते होंगे कि पामेढ़ के रास्ते से बीजापुर जाने के लिये आप पहले तेलंगाना होकर जाते थे, जो 250 कि.मी. पड़ता था और अभी 25 वर्षों बाद पिछले महीने से ही आप पामेढ़ से बीजापुर, भोपालपट्टनम से होकर जा सकेंगे और अब आप सिर्फ 90 कि.मी. में पहुंच जायेंगे। वे सारे रास्ते अब वह खुल गये हैं, जिनको नक्सलियों ने 25 वर्षों से घेरकर रखा था और ये रास्ते बंद थे। वहां पर डिस्ट्रिक्ट की प्रशासन बस चलवा रही है और यह बस चलना अब प्रारंभ हो गयी है। इसके साथ-साथ अनेक ऐसे स्थान हैं, जहां बीजापुर से पामेढ़ व्हाया आवापल्ली, मुतवेंडी से बीजापुर व्हाया गंगालूर पहले कांवड़ गांव की तरफ से जाना पड़ता था। अब यह रास्ता प्रारंभ हो गया है और यह सब कुछ नियद नेल्लानार के माध्यम से हुआ है। कोण्डापल्ली का साप्ताहिक बाजार भी 25 वर्षों के बाद पुनः पल्लवित हुआ है। (मेजों की थपथपाहट) यह सारे काम नियद नेल्लानार के माध्यम से किये गये हैं और माननीय विष्णु देव साय जी की सरकार में किये गये हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, मेरा इसी में एक छोटा-सा प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, छोटा सा प्रश्न कर लीजिये।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय मंत्री जी, आपने कहा कि नियद नेल्लानार योजना में कन्वर्जेंस से कार्य हो रहे हैं। कितने विभागों की कितनी राशि का उसके साथ कन्वर्जेंस किया जा रहा है ?

श्री विजय शर्मा :- अध्यक्ष महोदय, कन्वर्जेंस दो मर्दों का हो रहा है। इतना ही नहीं, इस अभियान में सभी मर्दों का कन्वर्जेंस हो रहा है। सभी मर्दों के कार्यों को लेकर इसमें आगे बढ़ते हैं। इसमें 25 तरह के सामुदायिक कार्य हैं और 18 प्रकार के व्यक्तिगत कार्य हैं, जिनको लेकर हम लोग यह काम कर रहे हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने इसमें राशि पूछी है।

श्री विजय शर्मा :- आप कहां बीजापुर में पूछ रहे हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप मेरी बात सुनिये। आपने कहा कि यह "नियद नेल्लानार योजना" महाअभियान है और वहां सारी योजनाएं Convergence से संचालित की जा रही हैं। जैसे मान लीजिए कि गृह विभाग के किसी मद से Convergence कर रहे होंगे। मैं, आपसे यह प्रश्न पूछ रहा था कि कितने विभाग के कौन से मद की राशि से Convergence कर रहे हैं। बजट से

Convergence के लिए राशि दी है या विभागीय पैसे से कर रहे हैं ? मैं, आपसे यह जानना चाह रहा था कि आपको कौन-कौन से विभाग Convergence के लिए राशि दे रहे हैं ?

श्री विजय शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की चिंता है और उनके प्रश्न के अनुरूप यह सारे ही विभागों के सभी तरह कार्य इसमें कर रहे हैं। इसमें डी.एम.एफ. और नरेगा का भी पैसा भी लगा रहे हैं और इसमें अन्य विभागों की राशि भी लगायी जा रही है। इसमें यह राशियां लगायी जा रही हैं।

सीजीएमएससी अंतर्गत रिजेंट सामग्री की खरीदी

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

4. (*क्र. 976) श्री अजय चंद्राकर : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) सीजीएमएससी अंतर्गत रिजेंट सामग्री खरीदी के संबंध में मोक्षित एजेंसी द्वारा सप्लाई किये गये सामग्रियों के टेंडर, किसके मांग पत्र पर, किस अधिकारी/कर्मचारी द्वारा, कौन-कौन सी सामग्री, कब-कब, कितनी-कितनी मात्रा में, किस-किस दर पर, लगायी गयी तथा टेंडर उपरांत किस दर पर सप्लाई की गयी एवं कितना भुगतान किन-किन सामग्रियों परिपेक्ष्य में किया गया है? (ख) उक्त कौन-कौन सी सामग्रियों की, कितनी-कितनी मात्रा की आवश्यकता या मांग की किस आधार पर, कितनी-कितनी दरों पर, किस स्तर के, किन-किन अधिकारियों द्वारा कब-कब, स्वीकृति/अनुमोदन दिया गया था? (ग) क्या उक्त सप्लाई के संबंध में कोई जांच की गयी है ? यदि हां, तो इसके अंतर्गत कौन-कौन से अधिकारी/कर्मचारी संलिप्त पाये गये? उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री श्याम बिहारी जायसवाल) : (क) रिजेंट सामग्री खरीदी के संबंध में मोक्षित कॉर्पोरेशन द्वारा सप्लाई किए गए सामग्रियों के टेंडर संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें के मांगपत्र के आधार पर प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेस कॉर्पोरेशन लिमिटेड से अनुमोदन उपरांत जारी किये गये थे। जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-“अ” अनुसार। (ख) सामग्रियों की मात्रा की आवश्यकता या मांग संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें के माध्यम से प्राप्त हुई थी। सामग्री, आवश्यकता या मांग, मात्रा, दर की जानकारी एवं स्वीकृति तिथि की जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-“ब” अनुसार। (ग) उक्त सप्लाई के संबंध में ई.ओ.डब्ल्यू रायपुर में प्रकरण दर्ज किया गया है, जिसकी जांच वर्तमान में प्रक्रियाधीन है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, माननीय मंत्री जी से अपने प्रश्न में यह जानना चाहूंगा। यह सी.जी.एम.एस.सी. से संबंधित है। आपने अपने उत्तर में यह दिया है कि Director Health ने डिमाण्ड क्रियेट की और सी.जी.एम.एस.सी. ने सामग्री खरीदी। इसमें रिजेंट सामग्री की

संख्या बता देंगे। आप नाम मत बताईये। आपने मुझे इतनी मोटी जानकारी दी है। उन्होंने इतने आयटम, सामग्री और इतनी राशि की डिमाण्ड दी ? और उसके विरुद्ध कितनी राशि उपलब्ध करवायी ? उन्होंने जो डिमाण्ड दी, उसमें कितनी राशि उपलब्ध करवायी गयी और सामग्री कितने दिनों के अंदर सप्लाई हुई ?

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे तो प्रपत्र में बहुत ही वृहद एक 795 पेज और एक 492 पेज की जानकारी दे दी गई है, परन्तु इन्होंने पृथक से Specific जानकारी पूछी है तो मोक्षित कॉर्पोरेशन को वर्ष 2019-2020 से वर्ष 2022-2023 तक 266 प्रकार के रीएजेंट सामग्री, कुल 453 करोड़ की खरीदी की गई। वर्ष 2023 का बता देता हूँ ..।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने वह प्रश्न नहीं किया है। मैंने यह कहा कि डी.एच.एस. ने मांग पत्र दिया। उन्होंने मांग पत्र कितनी सामग्री का दिया और उनको उसके विरुद्ध कितनी राशि उपलब्ध करवायी ? वह सामग्री कितने दिनों में सप्लाई हुई ?

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, चूंकि आपने मोक्षित कॉर्पोरेशन से संबंधी प्रश्न किया है। तो उस कंपनी के डिटेल हैं। बाकी ...।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय मंत्री जी, मेरे प्रश्न में ही मोक्षित कॉर्पोरेशन का उल्लेख है। यदि आप मोक्षित कॉर्पोरेशन से ही संबंधी उत्तर बता रहे हैं तो फिर दूसरा प्रश्न पूछ लेता हूँ। यदि आपने मोक्षित कॉर्पोरेशन को ही किया है।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, आपको इसमें भी बता दे रहा हूँ, जो आपका पिछला प्रश्न का उत्तर है। यह राज्य बजट से आपको वर्षवार बताऊं या आपको यह एक साथ बता दूँ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जिस विषय में प्रश्न किया है। मैंने इस मोक्षित कॉर्पोरेशन का नाम प्रश्न में लिया है। आपने उस कंपनियों को किया तो आपने उसके लिए रीएजेंट सामग्री खरीदी की है, डी.एच.एस. के द्वारा कितने रीएजेंट सामग्री की डिमाण्ड क्रियेट हुई ? उसके विरुद्ध कितनी राशि सी.जी.एम.एस.सी. को उपलब्ध करवायी गयी ? कितने दिनों की अवधि में रीएजेंट सामग्री उपलब्ध करवायी गयी ? मतलब रीएजेंट सामग्री सप्लाई की गई और उसमें क्या-क्या अनियमितताएं पायी गयीं ?

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2020-2021 में मोक्षित कॉर्पोरेशन द्वारा रीएजेंट सामग्री भी खरीदे थे और उपकरण भी खरीदे थे। मैं आपको यह दोनो बताऊं ?

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप अपना उत्तर दीजिए। मैं फिर आपसे प्रश्न पूछ लूंगा। आप मुझसे प्रश्न मत करिये।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2020-2021 में 10 प्रकार के उपकरण खरीदे, जिसमें उपकरणों की संख्या 256 थी। उसको 11 करोड़ 20 लाख रुपये का क्रय आदेश दिया गया था। उसको 11 करोड़ 20 लाख रुपये का भुगतान हुआ। वर्ष 2021-2022 में दो प्रकार के उपकरण थे और उपकरणों की संख्या 41 थी, 3 करोड़ 15 लाख रुपये का क्रय आदेश दिया गया और भुगतान भी 3 करोड़ 15 लाख रुपये का हुआ। वर्ष 2022-23 में 8 प्रकार के उपकरण थे, उपकरणों की संख्या 1846 थी, 83 करोड़ 82 लाख रुपये का भुगतान हुआ और 83 करोड़ 82 लाख रुपये का पूरा भुगतान हो गया। वर्ष 2023-24 में इनसे 10 प्रकार के उपकरण खरीदे गये और 22 प्रकार के उपकरण थे, 81 लाख की खरीदी हुई और उसका भुगतान अभी शेष है। इसी प्रकार से 2019-20 में 10 प्रकार के रीएजेंट 20 करोड़ 38 लाख रुपये के खरीदे, उसका पूरा भुगतान हो गया है। वर्ष 2021-22 में 21 प्रकार के रीएजेंट लिये, उसका 20 करोड़ 88 लाख रुपये का पूरा भुगतान हो गया। वर्ष 2021-22 में 70 प्रकार के रीएजेंट खरीदे, 88 करोड़ रुपये का क्रय आदेश दिया गया, उसको पूरा भुगतान हो गया। वर्ष 2022-23 में 165 प्रकार के रीएजेंट थे, 324 करोड़ रुपये की खरीदी हुई, उसका पूरा भुगतान हो गया। अभी वर्ष 2023 में 249 प्रकार के रीएजेंट की खरीदी हुई, उसको 385 करोड़ रुपये का क्रय आदेश दिया गया, उसमें मात्र 47 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया और और 338 करोड़ रुपये देना शेष है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, भुगतान हो गया है, मैंने कहा कि इस प्रकरण में क्या-क्या अनियमितता पाई गई और किन अनियमितताओं की जांच हो रही है? मोक्षित कार्पोरेशन कह लें या सप्लायकर्ता जो भी हो, क्या-क्या इसमें अनियमिततायें पाई गईं और क्या जांच हो रही है?

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न माननीय सदस्य ने राज्य के हित के लिए बृहद रूप से लगाया है और पहले ही ध्यानाकर्षित किये हैं। उसके लिए मैं इनको धन्यवाद भी देता हूं। मैं बताना चाहूंगा कि इस प्रकरण में जैसे ही हमारे माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार बनी और विभिन्न अखबारों के माध्यम से यह पता चला कि इसमें अनियमितता हो रही है तो हमने सबसे पहले 12/1/2024 को इसको विभागीय जांच के लिये दिया।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको कैसे अनियमितता का पता चला, अखबारों से पता लगा, क्या पता लगा, मुझे इससे मतलब नहीं है। आपने जितना रीएजेंट खरीदा, 385 करोड़ रुपये में से कुछ करोड़ रुपये आपने जो भुगतान किया, बाकी भुगतान रोक दिया या पैसा नहीं होगा। मैं आपसे प्रश्न की शुरुआत में पूछा कि पैसा उपलब्ध नहीं था तो भी आपने खरीदा क्या? इस वित्तीय वर्ष में डी.एच.एस. ने मांग दी, उसका पूरा पैसा दिया या नहीं दिया? उसने मांग दिया और आपने खरीदी की तो खरीदी में क्या अनियमितता पाई गई ? आपको किसके द्वारा पता चला, यह आपका विषय है। आप यह बताइये कि क्या-क्या अनियमितता पाई?

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें मुख्य रूप से 3 प्रकार की अनियमितता पाई गई।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप क्रम से चलिये न। मैंने पूछा कि डी.एच.एस. ने मांग की, 300 कुछ करोड़ रुपये का भुगतान रूका है। आपने खरीदा, खरीदने के लिए पैसा उपलब्ध था या नहीं था या बिना पैसे के खरीदा गया?

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जितना पैसे का प्रावधान था, उससे ज्यादा खरीदी हुई।

श्री अजय चन्द्राकर :- उससे ज्यादा की खरीदी हुई तो कितनी ज्यादा की खरीदी हुई?

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- मैं आपको वह भी बता देता हूँ।

नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरणदास महंत) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कल चन्द्राकर जी मेरे लिए आरोप लगा रहे थे कि बाकी के समय इनको दे दिया जाये। हम प्रार्थना कर लें कि बाकी सब समय आपको ही दे दें।

श्री अजय चन्द्राकर :- मेरे को कहां दे रहे हैं। मंत्री जी उत्तर नहीं दे रहे हैं। मैं तो चुपचाप बैठा हूँ। मैं इतना ही चाहता हूँ कि मेरे प्रश्नो का उत्तर आ जाये।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2024-25 में 120 करोड़ रुपये का बजट में प्रावधान था, उसमें 108 करोड़ रुपये आवंटन प्राप्त हुआ। मैंने जैसा कि बताया कि 385 करोड़ रुपये का क्रय आदेश दिया गया था।

अध्यक्ष महोदय :- अगले प्रश्न में आ जाईये।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय मंत्री जी, आपने स्वीकार कर लिया कि पैसा उपलब्ध नहीं था तो भी खरीदा गया। C.G.M.S.C. के नियम में या स्वास्थ्य विभाग के किसी नियम में पैसा नहीं है और खरीदा जा सकता है क्या ? ऐसी खरीदी की गई तो उसके खिलाफ आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं? किसने खरीदी की और किसके खिलाफ क्या कार्रवाई कर रहे हैं?

श्री श्यामबिहारी जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्हीं सब गड़बड़ियों के चलते इतिहास का...।

श्री अजय चंद्राकर :- अरे साहब, गड़बड़ियों की जांच में बाद में आएंगे ।

श्री श्यामबिहारी जायसवाल :- हमने इसमें...।

श्री अजय चंद्राकर :- मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा हूँ ।

श्री श्यामबिहारी जायसवाल :- आप क्या जानना चाहते हैं ? हमने ई.ओ.डब्ल्यू. जांच का आदेश दे दिया और इसमें हमने 15 अधिकारियों के खिलाफ एन.ओ.सी. दिया है।

श्री अजय चंद्राकर :- आपने बहुत अच्छा किया । (व्यवधान)

श्री श्यामबिहारी जायसवाल :- इससे बड़ा वृहद् क्या हो सकता है ? जो आरोपी फर्जी किया है वह अभी जेल में है । इससे बड़ी कार्रवाई क्या हो सकती है ?

श्री अजय चंद्राकर :- अरे, मैं जो पूछ रहा हूँ । (व्यवधान)

श्री श्यामबिहारी जायसवाल :- सरकार आने के साथ हमने एक महीने में जांच करायी ।

श्री अजय चंद्राकर :- आप भाषण मत दीजिये, प्रश्न का उत्तर दीजिये ।

श्री श्यामबिहारी जायसवाल :- मैं प्रश्न का उत्तर ही दे रहा हूँ ।

श्री अजय चंद्राकर :- मंत्री जी, मैंने आपसे यह पूछा है कि जो पैसा नहीं होने के बाद खरीदा गया । क्या यह आपके नियमों में है कि ऐसी खरीदी हो सकती है ? मैंने आपसे यह पूछा है कि यदि नियमों में नहीं है तो किस अधिकारी ने ऐसा किया और उसके खिलाफ आपने क्या कार्रवाई की ? आपने 25 लोगों को या 40 लोगों को जेल में डाला है इससे मतलब नहीं है । मेरा प्रश्न स्पेसिफिक है, मुझे उसमें उत्तर चाहिए ।

श्री श्यामबिहारी जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मामला बड़ा वृहद् रैकेट के रूप में किया गया । यह नियम में नहीं है कि बिना आवंटन के खरीदा जाये लेकिन हेल्थ एक ऐसी व्यवस्था है कि कभी-कभी कुछ मात्रा में उसको...।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कुछ मात्रा 385 करोड़ की नहीं हो सकती ।

श्री श्यामबिहारी जायसवाल :- आप मुझे बोलने तो दीजिये । आप पहले सुन तो लीजिये ।

अध्यक्ष महोदय :- जवाब सुनिये, धैर्य रखिये ।

श्री श्यामबिहारी जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे जवाब को पूरा सुन लिया जाये फिर उसके बाद जो प्रश्न करना है करें ।

अध्यक्ष महोदय :- पूरा जवाब सुन लें, बाद में प्रश्न आयेगा तो कर लें । आराम से, आप धैर्य से बैठिए । मंत्री जी, आप जवाब दीजिये ।

श्री श्यामबिहारी जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, चूंकि हेल्थ में नियम के नहीं होने पर थोड़ी-मोड़ी मात्रा में किया जाता है परंतु चूंकि यह 385 करोड़ का मामला था । हमने शुरू में जनवरी में ही विभागीय जांच करवायी और जांच में धीरे-धीरे यह प्रतीत हुआ कि यह जांच करने वाले ही उसमें खुद मिले हुए हैं तो हमने इस पूरे मामले को उठाकर चूंकि विधानसभा में यह प्रश्न भी आया और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के अनुसार हमने प्रदेश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी ई.ओ.डब्ल्यू. को इसको हस्तांतरित किया । (मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है ।

श्री श्यामबिहारी जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने इसमें 15 अधिकारियों के खिलाफ एन.ओ.सी. भी दी है कि उनके खिलाफ भी करिये, अभी और इसमें जो भी जांच के दायरे में आयेंगे, ई.ओ.डब्ल्यू. कर रही है ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, काफी प्रश्न हो गए ।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे संरक्षण चाहता हूं, आपने क्या कार्रवाई की । माननीय मुख्यमंत्री जी आपने जीरो टॉलरेंस किया है उसके लिये आप सब मेरी बधाई ले लीजिये । लेकिन कृपा करके मैंने जो स्पेसिफिक प्रश्न किया है, आप उसका उत्तर दे दीजिये, मैं इसके बाद नहीं पूछूंगा । यह मेरा आपसे प्रॉमिस है ।

अध्यक्ष महोदय :- एक आखिरी प्रश्न जो भी करना है, कर लीजिये ।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे आग्रह करूंगा चूंकि आप बहुत सीनियर आदमी हैं । प्रश्न की संख्या की बजाय यह भी देखा जाता है कि प्रश्न के उत्तर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं और मैं तो पाइंटेड प्रश्न पूछ रहा हूं, जब उत्तर नहीं आ रहा है तो संख्या का कोई मतलब नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, वे पाइंटेड ही जवाब दे रहे हैं । आप दूसरा प्रश्न कर लीजिए ।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जो पूछा है, आप उसी में बताईये । आपने जो-जो कार्रवाई की है, मैंने उसमें नहीं पूछा है । मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा हूं । जितनी राशि मतलब बिना राशि के खरीदी की गयी, यह आपके नियमों में है कि नहीं है तो आपने नहीं है कहा तो जिस अधिकारी ने इसका वॉयलेंस किया, इस नियम का बिना पैसे के खरीदा वह लोग कौन थे और उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गयी ? आप मुझे यह बताईये कि उनका नाम ई.ओ.डब्ल्यू. में भेजे हैं, ए.सी.बी. में भेजे हैं, ऐसा बता दीजिये । मैं आपसे स्पेसिफिक पूछ रहा हूं कि कौन अधिकारी इसके लिये जिम्मेदार हैं या कौन-कौन अधिकारी जिम्मेदार हैं और आपने उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की ?

श्री श्यामबिहारी जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं वही बात माननीय सदस्य को समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि हम दिनांक 12 जनवरी को जब यह समझ में आया कि यह नियम विरुद्ध है तो विभाग ने अपनी जांच करने के लिये हमने आदेशित किया और यह जो जांच रिपोर्ट है, यह पूरी गोल-मोल थी । समझ से बाहर थी और माननीय सदस्य धरमलाल कौशिक जी ने प्रश्न भी किया और वे नहीं भी करते तो उससे पहले हमने ई.ओ.डब्ल्यू. की पूरी फाईल तैयार कर ली थी, मैं यह भी बता दे रहा हूं, उसमें दिनांक आ जायेगा तो हमने ऐसे अधिकारियों के खिलाफ चूंकि मैंने बताया कि 15 अधिकारी हैं, इसमें 2 बड़े अधिकारी हैं । चूंकि ई.ओ.डब्ल्यू. में जांच चल रही है, शायद सदन में उनके नाम बताना उचित नहीं होगा ।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि वे दोषी हैं या जिम्मेदार हैं तो नाम क्यों नहीं बतायेंगे ? कौन 2 बड़े, कौन छोटे और कौन 15 ? मैं तो पूछ रहा हूं ।

श्री श्यामबिहारी जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने ऐसे 15 अधिकारियों के खिलाफ ई.ओ.डब्ल्यू. को दे दिया है । अब हम तो जांच करके चूंकि मंत्री को अधिकार नहीं है कि जांच करके उसको शूली पर लटका दें, आप यह बताइये कि आप इससे बड़ी क्या जांच चाहते हैं ?

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सीधी सी बात है कि मैं आपसे खेद व्यक्त करके बैठ रहा हूं कि मैंने जो पूछा उन्होंने उसका भर उत्तर नहीं दिया, बाकी उन्होंने क्या-क्या किया उसका बखान करते रहे ।

श्री श्यामबिहारी जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप निर्देश कर दें । मैं तो अपने हिसाब से इन्होंने जो पूछा उसका पाइंटेड जवाब दिया ।

श्री अजय चंद्राकर :- आप ई.ओ.डब्ल्यू. में किसके खिलाफ गये, यह मैंने पूछा ही नहीं है । मैंने आपको बधाई दे दी कि आपने किया ।

श्री श्यामबिहारी जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जिन्होंने गड़बड़ी की, मैंने तो बताया कि इसमें गड़बड़ी हुई है, स्वीकार किये हैं और गड़बड़ी के बाद डिपार्टमेंटल जांच भी कराये ।

श्री अजय चंद्राकर :- अच्छा, चलिये । आप मुझे उत्तर नहीं दे रहे हैं तो मत दीजिये । मैं यह पूछ रहा हूं कि इसमें मैंने जिस कॉर्पोरेशन का नाम उल्लेखित किया है उस कॉर्पोरेशन के खिलाफ भी आप ई.ओ.डब्ल्यू. में गये हैं तो उसके खिलाफ किन-किन मुद्दों में जांच हो रही है । आप यह बता दीजिये कि सप्लाईकर्ता ने क्या-क्या गड़बड़ी की है, जिसके खिलाफ आपने जांच करवायी है और उसको ई.ओ.डब्ल्यू. को दिया है तो जिन्होंने सप्लाई की है, सप्लाईकर्ता हैं, उन्होंने क्या-क्या गड़बड़ी की है, जिसके खिलाफ आप ई.ओ.डब्ल्यू. में गए हैं? ये मेरा आखरी प्रश्न है।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उसमें सप्लाईकर्ता और सप्लाई कराने में जिन अधिकारियों, जिन कर्मचारियों का हाथ था..।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं सप्लाईकर्ता पूछ रहा हूं।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- उन सबके खिलाफ हमने ई.ओ.डब्ल्यू. में नाम दिया है और मुख्य रूप से ये जो बिंदु पूछ रहे हैं कि सप्लाईकर्ता की क्या-क्या गड़बड़ी थी तो उसकी तो गड़बड़ी नंबर एक कि बिना किसी प्रकार की उसमें खरीदी नियम में जो दर है, वह 100 रुपये की चीज को 10 गुना, 8 गुना रेट में खरीद लिया गया था। वह जांच हुआ।

श्री अजय चन्द्राकर :- वह ऑर्डर मिला है।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- ऑर्डर मिला, ठीक है..।

श्री अजय चन्द्राकर :- आपके विभाग ने उनको उतने पैसे में सप्लाई का ऑर्डर दिया है..।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- मैं उसी में तो आ रहा हूं। इसके बाद जो ऑर्डर दिए, उसमें नियम है कि उसको चालू करके उसमें रिजेंट जांच चालू होने के बाद भुगतान होता है। अभी भी 700 से ऊपर मशीनें हैं, आज तक नहीं चालू हो पाई हैं। तीसरी चीज उसने बताया कि ये क्लोज मशीन है, जिसमें दूसरे का रिजेंट नहीं लगता है और उसने छद्मपूर्वक ओपन मशीन भी दे दिया, जिसमें किसी की भी दवाइयां लगती हैं। तो कुल मिलाकर ये सप्लायर और अधिकारियों की सांठ-गांठ से हुई है। प्रथम दृष्टया मैं सप्लायर को जेल में डालकर उसको ई.ओ.डब्ल्यू. में डाला है और उसमें 15 अधिकारियों के नाम हैं और हमने उनको एन.ओ.सी. भी दे दिया है। चूंकि ई.ओ.डब्ल्यू. जांच कर रही है, विभाग नहीं कर रही है, इसलिए मैं समय-सीमा भी नहीं बता पाउंगा।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न संख्या 05. श्रीमती संगीता सिन्हा जी।

चिकित्सालयों में चिकित्सकों के स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पद की पूर्ति

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

5. (*क्र. 1473) श्रीमती संगीता सिन्हा : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** दिनांक 31 जनवरी, 2025 की स्थिति में संजारी बालोद वि.स. क्षेत्र के जिला चिकित्सालयों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सकीय स्टाफ के स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पद कितने-कितने हैं? इनमें से कितने नियमित, संविदा तथा अन्य व्यवस्था के अंतर्गत नियुक्त हैं? **(ख)** कण्डिका 'क' के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विभाग की क्या कार्ययोजना है? कितने नियमित चिकित्सकों की परिवीक्षा अवधि समाप्ति पश्चात नियमितिकरण लंबित है? जानकारी देवें? **(ग)** क्या विभाग द्वारा विधिक चिकित्सा मामलों (एमएलसी) के लिए उक्त स्वास्थ्य केन्द्रों में पृथक से चिकित्सक नियुक्त किये जाने पर विचार चल रहा है?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री श्याम बिहारी जायसवाल) :**(क)** जानकारी संलग्न³ प्रपत्र अनुसार है। **(ख)** 1079 चिकित्सक/चिकित्सा विशेषज्ञों के पदों की पूर्ति हेतु वित्त निर्देश 18/2023 एवं 04/2024 के परिप्रेक्ष्य में वित्त विभाग से अनुमति प्राप्त करने हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है एवं स्टाफ नर्स के 225 पदों पर सीधी भर्ती की कार्यवाही छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल में प्रक्रियाधीन है। कंडिका 'क' अनुसार कुल 03 नियमित चिकित्सकों की परिवीक्षा अवधि समाप्ति पश्चात् नियमितिकरण लंबित है, जिनकी नियमितिकरण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। **(ग)** जी नहीं।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैंने स्वास्थ्य मंत्री से जानकारी चाही थी कि हमारे जो जिला चिकित्सालय और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में रिक्त पदों की पूर्ति के लिए और

³ † परिशिष्ट "तीन"

जितने भी रिक्त पद हैं तो मैंने इनके उत्तर में देखा था कि जितने भी आए हैं, रिक्त पद बहुत सारे हैं। अगर मैं अपने जिला की बात करूं तो नेत्र रोग विशेषज्ञ का एक पद है तो एक रिक्त है। वैसे ही निश्चेतना के दो पद हैं तो दो रिक्त हैं, रेडियोलोजिस्ट का एक पद है तो एक रिक्त है, नाक, कान, गला का एक पद है तो एक रिक्त है। देखा जाए तो बहुत सारे हैं। नाम लूंगी तो बहुत लम्बा हो जाएगा तो मैं निवेदन एवं अपील कर रही हूं और जानना चाह रही हूं कि ये रिक्त पदों की कब तक भर्ती हो जाएगी?

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य महोदय ने अपने क्षेत्र की चिकित्सकों की कमी की बात कही है, वह सही बोल रही हैं। विशेषज्ञ डॉक्टरों की हमारे पास कमी है, लेकिन सुखद बात यह है कि बाकी क्षेत्रों की अपेक्षा आपके जिले और विधान सभा में बाकी स्टाफ भरे हुए हैं। इस कमी को पूरा करने के लिए 1079 चिकित्सकों और विशेषज्ञों के पदों की भर्ती के लिए हम जल्द ही उसकी प्रक्रिया करने जा रहे हैं, इसके लिए से वित्त से अनुमति प्राप्त करने की प्रक्रिया प्रक्रियाधीन है। 225 स्टाफ नर्सों की भी हम भर्ती कर रहे हैं और जल्द ही हम बांड से भर्ती करेंगे तो निश्चित रूप से आपके विधान सभा क्षेत्र में जो विशेषज्ञ की कमी है, उसको अप्रैल महीने में भेजेंगे।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, महोदय जी ने कहा कि मेरे यहां बहुत सारे पद भरे हुए हैं तो वे जो भरे हुए पद बता रहे हैं, जहां पर डॉक्टर हैं, मैं उसे जानना चाह रही हूं।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- मैं संजारी बालोद विधान सभा में सूची दे दूंगा। पढ़ने में लम्बा समय लगेगा, लेकिन कुल 343 स्वीकृत पद हैं।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- मैं स्वीकृत पद की बात नहीं कर रही हूं।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- नहीं-नहीं, आगे तो बताउंगा तब तो, उसके विरुद्ध में कितना भरा है, कितना रिक्त है।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- जी।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल : तो 343 के विरुद्ध में 222 कार्यरत हैं, 123 रिक्त हैं। उसी प्रकार से एन.एच.एम. में भी 226 पद हैं, उसमें हम 216 भरे हैं, केवल 10 रिक्त हैं और अन्य 7 बांड के डॉक्टर हैं। इस प्रकार से आपके यहां एन.एच.एम. से तो 95 प्रतिशत भरे हैं और हमारे डी.एच.एस. के रेग्युलर में लगभग 65 प्रतिशत स्टाफ भरे हुए हैं।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- वहां पर एक भी स्त्री रोग विशेषज्ञ नहीं है। एक भी मनोरोग चिकित्सक नहीं है। एक भी शिशु रोग विशेषज्ञ नहीं है। वहां पर अगर मनोरोग बच्चे आते हैं, उनको सर्टिफिकेट बनाने के लिए बाहर रेफर कर किया जाता है। जब यहां है ही नहीं तो महोदय जी पता नहीं कहां से आंसर लेकर आये हैं? अध्यक्ष महोदय जी, मैं निवेदन कर रही हूं कि इसको विशेष रूप से ध्यान दें और बहुत जल्द से जल्द अगर आप व्यवस्था नहीं कर पाते, स्वास्थ्य मंत्री जी से निवेदन करती हूं कि उस जिला अस्पताल और सामुदायिक अस्पताल को बंद कर दीजिए, क्योंकि वहां स्टाफ ही नहीं है, वहां बहुत

सारे एकसिडेंटल केस आते हैं । मेरा दूसरा प्रश्न है कि विगत वर्षों में प्रसव के जितने प्रकरण आए हैं उनमें कितने सिजेरियन प्रसव हुए हैं और कितने प्रकरणों को निजी अस्पतालों में रेफर किया गया है ?

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने रिजेरियन और नॉर्मल डिलिवरी का स्पेसीफिक रूप से प्रश्न पूछा है । आपको जिला और विधान सभा क्षेत्र का अलग से उपलब्ध करा दूंगा ।

अध्यक्ष महोदय :- हो गया ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- अध्यक्ष महोदय, गंभीर विषय है । हमारे यहां प्रसव के लिए महिलाएं जाती हैं, उनको पूरे एक दिन वहां पर रखा जाता है । उसके बाद जब उनका प्रसव नॉर्मल नहीं हो पाता है तो रेफर करके निजी हॉस्पिटल में भेजते हैं। कई बार वहां एम्बुलेंस नहीं रहने के कारण बहुत देरी हो जाती है । हमारे यहां सर्वसुविधायुक्त एक एम्बुलेंस थी वह भी उपलब्ध नहीं होने के कारण कई महिलाओं की मौत हो चुकी है । मैं स्वास्थ्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहती हूं कि यहां घोषणा करें । रिक्त पदों के बारे में मैं कुछ नहीं बोल रही हूं, जब भर्ती होगी तब स्टाफ देंगे, लेकिन वहां सर्वसुविधायुक्त एम्बुलेंस थी, उसे हटा दिया गया है । यहां घोषणा करें कि सर्वसुविधायुक्त एम्बुलेंस देंगे ।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- निश्चित रूप से वह दूरस्थ अंचल है, एक एम्बुलेंस आपके यहां भेज देंगे । जल्द ही एक एम्बुलेंस भेजेंगे ।

अध्यक्ष महोदय :- भेज दीजिए, भेज दीजिए ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय ।

श्री उमेश पटेल :- मंत्री जी, पीएससी से जो आप भर्ती करने की बात कह रहे हैं क्या यह वैसी ही भर्ती है जैसे विधान सभा में घोषणा हुई 33000 शिक्षकों की, आज तक नहीं हुई । क्या आप भी वैसी ही भर्ती करने वाले हैं ?

पत्थलगांव विधानसभा क्षेत्रांतर्गत स्वास्थ्य केन्द्र, स्वास्थ्य सुविधायें व पदस्थ चिकित्सक

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

6. (*क्र. 558) श्रीमती गोमती साय : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) विधानसभा क्षेत्र पत्थलगांव अंतर्गत शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में कुल कितने स्वास्थ्य केन्द्र संचालित हैं ? इन स्वास्थ्य केन्द्रों में कुल कितने चिकित्सकों के पद स्वीकृत, पदस्थ एवं रिक्त हैं ? स्वास्थ्य केन्द्रवार जानकारी दें ? (ख) क्या संचालित स्वास्थ्य केन्द्रों में परीक्षण, जांच हेतु आवश्यक उपकरण एकसरे, सोनोग्राफी, ईसीजी, लैब उपलब्ध हैं ? यदि नहीं तो कौन-कौन से उपकरण

किन-किन केन्द्रों में उपलब्ध कराने की मांग की गई है? मांग अनुरूप क्या कार्यवाही की गयी है ? समयावधि बतावें ? (ग) विधानसभा क्षेत्र पत्थलगांव में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने हेतु विभाग द्वारा क्या-क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री श्याम बिहारी जायसवाल) : (क) विधानसभा क्षेत्र पत्थलगांव अंतर्गत शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में कुल 01 सिविल अस्पताल 02 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 12 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 81 उप स्वास्थ्य केन्द्र संचालित है। जानकारी 'संलग्न प्रपत्र "अ" अनुसार है। (ख) सिविल अस्पताल पत्थलगांव एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में जांच हेतु आवश्यक उपकरण उपलब्ध है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बागबहारा एवं कोतबा में एक्सरे मशीन उपलब्धता स्थानीय स्तर पर कराई गयी है, किन्तु अन्य प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में आई.पी.एच.एस. मापदण्ड के अनुरूप उक्त पद स्वीकृत नहीं होने के कारण एक्सरे, सोनोग्राफी एवं ईसीजी मशीनों की मांग नहीं की गई है। शेष प्रश्नांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जानकारी संलग्न प्रपत्र "ब" अनुसार है।

श्रीमती गोमती साय :- अध्यक्ष महोदय, समय कम है, मैं ज्यादा नहीं पूछूंगी। मेरे विधान सभा क्षेत्र पत्थलगांव में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र और सिविल हॉस्पिटल है उसमें सुविधा संचालन करने के लिए क्या-क्या व्यवस्था की गई है ? इसमें उत्तर दिया गया है जिसमें पत्थलगांव विधान सभा क्षेत्र में सिविल भी है और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भी है, जिसमें से बहुत सारे रिक्त पद हैं, उनको कब तक पूरा करेंगे, मैं यह जानना चाहती हूं ।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने इससे पहले वाले प्रश्न में बताया था कि हम जल्द ही भर्ती प्रक्रिया करने वाले हैं । वैसे आपके क्षेत्र में स्थिति बहुत अच्छी है, लगभग 90 प्रतिशत पद भरे हैं, फिर भी स्पेसिफिक रूप से कहीं डॉक्टर्स की कमी होगी तो बता देंगे । वैसे आपके यहां कोई भी हॉस्पिटल डॉक्टर विहीन नहीं है ।

श्रीमती गोमती साय :- मेरा एक प्रश्न और है । आयुष्मान बहुत बड़ी योजना है इसका योजना का कार्ड शासकीय हॉस्पिटल में तो चलता है लेकिन अर्धशासकीय हॉस्पिटल में नहीं चलता है । मरीजों को बहुत परेशानी उठानी पड़ती है, हमारे कुनकुरी अर्धशासकीय हॉस्पिटल में नहीं चलता है, रामकृष्ण केयर में नहीं चलता है । कृपा करके ऐसी योजना बनाइए जो सभी हॉस्पिटल में चले । हमारे जितने भी मरीज हैं वे इसका अच्छे से अच्छा उपयोग करें ।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- अध्यक्ष महोदय, आयुष्मान को लेकर हमारे विभाग ने अभी ऐसे अस्पतालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है । ऐसे अस्पताल जो इम्पैनलड हैं और इलाज नहीं कर रहे हैं तो हम लोगों ने इम्पैनलमेंट से सस्पेंड भी किया है । उनका कुछ भुगतान बचा था, उनका भुगतान भी कर

⁴ परिशिष्ट "चार"

रहे हैं तो इस प्रकार का कोई भी हॉस्पिटल हो तो आप सभी सदस्यों से आग्रह है, मुझे बता देंगे तो निश्चित रूप से उन पर कार्रवाई की जाएगी।

श्रीमती गोमती साय :- अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहती हूँ कि जितने भी हॉस्पिटल हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सिविल हॉस्पिटल उनमें कहीं शव वाहन नहीं हैं, कहीं एम्बुलेंस नहीं है इसके लिए व्यवस्था कब तक कराएंगे, कृपा करके मेरे विधान सभा क्षेत्र के लिए घोषणा कर दीजिए।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- अध्यक्ष महोदय, आचार संहिता की वजह से हम टेंडर नहीं कर पाए थे। अभी लगभग 380 एम्बुलेंस का टेंडर भी जल्द पूरा कर रहे हैं। उम्मीद है कि अप्रैल माह तक ये एम्बुलेंस हमारे पास आ जाएंगे तो निश्चित रूप से पत्थलगांव विधान सभा में उपलब्ध कराएंगे।

श्रीमती रायमुनी भगत :- अध्यक्ष महोदय, इसी विषय में मेरे विधान सभा में भी एम्बुलेंस की बहुत कमी है। उसकी पूर्ति जल्दी से जल्दी कर दी जाए।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- ठीक है, करेंगे अध्यक्ष महोदय।

प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजनांतर्गत स्वीकृत आवास

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

7. (*क्र. 602) श्री भूपेश बघेल : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- छ.ग. प्रदेश में वर्ष 2016 से वर्ष 2025 के बीच प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजनांतर्गत वर्षवार स्वीकृत आवासों की संख्या, स्वीकृत एवं व्यय राशि तथा निर्मित आवासों की जानकारी वर्षवार व जिलेवार प्रदान करें ?

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) : जानकारी "पुस्तकालय में रखे प्रपत्र" अनुसार है।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा माननीय उप मुख्यमंत्री जी से बहुत ही सामान्य सा प्रश्न है। वर्ष 2016 से 2025 के बीच प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत वर्षवार स्वीकृत आवासों की संख्या, स्वीकृत व्यय राशि तथा निर्मित आवासों की जानकारी जिलेवार देने का कष्ट करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, विभाग से जो जानकारी मिली है, उसमें वर्ष 2016 में एक भी भवन पूर्ण नहीं हुआ, वर्ष 2017 में 2,05,434 भवन पूर्ण हुए। वर्ष 2018 में 3,07,414 भवन स्वीकृत हुए, वर्ष 2019 में 2,20,095 भवन स्वीकृत हुए, वर्ष 2020 में 33,792 भवन स्वीकृत हुए, वर्ष 2021 में 47,728 भवन स्वीकृत हुए, वर्ष 2022 में 10,485 भवन स्वीकृत हुए, वर्ष 2023 में 1,09,489 भवन स्वीकृत हुए, वर्ष 2024 में 1,65,620 भवन स्वीकृत हुए, ये आपने आंकड़े दिए हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न ये है कि अभी इस मामले में आर्थिक सर्वेक्षण भी आ गया, इसके पहले माननीय पुन्नूलाल मोहले जी ने भी प्रश्न किया था, आंकड़ों में बड़ा अंतर है। जहां वर्ष 2021-22 में आर्थिक सर्वेक्षण में आपने 0, 0 बताया

है, वहीं मुझे जो उत्तर दिया है, उसमें आपने 47,728 बताया है, वहीं वर्ष 2023-24 में आपने 0, 0 आंकड़ा बताया, जो आर्थिक सर्वेक्षण है, मुझे जो आपने उत्तर दिया है, उसमें 1,09,489 बताया है, वर्ष 2024-25 में आर्थिक सर्वेक्षण में जो पूर्ण आवास है, वह केवल 6 बताया है, अभी 28 तारीख को आपने माननीय पुन्नूलाल मोहले जी के उत्तर में 13,170 और बताया है और आपने मुझे जो उत्तर दिया है, उसमें 1,65,620 है। अध्यक्ष महोदय, ये कौन से आंकड़े सही हैं ?

श्री विजय शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, आंकड़ों पर जरूर जाएं, मैं मना नहीं कर रहा हूं, इस पर पूरा विषय भी है। परंतु आप इस विषय पर विस्तृत चर्चा समय बढ़ाकर कर दें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। माननीय सदस्य पूर्व मुख्यमंत्री जी का कहना है कि इन्होंने प्रश्न किया था, वर्ष 2016 से वर्ष 2025 तक जनवरी से दिसंबर तक पूरा कैल्कुलेट किया गया, वेबसाईड में वित्तीय वर्ष के आधार पर उपलब्ध था, लेकिन उसको महीनों में बांटकर, जिलों में बांटकर, उस वर्ष के आधार पर जैसा प्रश्न हुआ था, उस प्रश्न के आधार पर इसको बनाया गया है, इसलिए उनको आंकड़ों में यह लग रहा होगा कि वहां आंकड़े कैसे हैं और यहां आंकड़े कैसे हैं। ये वर्ष के आधार पर है, वह वित्तीय वर्ष के आधार पर है। वर्ष के आधार पर जो आंकड़े हैं, ये बिल्कुल स्थापित आंकड़े हैं और समझने के लायक है। इसमें कथा भी बहुत बड़ी है। वह कथा ऐसी है कि संपूर्ण छत्तीसगढ़ के गरीब जिनके आवास रूके हुए थे, वे प्रतीक्षा कर रहे थे, माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार बनने के बाद जो आवास बने हैं, वह भी हमें ध्यान में है, मैं प्रतीक्षा करता हूं।

श्री भूपेश बघेल :- मंत्री जी, आपने बहुत बढ़िया बात कही। आपने कहा कि 18 लाख आवास बने नहीं, इसलिए सरकार ने कोई निर्माण नहीं किया, मैंने अभी आंकड़ा पढ़ा। वर्ष 2016 में और वर्ष 2017 में कितना बना, वर्ष 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 तक पढ़ा, ये सारे आंकड़े मैंने पढ़ा है, आपने उत्तर दिया है, ये आपका ही उत्तर है। आप सारे आंकड़े चिख-चिखकर कह रहे हैं, पिछली सरकार में भी काम हुआ जिसको आप नकार रहे हो। मेरा प्रश्न ये है कि आखिर आप जो टोटल लक्ष्य कर रहे हैं, आपने जो लक्ष्य बताया है, अभी आपका लक्ष्य 23 लाख 26 हजार है, स्वीकृत आवास 18 लाख है और निर्मित आवास 11,58,919 है, यह आपने मुझे उत्तर में बताया है। अब सवाल ये उठता है कि 11 लाख आवास निर्मित हो गए, उसके अलावा आप 18 लाख आवास और देंगे या इसमें से ही जो 18 लाख, 11 लाख हो गया, उसमें से 7 लाख आवास देंगे ? कृपा करके आप मुझे यह बताये।

श्री विजय शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह एक आंकड़ा है, जो यह बता रहा है कि अभी जब केन्द्र में नरेन्द्र मोदी जी की सरकार बनी तो उनके द्वारा 17 राज्यों में 32 लाख, 50 हजार प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत किये गये और उन 17 राज्यों में वर्ष 2011 की जो PWL (permanent waiting list) है, उसमें 16 राज्यों को नहीं देना पड़ा। माननीय सदस्य जो बात कह रहे हैं, मैं उसी विषय पर कह रहा हूं कि हमने काम किया है। वह यह बता रहे हैं तो इसमें स्पष्टता होनी चाहिए कि

कितना काम किया गया और कितने की आवश्यकता थी? मैं आपसे यह कह रहा हूँ कि 17 राज्यों की जो सूची दी गई, उसमें से 16 राज्यों को वर्ष 2011 की सर्वे सूची permanent waiting list के आधार पर आवास आवंटन की आवश्यकता नहीं पड़ी, परंतु छत्तीसगढ़ को 6 लाख, 99 हजार, 331 आवास दिये गये। हमें इस बात की बड़ी प्रसन्नता है कि आज माननीय विष्णु देव साय जी सरकार में गरीबों को आवास मिला है। परंतु विषय यह है कि 5 वर्ष।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जो प्रश्न पूछ रहा हूँ, आप उसका उत्तर तो बताइये।

श्री विजय शर्मा :- अध्यक्ष महोदय, मैं वही कह रहा हूँ।

श्री भूपेश बघेल :- आप कहां वही कह रहे हैं ? (व्यवधान)

श्री विजय शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं वही कह रहा हूँ। एक मिनट। माननीय सदस्य, मेरा आपसे निवेदन है कि आप मेरी बात सुन लीजिए। मैं आपको वही बात कह रहा हूँ। आप मेरी बात पूरी होने दीजिए। (व्यवधान)

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री विक्रम मण्डावी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप यह बताइये कि आपने 18 लाख आवास दिये हैं या नहीं दिये हैं ? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- एक मिनट, मंत्री जी का जवाब आ जाये। (व्यवधान)

श्री विजय शर्मा :- अध्यक्ष महोदय, मैंने मंत्री जी से 2 दो प्रश्न कर लिये, लेकिन मेरे दोनों प्रश्नों के उत्तर नहीं आ रहे हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- आप मंत्री जी का पूरा जवाब सुन लीजिए। (व्यवधान)

श्री विजय शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे पास इनके पूरे प्रश्नों के उत्तर हैं। उत्तर, उत्तर के हिसाब से होगा, आपके हिसाब से नहीं होगा। (व्यवधान)

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा पहला प्रश्न वर्ष 2016 से लेकर वर्ष 2025 तक प्रधानमंत्री आवास योजना से स्वीकृत आवासों से संबंधित था। जब विधान सभा में प्रश्न पूछा जाता है तो वित्तीय वर्ष से ही पूछा जाता है। आपने मुझे वह आंकड़े नहीं बताये हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- एक बार मंत्री जी का उत्तर आ जाये, उसके बाद आपको जो शंका हो, उसको आप पूछ सकते हैं।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, समय कम है।

श्री विजय शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि आप समय बढ़ा दीजिए। इस विषय पर चर्चा आवश्यक है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- नहीं, आप जवाब दीजिये।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी आपसे समय बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। आप दूसरा प्रश्न ले लें। ट्रेजरी बैंक से यह मांग की जा रही है कि समय बढ़ाया जाये, इसलिए आप इसमें आधे घंटे की चर्चा करवा लीजिए। (व्यवधान)

श्री विजय शर्मा :- माननीय सदस्य महोदय, एक मिनट। आप मेरा जवाब सुन लीजिए। मेरा जवाब तो आ जाने दीजिए। (व्यवधान)

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ट्रेजरी बैंक यह कह रहा है कि समय बढ़ाया जाये। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- अभी हमारे पास समय है। आप बैठिये। पहले आप मंत्री जी का जवाब सुन लीजिए। मंत्री जी, पहले आप जवाब दे दीजिए।

श्री विजय शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे वही बात कह रहा हूँ कि कितने आवास की आवश्यकता थी और कितने का निर्माण किया गया है, यह इस बात का प्रमाण है। अभी केन्द्र की सरकार ने 8 लाख, 47 हजार आवास दिये हैं। उसमें से 6 लाख, 99 हजार, 331 आवास वर्ष 2011 की वेटिंग लिस्ट के हैं। उसमें से 17 राज्यों में से 16 राज्यों को नहीं देना पड़ा और सिर्फ छत्तीसगढ़ को देना पड़ा। चूंकि ये काम बकाया रह गये थे और ये काम सिर्फ छत्तीसगढ़ में बकाया रह गये थे। कोरोनाकाल या कोई ऐसी बात नहीं है। उसी समय में झारखण्ड में जितने लक्ष्य दिये गये थे, उसको दिये गये हैं। (व्यवधान)

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह छत्तीसगढ़ की बात है। (व्यवधान)

श्री विक्रम मण्डावी :- मंत्री जी, आप छत्तीसगढ़ का बताइये। छत्तीसगढ़ को 18 लाख आवास मिले या नहीं मिले ? (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हम छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं, न कि झारखण्ड की बात कर रहे हैं। आप छत्तीसगढ़ की बात कीजिये। (व्यवधान)

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप मुझे प्रश्न पूछने देंगे ?

अध्यक्ष महोदय :- आप मंत्री जी का पूरा डिटेल में जवाब आने दीजिए।

श्री भूपेश बघेल :- नहीं, यह क्या जवाब दे रहे हैं ? यह तो प्रवचन कर रहे हैं। यह भाषण कर रहे हैं। मेरा प्वाइंट प्रश्न है तो मैं इसका प्वाइंट उत्तर चाह रहा हूँ। वह स्वयं बोल रहे हैं कि समय बढ़ायी जाये। (व्यवधान)

श्री विजय शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रवचन नहीं है। यह बिल्कुल उससे रिलेवेंट है, मैं आपसे वही बात कहना चाह रहा हूँ। माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है, मैं उसी का उत्तर दे रहा हूँ।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सवाल यह उठता है। अब मैं इस बात को छोड़ता हूँ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, आप आखिरी प्रश्न कर लीजिए।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा मंत्री जी से तीसरा प्रश्न यह है कि वर्ष 2011 के सर्वेक्षण में आवास योजना में कितने आवास हैं ? आवास प्लस में कितने आवास हैं ? आवास प्लस-प्लस में कितने आवास हैं ? आप यह बता दीजिए। आपने मेरे पहले दो प्रश्नों के उत्तर तो दिये नहीं।

श्री विजय शर्मा :- नहीं-नहीं, मैंने आपके पहले प्रश्न का उत्तर बिल्कुल दिया है। यदि आपका कोई और विषय हो तो मैं आपको बता देता हूँ। इसके बाद वर्ष 2011 की जो प्रतीक्षा सूची है, उसमें 6 लाख, 99 हजार कुछ आवास हैं और आवास प्लस की सूची में 8 लाख, 19 हजार, 999 आवास हैं। जो किशत, जिनमें आवासों के बचे थे, वह अभी नई सरकार बनने के बाद 2 लाख, 24 हजार आवास पूरे किये गये हैं। उसके बाद 47 हजार, 90 आवास मुख्यमंत्री आवास के नाम से आपने जो सर्वे करा रखा था और पूरे देश को मिलने वाली राशि को छोड़कर राज्य के बजट से हम पूरे को राशि दे देंगे, ऐसा प्रस्ताव करके रखा गया था।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री विजय शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बार मेरी बात सुनी जाए। इन सबको मिलाकर उस 18 लाख आवास का फिगर आता है, जिसको आप पूछ रहे हैं।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने 18 लाख आवास अलग से बोला था। आपने उसको अलग से बोला था, उसको मिलाने के लिए नहीं बोला था। (व्यवधान)

श्री विक्रम मण्डावी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप केवल यह बताइये कि आप 18 लाख आवास दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं ? 18 लाख आवास मिल रहा है या नहीं मिल रहा है ?

श्री विजय शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह 11 लाख आवास से अलग है। यह जो 11 लाख निर्मित आवास हैं, उससे पृथक है।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ट्रेजरी बैंक से भी यह बात आई है कि इसमें समय बढ़ायी जाये। हम लोग भी मांग करते हैं कि इसमें समय बढ़ायी जाये और इसमें हमको आधे घण्टे का समय दिया जाये।

अध्यक्ष महोदय :- नहीं, जवाब आ रहा है।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, क्योंकि मेरे एक भी सवाल का जवाब नहीं आ रहा है। (व्यवधान)

श्री विजय शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह 11 लाख आवास से पृथक हैं। (व्यवधान)

श्री विक्रम मण्डावी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप यह बताइये कि 18 लाख आवास दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं ? (व्यवधान)

श्री भूपेश बघेल :- अभी आपने 6 लाख कहा है। (व्यवधान)

श्री विजय शर्मा :- मैं आपसे यह नहीं कह रहा हूँ। आप मेरी बात सुन लीजिए। मैं आपको बताऊंगा। अध्यक्ष महोदय, मेरी बात सुनी जाये। (व्यवधान)

श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कोरोनाकाल में भी उस समय काम हुआ है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्नकाल समाप्त।

(प्रश्नकाल समाप्त)

श्री भूपेश बघेल:- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सरकार गरीबों के नाम से सारी गड़बड़ियां कर रहे हैं। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य :- जब सत्ता में थे तो प्रधानमंत्री आवास की चिंता नहीं की। (व्यवधान)
(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा नारे लगाये गये)

समय

12.00 बजे

बहिर्गमन

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर के विरोध में

(श्री भूपेश बघेल, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया गया)

समय

12.01 बजे

पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2023-2024

उप मुख्यमंत्री (पंचायत एवं ग्रामीण विकास) (श्री विजय शर्मा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (क्रमांक 42 सन् 2005) की धारा 12 की उपधारा (3) के पद (च) की अपेक्षानुसार महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2023-2024 पटल पर रखता हूँ।

(2) पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़ का वार्षिक प्रतिवेदन सत्र 2023-24 (दिनांक 01 जुलाई, 2023 से 30 जून, 2024)

चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री श्याम बिहारी जायसवाल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ आयुष एवं स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2008 (क्रमांक 21 सन् 2008) की धारा 43 की अपेक्षानुसार पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़ का वार्षिक प्रतिवेदन सत्र 2023-24 (दिनांक 01 जुलाई, 2023 से 30 जून, 2024) पटल पर रखता हूँ।

पृच्छा

श्रीमती संगीता सिन्हा (संजारी बालोद) :- माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मेरा आपसे विशेष आग्रह है कि जब प्रोटोकाल मानना ही नहीं है तो छत्तीसगढ़ में प्रोटोकॉल की परम्परा बंद कर देनी चाहिए। त्रिस्तरीय पंचायती राज चुनाव के बाद नगर पालिका परिषद् और नगर पंचायत का शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है। उसमें स्थानीय जनप्रतिनिधियों को नहीं बुलाया जा रहा है। जब हम पूछ रहे हैं कि क्यों नहीं बुलाया जा रहा है तो उनका जवाब आता है कि यह पार्टी का कार्यक्रम है। अध्यक्ष महोदय, अगर कोई नगर पालिका परिषद् या नगर पंचायत का अध्यक्ष बना है, तो वह पार्टी का अध्यक्ष नहीं बना है, वह नगर पालिका का अध्यक्ष बना है, नगर पंचायत का अध्यक्ष बना है। मैं इस विषय को आपके संज्ञान में ला रही हूँ और छत्तीसगढ़ में प्रोटोकाल का पालन हो।

श्री अटल श्रीवास्तव (कोटा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कल बहुत-बहुत बड़े दावे किए जा रहे थे कि 12 हजार करोड़ रुपये किसानों के खाते में डाला गया है। हमारे जितने भी सहकारी बैंक हैं, वहां लंबी-लंबी लाईनें लगी हुई हैं, किसानों से पैसा निकालने के नाम से रिश्वत मांगी जा रही है। जो बुर्जुग पैसे निकालने आ रहे हैं, उनको 5-5 घंटे लाईन में लगना पड़ रहा है। यदि कोई 1 लाख रूपया निकालना चाह रहा है तो उसको 25 हजार रुपये दिये जा रहे हैं। हर जगह यही बात हो रही है कि किसानों को उनके अपने हक का पैसा नहीं मिल रहा है। आखिर ऐसी कौन सी व्यवस्था है ?

श्री धर्मजीत सिंह (तखतपुर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, तखतपुर विधान सभा क्षेत्र के कठमुड़ा गांव में शेर आकर 2 दिन से बैठा हुआ है। शेर आ गया है।

श्री अनुज शर्मा :- माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय वरिष्ठ सदस्य से आग्रह करता हूँ कि वह शेर नहीं, वह बाघ है। शेर Lion होता है और बाघ Tiger होता है।

श्री रामकुमार यादव :- पहले तुमन पहिली फैसला कर लेवा कि का सही ए ? सदन ला गुमराह मत करा।

श्री धर्मजीत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, हम लोग जो समझते हैं जो बड़ा सिर वाला, बिना बाल के होता है उसको बाघ बोलते हैं। शेर, बंगाल टाइगर को बोलते हैं। आप भी अपनी जानकारी सुधारिये। बंगाल टाइगर का पट्टा रहता है, उसको शेर बोला जाता है। वह टाइगर आ गया है। तो कठमुड़ा गांव में Tiger आकर दो दिन से बैठा हुआ है। हमारे एक आदमी को घायल कर दिया है। तो आप हमारे उन लोगों को बचवाईये।

अध्यक्ष महोदय :- पकड़ने के लिए किसको भेजा जाये ? (हंसी)

श्री धर्मजीत सिंह :- अभी वन मंत्री जी नहीं हैं, कम से कम अनुज शर्मा को ही भेज देते हैं, वहां

जाकर मानीटरिंग करें। अध्यक्ष महोदय, उनकी रक्षा कराईये। शेर को अपनी जगह में भिजवाईये। बताईये, उसको इतने बड़े क्षेत्र में आने के लिए तखतपुर ही दिखा, और कहीं चल दिया होता ?

अध्यक्ष महोदय :- आज आप भी पट्टेदार पहनकर आये हो। (हंसी)

श्री धर्मजीत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, क्या करें साहब, उसी के अनुसार पहनकर आये है। यह तो नकली है और वह तो असली है साहब। उसने घायल भी कर दिया है।

श्री अनुज शर्मा :- आपके विधान सभा में वह इसलिए आया है क्योंकि शेर का आगमन होने वाला है। प्रधानमंत्री जी का एक कार्यक्रम होने वाला है, उससे पहले शेर आ गया है। एक बब्बर शेर आने वाले हैं।

श्री रामकुमार यादव :- कहां शेर के बात करथव हो,

श्री अनुज शर्मा :- वह बब्बर शेर है।

श्री रामकुमार यादव :- ओ हा बब्बर शेर नइ ए हो, ओ हा का ए, संसार जान डारिस। अमेरिका मा ट्रम्प सो मिलिस तो जान डारेन का हे ओ हा।

श्री अनुज शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, शेर की बात चली है तो मैं इतना ही बोलूंगा :-

" क्यों न बदलूं मैं, तुम वही हो क्या,

चलो माना मैं गलत हूं, तुम सही हो क्या।"

समय :

12:05 बजे

ध्यानाकर्षण सूचना

अध्यक्ष महोदय :- आज की कार्यसूची में 56 ध्यानाकर्षण सूचनाओं को अध्यक्ष के स्थायी आदेश क्रमांक-22 (6) के तहत शामिल किया गया है। इनमें से क्रमशः प्रथम दो ध्यानाकर्षण सूचनाओं को संबंधित सदस्यों के द्वारा सदन में पढ़े जाने के पश्चात् संबंधित मंत्री द्वारा वक्तव्य दिया जावेगा तथा उनके संबंध में सदस्यों द्वारा नियमानुसार प्रश्न पूछे जा सकेंगे। उसके बाद की अन्य सूचनाओं के संबंध में प्रक्रिया यह होगी कि वे सूचनार्ये संबंधित सदस्यों द्वारा पढ़ी हुई मानी जावेगी तथा उनके संबंध में लिखित वक्तव्य संबंधित मंत्री द्वारा पटल पर रखा माना जावेगा। लिखित वक्तव्य की एक-एक प्रति सूचना देने वाले सदस्यों को दी जावेगी। संबंधित सदस्यों की सूचनाएं तथा उन पर संबंधित मंत्री का वक्तव्य कार्यवाही में मुद्रित किया जावेगा ।

मैं समझता हूँ कि सदन इससे सहमत है।

सभा द्वारा सहमति प्रदान की गई।

अध्यक्ष महोदय :- पहले क्रमांक (1) एवं (2) की सूचनाएं ली जावेगी। श्री रिकेश सेन, अपना ध्यानाकर्षण सूचना पढ़ेंगे।

(1) छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल की मुख्य एवं अवसर परीक्षा की अंकसूची की द्वितीय प्रति विद्यार्थियों को प्रदाय नहीं किया जाना

श्री रिकेश सेन (वैशाली नगर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी ध्यानाकर्षण की सूचना इस प्रकार है :-

शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पिपरिया जिला कबीरधाम में छ. ग. राज्य ओपन स्कूल वर्ष 2024 अगस्त की मुख्य एवं अवसर परीक्षा की 55 छात्र छात्राओं की अंकसूची गुमने के विषय में और उनको द्वितीय अंकसूची प्राप्त हो, इसके लिए मैंने ध्यानाकर्षण सूचना लगाया है, जिसमें मुझे जवाब भी प्राप्त हुआ है। मुझको जवाब यह प्राप्त हुआ है कि उन्हें अंकसूची दे दिया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को भी ..।

अध्यक्ष महोदय :- आपने जो ध्यानाकर्षण सूचना दी है, उसको आप एक बार पूरा पढ़ लीजिये। मंत्री जी का जवाब आएगा, उसके बाद फिर आप प्रश्न में आयेंगे।

श्री रिकेश सेन :- जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, पिपरिया, जिला-कबीरधाम में छ. ग. राज्य ओपन स्कूल वर्ष 2024 अगस्त की मुख्य एवं अवसर परीक्षा की 55 छात्र छात्राओं की अंकसूची गुमने के पश्चात् आज दिनांक तक द्वितीय प्रति अप्राप्त है, बार बार बोर्ड को अवगत कराने के बाद भी द्वितीय प्रति नहीं मिल रही है, जिससे छात्र-छात्राओं का भविष्य अंधकारमय हो गया है। बच्चे छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल के चक्कर काट रहे हैं, किन्तु बोर्ड की उदासीनता के कारण वे परेशानियों का सामना कर रहे हैं। छात्र-छात्राओं को आगे की पढ़ाई करने में दिक्कत हो रही है। बोर्ड के सचिव द्वारा अंकसूची की द्वितीय प्रति प्रिंट कराने में रुची नहीं लेने से बच्चे परेशान हैं, जिससे पालक एवं छात्र-छात्राओं में शासन एवं प्रशासन के प्रति रोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, प्राप्त जानकारी अनुसार यह सही नहीं है कि शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, पिपरिया, जिला-कबीरधाम में छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल वर्ष 2024 अगस्त की मुख्य एवं अवसर परीक्षा की 55 छात्र छात्राओं की अंकसूची गुमने के पश्चात् आज दिनांक तक द्वितीय प्रति अप्राप्त है। जबकि सही यह है कि तत्संबंध में उक्त 55 छात्रों की अंकसूची की द्वितीय प्रति छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल द्वारा संबंधित संस्था शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, पिपरिया, जिला-कबीरधाम को प्रदान किया जा चुका है।

यह सही नहीं है कि बार बार बोर्ड को अवगत कराने के बाद भी केवल घुमाया जा रहा है, जिससे छात्र छात्राओं का भविष्य अंधकारमय हो गया है, जबकि सही यह है कि संबंधित छात्रों की अंकसूची अध्ययन केन्द्र को प्रदान किया जा चुका है एवं किसी भी छात्र के द्वारा कथन के संबंध में छत्तीसगढ़

राज्य ओपन स्कूल को आज दिनांक तक किसी भी प्रकार की लिखित या मौखिक शिकायत नहीं की गयी है।

यह सही नहीं है कि बच्चे छ.ग. राज्य ओपन स्कूल के चक्कर काट रहे हैं, किन्तु बोर्ड के अड़ियल रवैये से भारी परेशानियों का सामना कर रहे है। छात्र छात्राओं को आगे की पढ़ाई करने में दिक्कत हो रही है। जबकि सही यह है कि छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल को आज दिनांक तक किसी भी छात्र/बच्चे/पालक के द्वारा उक्त कथन के संबंध में किसी भी प्रकार की कोई भी लिखित या मौखिक शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

यह सही नहीं है कि बोर्ड के सचिव द्वारा अंकसूची की द्वितीय प्रति प्रिंट कराने में रूची नहीं लेने से बच्चे परेशान होकर घुम रहे हैं, जबकि सही यह है कि छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुये संबंधित जिला समन्वयक संस्था शासकीय आदर्श कन्या उ.मा.वि., कवर्धा, जिला-कबीरधाम, जिसे अंकसूची अध्ययन केन्द्रों को वितरण हेतु प्रदान किया गया था को तत्काल कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था। जवाब प्रतिवेदन प्राप्त होते ही अंकसूची गुम होने की पुष्टि होते ही जिले के अंतर्गत समस्त अध्ययन केन्द्रों से उक्त अंकसूची प्राप्त होने संबंधी आवश्यक जानकारी ली गयी। सभी केन्द्रों द्वारा अंकसूची नहीं प्राप्त होने की सूचना प्राप्त होने के पश्चात् छात्रहित में नियमानुसार रिप्रिंट करने संबंधी त्वरित कार्यवाही की गयी, साथ ही अंकसूची रिप्रिंट होने के पश्चात संबंधित केन्द्र शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, पिपरिया, जिला-कबीरधाम को प्रदान किया जा चुका है।

यह सही नहीं है कि सचिव के अड़ियल कार्यप्रणाली से पूरा छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल के कार्य सुचारु रूप से नहीं चल पा रहा है, जिससे पालक एवं छात्र-छात्राओं में भारी रोष एवं आक्रोश व्याप्त है। वास्तविकता यह है कि छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल के समस्त कार्य सुचारु रूप से समय-सीमा में संपादित किये जा रहे हैं एवं पालक, छात्र छात्राओं में भारी रोष एवं आक्रोश व्याप्त नहीं है, न ही इसके संबंध में छात्र-छात्राओं एवं पालकों द्वारा किसी प्रकार की लिखित या मौखिक शिकायत आज दिनांक तक इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुई है।

अध्यक्ष महोदय :- रिकेश जी, अब पूछिये ?

श्री रिकेश सेन :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आज की वर्तमान स्थिति को माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा पढ़ा गया है, लेकिन मेरा विषय स्पष्ट है कि जब मैंने ध्यानाकर्षण लगाया तो 1 मार्च को बैंक डेट पर प्रिंट कराकर, बच्चों को बुलाकर उन्हें दिया गया । माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन यह है कि यह एक बड़ी लापरवाही है, जब भी हम कोई प्रश्न लगाते हैं या कोई ध्यानाकर्षण लगाते हैं तभी कोई शासन प्रशासन के खिलाफ लगातार काम करने वाले अधिकारी सचेत होने का काम करते हैं । माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि यह प्रदेश का गंभीर मामला है, अगर इस मामले में

संज्ञान नहीं लिया गया, यदि इस मामले पर दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही नहीं की गई, यह कहीं न कहीं और अन्य पालकों और बच्चों पर इसका प्रभाव पड़ेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी को निवेदन है कि इसकी पूरी जाँच करा ली जाये, पूरे बच्चों के कथन ले लिये जाये, पूरे पालकों के कथन ले लिये जाये, इसमें अधिकारी दोषी पाया जाता है कि मेरे ध्यानाकर्षण लगाने के बाद प्रिंट कराकर दिया गया है तो दोषियों के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिये। अध्यक्ष महोदय, यदि मैं गलत हूँ तो निश्चित रूप से वह निर्दोष है, मैं जब से यह ध्यानाकर्षण लगाया हूँ, मुझे नहीं मालूम था कि यह इतना बड़ा मामला है, अभी सदन के बाहर अधिकारी खड़े हैं, जो माफी मांग रहे हैं, जो सुबह से मेरे घर के बाहर चक्कर काट रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, यह गंभीर विषय है और इसके साथ ही एक गंभीर विषय और है कि प्रतिनियुक्ति में कहीं भी 5 वर्ष से अधिक शिक्षकों को नहीं रखा जाता है, लेकिन आज 15 सालों से उस ओपन शिक्षा मंडल में 15 से ज्यादा शिक्षक हैं, जिन्हें मूल पदों पर भेजने की आवश्यकता है। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि निरन्तर उस विभाग में भ्रष्टाचार किया जा रहा है। हमें संज्ञान में लेना पड़ेगा ...।

अध्यक्ष महोदय :- ध्यानाकर्षण में भाषण नहीं दिया जाता। आपने ध्यान आकर्षित कर दिया और उसके बाद मंत्री जी का पूरा जवाब आ गया, स्पष्ट जवाब आ गया कि कॉपी मिल गई है। अब यह सब होने के बाद अतिरिक्त भाषण इस विषय पर न करें। यदि कोई शंका बचा है तो एक छोटा सा प्रश्न कर लीजिए कि आपको और कुछ चीज की जरूरत है ?

श्री रिकेश सेन :- अध्यक्ष महोदय, ध्यानाकर्षण लगाने के बाद प्रिंट मिल गया है, क्या इस आधार पर छोड़ दिया जाये ?

अध्यक्ष महोदय :- आप प्रश्न कर लीजिए ना ?

श्री रिकेश सेन :- अध्यक्ष महोदय, मुझे दोषियों के खिलाफ कार्यवाही चाहिये।

अध्यक्ष महोदय :- बस, चलिये।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर दे उससे पहले माननीय सदस्य ने बहुत गंभीर आरोप लगा दिया है कि सदन के बाहर लॉबी में अधिकारी उनसे संपर्क करके माफी मांग रहे हैं, यह उन्होंने कहा है। अध्यक्ष महोदय, यह बेहद गंभीर बात है, ऐसा कौन अधिकारी है जो संपर्क करके माफी मांग रहे हैं और प्रश्न न करने की बात कह रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय :- चलिये।

श्री रिकेश सेन :- अध्यक्ष महोदय, मैं इसकी जानकारी माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखित दे दूँगा।

श्री भूपेश बघेल :- नहीं, नहीं, जब आपने सदन में बात कह दी है तो उसको बताईये ?

नेता प्रतिपक्ष (डॉ.चरणदास महंत) :- आप पूरे सदन को लिखकर बताईये कि कौन-कौन से अधिकारी आपको घेर रहे हैं ?

श्री भूपेश बघेल :- यह सदन का मामला है, आप सदन में घोषणा कर चुके हैं..।(व्यवधान)

श्री रिकेश सेन :- आप लोगों को मेरे प्रश्न पर इतना गंभीर होने की आवश्यकता नहीं है ? (व्यवधान)

डॉ.चरणदास महंत :- क्यों ? (व्यवधान)

श्री रिकेश सेन :- मैं इसकी जानकारी माननीय अध्यक्ष महोदय को लिखित में दे दूँगा ।

श्री भूपेश बघेल :- जो आपने सदन में बात कह दी है, वह सदन की प्रापटी है।

श्री रिकेश सेन :- मैं अध्यक्ष महोदय, को लिखित दे दूँगा ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, आप बैठ जाईये ।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सदन की प्रापटी हो गई है।

अध्यक्ष महोदय :- जवाब आ जाये ।

श्री विष्णुदेव साय :- माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल में अंक सूची गुम होने की सूचना प्राप्त होने के पश्चात् जिला के अंतर्गत सभी अध्ययन केन्द्रों में अपने स्तर से अंक सूची की छानबीन की गई । प्राप्त नहीं होने की स्थिति में संबंधित समन्वयन केन्द्र शासकीय आदर्श कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, कवर्धा के प्राचार्य को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया तथा राज्य कार्यालय द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुये अंक सूची प्रिंट कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही की गई तथा अंक सूची प्राप्त होते ही संबंधित अध्ययन केन्द्र शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पिपरिया केन्द्र 02-09 को अंक सूची प्रदान की गई है तथा वर्तमान में 55 में से 10 छात्र अपना अंक सूची ले चुके हैं और किसी तरह से आक्रोश नहीं है ।

श्री रिकेश सेन :- अध्यक्ष महोदय, एक छोटा सा प्रश्न है । 10 से 12 शिक्षक 15 सालों से लगे हुए हैं । उन्हें मूल पदों में भेजने की कृपा करें । छत्तीसगढ़ राज्य में शिक्षकों की कमी है ।

श्री भूपेश बघेल :- अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे व्यवस्था चाहा था । क्योंकि विधान सभा परिसर आपके अधिकार क्षेत्र में आता है । आपसे आग्रह कर रहा हूँ कि इसमें व्यवस्था आ जाये ।

अध्यक्ष महोदय :- मैं आपकी ही बात पर व्यवस्था दे रहा हूँ । माननीय विधायक जी ने शासन का ध्यानाकर्षित किया है, इस पर शासन संज्ञान ले लेगा, वह सबकी जानकारी में आ गया है । चलिए, आपका क्या प्रश्न है ?

श्री रिकेश सेन :- माननीय अध्यक्ष महोदय, चूंकि प्रतिनियुक्ति पर 3 से 5 वर्ष से ज्यादा शिक्षक वहां नहीं रह सकते । वहां पर शिक्षकों को 15 वर्ष हो चुके हैं और छत्तीसगढ़ राज्य में शिक्षकों की कमी है । इनको मूल पदों पर वापस भेजा जाये, यह माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, देख लेंगे ।

(2) जिला महासमुंद में धान खरीदी केन्द्रों से धान का उठाव नहीं होना.

श्रीमती चातुरी नंद (सराईपाली) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मोर ध्यानाकर्षण सूचना इस प्रकार से हवय । महासमुंद जिला में ए वर्ष 182 धान खरीदी केन्द्र मा लगभग 11 लाख, 4 हजार मीट्रिक टन धान के खरीदी करे गे हवय । खरीदी के बाद अब तक लगभग 8 लाख, 15 हजार मीट्रिक टन धान के उठाव नहीं हो पाए हवय । शेष पड़े हुए धान 2.79 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान ट्रांसपोर्टर और मिलर मन के लापरवाही से खरीदी केन्द्र में ही पड़े हवय । जेन ट्रांसपोर्टर ला धान परिवहन के ठेका दे गे हवय, ओ हर अपन काम ला पेटी मा स्थानीय ट्रांसपोर्टर मन ला सौंप दिए हे । जेकर चलते धान परिवहन ह बाधित होवथे । धान खरीदी केन्द्र मा तेज धूप के कारण एक ओर तो बारदाना सड़थे, दूसर ओर केप और कवर फटथे, जेकर से करोड़ों रूपए के धान के नुकसान होवथे । धान खरीदी के बाद समय पर धान के उठाव नहीं होए से धान बाहर ही पड़े हुए हे, जेला मुसवा मन घलो खात हवय और धूप मा पड़े-पड़े धान सूखत हवय । जनप्रतिनिधि द्वारा मौखिक रूप से बार-बार बोले के बावजूद धान के उठाव मा तेजी नहीं लाए गे हे, जेकर चलते आज धान खरीदी केन्द्र में करोड़ों रूपए के धान पड़े हुए हे । धान खरीदी के 20 दिन से अधिक समय बीते के बावजूद आजतक धान के उठाव नहीं हो पाए हवय । शासन-प्रशासन के लापरवाही ला दर्शाथे । जिला प्रशासन के उदासीन रवैया अउ ट्रांसपोर्टर, मिलर अउ समिति प्रबंधक के लापरवाही से करोड़ों रूपए के नुकसान शासन ला झेले ला पड़त हवय । धान खरीदी के बावजूद धान उठाव में तेजी नहीं लाए से प्रदेश भर ला अरबों रूपए के नुकसान शासन ला होवथे और प्रदेश के किसान और आम जनता मन शासन के प्रति भारी रोष और आक्रोश व्याप्त हवय ।

खाद्यमंत्री (श्री दयालदास बघेल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जिला महासमुंद में 182 उपार्जन केन्द्रों के माध्यम से समर्थन मूल्य पर खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में कुल 11.04 लाख टन धान की खरीदी की गई है, जिसमें समीक्षा रिपोर्ट 6.3.2025 की स्थिति में उपार्जन केन्द्रों से मिलर को 7 लाख टन धान का संग्रहण केन्द्र को 2.27 लाख टन धान कुल 9.27 लाख टन धान का उठाव किया गया है । उपार्जन केन्द्र में 1.77 लाख टन धान उठाव हेतु शेष है, जिसका डी.ओ. एवं टी.ओ. के माध्यम से उठाव कार्य प्रगतिशील पर है । जिले में धान परिवहन हेतु विपणन संघ मुख्यालय स्तर से ऑनलाईन आमंत्रित निविदा का जिला स्तरीय कमेटी के माध्यम से कार्यवाही उपरांत एल-01 निविदाकार मेसर्स स्पीडो कार्गो रायपुर से अनुबंध कर परिवहन आदेश जारी किया गया था । परिवहनकर्ता द्वारा धीमी गति से परिवहन किये जाने के कारण मुख्यालय एवं जिला प्रशासन की अनुमति पश्चात् दमन मनदीप रोड लाईन्स राजनांदगांव से मुख्यालय तक स्वीकृत दर पर मेसर्स स्पीडो कार्गो रायपुर के साथ-साथ परिवहन कार्य

कराया जा रहा है। यह कहना सही नहीं है कि धान खरीदी केन्द्रों में तेज धूप के कारण बारदाना सड़ रहे हैं एवं कैप कव्हर फट रहे हैं तथा यह कहना सही नहीं है कि धान का उठाव नहीं होने से उपार्जित धान को चूहे खा रहे हैं या धूप में पड़े-पड़े सड़ रहे हैं। जिले के उपार्जन केन्द्रों को उपार्जित धान के सुरक्षित भंडारण हेतु सुरक्षा एवं भंडारण मद में विपणन संघ द्वारा 5 रुपए प्रति क्विंटल की दर से राशि प्रदाय की गई है। सहकारी समितियों द्वारा उपार्जन केन्द्रों में भंडारित शेष धान की सुरक्षा हेतु पर्याप्त व्यवस्था की गई है। प्रदेश में खरीदी केन्द्रों में उपार्जित धान 149.24 लाख मीट्रिक टन में से दिनांक 06.03.2025 की स्थिति में मिलर द्वारा जारी डी.ओ. 102.36 लाख टन के विरुद्ध 98.37 लाख टन धान का उठाव एवं संग्रहण केन्द्रों हेतु जारी परिवहन आदेश 40.98 लाख टन के विरुद्ध परिवहनकर्ता द्वारा 35.61 लाख टन धान का उठाव खरीदी केन्द्रों से किया गया है। इस प्रकार कुल 133.98 लाख टन, 90% धान का उठाव किया जा चुका है एवं समितियों में 15.26 लाख टन धान उठाव हेतु शेष है। राज्य शासन द्वारा समितियों में शेष धान के मिलर एवं परिवहनकर्ता के माध्यम से यथाशीघ्र उठाव हेतु निर्देश दिए गए हैं। खरीदी केन्द्रों से मिलर एवं परिवहनकर्ता के माध्यम से धान उठाव का कार्य निरंतर प्रचलित है। प्रदेश में 2739 खरीदी केन्द्रों में धान खरीदी की समुचित व्यवस्था की गई थी। खरीदी केन्द्रों में धान के सुरक्षित रख-रखाव हेतु आवश्यक व्यवस्था..।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री जी, आपने विधान सभा के पटल पर रखने हेतु जो वक्तव्य विधान सभा को दिया है और आप जो जवाब पढ़ रहे हैं, दोनों में विरोधाभास और फर्क है। या तो ये जवाब सही है या आप जो जवाब दे रहे हैं? क्या आपने विधान सभा से इस वक्तव्य के बाद और वक्तव्य देने के लिए अतिरिक्त अनुमति मांगी है, इसकी सूचना विधान सभा को नहीं है। हमेशा उस वक्तव्य को पढ़ा जाता है, जो कि पटल पर रखा जाता है, उसके अतिरिक्त नहीं पढ़ा जाता। कृपया सभी मंत्रीगण, इस बात को नोट करें कि उतना ही पढ़ना चाहिए तथा बाद में प्रश्न और उत्तर में वे अतिरिक्त आयेंगे। मेरे पास जो जवाब है, वह बहुत संक्षिप्त है और आप जो पढ़ रहे हैं, तीन पेज का जवाब पढ़ रहे हैं। ये देख लीजिए। अधिकारी भी इस बात को देखें कि विधान सभा में बिना सूचना के इस प्रकार का वक्तव्य नहीं पढ़ा जाता। आज जो है, आप कम्प्लीट करें।

श्री दयालदास बघेल :- अध्यक्ष महोदय, खरीदी केन्द्रों में धान के सुरक्षित रख-रखाव हेतु आवश्यक व्यवस्था की गई है। अतः धान खरीदी केन्द्रों में मिलर एवं परिवहनकर्ता के माध्यम से नियमित उठाव किए जाने के कारण प्रदेश के किसान एवं आम जनता में शासन के प्रति कोई रोष एवं आक्रोश व्याप्त नहीं है।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्नकर्ता जिन्होंने प्रश्न लगाया है, उनको विधान सभा ने जो उत्तर दिया होगा, वही उनके पास होगा और माननीय मंत्री जी जो वक्तव्य पढ़ रहे हैं,

आपने जैसा कहा कि वह अलग है। या तो वह वक्तव्य पहले इनको दे दिया जाए, तब जाकर वह उसमें प्रश्न बना पायेंगी और यदि मंत्री जी दूसरे वक्तव्य को पढ़ेंगे..।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय सदस्या जी, जो मंत्री जी ने पढ़ा, आपके पास वह पूरा जवाब उपलब्ध है क्या?

श्रीमती चातुरी नंद :- नहीं, मोर पास विधान सभा से उपलब्ध कराए हुए उत्तर के कापी हावे।

अध्यक्ष महोदय :- ये जवाब माननीय सदस्य के पास उपलब्ध रहना चाहिए, जो कि मंत्रीगण पढ़ते हैं। उसके अतिरिक्त जवाब नहीं हो सकता, क्योंकि वह प्रश्न कैसे करेंगे। उनको प्रश्न करने के लिए मंत्री जी का संपूर्ण जवाब मिलना चाहिए। ये बड़ी भूल है। इस प्रकार की गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। मैं इस पूरे ध्यानाकर्षण को आज न लेते हुए अगले week में फिर से नए सोमवार के बाद ले लूंगा। इसे मैं यहीं समाप्त करता हूँ, क्योंकि जवाब आपको मिला नहीं है।

श्रीमती चातुरी नंद :- धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय :- कार्यसूची के पद 3 के उप पद (3) से (56) तक सूचना देने वाले सदस्यों की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई तथा संबंधित मंत्री द्वारा उन पर वक्तव्य पढ़े हुए माने जायेंगे। सदस्यों की सूचनाएं तथा उन पर संबंधित मंत्री का वक्तव्य कार्यवाही में मुद्रित किया जावेगा।

(3) सर्वश्री अजय चन्द्राकर, ब्यास कश्यप, धर्मजीत सिंह

(4) डॉ. चरणदास महंत

(5) श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल

(6) श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल

(7) श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल

(8) श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल

(9) श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल

(10) श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल

(11) श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल

(12) श्रीमती अनिला भेंडिया

(13) सर्वश्री अजय चन्द्राकर, धर्मजीत सिंह

(14) श्री अजय चन्द्राकर, श्रीमती भावना बोहरा, श्री धर्मजीत सिंह

(15) सर्वश्री अजय चन्द्राकर, श्री धर्मजीत सिंह

(16) सर्वश्री अजय चन्द्राकर, धर्मजीत सिंह

(17) श्री अजय चन्द्राकर, श्रीमती भावना बोहरा,

(18) सर्वश्री अजय चन्द्राकर, धर्मजीत सिंह

- (19) श्री अजय चन्द्राकर, श्रीमती भावना बोहरा
- (20) श्रीमती अनिला भेंडिया
- (21) श्री बघेल लखेश्वर
- (22) श्री दिलीप लहरिया
- (23) श्री उमेश पटेल
- (24) श्री उमेश पटेल
- (25) श्री उमेश पटेल
- (26) श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह
- (27) श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह
- (28) श्री धरमलाल कौशिक
- (29) डॉ. चरणदास महंत
- (30) श्री गजेन्द्र यादव
- (31) डॉ. चरणदास महंत, श्री विक्रम मंडावी, श्रीमती चातुरी नंद
- (32) श्री भईयालाल राजवाडे
- (33) श्री राजेश मूणत
- (34) श्री राजेश मूणत
- (35) श्री धरमलाल कौशिक
- (36) श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह, श्रीमती कविता प्राण लहरे, श्री द्वारिकाधीश यादव
- (37) श्री विक्रम मंडावी
- (38) श्री ब्यास कश्यप
- (39) श्री दलेश्वर साहू
- (40) श्री अनुज शर्मा
- (41) श्रीमती भावना बोहरा
- (42) श्री अनुज शर्मा
- (43) श्री बालेश्वर साहू
- (44) श्री दलेश्वर साहू
- (45) श्री दलेश्वर साहू
- (46) श्रीमती भावना बोहरा
- (47) श्रीमती शेषराज हरवंश, श्रीमती चातुरी नंद, श्री संदीप साहू
- (48) श्री लालजीत सिंह राठिया

- (49) श्री इन्द्र साव
 (50) श्री द्वारिकाधीश यादव
 (51) श्री जनक ध्रुव
 (52) श्रीमती चातुरी नंद
 (53) श्रीमती चातुरी नंद
 (54) सर्वश्री रिकेश सेन, सुशांत शुक्ला
 (55) श्री विक्रम मंडावी
 (56) श्री बालेश्वर साहू

समय:

12.25 बजे

नियम 267-क के अंतर्गत विषय

अध्यक्ष महोदय :- निम्नलिखित सदस्यों की शून्यकाल की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई मानी जायेंगी तथा इसे उत्तर के लिये संबंधित विभागों को भेजा जायेगा :-

1. श्री अजय चन्द्राकर
2. श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह
3. श्री बघेल लखेश्वर

अध्यक्ष महोदय :- अब माननीय उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी अपने विभाग की बातों का जवाब देंगे। (मेजों की थपथपाहट)

समय:

12.26 बजे

वित्तीय वर्ष 2025-26 की अनुदान मांगों पर चर्चा (क्रमशः)

- | | | | |
|-----|-------------|----|---|
| (1) | मांग संख्या | 20 | लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी |
| | मांग संख्या | 22 | नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग-नगरीय निकाय |
| | मांग संख्या | 24 | लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल |
| | मांग संख्या | 29 | न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन |
| | मांग संख्या | 67 | लोक निर्माण कार्य-भवन |
| | मांग संख्या | 69 | नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग-नगरीय कल्याण |
| | मांग संख्या | 76 | लोक निर्माण विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं |

मांग संख्या 81 नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता

उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) (श्री अरुण साव) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुदान मांगों पर 16 माननीय सदस्यों ने बहुत विस्तार से अपनी बातें रखी हैं। मैंने ध्यान से एक-एक सदस्य की बातें सुनी हैं और उनकी बातों को नोट भी किया है। मैं सभी 16 माननीय सदस्यों, श्री दलेश्वर साहू जी, श्री अजय चन्द्राकर जी, श्री उमेश पटेल जी, श्री धर्मजीत सिंह जी, श्री धरमलाल कौशिक जी, श्री द्वारिकाधीश यादव जी, श्री दिलीप लहरिया जी, श्री सुनील सोनी जी, श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल जी, श्री मोतीलाल साहू जी, श्री ब्यास कश्यप जी, श्री रिकेश सेन जी, सुश्री लता उसेण्डी जी, श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा जी, श्री सुशांत शुक्ला जी, श्री पुन्नूलाल मोहले जी, श्री कुंवर सिंह निषाद जी, इन सभी माननीय सदस्यों को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। इन्होंने बहुत विस्तार से और अपने पूरे अनुभव और ज्ञान के आधार पर अपनी बातें रखी हैं। मैं सबसे पहले विधि विभाग से संबंधित अपनी बात आपके सामने रखूंगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्तमान समय की जरूरत, नागरिकों को जल्दी न्याय दिलाने और जांच और न्याय की प्रक्रिया में वैज्ञानिक तकनीकों डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को प्रावधानित करते हुए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी ने 01.07.2024 को देश में 3 नये कानून लागू किये हैं। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के माध्यम से लोगों को त्वरित न्याय दिलाने और देश की आजादी से काफी पहले बने पुराने और अप्रासंगिक औपनिवेशिक कानूनों में बदलाव किया गया है। छत्तीसगढ़ में भी हमने 1 वर्ष से न्यायिक व्यवस्था और न्यायिक संस्थाओं को मजबूत करने के लिए कई प्रभावी कदम उठाये हैं। राज्य के अधीनस्थ न्यायालों में कर्मचारियों के रिक्त 321 नवीन पदों की भर्ती की अनुमति प्रदान की गयी है। उच्च न्यायालय एवं जिला न्यायालयों में अधिकारियों एवं कर्मचारियों के 1259 नये पद सृजित किये गये हैं। नागरिकों की सुविधाओं के लिये 2024 में 49 नये नोटरी नियुक्त किये गये हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मानव संसाधन के साथ ही पिछले एक वर्ष में न्यायलयों की अधोसंरचना विकास के लिए बड़ी राशि उपलब्ध करायी गयी है। न्यायालय भवन, आवासीय भवन और अन्य विकास कार्यों के लिए 240 करोड़ रुपये से अधिक की राशि स्वीकृति की गयी है। राज्य की न्यायिक व्यवस्था के सुचारु संचालन के लिये वित्तीय वर्ष 2024-25 में 1228 करोड़ 54 लाख 5 हजार रुपये का प्रावधान रखा गया था। इस वर्ष 2025-26 के लिए हमने 1265 करोड़ 46 लाख 78 हजार रुपये बजट प्रावधान किया है। न्याय व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने आगामी वर्ष में बजट में विभिन्न शहरों में न्यायालय भवन, न्यायालिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों के आवास के निर्माण के लिए 45 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। बिलासपुर उच्च न्यायालय परिसर में ऑडिटोरियम निर्माण के लिये 10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। (मेजों की

थपथपाहट) न्यायालयों के आधुनिकीकरण हेतु न्यायालयों का कम्प्यूटीकरण किया जा रहा है, जिसके लिये इस बजट में 36 करोड़ 90 लाख 67 हजार रुपये का प्रावधान किया गया है। (मेजों की थपथपाहट) न्यायपालिका के मार्गदर्शन में पात्र विचाराधीन बंदी, महिला, निर्धन, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के जरूरतमंद लोगों तक न्याय पहुंचाने के उद्देश्य से सरकार छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण तथा तालुका विधिक सेवा समिति के माध्यम से विभिन्न योजनाएं संचालित कर रही हैं। इसके लिए नये बजट में 3 करोड़ 50 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। ए.डी.आर. सेन्टर निर्माण के लिए 11 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है। वर्ष 2024 में विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से अनुसूचित जाति, जनजाति तथा समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए महिलाओं, बच्चों, विचाराधीन बंदियों आदि पात्र 79 हजार व्यक्तियों को निःशुल्क एवं सक्षम विधिक सहायता प्रदान की गई है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने राज्य के नये बजट में बिलासपुर उच्च न्यायालय में रजिस्ट्रार जिला न्यायाधीश के 4 पदों के सृजन हेतु 1 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। गरियाबंद में जिला एवं सत्र न्यायालय की स्थापना हेतु 43 पद, जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर-चांपा में 6 पद एवं व्यवहार न्यायालय बसना में 6 पद, व्यवहार न्यायालय धमधा में 5 पद के साथ ही जिला न्यायालयों में स्वीकृत कोर्ट मैनेजर के स्टाफ के 63 संविदा पदों को नियमित पदों में परिवर्तित करते हुए, 69 पदों के सृजन हेतु 2 करोड़ 43 लाख 12 हजार रुपये का बजट प्रावधान किया है। राज्य के 22 परिवार न्यायालयों में 47 पदों एवं बिलासपुर में परिवार न्यायालय की स्थापना के लिए 9 पदों के सृजन हेतु 1 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया है। उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति की स्थापना हेतु 11 पद, छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण हेतु 37 पद एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों में वाहन चालक के 23 पदों के सृजन के लिए भी 1 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। महाअधिवक्ता कार्यालय में 35 नवीन पदों के साथ ही शासकीय अधिवक्ता के 3 पद एवं उप शासकीय अधिवक्ता के 4 पदों के सृजन हेतु 2 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया है। (मेजों की थपथपाहट) राज्य में न्यायिक अधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु स्थापित छत्तीसगढ़ राज्य न्यायिक अकादमी के ऑडिटोरियम में विभिन्न निर्माण कार्य हेतु नये बजट में 3 करोड़ 20 लाख रुपये का प्रावधान किया है। नया रायपुर में स्थित हिदायतुल्लाह राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में अध्ययनरत् छात्र-छात्राओं को अंतर्राष्ट्रीय मूट कोर्ट प्रतियोगिता में भाग लेने हेतु 1 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है। (मेजों की थपथपाहट) इसके साथ ही वहां स्थापना व्यय के लिए 13 करोड़ 50 लाख रुपये का बजट प्रावधान किया है।

समय

12.33 बजे

(सभापति महोदया (सुश्री लता उसेण्डी) पीठासीन हुईं)

माननीय सभापति महोदया, महुं गांव ले आथौ। वर्ष 2000 ले पहिली छत्तीसगढ़ प्रदेश के सड़क के मामला मा का हालात रिहिस हे, माड़ी भर, जांघ भर चिखला रहाए अउ आये-जाये मा अइसे हालात रहाए कि बस मा कोचकोच ले भरे रहाए। ओ समय सड़क नइ होए के कारण, सिंगल रोड होए के कारण नाना प्रकार के स्थिति सड़क के मामला मा पूरा छत्तीसगढ़ मा रिहिस हे। मय एक बात ला सोचत रहेव कि माननीय नेता जी अभी इहा सदन में बइठे हे। पिछले सरकार के मुखिया गेड़ी के Brand ambassador काबर बन गे रिहिस हे ? ए बात ला मय सोचत रहेव कि आखिर गेड़ी के अतका प्रचार-प्रसार काबर होवत हे ? हमर गांव के लइका मन हरेली तिहार मा गेड़ी बनाथे अउ चढ़थे। पर बाद में मोला ए समझ में आईस कि गांव मा गेड़ी के उपयोग काबर करत हे। जब बरसात आए तो माड़ी भर, जांघ भर भारी चिखला हो जाए । ता ओ चिखला ले बचे बर गेड़ी के उपयोग होवत रिहिस हे। पिछले सरकार में हमर मुख्यमंत्री जी सड़क निर्माण नइ करिस। छत्तीसगढ़ ला फेर वही युग में ले जाके चिखला। पूर्व में सड़क के कोई निर्माण के काम नइ करिस। फिर से गेड़ी युग लाए के दिशा मा छत्तीसगढ़ ला ले जावत रिहिस हे। लेकिन अब हमर सरकार बने क बाद आज हमन डबल इंजन के सरकार के माध्यम से लगातार सड़क के तरक्की और बेहतरी के लिये काम करत हन। हमर छत्तीसगढ़ के संस्कृति और सभ्यता हर चीज से जुड़े हुए हे। गेड़ी भी हमर संस्कृति के हिस्सा हे। लेकिन ओकर उपयोग काबर होवत रिहिस हे, पूरा छत्तीसगढ़ मा एक गड़ढा नई पाटिन अउ नवा सड़क बनाये के तो मामला नई रिहिस हे अउ फिर गेड़ी युग के शुरूआत करय बर brand ambassador बन गये रहिन हवय। लेकिन सड़क केवल आवागमन के साधन नई हे, सड़क विकास के दिशा भी तय करथे, सड़क से विकास भी होथे। यदि आज देश के गांव में खुशहाली और तरक्की आये हे तो ओकर सबले बड़े योगदान अटल बिहारी बाजपेयी जी द्वारा चालू किये गये प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना हे। (मेजों की थपथपाहट) ये पाये के जब छत्तीसगढ़ 7 अलग-अलग राज्य के सीमा से घिरे हुए हे, छत्तीसगढ़ खनिज संसाधन से परिपूर्ण है और छत्तीसगढ़ के तेज विकास के लिए, तरक्की और बेहतरी के लिये छत्तीसगढ़ मा आवागमन के भी पुख्ता, मजबूत सड़क के निर्माण की आवश्यकता हे। आज देश में जब से नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बने हे, तेज गति से न केवल छत्तीसगढ़ मा, बल्कि पूरा देश भर मा सड़क बनत हे। अलग छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण होय के बाद डॉ. रमन सिंह जी के नेतृत्व में हमर सरकार बनिस अउ आज पूरा छत्तीसगढ़ मा छत्तीसगढ़ के 90 प्रतिशत गांव के हिस्सा मा सी.सी. रोड, पक्की रोड, बारहमासी रोड बने हुए हे। आज छत्तीसगढ़ मा चारो तरफ रोड दिखत हे तो अलग छत्तीसगढ़ राज्य बने के कारण अउ भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कारण हे। वो काल ला आगे

बढ़ाय बर, विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण करय बर लगातार हमर सरकार ये दिशा में योजना बनाकर काम करत हवय। सभापति महोदया जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहत हवं केन्द्र सरकार द्वारा राज्य के राजमार्गों के उन्नयन के लिये C.R.I.F. योजना के अंतर्गत वर्ष 2024-25 में 8 सड़क 332 किलोमीटर के चौड़ीकरण, सुदृढीकरण हेतु 892.36 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है। जिसमें मुख्यतः नांदघाट-मुंगेली, बेमेतरा-नवागढ़-मुंगेली, राजनांदगांव-कवर्धा-पोड़ी, राजनांदगांव-डोगरगांव-चौकी मोहला मानपुर, बागबहार-कोतबा, लूडेग-तपकरा, जिला जशपुर में आस्ता-कुसमी मार्ग, सिरगिट्टी-सर्वाणी-पसीद-अमलडीहा-दगौरी मार्ग, यह 8 मार्ग C.R.I.F. योजना से स्वीकृत हैं। माननीय सभापति महोदया, राज्य में विद्यमान रेलवे लाईन पर लेबर क्रासिंग, रेलवे ओवरब्रिज व्यस्ततम तथा अधिकतम घनत्व वाले चौक पर ग्रेड सेपरेटर का निर्माण, राष्ट्रीय राजमार्ग एवं मुख्य जिला मार्गों पर विद्यमान संकीर्ण एवं कमजोर पुलों के निर्माण कार्यों को भी प्राथमिकता दी गई है। इसके लिए 7 रेलवे क्रासिंग हेतु सेतु बंधन योजना के अंतर्गत माननीय नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने प्राथमिकता देते हुए आर.ओ.बी. निर्माण हेतु 365.71 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की है। इसके अतिरिक्त C.R.I.F. योजना के अंतर्गत 4 सड़कों के प्रस्ताव 664.86 करोड़ रुपये की स्वीकृति हेतु भारत सरकार में प्रक्रियाधीन है जिसमें कोटा-लोरमी-पंडरिया मार्ग, कांकेर-भानुप्रतापुर-संबलपुर मार्ग, जिला सुकमा के दंतेवाड़ा के सुकमा से दंतेवाड़ा मार्ग, गरियाबंद के राजिम फिंगेश्वर-महासमुंद मार्ग है। इस प्रकार केन्द्र सरकार प्रदेश की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए लगातार राष्ट्रीय राजमार्ग तथा N.H.A.I. के माध्यम से संपूर्ण भागों का निर्माण एवं उन्नयन कर रही है। माननीय सभापति महोदय, राज्य के नवनिर्माण की परिकल्पना को भारत के प्रधानमंत्री रहे भारतरत्न अटल बिहारी बाजपेयी जी द्वारा 1 नवंबर 2000 को साकार किया। छत्तीसगढ़ राज्य में डॉ. रमन सिंह जी की सरकार 15 वर्षों तक उत्कृष्ट कार्य करते हुए सड़कों के विकास एवं सुदृढीकरण करते हुए राज्य को एक नई पहचान दी। वर्ष 2001 में लोक निर्माण विभाग का बजट 103.85 करोड़ रुपए था जो आज वित्तीय वर्ष 2025-26 में 9451 करोड़ रुपया हो गया है, यह सड़क के विकास की गाथा को बताता है। यह नये छत्तीसगढ़ के निर्माण की कल्पना को सुदृढ करने की पहल है। लोक निर्माण विभाग के बजट वर्ष 2025-26 को मुख्य रूप से वर्ष 2030 तक के लिए सड़कों के व्यवस्थित विकास की एक कार्य योजना को ध्यान में रखकर बनाई गई है इसमें अत्यधिक यातायात वाले शहरी भाग में फोरलेन का निर्माण, घनी आबादी वाले शहरों के समीपस्थ बसाहटों को फोर लेन मार्गों से जोड़ने की हमारी प्राथमिकता है इससे शहरों का व्यवस्थित विस्तार होगा तथा विकास भी बढ़ेगा। अत्यधिक यातायात तथा खनन क्षेत्र के भारी यातायात को देखते हुए मार्गों के मजबूतीकरण तथा आवश्यकतानुसार फोरलेन निर्माण के लिए प्राथमिकता दी गई है। अंतर्राज्यीय सीमा की सड़कों के सुदृढीकरण तथा सुगम यातायात के लिए फोरलेन करने की योजना रखी गई है, हमने एक रोड प्लान 2030 के लिए तैयार किया है। छत्तीसगढ़ राज्य के लोक निर्माण विभाग के माध्यम से सड़कों के निर्माण हेतु

लगातार बजट प्रावधान कर सड़कों का संधारण, मजबूतीकरण, उन्नयन किया जा रहा है जिस हेतु लोक निर्माण विभाग द्वारा रोड प्लान 2030 तैयार किया गया है। जिसमें निम्नलिखित नीति निर्धारित की गई है - जिला मुख्यालय को जिला मुख्यालय तक 7 मीटर चौड़ाई के मार्ग का उन्नयन, जिला मुख्यालय से विकासखंड तक 60 मीटर चौड़ाई में मार्ग का उन्नयन, विकासखंड मुख्यालय से विकासखंड मुख्यालय तक 7 मीटर चौड़ाई में मार्ग का उन्नयन, माइनिंग एवं औद्योगिक क्षेत्र में सड़कों का उन्नयन कार्य, व्यस्ततम शहरी भागों में बायपास रिंगरोड का निर्माण कार्य, शहरी भागों के व्यस्ततम चौराहों पर ग्रेट सेपरेटर का निर्माण कार्य, रेल्वे क्रॉसिंग पर आर.यू.बी. का निर्माण कार्य। अंतर्राज्यीय मार्गों का उन्नयन एवं चौड़ीकरण कार्य, राज्य मार्गों एवं मुख्य जिला मार्गों का विद्यमान सड़कें और कमज़ोर पुलों के निर्माण का काम, यह लगातार हमारी सरकार ने योजना बनाकर इस दिशा में काम करना प्रारंभ किया है। जिस प्रकार से हमारी सरकार ने संकल्प दोहराया है बस्तर को, देश को नक्सलमुक्त करने के लिए और इसलिए बस्तर में सड़कों के विकास के लिए भी लगातार हमारी सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में योजना बनाकर काम कर रही है। छत्तीसगढ़ राज्य में रायपुर से विशाखापट्टनम को जोड़ने वाली भारतमाला फोरलेन एक्सप्रेस-वे निर्माणाधीन है जिसके शीघ्र ही पूर्ण होने की संभावना है। बस्तर क्षेत्र को इस भारत माला से जोड़ने के लिए केशकाल विश्रामपुरी से सलना मार्ग, कांकेर के जानी ढाबा चौक से दुधावा बिरगुड़ी मार्ग, दरभा से कटेकल्याण मार्ग, तिरिया से गुप्तेश्वर तक नवीन सड़क, कटलनार पाईकपाल से चिंतालूर मार्ग, कोरली से पुलपाल के मध्य इंद्रावती नदी पर उच्च स्तरीय पुल निर्माण काम। ऐसी अनेक योजनाएं बस्तर के विकास के लिये, बस्तर को आगे बढ़ाने के लिये हमारी सरकार बनाकर चल रही है। (मेजों की थपथपाहट)

माननीय सभापति महोदया, आपको भी रोज केशकाल घाट से जाना पड़ता होगा। आज केशकाल घाट जाओ तो लगता है कि वहां पर खड़े होकर सेल्फी लें, पहले क्या हालात थे यह बदलते हुए स्वरूप का विष्णु के सुशासन का प्रतीक केशकाल घाट से भी देखा जा सकता है। (मेजों की थपथपाहट) लोक निर्माण विभाग के वर्ष 2025-26 के बजट में 9451 करोड़ रुपये का कुल प्रावधान किया गया है जिसमें नवीन सड़क पुल-पुलियों के निर्माण हेतु 1909 कार्यों हेतु 1902.49 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है। पूरे राज्य के विद्यमान डामरीकृत सतह के उन्नयन हेतु बजट में 168 सड़कों की सतह के मजबूतीकरण के लिए 917 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किए गए हैं। दुर्घटना को रोकने के लिए राज्य के महत्वपूर्ण मार्गों पर पुलों के चौड़ीकरण, सुरक्षा के उपाय, मरम्मत कार्य, ब्लैक स्पॉट सुधार कार्यों के लिए 120.30 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। महत्वपूर्ण मार्गों में निजी भूमि के मुआवजा भुगतान हेतु 420.19 करोड़ रुपये के बजट प्रावधान किए गए हैं। महत्वपूर्ण पुलों के निर्माण के लिए 339 नवीन पुल कार्यों के लिए 1351 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है। बिलासपुर में मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग, विद्युत यांत्रिकी के नवीन कार्यालय तथा जिला रायगढ़ में लोक

निर्माण विभाग भवन, सड़क, मंडल कार्यालय की स्थापना हेतु बजट में प्रावधान किये गये हैं। मनेंद्रगढ़ एवं सारंगढ़ में नवीन सर्किट हॉउस का प्रावधान किया गया है। (मेजों की थपथपाहट) माननीय सभापति महोदया जी, ये छत्तीसगढ़ की तरक्की और बेहतरी का रोड मैप है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय। माननीय।

श्री अरुण साव :- विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमारी सरकार छत्तीसगढ़ को तेज गति से आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्धता से योजना बनाकर काम कर रही है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय, बजट में एक बड़ेकरेली रेस्ट हॉउस है, साहब आपके बजट भाषण में आ जाएगा तो कल्याण हो जाएगा। मैं उसको आपके बजट भाषण के रिकॉर्ड में आ जाए, बस इसीलिए खड़ा हुआ था ।

सदन को सूचना

सभापति महोदय :- आज भोजन की व्यवस्था माननीय श्री विजय शर्मा, उप मुख्यमंत्री की ओर से माननीय सदस्यों के लिए लॉबी स्थित कक्ष में एवं पत्रकारों के लिए प्रथम तल पर की गई है। कृपया सुविधानुसार भोजन ग्रहण करें।

वित्तीय वर्ष 2025-26 की अनुदान मांगों पर चर्चा (क्रमशः)

श्री अरुण साव :- माननीय सभापति महोदया जी, न्यायालयों के अधोसंरचना के लिए केंद्र प्रवर्तित योजना, न्यायिक अधोसंरचना विकास योजना के तहत न्यायालयीन भवन, अधिवक्ता कक्ष, अधिवक्ता कार्यालय एवं न्यायिक अधिकारियों, कर्मचारियों के आवास गृह का निर्माण लगातार किया जा रहा है। इस योजना में भारत सरकार से छत्तीसगढ़ को वर्ष 2024-25 में पी.एफ.एम.एस. योजना के अंतर्गत 36 करोड़ 2 लाख रुपये प्राप्त हुए, जिसमें राज्य सरकार की राज्यांश राशि 24 करोड़ 1 लाख 33 हजार को जोड़ते हुए कुल राशि 60 करोड़ 3 लाख 33 हजार रुपये प्राप्त हुई है, जिससे लगातार इस दिशा में काम हो रहा है। दिसंबर, 2024 तक छत्तीसगढ़ राज्य में 59 करोड़ 81 लाख 48 हजार रुपये की राशि व्यय की जा चुकी है। सभापति महोदया, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण को प्राथमिकता देते हुए बस्तर क्षेत्र को अंतर्राज्यीय प्रदेशों से जोड़ने के लिए नए-नए मार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करते हुए भारतवर्ष में संचार का नया युग प्रारंभ कर रहे हैं। बस्तर में कौंडागांव से नारायणपुर होते हुए अल्लापल्ली महाराष्ट्र सीमा नेशनल हाइवे 353 सी, राष्ट्रीय राजमार्ग 130 डी घोषित करते हुए कौंडागांव से नारायणपुर मार्ग में निर्माण कार्य प्रारंभ किया जा चुका है। इस मार्ग के

निर्माण से महाराष्ट्र से सीधा कौडागांव बस्तर का संपर्क स्थापित होगा। (मेजों की थपथपाहट) सभापति जी, ऋग्वेद में जल की महत्ता के बारे में जो बातें कही हैं, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि :-

आपो हि ष्ठा मयोभुवस्ता न ऊर्जे दधातन।

महे रणाय चक्षसे॥

यो वः शिवतमो रसस्तस्य भाजयतेह नः।

उशतीरिव मातरः॥

श्री अजय चन्द्राकर :- नेता जी, कुछ समझ में आया या नहीं आया?

डॉ. चरणदास महंत :- आया न।

श्री उमेश पटेल :- आपको आया या नहीं?

श्री अरुण साव :- सभापति महोदया, इसका हिन्दी में अर्थ होता है, जल आनंद का स्रोत है, ऊर्जा का भंडार है, कल्याणकारी है, पवित्र करने वाला है और मां की तरह पोषक और जीवनदायिनी है (मेजों की थपथपाहट)। वाटर इज़ द सोर्स ऑफ़ हैप्पीनेस, एनर्जी, हेल्थ एंड पाइटी एंड इज़ लाइव गिविंग एज़ मदर। पानी की ये महत्ता है लेकिन कालान्तर में हम लो पानी की तुलना कैसे करते थे? पानी का मोल शब्द बोलते थे, जिसकी कोई कीमत न हो, उसकी तुलना पानी से करते थे। लेकिन आज जब समय के साथ दुनिया तरक्की की ओर बढ़ने लगी, देश प्रदेश तरक्की की ओर बढ़ने लगा और जल स्रोत शनैः शनैः नीचे जाने लगा, नदी तालाब सूखने लगे तो आज पानी की महत्ता समझ में आ रही है। जल ही जीवन है और जल नहीं तो जीवन नहीं, जल है तो कल है, ऐसी बात हम लगातार कहते रहे हैं। आज जल संरक्षण और जल संवर्धन दुनिया के सामने बड़ी चुनौती है, इस चुनौती को हम सबको स्वीकार करना पड़ेगा और जल संरक्षण और जल संवर्धन की दिशा में हम सबको आगे बढ़ने की जरूरत है। यह जल की महत्ता को बताता है कि जीवन में..।

डॉ. चरणदास महंत :- सभापति जी, आप इजाजत दें तो मैं सरल शब्दों में बता देता हूं। हम लोगो को अपने पूर्वजों और पुरखों के बताए मार्ग पर भी चलना चाहिए। रहिमन साहब की एक लाईन है - रहिमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। पानी गए न ऊबरे, माती मानुष चून। बिना पानी के कुछ नहीं है महाराज। बचाइए, जितना बचा सकते हैं। बिना पानी के टंकी बन रही है, बिना पाइप के आप पानी देना चाहते हैं, पानी पिलाइए सबको।

श्री अजय चन्द्राकर :- वह रहीम की पंक्ति है, रहिमन की पंक्ति नहीं है।

डॉ. चरणदास महंत :- रहीम, रहिमन एक ही है महाराज।

श्री अरुण साव :- माननीय सभापति महोदया जी, हम सब इस को जानते हैं कि जल को लेकर हमारी 2014 के पहले की पुरानी सरकारों ने कितना ध्यान दिया है। लोग कैसे कई-कई किलोमीटर दूर से पानी लाते थे। कैसे पोखर, नदी, नालों का पानी पीकर जीवन यापन करके बीमार होते थे, लेकिन उन

गरीबों के दर्द को समझकर एक बहुत बड़ी योजना प्रधानमंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी ने बनाई, जिसे जल जीवन मिशन के नाम से जानते हैं। दुर्भाग्य से मैं इस बात को बार-बार कह रहा हूँ कि जिस प्रकार से पिछली सरकार ने जल जीवन मिशन की दुर्दशा की (शेम शेम की आवाज)। 15 अगस्त 2019 को चालू की गई इस योजना में 2 साल तक जिस प्रकार से टेंडर का खेल, नीति में बदलाव का खेल खेला और 2 साल बाद 2021 में चालू भी किया, लेकिन ट्यूबवेल की खुदाई का ठेका अप्रैल 2023 के बाद दिया। 2 साल बाद ट्यूबवेल की खुदाई की। आज जल जीवन मिशन में छत्तीसगढ़ के जो हालात हैं उसका कोई दोषी है तो यह सामने बैठे हुए साथी लोग हैं। सभापति महोदया जी, हम लोगों के बीच में बहुत थोड़ा सा ही अंतर है लेकिन विचारधारा में और काम के तरीके में कितना बड़ा अंतर है, यह इस बात को साबित करता है कि 2014 से पहले किसी ने गरीब को शुद्ध पेयजल मिले इसकी चिंता नहीं की। देश और प्रदेश में हमारे प्रतिपक्ष के साथियों की सरकार थी, उन्होंने कभी चिंता नहीं की कि गरीब को शुद्ध पेयजल मिले। नज़दीक में पानी मिले, अच्छा पानी मिले, लेकिन नरेन्द्र मोदी जी ने योजना बनाई लेकिन उस योजना की दुर्दशा छत्तीसगढ़ में इन्होंने की। आज विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमारी सरकार उन योजनाओं को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी ने लक्ष्य रखा है, सपना देखा है। हरेक गरीब के घर में नल से शुद्ध पेयजल पहुंचे। इस दिशा में तेज गति से हम योजना बनाकर काम कर रहे हैं। पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रहे हैं। स्वच्छ पेयजल मानव जीवन की एक मूलभूत आवश्यकता है। कुछ दशक पहले तक जल सर्वत्र एवं सुलभता से उपलब्ध था जिसके कारण सस्ती वस्तुओं के लिए पानी की अमोल जैसी कहावतें प्रचलित थी लेकिन कालांतर में विभिन्न क्षेत्रों में कृषि उद्योग, घरेलू उपयोग, मनोरंजन, अधोसंरचना विकास आदि के कारण जल की मांग बढ़ गई है जिससे पेयजल के स्रोतों के निरंतर सीमित होने के कारण पेयजल अनमोल होता जा रहा है। आजादी के 60 वर्षों के बाद भी गांव में घरों तक शुद्ध पेयजल उपलब्ध नहीं हो पाया था, ग्रामीण महिलाओं को शुद्ध पेयजल लाने में लगने वाले अथक परिश्रम से राहत पहुंचाने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा जल जीवन मिशन की परिकल्पना की गई है। हमारे प्रधानमंत्री जी का स्वप्न है कि देश के सभी परिवारों को पर्याप्त मात्रा में पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित हो, इस चुनौतीपूर्ण काम को अंजाम देने के लिए प्रधानमंत्री जी द्वारा वर्ष 2019 में जल जीवन मिशन प्रारंभ की गई। मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमारी डबल इंजन की सरकार का संकल्प है कि हर घर में पर्याप्त मात्रा में निर्धारित गुणवत्ता वाला पेयजल सहज और निरंतर मिलता रहे, यह सुनिश्चित करने का काम करेंगे। जल जीवन मिशन को लेकर पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार द्वारा दुर्दशा की गई, जल जीवन मिशन की शुरुआत से ही गंभीर त्रुटियां बरती गईं जिसके परिणामस्वरूप यह योजना प्रारंभ होने के एक वर्ष 6 माह बाद ही धरातल पर उतर पाई। कांग्रेस सरकार द्वारा त्रुटिपूर्ण निविदा प्रक्रिया कर योजना की आत्मा को चोट पहुंचाया गया, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय

जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने जल जीवन मिशन को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करते हुए पुरानी सरकार द्वारा जल जीवन मिशन में बरती खामियों को दूर किया तथा कार्यों की गुणवत्ता, गतिशीलता और समय सीमा में पूर्णता के लिए अनेक गंभीर प्रयास किए। जरूरत पड़ने पर लापरवाह और कार्य नहीं करने वाले ठेकेदारों और अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई भी की गई। हमारी सरकार ने हर परिवार को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए कटिबद्ध है। हमारी सरकार द्वारा प्रधानमंत्री जी के हर घर नल से जल पहुंचाकर ग्रामीण जनजीवन में बदलाव लाने के सपने को साकार करने हेतु हर संभव प्रयास किये जा रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं अपने आपको सौभाग्यशाली मानता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे जल जीवन मिशन के काम और पेयजल से संबंधित विभाग का दायित्व सौंपा है। छत्तीसगढ़ के उत्तर से दक्षिण तक और पूरब से पश्चिम तक समस्त भू-भाग के ग्रामीण रहवासी परिवारों को शुद्ध पेयजल पहुंचाना हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में है। सभापति जी, जल जीवन मिशन द्वारा निर्मित नल जल योजनाओं में वर्तमान तक हमने 3023 योजनाओं के हस्तांतरण की कार्रवाई पूर्ण कर ली है। हमने यह भी ध्यान रखा है कि विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों को योजनाओं के संचालन, संधारण में तकनीकी मार्गदर्शन दें ताकि ग्राम पंचायत स्वयं सक्षम हो सके।

श्री उमेश पटेल :- माननीय मंत्री जी, आप जल जीवन मिशन के बारे में, जो बोल लें, जैसा बोल दें, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं लेकिन आने वाले समय में जब तक हम जल संरक्षण के उपर काम नहीं करेंगे तब तक हमारी ये सारी योजनाएं फेल होंगी। उस पर कोई कार्ययोजना बना रहे हैं तो उसको जरूर बताईए।

श्री अरुण साव :- माननीय सभापति जी, मैंने पहले ही कहा कि जल संरक्षण और जल संवर्धन के लिए बहुत गंभीरता से प्रयास करने की जरूरत है, यह सबकी सहभागिता से ही संभव होगा। अभी राष्ट्रीय स्तर पर देश भर की जल मंत्रियों का उदयपुर में दूसरा सम्मलेन हुआ। माननीय जल संसाधन मंत्री केदार कश्यप के साथ हम लोग उपस्थित हुए, उसमें बहुत गंभीर बातों पर चिंतन हुआ। माननीय नरेन्द्र मोदी जी ने इस पर बीड़ा उठाकर काम करना प्रारंभ किया है। जल संरक्षण और जल संवर्धन की दिशा में हमारी सरकार केन्द्र सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही है। प्रदेश में 70 समूह जल प्रदाय योजनाओं का कार्य प्रगतिरत है। इसका मुख्य उद्देश्य भू-जल अल्पता और गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों में पेयजल प्रदान किया जा सके। इसके द्वारा हमने पेयजल प्रदाय हेतु भू-जल की उपलब्धता को कम करेंगे और छत्तीसगढ़ राज्य में विद्यमान नदियों बांधों का पानी भरपूर उपयोग करेंगे।

समय :

1.00 बजे

माननीय सभापति जी, हमारी सरकार ने इन समस्त तथ्यों को ध्यान में रखकर सतही जल स्रोत से पेयजल प्रदाय हेतु नवीन समूह जल योजना का बजट में प्रावधान रखा है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत सिंगल विलेज एवं रेट्रोफिटिंग की कुल 29 हजार, 173 योजनाएं संचालित हैं। जिसकी लागत 32 हजार, 389 करोड़, 99 लाख रुपये हैं, जो स्वीकृत की गई हैं। इसी प्रकार, 3 हजार, 212 गांवों के लिए 4 हजार, 166 करोड़, 50 लाख रुपये की लागत से 70 समूह जल प्रदाय योजनाओं की स्वीकृति दी गई है। इन योजनाओं से कुल 50 लाख, 4 हजार ग्रामीण परिवार लाभान्वित होंगे। राज्य में अब तक 40 लाख, 10 हजार से अधिक ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन दिये जा चुके हैं। जल जीवन मिशन के तहत 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के मान से हर घर नल से जल उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। जल जीवन मिशन के लिए वित्तीय वर्ष 2025-2026 में 4 हजार, 500 करोड़ रुपये का प्रावधान है। ग्रामीण जल प्रदाय कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा राज्य के 75 हजार, 192 ग्रामीण बसाहटों में हैण्ड पंप के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। राज्य की बसाहटों में पेयजल व्यवस्था हेतु राज्य मद से नलकूप खनन कार्य कराया जाता है। इसके लिए बजट में 50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

माननीय सभापति जी, प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में कुल 2 लाख, 79 हजार, 454 हैण्ड पंप स्थापित हैं। इनके सुचारु संचालन, संधारण हेतु नल-जल योजनाओं से संबंधित शिकायतों के निवारण हेतु टोल फ्री नंबर भी विभाग द्वारा जारी किया गया है। 64 विभागीय संधारण वाहनों के माध्यम से हैण्ड पंप के त्वरित संधारण का कार्य किया जाता है। प्रस्तुत बजट में हैण्ड पंप के संधारण कार्यों हेतु 28 करोड़, 51 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। राज्य में 2 हजार, 100 स्थल जल प्रदाय योजनाएं संचालित हैं। इस योजना में स्रोत से पाइप लाइन बिछाकर सिस्टर्न द्वारा नल से जल प्रदाय होता है। प्रस्तुत बजट में ग्रामीण नल-जल प्रदाय योजनाओं के संधारण हेतु 28 करोड़, 51 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। इस राशि से ग्राम पंचायतों को अनुदान दिये जाएंगे। विभाग द्वारा राज्य मद से 12 समूह जल प्रदाय योजनाएं क्रियान्वित हैं। समूह जल प्रदाय योजनाओं से 317 ग्रामों के 84 हजार, 609 से अधिक परिवारों में घरेलू नल कनेक्शन प्रदान किये गये हैं। विभाग द्वारा निक्षेप मद से 3 समूह जल प्रदाय योजना क्रियान्वित की जा रही हैं। जिसके अंतर्गत 10 हजार, 948 परिवारों को घरेलू नल कनेक्शन प्रदान किये गये हैं। प्रस्तुत बजट में इन योजनाओं के संचालन, संधारण हेतु 8 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। हमारे राज्य में सोलर आधारित पेयजल व्यवस्था की भी योजना है, जिसपर काम हो रहा है। इसके लिए 3 करोड़, 50 लाख रुपये का बजट में प्रावधान किया गया है। जल गुणवत्ता और परीक्षण का कार्य भी राज्य में सुव्यवस्थित रूप से संचालित है। एक राज्य स्तरीय जल परीक्षण प्रयोगशाला, 28 जिला

जल परीक्षण प्रयोगशाला, जो कि मान्यता प्राप्त हैं। 24 उप खण्ड स्तरीय प्रयोगशाला में से 18 प्रयोगशाला मान्यता प्राप्त हैं। जल परीक्षण प्रयोगशालाओं में जल नमूनों का निरंतर परीक्षण किया जा रहा है। भू-जल संवर्धन के लिए लगातार काम हो रहा है। अत्यंत दोहन के कारण जल स्तर नीचे चले जाने से पेयजल व्यवस्था प्रभावित हो रही है। भू-जल स्तर को रिचार्ज करने हेतु प्रस्तुत बजट में 2 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। नगरीय क्षेत्रों में भी पेयजल की योजनाएं संचालित हैं। उसके लिए 2 करोड़, 60 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। आई.आई.टी. भिलाई में भी पेयजल व्यवस्था हमारे विभाग द्वारा योजना बनाकर की जा रही है। वह शिवनाथ नदी पर आधारित योजना है। इसके लिए 1 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। (मेजों की थपथपाहट) नवीन मद में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जल जीवन मिशन के कार्यों की निगरानी हेतु एक डेश बोर्ड के निर्माण का कार्य बजट में नवीन मद के रूप में शामिल किया गया है। इस डेश बोर्ड के माध्यम से ग्राम स्तर, ब्लॉक स्तर, जिला स्तर, राज्य स्तर पर पेयजल प्रदाय की मात्रा गुणवत्ता अनियमितता की शिकायत आदि की निगरानी की जायेगी। इसके लिए बजट 3 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। हमने बजट में मुख्यालय जोन कार्यालय, मण्डल कार्यालय के लिए स्वीकृत सहायक ग्रेड-3 के 165 पद, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर के 38 पदों के विरुद्ध 47 पदों पर मानव संसाधन नियोजित करने के लिए विशेष सेवा मद से नवीन मद शामिल किया है। इसके लिए बजट में 1 करोड़ 19 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है, जिससे युवा शक्ति को रोजगार मिलेगा।

माननीय सभापति महोदया, जल जीवन मिशन योजनान्तर्गत एक राज्य स्तरीय एवं मुंगेली, जशपुर, रायगढ़, जगदलपुर, अम्बिकापुर में जिला स्तरीय माइक्रो बायोलॉजिकल प्रयोगशाला की स्थापना की सुविधा प्रदान का कार्य नवीन मद के रूप में सम्मिलित किया गया है। इसके लिए बजट में 1 करोड़ 60 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। अधीक्षण अभियन्ता विद्युत यांत्रिकी कार्यालय के निर्माण कबीरधाम के उपखंडी कार्यालय भवन निर्माण, धमतरी के खण्ड कार्यालय निर्माण को नवीन मद में शामिल करके 1 करोड़ 65 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। बजट में समूह प्रदाय योजना को नवीन मद के रूप में शामिल करते हुए 250 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

माननीय सभापति महोदया, प्रधानमंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी की परिकल्पना के अनुरूप विष्णु देव साय जी के नेतृत्व में जल जीवन मिशन में अब तक 40 लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन दिए जा चुके हैं। सभी गुणवत्ता मापदण्डों का पालन करते हुए 9 लाख 94 हजार ग्रामीण परिवारों को शुद्ध क्रियाशील घरेलू कनेक्शन के माध्यम से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की दिशा में तेजी से कार्य किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य को हमने बनाया है, इसे हम ही संवारेगे और सुशासन से समृद्धि की ओर ले जाने के इस मूल मंत्र को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार काम कर रही है।

सभापति महोदया जी, शहर हमारे विकास का ग्रोथ का इंजन होता है।

श्री लखेश्वर बघेल :- माननीय सभापति महोदया, दो मिनट। हमारे बस्तर प्रवास में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बस्तर ग्राम पंचायत में अमृत योजना के तहत इन्द्रावती से नगर पंचायत बस्तर तक पानी लाने के लिए घोषणा किया था। वह इस बजट में नहीं आया है। मंत्री जी एक और निवेदन है कि हमारे बस्तर संभाग के कई गांव फ्लोराइड एवं आयरन से ग्रसित है। उसके लिए भी कोई योजना बजट में नहीं आया है। मेरा निवेदन है कि उस पर भी प्रकाश डालियेगा। माननीय मंत्री जी, जो पिछले समय का बोर है, दो सौ- ढाई सौ फीट तक बोर किया गया था, वे सारे हैण्डपम्प गर्मी में बंद हो जाते हैं। उसके लिए भी थोड़ा कुछ उपाय हो तो उसके लिए घोषणा कर देंगे। धन्यवाद।

श्री अरूण साव :- माननीय सभापति महोदया जी, बस्तर के लिए मैं स्वयं जाकर जल प्रदाय योजना की घोषणा करके आया था, उसकी स्वीकृति नगर पंचायत, नगरीय प्रशासन विभाग से आलरेडी प्राप्त है। उस पर काम प्रक्रियाधीन है।

श्री लखेश्वर बघेल :- धन्यवाद।

श्री अरूण साव :- सभापति महोदया जी, प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णु देव साय जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ शहरी विकास की नीत नये आयाम स्थापित कर रहा है। माननीय सभापति जी, अभी नगरीय निकायों में चुनाव हुए हैं और सभी स्थानों पर शपथ ग्रहण सभापति, उपाध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। लोकतन्त्र में जनता का निर्णय, जनता का आदेश सर्वोपरि होता है। विष्णु देव साय जी के नेतृत्व में जो 13 महीने में सुशासन की सरकार चल रही है, दोनों हाथों से छत्तीसगढ़ की जनता ने चुनाव में आशीर्वाद देकर बताया है और हमारी सरकार के 13 महीने के कामों पर मुहर लगाई है। इससे बड़े जनधार की कल्पना इससे बड़े जनदेश की कल्पना कोई नहीं कर सकता है। 10 नगर निगम में 10 में 10 नगर निगम हमें मिला है। राजधानी के प्रभारी आदरणीय रामविचार नेताम जी बैठे हुए हैं, 70 नगर निगम के वार्डों में से 60 वार्डों में कमल खिला है। यह विष्णु के सुशासन का परिणाम है। यह बताता है कि हमने 13 महीनों में क्या काम किया है, कैसे मोदी की गारंटी को पूरी की है, कैसे शहरों एवं गांवों का सुव्यवस्थित विकास किया है, कैसे कल्याणकारी योजनाओं को जनता तक शत प्रतिशत पहुंचाने का काम किया है। इसका प्रमाण हमें जनता ने इस चुनाव में दिया है। यह विष्णु का सुशासन स्पष्ट रूप से छत्तीसगढ़ में दिख रहा है, जिस पर जनता ने मुहर लगाई है। (मेजों की थपथपाहट) माननीय सभापति महोदय, केन्द्र सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-2026 हेतु प्रस्तुत केन्द्रीय बजट में शहरों के विकास के लिए 01 लाख करोड़ रुपये के अर्बन चैलेंज फण्ड का अतिरिक्त प्रावधान यह दर्शाता है कि केन्द्र में मोदी जी की सरकार शहरों के संपूर्ण विकास की दिशा में पूर्ण प्रतिबद्ध है। इसी प्रकार छत्तीसगढ़ की विष्णु देव साय जी की सरकार शहरों के चरणबद्ध विकास के साथ कायाकल्प की दिशा में प्रयासरत है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम सभी

मिलकर प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में अपनी सहभागिता निभाते हुए राष्ट्र और राज्य की उन्नति में तेज गति से अग्रसर होते रहेंगे और विकसित भारत के लक्ष्य के साथ विकसित छत्तीसगढ़ के लक्ष्य को भी समय-सीमा में प्राप्त करेंगे। (मेजों की थपथपाहट) हमने नगरीय निकायों को 179 से बढ़ा कर 192 किया है। कांग्रेस के शासनकाल में पिछले 05 वर्षों में नगरीय विकास की दिशा में एक ढेले का विकास नहीं हुआ था, हुआ तो सिर्फ बेतरतीब भ्रष्टाचार हुआ। वर्ष 2023-2024 में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग का बजट 5360.78 करोड़ रुपये का था, जिसे हमारी सरकार द्वारा वर्ष 2024-2025 की बजट में 12.75 प्रतिशत की वृद्धि गई थी। विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने तथा विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण की ओर तेजी से कदम बढ़ाने अर्थव्यवस्था के ग्रोथ इंजन कहे जाने वाले शहरों के विकास के लिए हमारी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-2026 में 6044.12 करोड़ रुपये का ऐतिहासिक बजट का प्रावधान किया है। यह सिर्फ बजट प्रावधान नहीं है। यह मोदी की गारंटी, विष्णु के सुशासन और छत्तीसगढ़ की हमारी महान जनता का निकाय चुनाव में दोनों हाथों से भर-भर दिए गए आर्शीवाद, अटूट विश्वास और विकसित छत्तीसगढ़ का रोडमैप भी है। दशकों तक केन्द्र में कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन देश के करोड़ों देशवासियों ने अपने स्वयं के लिए आवास का सपना पूरा नहीं कर सकी। कांग्रेस की सरकार से त्रस्त होकर वर्ष 2014 में भारत की जनता ने प्रधानमंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में भा.ज.पा. की सरकार बनाई और मोदी जी ने देशवासियों को प्रधानमंत्री आवास योजना की सौगात दी। (मेजों की थपथपाहट)

श्री रामकुमार यादव :- भैया, एक मिनट। सभापति महोदय, मंत्री जी हर बहुत अच्छा बोलत हावय। छत्तीसगढ़ के प्रमुख विभाग हमर आदरणीय मंत्री जी के पास म हे। मंत्री जी के पास नगरीय प्रशासन विभाग हावय। रोड बनाय के विभाग भी हावय। ओई म चन्द्रपुर भी आथे। आप भी गे होईहा। आप जो चन्द्रपुर से रायगढ़ जाथवं, ओ बीच के रास्ता हर कतका खराब हे। आप ओला गौरव पथ योजना मा जोड़ देहे रइता। वइसे तो आप जो कहत हौ, तेला हमन पा गय हन।

श्री अजय चन्द्राकर :- कहां-कहां घुमत रहे हस। अब तो नगर निवेश मा बात चलत हे। पी.डब्ल्यू.डी. के चर्चा निकल गे। तैं हर ओमा बात कर। (हंसी)

श्री रामकुमार यादव :- सभापति महोदय, एक मिनट। मैं कभू-कभू आज सरतिहा गुनत रहे। आज मोला सपना आ गे रिहीस। मोला का चीज सपना आ गे रिहीस हे कि ये ट्रिपल इंजन के ड्राइवर मन हर मोला समझ आ गे हे।

श्री अजय चन्द्राकर :- ट्रिपल इंजन नहीं, चार इंजन हो गे हे।

श्री रामकुमार यादव :- हाँ, चार इंजन के ड्राइवर के तो मोला पता मिल गइस कि हमर विष्णु देव साय जी हे, हमन जेतका मंत्री मन साईड ड्राइवर हे, ओमा खलासी होथे। इंजन मा खलासी के भी जरूरत पड़थे। मैं गुने की इंजन के खलासी कोन हे? इंजन के ड्राइवर तो मिल गइस ता मोला हबकहा

सुरता आईस कि ओ खलासी के रूप में, खैर में हर ओला नई कहीं, लेकिन मोला अइसे लागथे कि अब ओ हर कोन हे ते हर खुद समझदार हे। इंजन के ड्राइवर बड़े हे अऊ खलासी कोन हे, ते हर तुमन खुद समझदार हौं।

श्री धर्मजीत सिंह :-आज तैंहा पेंट, शर्ट, जैकेट में हस, रिश्ता-विश्ता के बात चलथे का ? (हंसी)

श्री रामकुमार यादव :- इंजन के ड्राइवर बैठे हव, खलासी कोन ए खोजथंव अभी ।

श्री अरुण साव :- सभापति जी, घर का महत्व क्या होता है, इन पंक्तियों से समझा जाता है-

खुद दर-बदर ये ठोंकरे खाई तो यह मालूम हुआ,

घर किसे कहते हैं, क्या चीज है बेघर होना

सभापति महोदय, इतने लंबे वर्षों तक देश और प्रदेश में राज किया, लेकिन गरीबों को आशियाना नहीं दे पाये । चांदी के चम्मच में पैदा होने वाले लोगों को कभी गरीब का दर्द नहीं दिखा ? और तो और, जब माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी, प्रधानमंत्री आवास दे रहे थे, इन्होंने गरीबों के साथ अन्याय करके प्रधानमंत्री आवास से छत्तीसगढ़ की गरीब जनता को महरूम करने का काम किया ।

श्री अटल श्रीवास्तव :- माननीय सभापति महोदय, आपका कागज बता रहा है कि हमारे समय में प्रधानमंत्री आवास के 7 लाख मकान बने थे । यह आपके मंत्री जी ने अभी जवाब दिया है । वर्ष 2018 से लेकर वर्ष 2023 तक 7 लाख मकान स्वीकृत होकर कंप्लीट हुये हैं और आप कह रहे हैं कि हमने मकान नहीं बनाया ?

श्री रामकुमार यादव :- आप मन सिर्फ एक 1 लाख 65 हजार 820 बनाय हव। अभी तुमन ला मात्र साढ़े तीन साल में 17 लाख आवास बनाना है ।

श्री धर्मजीत सिंह :- अच्छा हम नहीं बनाये, आपको क्या करना है ? (हंसी) हम नहीं बनाये, चलो जाओ ।

श्री रामकुमार यादव :- नई बनाहव ना त आने वाला समय बताही ? इतना घमंड मत करव । जनता देखथे । (व्यवधान)

श्री धर्मजीत सिंह :- अभी जनता देख लिही ना । (व्यवधान)

श्री लखेश्वर बघेल :- वह तो अलग चीज है । (व्यवधान)

श्री रामकुमार यादव :- इंजन के ड्राइवर बड़े हे, मैं छत्तीसगढ़ में खलासी ला खोजथंव कि चार इंजन के खलासी कोन-कोन हे ? (व्यवधान)

श्री धर्मजीत सिंह :- अभी जनता देख लिया है ना, हम लोग आर्डनरी परीक्षा दे रहे हैं क्या, 14 महीने में हम परीक्षा दिये और विष्णु देव साय जी दो-दो, तीन-तीन एग्जाम पास कर गये । (व्यवधान)

श्री अरुण साव :- सभापति महोदय, जनता ने करारा जवाब दिया है ।

श्री उमेश पटेल :- सुनिये तो, 18 लाख बता रहे हैं ? उसमें रमन सिंह जी के टाईम का भी है ।

श्री अटल श्रीवास्तव :- सभापति महोदय, एक अंतिम । यह जनता की तरफ से है । यह छत्तीसगढ़ की जनता कह रही है-

यह सारा जिस्म झुककर बोझ से दोहरा हुआ होगा

मैं सजदे में नहीं था, तुझे धोखा हुआ होगा

श्री अरुण साव :- सभापति महोदय, इस चुनाव में जनता ने किसको झुकाया है, किसको डुबाया है, किसको जर्मीदोज कर दिया है, यह परिणाम बता रहे हैं । यह छत्तीसगढ़ की जनता आपके झूठ, फरेब में नहीं आने वाली है । सभापति महोदय, मेरा तीन करोड़ छत्तीसगढ़ का परिवार, मेरी जनता सीधे-सादे भोले-भाले हैं, छत्तीसगढ़ के गांव में कहावत है कि दही के भोरहा म, कपसा ला निगल गे । सभापति महोदय, एक बार होगे रहिसे, दुबारा नई होने वाला है । (मेजों की थपथपाहट) छत्तीसगढ़ के सीधा-सादा जनता ए, समझदार ए ।

श्री रामकुमार यादव :- सभापति महोदय, छत्तीसगढ़ म एक ठन अऊ कहावत है । अंधवा हा लाठी ला एक बार हजाथे, बार-बार नई हजाय । ए दारी तुमन के अइसने दसा होने वाला है ।

श्री धर्मजीत सिंह :- मैं देख रहा हूँ कि जब से भूपेश बघेल जी ने वित्त मंत्री जी के भाषण को कविता और कव्वाली में बोलना शुरू किया है, तब से आप लोग ज्यादा ही कविता पढ़ रहे हैं । आप लोग विरोध में पढ़ रहे हैं क्या ? जिसको देखो, वही शेर-शायरी दे रहा है ।

श्री उमेश पटेल :- माननीय मंत्री जी, आप कविता पढ़ने के पहले धर्मजीत जी को ही क्यों बोले ?

श्री धर्मजीत सिंह :- इनका सरल भाषा में कहना यह है कि दही के धोखे में चूना चॉट लिये थे । अब उसको तीन चुनाव में सुधार लिये हैं ।

श्री केदार कश्यप :- दही खाने के चक्कर में मिर्ची खा लिये थे ।

श्री अरुण साव :- सभापति जी, प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के प्रथम चरण में 2 लाख 49 हजार 166 आवास स्वीकृत थे, जिसमें से 2 लाख 5 हजार 360 आवास हमने पूर्ण किया है । सभापति महोदय, प्रधानमंत्री आवास को लेकर कितने गंभीर थे, मैं इसका आंकड़ा आपके सामने रखता हूँ । सभापति महोदय, इन्होंने प्रति महीने कितने बनाये, लगभग 2000 आवास प्रति महीने बना रहे थे । विष्णु देव साय जी के नेतृत्व में हमारी सरकार बनने के बाद प्रति महीने हमने 4000 से अधिक प्रधानमंत्री आवास शहरी बनाये हैं । (मेजों की थपथपाहट) सभापति महोदय, प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना-2 के अंतर्गत द्वितीय चरण में ऑनलाईन सर्वे का काम प्रगतिरत है, 42 हजार हितग्राहियों की जानकारी भारत सरकार के पोर्टल पर दर्ज की जा चुकी है और अभी हमें 15 हजार आवासों की स्वीकृति भी शहर के लिए मिल गई है । आज जिस प्रकार से प्रधानमंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी प्रधानमंत्री आवास को लेकर काम कर रहे हैं, उसी तरह से 19 जनवरी, 2025 को हमारी केबिनेट में विष्णु देव साय जी की अध्यक्षता में एतिहासिक निर्णय लेते हुए हमने 1 लाख, 32 हजार कमजोर आय वर्ग की आवास

की योजनाओं के लिए 3938.80 करोड़ रूपए के अनुदान की स्वीकृति दी है। यह हमारी प्रतिबद्धता बताती है कि हम गरीबों को प्रधानमंत्री आवास देने के लिए कितने संजीदा हैं, कितने गंभीर हैं। हमने अलग-अलग योजनाओं में राशि भी बढ़ाई है, ताकि शहर में रहने वाले गरीबों को प्रधानमंत्री आवास मिल सके और इसके लिए इस बजट में 875 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है।

सभापति जी, हमने एक नई योजना प्रारंभ की है। प्रधानमंत्री आवास-2 के तहत लाभार्थियों द्वारा निर्धारित समयावधि में आवास निर्माण कर गृह प्रवेश करने पर अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि देते हुए मुख्यमंत्री गृह प्रवेश सम्मान योजना हम प्रारंभ करने जा रहे हैं और इसके लिए 25-26 के बजट में 100 करोड़ रूपए का प्रावधान किया है। स्वच्छ भारत मिशन 2 के अंतर्गत हमारी सरकार द्वारा विशेष पहल करते हुए भारत सरकार से समन्वय कर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु 230 करोड़ रूपए के एक्शन प्लान की बहुप्रतीक्षित स्वीकृति प्राप्त की है। इस राशि से 186 निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन अंतर्गत सूखे एवं गीले कचरे के पृथक्करण और प्रसंस्करण केन्द्र स्थापित किए जाएंगे। साथ ही 58 नगरीय निकायों में 108 आकांक्षी शौचालय हेतु 33.44 करोड़ रूपए की परियोजनाएं स्वीकृत हैं और दृढ़ गति से प्रगतिरत हैं। अनौपचारिक जल प्रबंधन घटक अंतर्गत 20 निकाय हेतु 99.26 करोड़ रूपए की परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं, जिसमें डीपीआर निर्माण की कार्यवाही प्रचलित है। स्वच्छ भारत मिशन 2 योजना के अंतर्गत 25-26 के बजट में 380 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है।

सभापति जी, दशकों तक केन्द्र में सरकार चलाते हुए जो काम कांग्रेस और अन्य दल नहीं कर सके, मोदी जी की गारंटी वाली सरकार ने एक दशक में ही वह पूरा कर जनता को अन्य दलों का असली चेहरा दिखलाया है। मैं केन्द्र की जल हेतु प्रारंभ की गई अमृत योजना की बात कर रहा हूँ, जिसके तहत 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 9 नगर पालिका निगमों में हर घर में नल से शुद्ध पेय जल पहुंचाने की योजनाएं स्वीकृत की गई हैं। केन्द्र की मोदी सरकार यहीं नहीं रुकी, एक साथ पूरे देश में 1 लाख से कम संख्या वाले शहरों में जल प्रदाय परियोजना हेतु अमृत मिशन 2 प्रारंभ की। अमृत मिशन 2 योजना अंतर्गत छत्तीसगढ़ में 45 जल परियोजनाएं, 5 सिवरेज परियोजनाओं, 17 बाँड़ी रेज़ॉल्यूशन कार्य, 9 शहरों में उद्यान विकास हेतु 2854 करोड़ के एक्शन प्लान की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई है। कुल स्वीकृत 45 जल परियोजनाओं में से 1887 करोड़ की 33 जल प्रदाय योजनाओं की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है, शेष 12 परियोजनाओं हेतु डीपीआर तैयार करने की प्रक्रिया चल रही है। यह हमारी प्रतिबद्धता को बताता है। अमृत मिशन हेतु 2025-26 में 744 करोड़ रूपए का बजट प्रावधान किया गया है। हमारी सरकार की प्रतिबद्धता प्रधानमंत्री स्ट्रीट वैंडर्स आत्म निर्भर निधि पी एम स्व निधि योजना के तहत शहरी पथ विक्रेताओं के कल्याण हेतु भी इस बजट में 25 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। प्रधान मंत्री ई-बस सेवा के लिए इस बजट में 30 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। स्मार्ट सिटी हेतु वर्ष 2025-26 में रायपुर के लिए 100 करोड़ रूपए का

प्रावधान किया गया है। बिलासपुर स्मार्ट सिटी के लिए 2025-26 के बजट में 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मोर संगवारी सेवा, जिसके माध्यम से शहर के लोग घर बैठे अपने दस्तावेज प्राप्त कर रहे हैं, के लिए 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मुख्य मंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत वर्ष 2025-26 हेतु 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

माननीय सभापति जी, 5 सालों में अधोसंरचना के कार्य ढप्प पड़े थे। नगरीय निकायों में भ्रष्टाचार रूपी राक्षस ने विकास को जकड़ लिया था। मुख्य मंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार द्वारा शहरों की मूलभूत सुविधाओं के लिए अधोसंरचना मद अंतर्गत 806 करोड़ रुप की नवीन स्वीकृति राशि तथा 876 करोड़ की किस्त राशि तथा अन्य मदों में राशि 733 करोड़ निकायों को जारी की गई है। इसी का परिणाम है कि आज नगरीय निकायों के गली-मोहल्लों का चहुंमुखी विकास दिख रहा है। भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की स्मृति में भारत को द्रुत विकास के मार्ग पर वैश्विक महाशक्ति बनाने की दिशा में अग्रसर करने और छत्तीसगढ़वासियों को छत्तीसगढ़ राज्य की सौगात देने की स्मृति को अविस्मरणीय बनाने के लिए अटल जी की 100वीं जयंती के अवसर पर समस्त नगरीय निकायों में अटल परिसर का निर्माण किया जा रहा है। इसके लिए हमारी सरकार ने 46.07 करोड़ रुपए की राशि जारी की है। शहरों में मूलभूत सुविधाओं के विकास हेतु अधोसंरचना मद में वित्तीय वर्ष 2025-26 में 750 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। 14वें, 15वें वित्त के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में 680 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान रखा गया है। नालंदा परिसर निर्माण के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 में 100 करोड़ और संचालन हेतु 2 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। हमारी सरकार पर्यावरण संरक्षण हेतु प्रतिबद्ध है। छत्तीसगढ़ राज्य की प्रमुख नदियों महानदी, शंकनी-डंकनी को प्रदूषण से बचाने हेतु नगर पालिका परिषद दंतेवाड़ा, सक्ती, नगर पंचायत चन्द्रपुर, शिवरीनारायण में सिवरेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापना किए जाने की स्वीकृति की गई है। शीघ्र ही सीवरेज उपचार संयंत्रों के माध्यम से जल शोधन कर नदियों में पुनर्वाहित किया जाना प्रारंभ होगा। इसके लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 में 30 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

सभापति महोदया, नगर निगमों के योजनाबद्ध विकास सुनिश्चित करने, बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने और नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने के उद्देश्य से हमने इस बजट में एक नई योजना मुख्य मंत्री नगरोत्थान योजना प्रारंभ की है। इसके लिए बजट में 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है।

सभापति महोदया:- माननीय मंत्री जी, और कितना समय लगेगा?

श्री अरुण साव :- जी, मैं कन्क्लूड कर रहा हूँ। माननीय सभापति महोदया, इस तरह से शहरों के सुव्यवस्थित विकास की योजना आदरणीय विष्णु देव साय जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने बनाई है।

सभापति महोदया, मैंने सभी सदस्यों की बात बहुत ध्यान से सुनी है और मैं आपके माध्यम से सदन में कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी और हमारी सरकार विकास के लिए राजनीति करती है। हम विकास पर राजनीति नहीं करते और इसीलिए ये जानते हुए भी कि अधिकांश नगरीय निकायों में कांग्रेस के महापौर और अध्यक्ष हैं, उसके बाद भी सभी नगरीय निकायों को विकास के लिए 13 महीने में हमने 7500 करोड़ रुपए दिया। ये हमारी प्रतिबद्धता है। (मेजों की थपथपाहट) हम विकास पर राजनीति करने वाले लोग नहीं हैं, हम लोग विकास के लिए राजनीति करते हैं। सभापति महोदया, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि कुछ सदस्यों ने प्रशासकीय प्रतिवेदन में छपे हुए फोटो पर टिप्पणी की है। यह कहावत बार-बार ध्यान में आती है कि जैसी सोच होगी, वही चीज दिखेगा। जिसकी विकास देखने की सोच होगी, जो विकास देखना चाहेगा, उसे विकास दिखेगा, पर विकास देखने वाले लोग सामने में ही बैठे हैं। मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ कि जैसे मैंने कहा कि नगरीय निकायों का जो चुनाव का परिणाम है, यह इस बात को बताता है कि हमारी सरकार के 13 महीनों के कामों पर जनता ने मुंहर लगायी है। मैं, आपसे यह कहना चाहता हूँ कि हमारी सरकार ने अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म शताब्दी वर्ष को अटल निर्माण वर्ष के रूप में घोषित किया है। हमारे बजट में यह स्पष्ट रूप से झलकता है कि हम छत्तीसगढ़ में अधोसंरचना के विकास के लिए संकल्पित होकर, काम कर रहे हैं।

माननीय सभापति महोदया, माननीय सदस्य ने जल के उपयोग को लेकर विषय उठाया था। मैं आपके माध्यम से यह बताना चाहता हूँ कि किसी भी जलाशय में 20 प्रतिशत पेयजल और निस्तारी के लिए आरक्षित किया जाता है तो जल जीवन मिशन अन्य जल प्रदाय योजनाओं में इसीलिए डेम के पानी का उपयोग किया जाता है। हमारा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग लगातार यहां काम कर रहा है। हमारे पास जो नलकूप खनन वाली 35 रिंग मशीन उपलब्ध हैं, जिसके माध्यम से हम लगातार ट्यूब वेल खनन का काम कर रहे हैं। अभी यहां पर माननीय सदस्य श्री दलेश्वर साहू जी उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि डोंगरगांव आवर्धन जल प्रदाय योजना क्यों प्रारंभ नहीं की जा सकी है। क्योंकि वहां जिस जल स्रोत को चिन्हित किया गया था, वह क्षतिग्रस्त हो गया है। उस पर सिंचाई विभाग द्वारा काम किया जा रहा है। जैसे ही मरम्मत होगा, वह काम आगे बढ़ेगा। माननीय वरिष्ठ सदस्य ने कुछ बातें कहीं थीं, मैं उस पर कहना चाहूंगा कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट (ठोस अपशिष्ट प्रबंधन) इसके लिए पिछले 5 सालों में कोई काम नहीं हुआ था। हमारी सरकार ने प्रयत्न करके भारत सरकार से 186 नगरीय निकायों के लिए 230 करोड़ रुपये की स्वीकृति 13 नवम्बर, 2024 को प्राप्त किया है। इसी तरह से पिछले 5 सालों में यूज्ड वॉटर मैनेजमेंट के लिए भी कोई काम नहीं हुआ। वर्ष 2025-26 में स्वच्छ भारत मिशन शहरी-2 के अंतर्गत 151 नगरीय निकायों में राशि 129 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है। हम लगातार इस दिशा में काम कर रहे हैं। अभी यहां पर माननीय सदस्य श्री दलेश्वर साहू जी नहीं हैं इसलिए मैं, उनके प्रश्नों का जवाब नहीं दे रहा हूँ।

माननीय सभापति महोदया, मैं, आपसे यह कहना चाहता हूँ कि मैंने सभी माननीय सदस्यों के बातों को बहुत ध्यान से सुना है और निश्चित रूप से उन सब के प्रस्तावों पर गंभीरता से विचार करेंगे। हमारी सरकार विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है। उसी की योजना बनाकर, हमारी सरकार चल रही है। मैंने माननीय सभी सदस्यों की बातों को ध्यान में रखा है, मैंने उसे नोट किया है और हमारी सरकार निश्चित रूप से सभी के प्रस्तावों, सुझावों पर विचार करेगी। अंत में यह कहना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ में सब लोग जानते हैं कि केदार सिंह परिहार जी छत्तीसगढ़ के एक बहुत प्रसिद्ध कवि हैं, मैं उनकी कविता से अपनी बात का समापन करूंगा।

"छत्तीसगढ़ ला छांव करे बर, मैं छान्ही बन जातेव।

मर के देवलोक झन जातेव, कहूं जनम झन पातेव।

छत्तीसगढ़ ला छांव करे बर, मैं छान्ही बन जातेव। (मेजों की थपथपाहट)

बड़ला होतेव मय नागर के, मोला झन गड़तिस बिन जांघर के
होतेव मय खेत किसनहा के, माटी होतेव में धनहा के।

गोबर हो जातेव गरुआ के, कचरा बन जातेव घुरुआ के
मय लड़का होतेव नंघरिया के, लाठी बन जातेव कंवरिया के।

मय खेत कमाए छूटे पसीनहा के, पानी बन जातेव।

छत्तीसगढ़ ला छांव करे बर, मैं छान्ही बन जातेव।

मोर मन मा एक ठन सपना हे, मर के मोर यही कल्पना हे।

अइसन जोनि मिलतिस मोला, दुख पाकर सुख देतेव सबला।

वीर होतेव वीर नारायण कस, पोथी बनतेव रामायण कस।

साधु मा बाल्मिकी जइसन, कवि होतेव विप्र रहिस जइसन।

गातेव महिमा छत्तीसगढ़ के, अउ में कहानी बन जातेव।

छत्तीसगढ़ ला छांव करे बर, मैं छान्ही बन जातेव।"

माननीय सभापति महोदया, आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

समय

1.35 बजे

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. रमन सिंह) पीठासीन हुए)

श्री अटल श्रीवास्तव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले बार इसी सदन में कुंवर सिंह निषाद जी ने एक कविता का पाठ किया था, आसंदी से रोक दिया गया था। माननीय मंत्री जी ने तो पूरी कविता का पाठ ही कर दिया जो कि शायद सदन की संसदीय गरिमा के खिलाफ है।

अध्यक्ष महोदय :- मैं, पहले कटौती प्रस्तावों पर मत लूंगा।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि मांग संख्या- 20, 22, 24, 29, 67, 69 एवं 81 पर प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव स्वीकृत किये जायें।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।

अध्यक्ष महोदय :- अब मैं, मांगों पर मत लूंगा।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि- दिनांक 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को :-

- | | | | |
|-------------|---|----|---|
| मांग संख्या | - | 20 | लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी के लिये - दो हजार सात सौ तिरानबे करोड़, साठ लाख, तिहतर हजार रुपये, |
| मांग संख्या | - | 22 | नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग-नगरीय निकाय के लिये - चौबीस करोड़, अड़तीस लाख, तेरह हजार रुपये, |
| मांग संख्या | - | 24 | लोक निर्माण कार्य- सड़कें और पुल के लिये - चार हजार छः सौ चौसठ करोड़, आठ लाख, छप्पन हजार रुपये, |
| मांग संख्या | - | 29 | न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन के लिये - आठ सौ चौरानबे करोड़, पैंतालीस लाख, बीस हजार रुपये, |
| मांग संख्या | - | 67 | लोक निर्माण कार्य- भवन के लिये - दो हजार एक सौ एक करोड़, निन्यानबे लाख, छत्तीस हजार रुपये, |
| मांग संख्या | - | 69 | नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग- नगरीय कल्याण के लिये- एक हजार सात सौ पंद्रह करोड़, चौवालीस लाख, छियालीस हजार रुपये, |
| मांग संख्या | - | 76 | लोक निर्माण विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं के लिये- उनहतर करोड़, बीस हजार रुपये तथा |
| मांग संख्या | - | 81 | नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता के लिये - तीन हजार एक सौ तेईस करोड़, पैतालीस लाख, तिरासी हजार रुपये तक की राशि दी जाये। |

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(मेजों की थपथपाहट)

(2)	मांग संख्या	10	वन
	मांग संख्या	17	सहकारिता
	मांग संख्या	23	जल संसाधन विभाग
	मांग संख्या	45	लघु सिंचाई निर्माण कार्य
	मांग संख्या	57	जल संसाधन विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं
	मांग संख्या	75	जल संसाधन विभाग से संबंधित नाबार्ड से सहायता प्राप्त परियोजनाएं
	मांग संख्या	28	राज्य विधान मण्डल

संसदीय कार्य मंत्री (केदार कश्यप) :- अध्यक्ष महोदय, मैं, राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव करता हूँ कि दिनांक 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को :-

मांग संख्या	-	10	वन के लिये- दो हजार पांच सौ इकतालीस करोड़, अट्ठाईस लाख, साठ हजार रुपये,
मांग संख्या	-	17	सहकारिता के लिये- तीन सौ बयालीस करोड़, सत्तर लाख, बाईस हजार रुपये,
मांग संख्या	-	23	जल संसाधन विभाग के लिये- एक हजार छः सौ तिरानबे करोड़, छियानबे लाख, पचासी हजार रुपये,
मांग संख्या	-	45	लघु सिंचाई निर्माण कार्य के लिये- आठ सौ चौहत्तर करोड़, इक्यावन लाख, पंचानबे हजार रुपये,
मांग संख्या	-	57	जल संसाधन विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं के लिये- सत्तावन करोड़ रुपये,
मांग संख्या	-	75	जल संसाधन विभाग से संबंधित नाबार्ड से सहायता प्राप्त परियोजनाएं के लिये- तीन सौ आठ करोड़, इकहत्तर लाख रुपये तथा
मांग संख्या	-	28	राज्य विधान मण्डल के लिये- एक सौ छः करोड़, बयासी लाख, पचहत्तर हजार रुपये तक की राशि दी जाये।

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

अध्यक्ष महोदय :- अब इन मांगों पर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत होंगे । कटौती प्रस्तावों की सूची पृथकतः वितरित की जा चुकी है । प्रस्तावक सदस्य का नाम पुकारे जाने पर जो माननीय सदस्य हाथ उठाकर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने हेतु सहमति देंगे उनके ही कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए माने जायेंगे ।

मांग संख्या - 10**वन**

1. श्री लखेश्वर बघेल	6
2. श्रीमती शेषराज हरवंश	4
3. श्री संदीप साहू	1
4. श्री दिलीप लहरिया	2
5. श्री लालजीत सिंह राठिया	1
6. श्री फूलसिंह राठिया	1
7. श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल	1

मांग संख्या - 17**सहकारिता**

1. श्रीमती सावित्री मनोज मण्डावी	1
2. श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा	2
3. श्री दिलीप लहरिया	3
4. श्रीमती शेषराज हरवंश	1
5. श्री संदीप साहू	2
6. श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल	2

मांग संख्या - 23**जल संसाधन विभाग**

1. श्री लखेश्वर बघेल	1
2. श्रीमती सावित्री मनोज मण्डावी	1
3. श्रीमती शेषराज हरवंश	3
4. श्री दिलीप लहरिया	2

मांग संख्या - 45
लघु सिंचाई निर्माण कार्य

- | | |
|--------------------|---|
| 1. श्री संदीप साहू | 1 |
|--------------------|---|

मांग संख्या - 47
कौशल विकास

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. श्री लखेश्वर बघेल | 7 |
| 2. श्रीमती शेषराज हरवंश | 1 |
| 3. श्री संदीप साहू | 1 |
| 4. श्री दिलीप लहरिया | 1 |

अध्यक्ष महोदय :- उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए ।

अध्यक्ष महोदय :- अब मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक-साथ चर्चा होगी । श्री विक्रम मण्डावी जी चर्चा प्रारंभ करेंगे ।

श्री विक्रम मण्डावी (बीजापुर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय वन मंत्री जी की मांग संख्या-10,17, 23, 45, 47, 57, 75 एवं 28 के विरोध में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूँ । हम लगातार पिछले समय से देख रहे हैं कि सवा सालों से सदन में केवल यही बात सत्तापक्ष द्वारा बोली जा रही है कि पिछले 5 सालों में कांग्रेसी सरकार ने कोई भी काम नहीं किया है । इस सरकार ने जो अपना बजट भाषण में दस खम्भों की जो बिल्डिंग खड़े करने की बात की थी और सदन के माध्यम से मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि पिछले भाषण में आप देख लीजिये कि उन 10 खम्भों में यदि वे एक भी खम्भा खड़े कर पाये हों तो आप बता दीजिये लेकिन केवल और केवल चुनावी राजनीतिक भाषण के सिवाय और कुछ भी इस बजट में नहीं है ।

समय :

1.44 बजे

(सभापति महोदय (श्री लखेश्वर बघेल) पीठासीन हुए)

श्री उमेश पटेल :- माननीय सभापति महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि क्या बजट भाषण जब चल रहा हो तो कविता की जा सकती है और हम लोग कविता की तैयारी करके आयें । आप एक व्यवस्था बना दीजिए तो हम लोग भी फिर कल से यहां कविता पाठ करेंगे ।

सभापति महोदय :- चलिये, बैठिए ।

श्री उमेश पटेल :- माननीय सभापति महोदय, इसकी व्यवस्था बना दीजिये ।

सभापति महोदय :- सामान्यतः ऐसा तो नहीं होना चाहिए लेकिन मंत्री जी ने कह दिया है तो ।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय सभापति महोदय, यह आज की परम्परा नहीं है, हम लोग विधानसभा में मध्यप्रदेश की विधानसभा और यहां की विधान सभा में चाहे मंत्री हो या सम्मानित सदस्य हों, जब अपनी बात रखते हैं तो शेरों शायरी का भी और कविता की भी 2-4 लाइन रखते हैं। कहीं कोई दिक्कत नहीं है और आज का नहीं है, यह वर्षों से है।

श्री उमेश पटेल :- शेरों, शायरी की बात अलग है, मुहावरे की बात अलग है।

श्री धरमलाल कौशिक :- हम मध्यप्रदेश से देखते आ रहे हैं।

श्री उमेश पटेल :- मुहावरे की बात अलग है और शेरों शायरी की बात अलग है, लेकिन कविता में पूरा पढ़ना। या तो सबको अलाउ कर दीजिए।

श्री धरमलाल कौशिक :- हम मध्यप्रदेश से देखते आ रहे हैं। ये अभी का नहीं है।

श्री उमेश पटेल :- मैं वही तो बोल रहा हूँ। आप मुहावरा पढ़िए। आप शेरों शायरी पढ़िए। सब लोग पढ़ते हैं, लेकिन पूरा कविता पढ़ना, हमारे लो लहरिया जी हैं, उनका तो विरोध कविता में ही जायेगा। उनका पूरा भाषण गाने में ही चला जायेगा।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय सभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहां पर राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल जी हमारे प्रथम अध्यक्ष रहे हैं। अब आपको उनके बारे में जानकारी नहीं है। आप पढ़ाई कर रहे थे। जब राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल जी जब कोई इधर से कविता करते थे तो दो-चार पंक्ति वे आसंदी से भी पढ़ते थे। (मेजों की थपथपाहट)

श्री उमेश पटेल :- दो-चार पंक्ति अलग होता है।

श्री धरमलाल कौशिक :- ये तो हमारी परंपरा है कि यहां इतनी अच्छी सुंदरता के साथ में रोचक कैसे बना सकते हो, तो अपनी बातों को रखने की परंपरा है और मैं समझता हूँ कि यह कोई नई बात नहीं है। आप भी दो लाइन देना। आखिरी में आप भी दो लाइन दीजिए। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जारी रखिए।

श्री उमेश पटेल :- मैं इस बात पर कहना चाहूंगा कि दो पंक्ति कहना अलग है, मुहावरा कहना अलग है।

श्री सुनील सोनी :- आप चार कर दीजिए।

श्री उमेश पटेल :- दो-चार अलग होता है, मुहावरा अलग होता है। आप भी समझ रहे हैं। और कैसे explain करूं? लेकिन पूरा का पूरा कविता करना। या तो फिर सबको अलाउ कर दीजिए, सब ऐसा करेंगे। हम तो पूरा कविता पाठ में ही भाषण कर देंगे। हमारे लो लहरिया जी हैं, वे ही करेंगे।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- आपको आपत्ति क्या है?

सभापति महोदय :- चलिए, इस विषय पर चर्चा मत करिए। आगे बढ़िए।

श्री उमेश पटेल :- यह व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- ऐसा प्रचलन है। परंपरा है।

श्री उमेश पटेल :- ऐसी कोई परंपरा नहीं है। आप भी जान रहे हैं और हम भी जान रहे हैं।

श्री विक्रम मंडावी :- माननीय सभापति महोदय, मैं 10 खंभों की मांग कर रहा था। लगातार जो बजट भाषण में भी चल रहा था। उनमें से एक भी खंभा सवा सालों में जो खड़ा होना चाहिए, उपलब्धियों में कहीं पर भी नहीं दिख रहा है। मैं संक्षिप्त में माननीय मंत्री जी के विभागों के अब तक के प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर उपलब्धियों को बता देता हूँ। इस सदन में वर्ष 2024-25 में जो हमारे पूर्व मंत्री जी भी बात कर रहे थे कि प्रधानमंत्री आवास योजना का वास्तविक आर्थिक सर्वेक्षण जो आ रहा है, उसमें मात्र 6 है और जवाब भी दे रहे हैं कि हम 18 लाख आवास बनाएंगे और सदन में दस्तावेजों में भी जो जानकारी उपलब्ध है, वह सिर्फ 1,65,620 ही है। तो सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक भाषण बयानबाजी के सिवा कुछ भी यहां पर नहीं है। मोदी गारंटी की बात कर रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम का भी उल्लेख करते हुए बार-बार जो गारंटी पूरा होना था, वह इन सवा सालों में कहीं पर भी होता हुआ दिख नहीं रहा है। चाहे प्रधानमंत्री आवास की बात करें, चाहे हमारी मोदी गारंटी की बात करें। मैं वन विभाग के मंत्री जी बस्तर से आते हैं, हम भी बस्तर से आते हैं और हमारे बस्तर के साथ पूरे छत्तीसगढ़ में लगभग आधे राज्य में वन का क्षेत्रफल 44.263 प्रतिशत आता है। हमारे सभी आदिवासी और ग्रामीण लोग वन पर बहुत ज्यादा आत्मनिर्भर हैं। बस्तर की बात करूँ तो बस्तर सहित अन्य वनांचल क्षेत्रों में आदिवासी व ग्रामीण वनों पर आधारित जो भी लघु वनोपज हैं, उन पर निर्भर हैं। माननीय मंत्री जी ने वनों में 4500 बोनस देने की जो बात की थी, मोदी की गारंटी में ये बोनस भी पिछले सवा सालों से आज तक नहीं मिला है और बड़े-बड़े वादे के साथ में बोनस देने वादा किया, वह भी कहीं पर भी पूरा होते नहीं दिख रहा है और सबसे बड़ी चीज बस्तर की बात करूँ तो तैदूपत्ता में जो पिछले पूर्ववर्ती सरकारों से भी नकद भुगतान में जो राशि मिलती थी, उसे पिछले साल से बैंकों के माध्यम से किया गया है, लेकिन बस्तर और बीजापुर क्षेत्रों में अलग ही परिस्थितियाँ हैं। वहां पर जो नगद भुगतान हो रहा है, वहां के क्षेत्रफल के हिसाब से बहुत जरूरी है, क्योंकि पूरे बस्तर और बीजापुर की बात करूँ तो मैं वहां पर बैंकों की बहुत कमी है। वहां पर जिले में सिर्फ 6 बैंक हैं और उन 6 बैंकों में लगभग 60,000 लोगों को वहां पर पर्सनल भुगतान करना संभव ही नहीं है, तो इस तरीके से तैदूपत्ता का जो भुगतान नगद हो, मैं माननीय मंत्री जी से यह मांग करता हूँ। माननीय वन मंत्री जी ने यहां जो प्रस्ताव लाया था। वहां दैनिक वेतन भोगी लम्बे समय से पूरे प्रदेश में कार्यरत हैं। उन्हें कैसे नियमित किया जाए, इसका कहीं पर भी उल्लेख वन मंत्री जी के द्वारा नहीं किया गया है। वे विगत कई वर्षों से

वहां काम कर रहे हैं। बड़े पैमाने पर जो अवैध कटाई चल रही है, उसकी रोकथाम की दिशा में काम करना चाहिए, उसका उल्लेख भी कहीं पर भी नहीं है। मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इस ओर प्रयास करें और वहां पर लगातार जंगली जानवरों को शिकार हो रहा है, उसके रोकथाम के लिए भी उपाय होने चाहिए। जो वन ग्राम हैं वे वर्षों से राजस्व ग्राम में परिवर्तित नहीं हुए हैं, जिसके कारण शासन की योजनाओं का लाभ वहां के लोगों को नहीं मिल रहा है। प्रदेश में सिंचाई की बड़ी आवश्यकता है, हमारा प्रदेश किसानों के प्रदेश के रूप में जाना जाता है। लेकिन सिंचाई के क्षेत्र में जो विकास होना चाहिए, वह पहले से ही बहुत कम है, उसे भी बढ़ाने की जरूरत है। उस क्षेत्र में काम करने की जरूरत है। छोटे-छोटे एनीकट हैं, सिंचाई के साधन हैं, उनके लिए काम करने की जरूरत है। नहर लाइनिंग का काम कहीं नहीं हो रहा है, स्टॉपडेम का निर्माण होना चाहिए, वह भी होता हुआ नहीं दिख रहा है। सभापति महोदय, मैं तेंदूपत्ता की बात कर रहा था। तेंदूपत्ता के लिए स्पष्ट सरकारी नीति होनी चाहिए कि तेंदूपत्ता सरकारी प्रक्रिया से तोड़ेंगे या ठेकेदारी प्रक्रिया से तोड़ेंगे, ये स्थिति भी कहीं स्पष्ट नहीं है। यह नियम हर साल बदलता रहता है जिससे कि वहां के संग्राहक परेशान हैं। वे परेशान रहते हैं कि इस बार क्या होगा? वहां के गरीब आदिवासियों की जीविका का मुख्य साधन तेंदूपत्ता है। मैं कुछ उपलब्धियां आपको बताना चाहता हूं कि तेंदूपत्ता सामाजिक सुरक्षा योजना में आपने 20 करोड़ का प्रावधान किया था इसमें खर्च 0 है, लघु वनोपज संघ में जो अनुदान आपने 30 करोड़ दिया उसमें भी खर्च 0 है। लघु वनोपज प्रसंस्करण हेतु अनुदान 12 करोड़ रूपए का प्रावधान था, इसमें भी खर्च 0 है। आपको जो बजट मिल रहा है वह खर्च होना चाहिए, वह नहीं हो रहा है। पिछली सरकार की अपेक्षा इस सरकार में कम खर्च हुआ है। उसके बाद भी गति और ज्ञान की बात कर रहे हैं, यह कैसा गति है? जो प्रावधान पिछले वर्ष किये गये थे उसमें बहुत अंतर देखने को मिल रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से यही कहना चाहता हूं कि जो सहकारिता के क्षेत्र में पैसों के लेन देन के लिए पूरे प्रदेश में सहकारी बैंकों की मांग हो रही है। लेकिन सवा सालों में एक भी सहकारी बैंक कहीं पर भी खोलने का काम इस सरकार ने नहीं किया है। धान खरीदी के पैसे के लिए किसानों को लाईन लगाना पड़ता है। हमारी सरकार के द्वारा पिछले सत्र में जो सहकारी बैंक खोले गए थे, उसके अलावा इस सत्र में सरकार द्वारा एक भी सहकारी बैंक खोलने का प्रावधान नहीं किया गया है और जो सहकारिता के क्षेत्र में विधायक के साथ खड़े होकर मंत्री बोलते हैं कि हमने धान खरीदी केन्द्रों के बारे में की थी और मोदी गारंटी में बात हुई थी कि हर पंचायत में धान खरीदी केन्द्र खोलेंगे, पंचायतों में नगद भुगतान का प्रावधान होगा। पिछले सवा सालों में किसी भी पंचायत में धान खरीदी केन्द्र न तो खोला गया है और न उन पंचायतों में धान का पैसा देने का प्रावधान इस सवा साल में किया गया है। सहकारिता के लिए माननीय सदस्यों ने भी लगातार बात रखी थी कि किस तरीके से अवैध धान खरीदी की जो शिकायतें प्राप्त हो रही हैं, उन पर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। वह समस्या दिनोंदिन बढ़ती जा रही है। पिछली सरकार के अपेक्षा इस सरकार

में बड़े पैमाने पर अवैध धान खरीदी का काम हुआ है और शक्कर कारखाने की स्थिति आप देख ही रहे हैं। प्रदेश में संचालित जो शक्कर कारखाना है, वह आर्थिक रूप से कमजोर स्थिति में है, उसको भी ठीक करने के लिए सरकार इन सवा सालों में कोई काम नहीं कर रही है। मैं कौशल विकास की बात करूँ तो युवाओं को सवा साल में कई प्रकार से ठगा गया है, हमारी सरकार बनेगी तो हम सभी युवाओं को रोजगार देंगे, पूरे विभागों में भर्तियाँ निकालेंगे, शिक्षकों की 33 हजार भर्तियाँ होंगी, ऐसे बड़े-बड़े वादे मोदी की गारंटी में की थी, इन सवा सालों में एक भी वादा युवाओं के साथ पूरा होता हुआ नहीं दिख रहा है। चाहे बेराजगारी भत्ते की बात है, वह भी कहीं पर नहीं है। हम युवाओं को किस तरीके से रोजगार दें सकें, इस दिशा में भी विशेष कार्ययोजना बनाकर काम करने की जरूरत है। हम ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा से ज्यादा ITI खोलें, ITI के सभी ट्रेडों को खोलना चाहिए, हम वहाँ के अनुकूल क्या अच्छा काम कर सकते हैं, वहाँ स्थानीय स्तर पर लाभ हो, उसको खोलने की जरूरत है। हम उनको कैसे रोजगार दें, उसकी स्थिति भी स्पष्ट नहीं है। मैं हमारे माननीय जल संसाधन मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि आपने इस बजट में एक भी बड़ी सिंचाई परियोजनाओं की बात नहीं की है। आप भी बस्तर से आते हैं, हम भी बस्तर से आते हैं। पिछले वर्ष में जल संसाधन विभाग का बजट 3165 करोड़ के लगभग था, आपने दिसंबर तक सिर्फ 1419 करोड़ रूपए ही खर्च की है। आप खर्च करने में भी पीछे हैं। कम से कम बजट में जो राशि का प्रावधान है, वह समय पर खर्च हो। मैं माननीय जल संसाधन मंत्री जी से अनुरोध करूँगा कि जो GATI नहीं बढ़ रही है, वह GATI कम से कम बढ़े। उस दिशा में आपको अपने विभाग में काम करने की जरूरत है। हमारी सरकार में वास्तविक रकबा लगभग 13.87 लाख हेक्टेयर था, वह इन सवा सालों में आपकी सरकार के समय घटकर 13.27 लाख हेक्टेयर पर आ गया है। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूँगा कि इन सभी चीजों में वे ध्यान दें।

श्री रामकुमार यादव :- भैया एक मिनट। माननीय मंत्री जी, विधायक जी बोलत रिहिस तेला सुने हव, आपके बस्तर क्षेत्र के विधायक ए। हमर सरकार रिहिस त रकबा ज्यादा रिहिस हे, आपके सरकार में रकबा कम होंगे हे। सभापति जी, मोर क्षेत्र के बात हे, अधिकारी मन भी ए बात ल सुनिहा, पोता मुख्य नहर से जमगहन तक हमर सरकार में टेंडर हो गे रिहिस हे, कलमी मुख्य नहर से सरसरोड नया नहर खने बर टेंडर हो गे रिहिस हे, ओला कैंसल करे के लेटर आए हे। जो पहले हो गे हे, तेला कैंसल मत करिहा। कतका मुश्किल से नहर खनाथे, ओला पाटे के काम नई करना चाहिए, मोर आपसे निवेदन हे। सदन में आप सुन ले हो, अधिकारी मन सुन ले हे, टेंडर हो गे तेला कम से कम खनवा देवव, रकबा कम मत करव, नहर के लिए जो टेंडर हो गे हे तेला कम से कम कैंसल मत करव।

श्री विक्रम मंडावी :- माननीय सभापति महोदय, वन विभाग में कैंपा विशेष मद होता है, उस कैंपा मद में जो राशि का प्रावधान होता है, उसमें हमको सरकार से बड़े पैमाने पर राशि मिलती है, उस पर भी विस्तृत कार्य योजना बनाकर काम करने की जरूरत है, क्योंकि उस मद का उपयोग वन क्षेत्रों में

होता है। जहां पर विशेष परिस्थितियां हैं, उसके आधार पर मिलना चाहिए, वह कहीं न कहीं नहीं मिल पा रहा है, मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि उस पर भी कार्ययोजना बनाकर काम करने की जरूरत है। वन विभाग में अन्य विभागों से भी निर्माण कार्य कराने के लिए NOC लेना पड़ता है, वह समय पर नहीं मिलने की वजह से, बहुत सारे रोकथाम होने की वजह से वहां पर उन क्षेत्रों में काम नहीं हो पाता है, उनको भी कैसे सरल किया जाए उस दिशा में भी काम करने की जरूरत है। मैंने बीजापुर जिले से बात की, वहां पर तेंदूपत्ता का नगद भुगतान हो, वहां हर वर्ष की सबसे बड़ी मांग रहती है, कम से कम उन क्षेत्रों में नगद भुगतान हो, आप इस दिशा में प्रयास करें। बस्तर और पूरे प्रदेश में सिंचाई के क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा काम हो, बड़ी-बड़ी सिंचाई परियोजनाएं या छोटे-छोटे बांध के माध्यम से, एनीकट के माध्यम से सिंचाई का लाभ मिले, उस दिशा में भी काम करने की जरूरत है। सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

समय :

2.00 बजे

श्री धर्मजीत सिंह (तखतपुर) :- माननीय सभापति महोदय, हमारे बहुत ही वरिष्ठ मंत्री बस्तर क्षेत्र के गरीबों का प्रतिनिधित्व करने वाले जल संसाधन मंत्री, सहकारिता मंत्री और वन मंत्री के आलावा उनके पास अन्य जो भी विभाग हैं, उन सभी विभागों की मांगों का समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। सिंचाई किसी भी प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाला एक बहुत-बड़ा माध्यम होता है। मुझे खुशी है कि सिंचाई के क्षेत्र में माननीय केदार कश्यप जी काम कर रहे हैं और उन्होंने बहुत सी योजनाओं के लिए इस बजट में प्रावधान किया है। उनकी गंभीरता इस बात से झलकती है कि भैंसाझार परियोजना, जो आपके समय में शुरू हुई थी और इनके समय में ही वह भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई थी। विधान सभा में जब हम लोगों ने कहा कि आप भैंसाझार परियोजना के लिए चिंता करिये तो यह नवजवान मंत्री अपने सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वहां पर गये, जिसमें प्रमुख सचिव (सिंचाई) भी थे। भैंसाझार परियोजना के स्थल पर ही सारे नक्शा, खसरा, अधिकारियों, ठेकेदारों व जन प्रतिनिधियों के साथ उन्होंने मीटिंग की। उस मीटिंग में मुझे यह अच्छा लगा कि पहली बार मैंने किसी ऐसे अधिकारी को देखा। सुकुमार टोप्पो साहब, जो इनके विभाग के प्रमुख सचिव हैं, उन्होंने उस ठेकेदार को उसकी लापरवाही, गलत काम और लेट-लतीफी के लिए बेतरतीबी से डांटा। इससे हम में थोड़ी सी उम्मीद जगी कि अब हम काम कर पाएंगे और अब उस दिशा में कुछ-कुछ प्रयास शुरू हुए हैं। वह भैंसाझार परियोजना भी जीवनदायिनी है। यदि वह पूरी होगी तो इस प्रदेश के बिलासपुर अंचल, खासकर मेरे विधान सभा क्षेत्र के 70 गांवों में पानी पहुंचेगा, धरमलाल कौशिक जी के क्षेत्र में 30 गांवों और हमारे अटल भाई के क्षेत्र में 1 गांव में पानी पहुंचेगा। पानी इनका है, क्षेत्र इनका है और बांध भी वही पर है, लेकिन उसका फायदा हम लोगों को पहुंचेगा। यह दानी हैं और इनका दान लेकर हम अपना कल्याण करेंगे।

माननीय सभापति महोदय, सिंचाई की व्यवस्था के लिए अटल जी की स्मृति में अटल जी के नाम से एक ऐसी योजना लॉन्च की गई है और जो पुराने प्रोजेक्ट बने हुए हैं, जो छोटे-छोटे काम नहीं हो पाये थे या जहां कहीं पर कोई कमीबेसी रही हो तो उसको पूरा करके उससे भी हम सिंचाई का रकबा बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। जब यह रकबा बढ़ेगा तो निश्चित रूप से खेतों तक पानी पहुंचेगा और पानी पहुंचने से हमारी खेती में पैदावार भी बढ़ेगी। लेकिन इसके साथ ही इस प्रदेश की जनता को पेयजल की आपूर्ति के लिए भी सिंचाई विभाग ने सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। उसके लिए मैं आपको कुछ 2-4 उदाहरण दे सकता हूं। सभी नगरीय निकायों की जल आवर्धन योजनाओं को निकटतम जल स्रोतों से जल आवंटन किये जाने का प्रयास किया जा रहा है। होता यह है कि जो हमारा अंडरग्राउंड पानी का सोर्स रहता है, वह कभी-कभी जब फेल होता है तो बहुत बड़ा क्राइसेस पैदा होता है। लेकिन हमारा जो बांध है, जो कि ऊपर में है और उसमें पानी भरा रहता है, सिंचाई के बाद भी भरा रहता है तो उससे हम लोगों की प्यास बुझाने का काम कर रहे हैं। भारत सरकार, शहरी विकास मंत्रालय द्वारा लागू अमृत मिशन क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 7 नगर पालिक निगमों को विभाग की सिंचाई परियोजनाओं से पेयजल आवंटन की स्वीकृति प्रदान की गई है। प्रोजेक्ट देने के लिए तो कोई तैयार है। PHE प्रोजेक्ट बनाने के लिए भी तैयार है, लेकिन यदि सिंचाई विभाग बांध से पानी लेने की जल की स्वीकृति नहीं देता तो वह प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ पाता और रूक जाता। 63 स्थानीय नगरीय निकायों और जल जीवन मिशन अंतर्गत 44 ग्रामीण समूहों को पेयजल हेतु 483 मिलियन घन मीटर जल आवंटित किया गया है और किया जायेगा। मुंगेली जिले में खुड़िया डेम है, जो तखतपुर से लगभग 50 किलोमीटर दूर है। वहां से भी पानी लाकर तखतपुर में पहुंचाने की स्वीकृति देने की स्थिति में यह विभाग है। हम समझते हैं कि इनकी स्वीकृति के बाद यह प्रोजेक्ट भी लागू होगा और हमारे तखतपुर-मुंगेली और लोरमी को पानी मिल सकेगा। बिलासपुर नगर निगम की आवश्यकताओं को देखते हुए खूंटाघाट बांध, खारंग जलाशय से पानी देना प्रारंभ किए हैं। बहुत बड़ा शहर है, पीने के पानी का कोई स्रोत नहीं है, लेकिन खूंटाघाट बांध के पानी को बिलासपुर नगर निगम में देने के लिए सिंचाई विभाग ने अनुमति दी और उसमें ऐसा हुआ है।

माननीय सभापति महोदय, जब रविन्द्र चौबे जी थे, तब अहिरन से पानी लायेंगे, अहिरन से पानी लायेंगे कहा था, लेकिन आप पानी नहीं ला पाये, पता नहीं क्या प्रयास किये, मैं उस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन खारंग जलाशय में पानी लाने के लिए 910 करोड़ रुपये अहिरन गाजरी नाला रिवर लिंकिंग परियोजना हेतु बजट का प्रावधान किया है। अगर यह होगा तो बिलासपुर, रतनपुर एवं आसपास के क्षेत्र के लिए वरदान साबित हो सकता है। लीलागर नदी के जल को किसानों के खेतों तक पहुंचाने के लिए 2 सौ करोड़ रुपये की लागत से खारंग जलाशय योजना की बाईं तट नहर के आवर्धन हेतु पाराघाट व्यवर्तन योजना से उद्वहन फीडर सिंचाई योजना के निर्माण का बजटीय प्रावधान किया गया है। इस

योजना के निर्माण से खूंटघाट बांध में लगभग 30 मिलियन घन मीटर पानी की बचत होगी, जो जनता के पीने के काम आयेगा। हमारे तखतपुर के सकरी में स्थापति गुड़ नियंत्रण इकाई हेतु 5 करोड़ रुपये की लागत से गुड़ नियंत्रण मोबाइल वेन और आवश्यक नवीन उपकरण के प्रदाय हेतु बजट का प्रावधान किया गया है।

माननीय सभापति महोदय, पिछली सरकार बोधघाट परियोजना के नाम पर बोधघाट की परियोजना को हम साकार करेंगे, हम करायेंगे, हम देखेंगे, करके बड़ी-बड़ी घोषणाएं करने वाली सरकार को हम यह बताना चाहते हैं कि हमारी सरकार प्रेक्टिकल चीजों पर विश्वास करती है। बोधघाट परियोजना, जिसके लिए बड़े-बड़े नेता अपना पूरा जीवन देकर उसको सफल नहीं बना पाये, उसे कांग्रेस की सरकार ने राजनीतिक स्वार्थ के लिए बोधघाट परियोजना को उछाला था, लेकिन अब उस योजना के बदले हमारी सरकार इन छोटी-छोटी योजनाओं को, जो हमारी बांध है, उसकी क्षमता बढ़ाने के लिए छोटी सी राशि से जिनमें सिंचाई बढ़ सकती है, उनको बढ़ाकर किसानों के रकबा को बढ़ाना चाहते हैं।

माननीय सभापति महोदय, महानदी का जल विवाद छत्तीसगढ़ में बहुत दिनों से चल रहा है। पहले सरकारें अलग अलग हुआ करती थी, लेकिन अब वहां पर हमारे भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बने हैं। मुझे सदन को बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारे जल संसाधन मंत्री जी, वहां के माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर इस बात का निवेदन किए हैं कि बहुत शीघ्र ही आपसी तालमेल से इसका निराकरण करें ताकि हम महानदी के पानी का उपयोग करें और उनके हिस्से का जो पानी उनको मिलना है, उसका उपयोग वह करें। इस विवाद के कारण महानदी के पानी का उपयोग छत्तीसगढ़ की जनता के हित में नहीं हो पा रहा है।

माननीय सभापति महोदय, अब मैं एक-दो बात और कहकर सिंचाई विभाग से आगे बढ़ूंगा। बजट में सकरी में एक रेस्ट हाऊस निरीक्षण गृह, आप नाम चाहे कुछ भी दे दें, निरीक्षण गृह ही बोलता हूं ताकि वह बन ही जाये, उसके लिए बजट का प्रावधान था। बाद में पता चला कि उसमें फण्ड नहीं है, ये है, वो है, कहा गया। अब हमको अद-मद नहीं मालूम, हम आपसे सिर्फ यह निवेदन कर रहे हैं कि सकरी में कई सौ एकड़ में सिंचाई विभाग का कालोनी है, जो भैंसाझार के नाम से ही बना हुआ है। वहां पर एक रेस्ट हाऊस बनवा दीजिये। पूरे सकरी में कहीं पर भी जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को बैठने की जगह नहीं है। किसी के चाय के दुकान में या किसी के भजिये के दुकान में बैठना पड़ता है। यह अच्छा नहीं लगता है और मैं इसको कम से कम अपने मिजाज के खिलाफ मानता हूं। वहां पर एक रेस्ट हाऊस की स्वीकृति बजट में भी था, वह 1 करोड़ रुपये में बन जायेगा, बनवा दीजिये।

माननीय सभापति महोदय, घोंघा रेस्ट हाऊस बहुत पुराना है, वह इधर-उधर से तिकड़म से बना हुआ है। सोनमणी वोरा साहब थे, तो वह बनवाये थे। लेकिन आज वह बहुत सुन्दर जगह है। वह सिंचाई के डेम के पहाड़ी में बना हुआ है। अगर आप वहां बैठेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि बहुत बढ़िया कोई

विदेश के पिकनिक स्पॉट पर बैठे हैं, ऐसा महसूस होगा। तो आप उसको थोड़ा ठीक कराने के लिए कुछ पैसा खर्च कर दीजिये ताकि वह ठीक हो सके। आपने भैंसाझार का बहुत बेहतरीन रेस्ट हाऊस बनवाया है। कल मैंने स्पीकर साहब को भी निमंत्रण दिया है। भैंसाझार का रेस्ट हाऊस बहुत अच्छा है, वह बेहतरीन बना है और वहां बहुत शांति एवं सुकून मिलती है। मैं आपसे चाहूंगा कि कुछ पैसे देकर भैंसाझार के ओपन गार्डन में लाईटिंग और फव्वारे का लैंडस्केप कराकर उसको और आकर्षक बना दीजिये, ताकि वहां कोई परिवार के सहित जाये, कभी कोई मीटिंग हो तो वहां इंटर करें तो उनको अच्छा लगे। रेस्ट हाऊस में जाने के पहले बाहर में गार्डन के लिए प्लांटेशन वगैरह की व्यवस्था आप जरूर करा दीजिएगा। हमारे पास एक छोटा सा पुराना डेम खुड़िया (डी), तखतपुर में है। मैं खुड़िया डेम नहीं बोल रहा हूं। खुड़िया (डी) गांव है। मैं चाहता हूं कि वहां पर 50 लाख रुपये की लागत से एक छोटा सा बढ़िया गार्डन, फव्वारा वगैरह बनवा दीजिये, ताकि हमारे लोग वहां पर पिकनिक मना लें। वहां पर जंगल तो नहीं है, लेकिन आपके विभाग में बोलने के बाद भी आपने उस पर ध्यान नहीं दिया है। मैं आशा करता हूं कि आप उसको जरूर ध्यान देंगे। माननीय सभापति महोदय, छत्तीसगढ़ का वन बहुत समृद्धशाली है। सुनने में यह आया है, आपने जैसा बताया है, रिपोर्ट आई है कि यहां वन का क्षेत्रफल बढ़ा है। अगर क्षेत्रफल बढ़ा है तो यह निश्चित रूप से वन विभाग की सक्षमता का प्रतीक है। छत्तीसगढ़ राज्य जैव विविधता से समृद्ध प्रदेश है। छत्तीसगढ़ राज्य में वन्य प्राणियों के संरक्षण और संवर्द्धन के लिए 03 राष्ट्रीय उद्यान हैं, 11 अभ्यारण्य हैं, 4 टाइगर रिजर्व हैं, 02 हाथी रिजर्व हैं, 01 मगरमच्छ रिजर्व गठित है और दो चीड़िया घर संचालित हैं। यह वन्य प्राणियों को सुरक्षित और संरक्षित करने के लिए सरकार की योजना का एक अंग है। शेर जिसे आप लोग बाघ बोल रहे थे। चलिये, मैं शेर, बाघ, टाइगर, सब बोल देता हूं। वन विभाग के हिसाब से अचानकमार टाइगर रिजर्व में 13 टाइगर हैं, इंद्रावती टाइगर रिजर्व में 08 टाइगर हैं, भोरमदेव अभ्यारण्य में 03 टाइगर हैं, गुरुघासीदास टाइगर रिजर्व में 06 टाइगर हैं, इस प्रकार 30 बाघ संरक्षित क्षेत्र में विचरण कर रहे हैं। मैंने आज शून्यकाल में बोला कि हमारे तखतपुर के आस एक बाघ आय गया है। वहां जंगल नहीं है, लेकिन पता नहीं कि वह बाघ कहां आ गया है? वह परेशान कर रहा है, हमारे आदमियों को घायल कर रहा है। मैं आपसे चाहूंगा कि वहां रेस्क्यू टीम भेज कर उस शेर को यथा उचित जगह में भेजवाने का कष्ट करें और हमारे लोगों को जान-माल से उसकी रक्षा करिये। आदरणीय सभापति महोदय, हम पक्ष और विपक्ष, जहां पर भी थे, लेमरू एलीफेंट प्रोजेक्ट पर बहुत विरोध किये थे। लेमरू एलीफेंट रिजर्व का जो एरिया है, उसके बारे में बहुत बहस हुई थी। हम लोग भी बोलते थे कि इसका एरिया को छोटा कर दिया गया है, इसको बड़ा कर दिया जाना चाहिए। मंत्री जी, इसमें सही स्थिति क्या है, आप जरूर बतायेंगे। हाथियों को रोकने के लिए कोई छोटी-मोटी जगह काम नहीं आती है। एक हाथी दिन में 22 किलोमीटर तक का भी सफर कर लेता है। यदि 300-300 हाथी चलना शुरू करेंगे तो कहां तक जायेंगे। हाथी जैसा संवेदनशील जानवर शायद ही इस

दुनिया में कोई जानवरी होगा। मैंने एक बार पहले भी कहा था और आज भी बता रहा हूँ कि हाथी के पैर में जो गद्दे होते हैं, उसमें सेंसर जैसा सेंस होता है। अगर हाथी यहां खड़ा है, मान लीजिये कहीं उस तरफ 2-3 किलोमीटर में ब्लास्ट होगा तो हाथी पलटकर इस दिशा में जाएगा। वह कभी उस दिशा में नहीं आगे बढ़ेगा। अगर हाथी को पटरी पार करना होता है। हाथियों को जंगल में कई बार रेलवे क्रॉसिंग करना होता है तो वह सूढ़ को पटरी के ऊपर रखता है और उसे वह अंदाजा लगता है कि ट्रेन किस तरफ से आ रही है, जब हाथी अपने पैर को रखकर अंदाजा लगा लेता है तब हाथी पटरी को पार करता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि हाथी को कोई करंट से मार सकता है, कोई जहर देकर मार सकता है, लेकिन हाथी पटरी में कटकर नहीं मरता है। यह बहुत कम होता होगा, लेकिन यह जो जहर खुरानी है, वह इसलिये होती है क्योंकि गांव के लोग जब हताश और निराश होते हैं तो उन लोग करंट लगाने और मारने की कोशिश करते हैं। सभापति महोदय, उसका एक ही ईलाज है, उनको मुआवजा पर्याप्त दिया जाना चाहिये। हाथी को मार नहीं सकते हैं, फसल को बरबाद होते देख नहीं सकते हैं, इसका तीसरा विकल्प यह है कि आप उनको मुआवजा दे दीजिए, ताकि वह हाथी को दुश्मन नहीं, बल्कि एक वन्य प्राणी और गणेश भगवान का प्रतीक मानकर उनको सम्मान दे सके। सभापति महोदय, यह लेमरू प्रोजेक्ट बहुत महत्वपूर्ण है, अपने प्रतिवेदन में बताये हैं कि 5 बजे आकाशवाणी से प्रचारित हो रहा है कि हाथी आने वाला है, आप लोग बचकर रहिये। सभापति महोदय, अब यह बताइये कि हाथी सामने खड़ा है, आदमी रेडियो सुनेगा कि हाथी से बचने का इंतजाम करेगा, जबकि जान खतरे में पड़ी हुई है, मुझे बताइये ? सभापति महोदय, आप किसी भी वन विभाग के अधिकारियों से पूछ लीजिएगा, मानलो मेरा एक छोटा सा झोपड़ी है, इस झोपड़ी में इधर मैं रहता हूँ, इधर मेरा खाना बनता है, इधर मैं सोता हूँ, इधर मिलता हूँ, उसको नहीं तोड़ेगा ? हाथी घर को तभी तोड़ता है, जहां चावल, दाल, अनाज, महुआ रखा रहेगा, उसी एरिया को अपने सूँड से तोड़कर उस घर को बरबाद करता है।

सभापति महोदय, उसकी गंध में भी इतनी ताकत है कि जहां पर खाने की चीज है, उसको वह सूँघ सकता है। सभापति महोदय, रेडियो तो प्रचार का एक प्रयास है, यह बोलने में भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैं उसको तरजीह नहीं देता। आप रेडियो में बताते रहिये कि हाथी आया, हाथी गया, हाथी आयेगा, हाथी नहीं आयेगा, यह ठीक है। सभापति महोदय, यह वैसे ही हुआ, जब मैं वहां बैठा करता था। मैं एक क्वेश्चन पूछा कि हमारे इन-इन जानवरों को शेर ने मारा है तो उनको मुआवजा क्यों नहीं मिला ? वहां विभाग के अधिकारी फौरन नक्शा-खसरा खोलकर बैठ गये और बोले कि यह बीट नंबर 20 में नहीं मरा है, इसको इसलिये मुआवजा नहीं मिला। यहां नियम यह बनाये थे कि जो जानवर बीट नंबर 20 में मरेगा, उसको मुआवजा दिया जायेगा, जो बीट नंबर 18 में मरेगा या बीट नंबर 21 में मरेगा, उसको नहीं दिया जायेगा। माननीय सभापति महोदय, अब यह बताइयेगा कि न शेर बीट जानता है, न गाय मरी है उसको बीट मालूम है, हम और आप बीट और शीट बनाते रहेंगे, वह उसको क्या

जानेगा ? सभापति महोदय, अगर जंगल में मरा है तो उसको मुआवजा देना चाहिये । आदमी को प्रेक्टिकल होना चाहिये । अगर एक गरीब का जानवर मर गया है तो आप मुआवजा दे दो ना भाई, कौन सा आपके, हमारे जेब से जाना है ? सभापति महोदय, यह सरकार की व्यवस्था है, लोगों की मदद करने के लिये सरकार बनती है, इसलिये इसमें थोड़ा प्रेक्टिकल होने की जरूरत है । आप प्रयास कर रहे हैं, यह बहुत अच्छी बात है । सभापति महोदय, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान में 58 चीतल और कुल 93 चीतल, वार्टिकल गार्डन नवापारा में 24 जंगली सूअरकोट को ट्रांसलोकेट किया गया है । सभापति महोदय, हमारा छत्तीसगढ़ राज्य का पक्षी पहाड़ी मैना है, यह राज्य पक्षी है । यह बीच में तो गायब ही हो गया समझ रहे थे । आपकी जानकारी से मुझे अच्छा लगा कि छत्तीसगढ़ में इसके संरक्षण, संवर्धन और रहवास तथा विकास की प्रकिया के कारण सुसंगत कार्यों से अच्छे परिणाम निकले हैं और वर्तमान में लगभग 600 से 700 पहाड़ी मैना हमारे छत्तीसगढ़ में देखे जा सकते हैं । सभापति महोदय, पहाड़ी मैना को जिओ ट्रेकिंग कर उसके रहवास एवं व्यवहार का अध्ययन और रिसर्च भी किया जा रहा है । सभापति महोदय, गिद्ध परियोजना की बात है तो मैं जिस विधान सभा में 20 साल तक विधायक था, मैं वहां के औरापानी गांव में गरीबों से मिलने जाता था, एक छोटा सा गांव, पहाड़ियों से घिरा हुआ गांव, उसमें छोटा सा अंग्रेजों के जमाने का बनाया हुआ रेस्ट हाऊस, मैं वहां जब बैठता था तो सामने मुझे गिद्ध मंडराते दिखते थे । मुझे खुशी है कि गिद्ध परियोजना में आपने टाईगर रिजर्व अचानकमार के औरापानी गांव को गिद्ध के संरक्षण हेतु छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम वल्चर सेफ जोन बनाया है । सभापति महोदय, लेकिन यह सिर्फ सेफ जोन से काम नहीं चलेगा, वहां पर उनके लिये और अच्छी क्या व्यवस्था की जा सकती है, उसे कराईये । वहां बहुत पुराने समय से गिद्ध आ रहे हैं । वहां जो रेस्ट हाऊस है, वह अंग्रेजों के जमाने का है, उसको तो कम से कम पुताई-लिपाई, छबाई-मुंदाई, करवा कर अच्छा करा दीजिए, ताकि कभी कोई गिद्ध देखने आ ही जाये तो हमारा इंप्रेशन गिद्ध दिखाने में जितना नहीं बनेगा, उससे ज्यादा इंप्रेशन रेस्ट हाऊस को देखकर खराब हो जायेगा, इसलिये उसे ठीक करना चाहिये । उसी तरह से इंद्रावती टाईगर रिजर्व में 3 प्रजाति के गिद्ध पाये जाते हैं, जिनकी संख्या 150 है । केन्द्र प्रवर्तित टाईगर प्रोजेक्ट योजना में 1 करोड़, 54 रूपए का नवीन मद प्रस्तावित है ।

सभापति महोदय :- और कितन समय लेंगे ?

श्री धर्मजीत सिंह :- 5 मिनट । मुझे भी अपने क्षेत्र के विषय में बोलना है। वैसे मैंने बोल ही लिया है, आप कहेंगे तो मैं अपनी बात समाप्त भी कर दूंगा ।

सभापति महोदय, राष्ट्रीय उद्यानों के संरक्षण-संवर्धन हेतु 23 करोड़, 77 लाख रूपए का प्रावधान है, वाईल्ड लाईफ फारेंसिक लेबोर्टरी और सबके लिए 1 करोड़, 10 लाख का प्रावधान है, हाथी रहवास के विकास योजना के लिए 17 करोड़ हैं, तेंदूपत्ता में हमारी सरकार 5500 रूपए देने के लिए कृत संकल्पित है, जिससे गरीबों का कल्याण होगा, हमारे गरीबों की आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी, उन्हें चरण पादुका भी

देने की योजना है, ताकि वे गर्मी में कांटा-खूंटी और अन्य तकलीफों से बचें और अच्छे से और ईमानदारी से, मेहनत से और ज्यादा काम कर सकें ।

सभापति महोदय, मैं दो-तीन बात कहकर अपनी बात खतम करूंगा । कैम्पा मद के उपयोग को थोड़ा बैठकर प्रेक्टिकल बनाईए । उन्होंने लिख दिया है कि इसी इसी में खर्च होगा । उसको गरीबों के हित में भी बनवाईए न । आप वन ग्राम में सड़क क्यों नहीं बनवा सकते हैं ? जब मैं बहुत पहले कुछ भी नहीं था तो हमारे यहां के रेंजर साहब लोगों को डीएफओ चेक देते थे, 20 हजार का चेक ले जाओ, वन ग्राम बनाओ तो वे मिट्टी मुरम डालकर इस गांव से उस गांव, जो वन का गांव है, उसको वे लोग बनवाते थे । आप उसको पीडब्ल्यूडी से बनने नहीं देते । आप प्रधानमंत्री सड़क बनने नहीं देते । आप मुख्यमंत्री सड़क बनने नहीं देते, आप डामर रोड को रोकवा देते हैं। मिट्टी मुरम डालने नहीं देते, पर मिट्टी की सड़क बनवाने के लिए किसने रोका है ? आप मिट्टी की सड़क क्यों नहीं बनवाते ? मान लीजिए कि केदार कश्यप जी के गांव से विजय शर्मा जी के गांव तक जाना है तो दोनों को मिट्टी की सड़क बनवाकर एप्रोजेबल कर दीजिए । अगर अचानकमार टाईगर रिजर्व में सड़क बनी हो तो बताईए, अभी चुनाव में मैं स्वयं गया था । अगर सड़क है तो अच्छी बात है, नहीं है तो प्रावधान करिए । एक गांव को दूसरे गांव से जोड़कर मिट्टी की सड़क से जोड़िए, ताकि वहां पर के लोग सम्मान से अपने मोटर साईकिल में, अपने साधन से आ जा सकें। दूसरा, अधिकारी टाईगर रिजर्व एरिया में जाते हैं और बोलते हैं कि इनको बसाहट किया जाएगा । मैं अभी कुछ दिन पहले ही विधान सभा में पूछा था । उनकी व्यवस्थापन के लिए दिल्ली की सरकार से एक रूपए भी नहीं आया है । मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप उनको हटाईए, पर उनको बसाने के लिए पैसा तो लाईए । गरीब लोगों को दो एकड़ जमीन तो दीजिए । उनका घर तोड़ेंगे तो उनको मकान तो दो । बैगा लोग आएं और बैगा लोगों को आप पैसा देकर शहर में नहीं भेज सकते, उनको कब लूटकर [xx] करके भेज देंगे, किसी का ठिकाना नहीं है। एक से बढ़कर एक डकैत घूम रहे हैं । उनकी रक्षा करने के लिए उनको जमीन देनी पड़ेगी, मकान बनाना पड़ेगा । मैं खुड़िया के पास पाँच कालोनी, पाँच गांव बनवाया हूँ। आप जाकर देखिए, उनके लिए आंगन बाड़ी भी है, उनके लिए बिजली भी है, उनके लिए नल भी है, उनके लिए स्कूल भी है, उनके लिए मकान भी है, उनके लिए सी.सी रोड़ भी है, उनके लिख खेती भी है । अगर यह करेंगे तो वे इधर आ जाएंगे । इधर वाइल्ड लाईफ भी सुरक्षित रहेगा, हमारा अचानकमार टाईगर रिजर्व भी बढ़ेगा और अन्य टाईगर रिजर्व बढ़ेंगे । उसके लिए पैसे लाने की व्यवस्था कराईए ।

सभापति महोदय, बिलासपुर में कानन पेंडारी है । सन् 1975 में जब मथुरा प्रसाद दुबे जी वन मंत्री हुआ करते थे, तब से वह बना है । वह 50-60 हेक्टेयर में होगा या एकड़ होगा, जो भी होगा । उसमें कई किस्म की प्रजातियां हैं । मैंने अभी प्रश्न भी किया था कि वहां कितने प्रजाति के जानवर हैं, वह भी आप बतायें । आपने यह भी बताया कि उसमें अंदर में लाईट है, लेकिन उसके चारों तरफ अंधेरा

है। जब मैंने लाईट की बात पूछी तो कानन पेण्डारी वाले का जवाब यह था कि बाउण्ड्री के बाहर अचानकमार टाईगर रिजर्व वाला दिखाईए। यह क्या तारीका है ? वन विभाग है न। ये देखें या वे देखें, वाइल्ड लाईफ की रक्षा करना आपका काम है। अगर वहां आप लाईट नहीं लगाएंगे तो अपराधी वहां घूमते हैं। आज से कुछ साल पहले 22 चीतलों को तलवार से काट दिया गया था। मैं बोल रहा हूं कि वहां पर लाईट लगा दीजिए। लाईट में कितना पैसा लगेगा? सोलर लाईट लगाना है। अगर बाउंड्री में लगाने में दिक्कत है, तो 10 फिट आगे बढ़ाकर लगा दीजिए। उसमें भी दिक्कत है, तो सड़क के उस तरफ लगा दीजिए। वहाँ थोड़ी रोशनी दिखनी चाहिए। अपराधियों से यदि चीतल/जानवर का शिकार करने से बचाना है, तो वहाँ पर लाईट/सोलर लाईट लगाना जरूरी है, साहब, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। मैं तो आपसे यह भी कह रहा हूँ कि वह इतना पुराना जू है, चिडियाघर है, मिनी जू है या जू कुछ तो है, वह मेरे ही क्षेत्र में है, इसलिए इतना बोल रहा हूँ। एक दिन आपके सी.सी.एफ., कलेक्टर, एस.पी. वहीं कानन-पेण्डारी के प्रांगण में, आपके ऑफिस में बैठकर बात करते हैं, जो छोटी-मोटी जरूरत की चीज है, उसे पूरा करा दीजिए, वह सुविधा संपन्न होगा। हर संडे को वहां हजारों लोग जाते हैं। त्यौहार के दिन तो वहां मेला लगता है लेकिन वहां सुविधा का अभाव बाहर में भी है, अंदर में भी है। उसे थोड़ा दूर कर दीजिए। अच्छा इम्प्रेसन पड़ेगा। जोगी जी के शासन में, उस वक्त मैं डिप्टी स्पीकर भी था, मैंने एक स्मृति वाटिका के लिए निवेदन किया था। जोगी जी ने कई सौ एकड़ में स्मृति वाटिका बनाई।

सभापित महोदय :- माननीय सदस्य समाप्त करें।

श्री धर्मजीत सिंह:- सभापति जी, यही समापन है। वह स्मृति वाटिका कई सौ एकड़ की है। उसमें सड़क भी है, जंगल भी है, लेकिन वह चूंकि साफ नहीं है, इसलिए वहाँ सांप है। वहाँ यदि पीने का पानी मिल जाए, वहां यदि एक छोटा सा पैगोडा बन जाए और अगर वहां पर थोड़ी सी सुरक्षा हो जाए, फॉरेस्ट गार्ड वगैरह आ जाएं, उसका बहुत बड़ा फौव्वारा आज भी खड़ा हुआ है, सिर्फ फिट करना है ताकि फौव्वारा गिरे तो लोग वहां पर घूमने जायेंगे। बच्चे जायेंगे, बूढ़े जायेंगे, सब जायेंगे साहब, इसलिए थोड़े से पैसे की व्यवस्था के लिए जब आप भैंसाझार गए थे तो मैं आपसे बोला था, लेकिन अभी तक स्मृति वन के लिए ध्यान नहीं दिया गया है। उसे देखिए।

माननीय सभापति महोदय, आखिरी बात कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। मंत्री जी, मेरी बड़ी दिली इच्छा और मांग भी है, आप पूरा करेंगे, नहीं करेंगे, मैं नहीं जानता, लेकिन आपसे उम्मीद है, यह सोचकर कर रहा हूँ। जैसे रायपुर में जंगल सफारी है, हमारे तखतपुर के पास धूमनपुर के पास भी हजारों एकड़ जमीन है। वहां एक जंगल सफारी बना दीजिए ना। मैकल की पर्वत श्रृंखला की तलहटी में बसा हुआ है। अचानकमार टाईगर रिजर्व भी वहां से लगा हुआ है। ये जो शेर अभी तखतपुर भटकते हुए घूमने आ गया, वह उसी तरफ रह जाएगा और इधर नहीं आएगा। तो वहां पर एक जंगल सफारी के लिए भी मेरा प्रस्ताव है, उस पर विचार करिएगा। जब कभी भी हो, चाहे बड़ा वाला हो, छोटा वाला हो। अब

रायपुर में है, वह तो ठीक है, वहाँ तो उसे नेचुरल क्लाइमेट मिलेगा। जंगल है, बांध है, पानी है, पहाड़ है, कांटा है, खूटी है, वहाँ सब है। शेर को जो-जो चाहिए, अगर कांटा गड़ना चाहिए, तो वह भी है, छांव चाहिए तो वह भी है, पानी चाहिए तो वह भी है, डामर रोड में नहीं चलना चाहता, तो कच्ची सड़क है, वहाँ सब तो है। इस पर एक बार विचार करिएगा।

सभापति महोदय, आपके सिंचाई विभाग में किए गए प्रयास , वन विभाग में किए गए प्रयास की मैं सराहना करता हूँ और चाहता हूँ कि वन्य प्राणियों के साथ ही वनवासियों की भी रक्षा, सुविधा, पीने का पानी, रोजगार की व्यवस्था की जाए। अचानकमार टाईगर रिजर्व में इस सदन में बैठे हुए मैं किसी भी आदमी को यदि भेज दूंगा और दिनभर में उसे सिर्फ 20 रुपए का काम खोजने के लिए बोलूंगा, तो मैं बता सकता हूँ कि शाम तक वह 20 रुपए का काम भी नहीं कर सकेगा, क्योंकि वहाँ कुछ काम ही नहीं है। उनको ऐसी जिन्दगी जीने के लिए हम मजबूर कर दिए हैं कि न तो सड़क है, न मोटर चलती है। वहाँ की बच्चियों के लिए न तो स्कूल है, न वे पढ़ने आ सकते हैं, न उनके लिए कोई सुविधा है। इसे दूर करने के लिए आप समझिए क्योंकि वह गरीब आदिवासी हैं। आपके नेतृत्व में अगर हम उनकी रक्षा नहीं कर पायेंगे, तो बहुत अफसोस होगा। इसलिए आप उसको सोचिए। आपके उत्साह को देखकर, आपके काम के तरीके को देखकर, आपकी मेहनत को देखकर मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि आप अपने तीनों चारों विभाग में अच्छा काम करेंगे।

माननीय सभापति महोदय, सहकारिता बच गया है। सहकारिता में हमारे विजयपुर में एक बैंक खोल दीजिएगा। तखतपुर में एक विजयपुर गांव है, साहब, वहाँ बैंक खोल दीजिये। आप रिजर्व बैंक को पत्र लिख दीजिये कि तखतपुर में कोऑपरेटिव बैंक की एक शाखा खोली जाये या छोटा-सा सहकारी सेवा बचत खाता वाला बैंक खोला जाये ताकि हमारे किसान जो मुंगेली, तखतपुर में भटकते रहते हैं, उनको वहाँ राहत मिले। चाहे जिस मद से भी हो, आप हर कोऑपरेटिव बैंक के लिये प्लान कीजिये। आप गांव के बाहर सुरक्षित जगह में एक अच्छा भवन बनवाईये, जहां पर शेड रहे और पीने का पानी रहे। कोऑपरेटिव बैंक वालों ने कहीं पर भी किराये से 2-3 कमरे ले लिये हैं। वहाँ लोग बाहर खड़े रहते हैं। सरकार की हर योजना की राशि कोऑपरेटिव बैंक के पास जा रही है, चाहे महतारी वंदन योजना हो, चाहे धान का बोनस हो।

सभापति महोदय :- चलिये, समाप्त करिये।

श्री धर्मजीत सिंह :- आप यह सब के लिए थोड़ी-सी कोशिश कीजियेगा। सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिये आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। लेकिन यह बोलना जरूरी था क्योंकि मुझे बैंक खुलवाना भी बहुत जरूरी था। मैं भूल ही गया था। आप मना नहीं करते तो मुझे याद ही नहीं रहता। धन्यवाद। (मेजों की थपथपाहट)

श्री लालजीत सिंह राठिया (धर्मजयगढ़) :- माननीय सभापति महोदय, मैं आदरणीय संसदीय कार्य मंत्री, श्री केदार कश्यप जी के वन विभाग, सहकारिता, जल संसाधन, लघु सिंचाई और सभी विभागों के अनुदान मांग पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। सभापति महोदय, हमारे छत्तीसगढ़ के लिए जल, जंगल, जमीन, तीनों बहुत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि हमारा छत्तीसगढ़ समृद्धशाली राज्य है। हम यहां से बिजली उत्पादन की सबसे बड़ी आवश्यकता हमारे मिनीमाता बांगों डेम, कोरबा से पूरी करते हैं। यहां हमारी विभिन्न नदियां बहती हैं। यहां से महानदी, अरपा पैरी नदी और इंद्रावती नदी बहती है। मेरे क्षेत्र में तो मांड और केलो नदी बहती है और वहां बहुत सारे जंगल पहाड़ हैं, जहां पर बांध बने हुए हैं। इस तरह से हम छत्तीसगढ़ के किसान नहर के माध्यम से खेती बाड़ी करते हैं, सिंचाई करते हैं और आर्थिक रूप से सक्षम होते हैं, जिससे हम अपने परिवार को भी मजबूत करते हैं। इसके साथ ही साथ हम लोग खेती के माध्यम से सरकार को भी मजबूत करते हैं। हम सरकार को अन्न देते हैं और हमारे किसानों के माध्यम से हमारा देश सक्षम हो रहा है। माननीय सभापति महोदय, हमारे यहां मांड नदी है। वह जहां से बहती है, उसके किनारे पर कोयले की खान है। वह मेरे ही क्षेत्र में है। वहां पर एडू माइंस, छाल माइंस ठीक नदी के किनारे लगा हुआ है। वह पर कोयला खुदाई और मिट्टी खुदाई के कारण पहाड़ बन चुका है। यदि हम लोग बरसात के दिनों से पहले उसको नहीं रोकते हैं और उस साइट के काम को सपोर्ट नहीं करते हैं, तो पक्के तौर पर सारी मिट्टी का टाल नदी से बहकर किसानों के खेत में और नहर में पट जायेगा। इस तरह से हमें नदी, नालों का संरक्षण करने की भी आवश्यकता है। सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र के पेलम नाला का एक प्रस्ताव शासन के पास पेंडिंग है, जिसमें सारे एन.ओ.सी. क्लियर हो चुके हैं। वहां पर बहुत पहले नहर बन चुका है, केवल बांध बनाने की आवश्यकता है। वहां पर शासन द्वारा मात्र पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति की आवश्यकता है। वहां पर 8 करोड़ 19 लाख 23 हजार रुपये की आवश्यकता है। यदि इस कार्य को शासन द्वारा प्रशासकीय स्वीकृति मिल जाती है तो वहां पर किसानों को पानी मिलेगा। इसके साथ ही वहां पर जो जंगली जानवर रहते हैं, जैसे वह हाथी विचरण का भी क्षेत्र है, उनको भी पानी मिलेगा और गांव के लोगों को भी सिंचाई की सुविधा मिलेगी एवं वॉटर लेवल भी ऊपर आयेगा। माननीय सभापति महोदय, हमारे क्षेत्र में हाथियों का आवागमन बहुत ज्यादा है। मेरे क्षेत्र में ही नहीं बल्कि अब पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश के सभी जिलों में हाथी पहुंचने लगे हैं। यह बहुत चिन्तन का विषय है। मेरे धर्मजयगढ़ वन मण्डल के बगल, पड़ोस में कोरबा, कटघोरा वनमंडल है। वहां हसदेव अभ्यारण्य जंगल की कटाई होने से सारे हाथी इधर-उधर भटक रहे हैं। यहां हाथियों के द्वारा जो किसानों का फसल नुकसान होता है, उसके मुआवजे की दर बहुत ही कम है। इनके रिकॉर्ड बुक में यह आया है कि किसानों को प्रति एकड़ 9 हजार रुपये मुआवजे की राशि दी जाती है। जिस तरह से शासन किसानों को पैसा दे रही है सरकार के द्वारा प्रति एकड़ 2100 रुपये क्विंटल दिया जा रहा है। अगर हम इसकी कीमत को 2100 रुपये में जोड़े तो उसमें 65 हजार 100 रुपये कीमत होती है तो प्रदेश के किसानों को प्रति एकड़

9 हजार रुपये मुआवजा देने पर, सरकार को सोचना चाहिए। मैं शासन और इस विभाग से यह अपेक्षा करूंगा कि शासन जो किसानों से धान खरीदती है, इस मुआवजे दर को उसके समतुल्य में किया जाये।

माननीय सभापति महोदय, मैं दूसरी बात बताना चाहूंगा कि जब गांवों में हाथी आता है तो वन विभाग की सूचना के आधार पर बिजली विभाग वाले उस क्षेत्र के लाईट को बंद कर देते हैं। मैं शासन और वन विभाग से यह कहना चाहूंगा कि गांवों में सोलर लाईट की व्यवस्था करायी जाये ताकि गांवों के लोग हाथी के आने-जाने को उजाले में देख सकें। वहां पर पानी की व्यवस्था हो। जैसे सोलर टंकी का निर्माण किया जाये। जितनी भी फॉरेस्ट एरिया के गांव हैं तो वहां पर सुबह 7.00, 8.00 बजे लाईट आती है तो गांवों की गृहणी बहनों को सुबह 4.00 बजे पानी की आवश्यकता पड़ती है। वहां पर उनको सोलर लाईट के माध्यम से पानी मिल जाये। मैंने भी उन क्षेत्रों में विधायक निधि से सोलर लाईट लगाने के लिए पत्र लिखा था तो वहां से आपत्ति आ गई कि उन क्षेत्रों में सोलर लाईट नहीं लगा सकते। इसको विभागीय मद से करवाया जाये ताकि उस क्षेत्र के लोगों को रोशनी मिल सके।

माननीय सभापति महोदय, मैं, दूसरी बात कहना चाहूंगा कि वहां पर जो वन समिति है, उसको सख्त निर्देश करें कि वहां के किसानों को टार्च उपलब्ध करायी जाये। क्योंकि आजकल किसान दोनों फसल लेते हैं। नहर, नदियों के किनारे अपने-अपने साधन पर रात को आवागमन करते हैं। उनको टार्च उपलब्ध करायी जाये। उसी तरह मेरे क्षेत्र में कोयले की खदान के साथ-साथ भारत माला की सड़कें भी जा रही हैं और रेल की लाईनें भी जा रही हैं। वहां पर जंगल की अंधाधुन कटाई के कारण पूरे जंगल साफ हो गये हैं। उसमें यह भी एक व्यवस्था की जाये कि जहां-जहां से हाथियों गुजरते हैं या गांवों में जो आवागमन करने के लिए रास्ता है, जहां से ग्रामीण लोग आते-जाते हैं वहां उनको कहीं पर सड़क नहीं दी जा रही है, वहां पर उनको सड़क दी जाये ताकि हाथी भी भारत माला के रोड से और हमारे रेलवे लाईन के नीचे से क्रॉस करके गुजर जाएं, उसमें गांव के लोग भी गुजर सकें। वहां शासन से ऐसी व्यवस्था करना चाहिए। वहां पर जितना अंधाधुंध पेड़ कटाई और वन औषधि वगैरह का नुकसान हुआ है, उसके लिए शासन क्या व्यवस्था कर रही है। मैंने यह पहले भी बताया कि हम लोग जल, जंगल और जमीन के रहने वाले लोग हैं, यह छत्तीसगढ़ की आवश्यकता है। अगर यहां पर जल, जंगल और जमीन का दोहन होगा तो इससे पर्यावरण, जीवकोपार्जन और खेती-बाड़ी पर बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। हमारे आदिवासी लोग वनोपज पर आश्रित हैं। उनके आय के साधन में कमी होगी। इसलिये हमको उन क्षेत्रों में जहां-जहां पर खाली जगह हैं वहां पर वृहद मात्रा में पौधे लगाने की आवश्यकता है। वहां पर जो जंगली-जानवर हैं, गांवों में बंदर-वंदर भी आते हैं, वह भी नहीं आ पाएंगे। उस क्षेत्र के जंगलों में फलदार वृक्ष लगाने की आवश्यकता है। जैसे फॉरेस्ट विभाग नदियों के कछार, किनारे में केले आदि के पौधे लगाती है तो वहीं पर हाथी रह सकते हैं और वह गांवों की ओर नहीं आएंगे।

माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में 2 नाले हैं वहां एक कुकुट नदी है और एक कोरजा नदी है। वहां पर किसान लोग लिफ्टिंग करते हैं। उन दोनों नालों में एरिगेशन के लिए एनीकट वगैरह का निर्माण नहीं हो पाया है। वहां पर नदी का रुकाव नहीं होने से पानी नहीं रुकता है। इसलिए वहां दोनों जगहों पर बांध बनाया जाये ताकि किसानों को पानी मिल जाये और पानी का भी रिचार्ज हो, ऐसी मेरी शासन से मांग है। सभापति महोदय, मैं सहकारिता विभाग में कहना चाहूंगा कि हमारे किसान लोग धान बेचते हैं, उनको हम अच्छी सुविधा देते हैं। मेरे यहां दो तहसील मुख्यालय धरमजयगढ़ और घरघोडा हैं। तहसील मुख्यालय में अपेक्स बैंक है। लेकिन कापू तहसील मुख्यालय से 35 किलोमीटर, छाल तहसील से 40 किलोमीटर दूर है तो दोनों जगहों में अपेक्स बैंक की शाखाएँ खोली जायें ताकि किसानों को पैसा लेने में सुविधा हो। यहां पर ए.टी.एम. मशीन की भी व्यवस्था कर दी जाये तो भी किसानों को राहत मिल जायेगी। जैसा कि अभी किसान 40 किलोमीटर जाकर 1 लाख रुपये का विथड्रॉल फार्म फरता है और उसको 25 हजार रुपये मिलता है। उसका वहां आने-जाने में पूरे दिन भर का समय खराब होता है, वह लाईन में लगा रहता है। इससे उनको सुविधा मिल सके और अपने गांव में ही कुछ दूरी पर ए.टी.एम. में जाकर अपना पैसा निकालें। बैंक में विथड्रॉल भरकर अपना पैसा निकाले और उसके परिवार का काम चल जाये।

सभापति महोदय :- चलिये, आप समाप्त करिये।

श्री लालजीत सिंह राठिया :- सभापति महोदय, दो मिनट लूंगा। मैं अपने क्षेत्र की मांग रख रहा हूं।

सभापति महोदय :- बोलने वालों की संख्या बहुत है, 16-17 लोग और बचे हैं, सब लोग 5-5 मिनट में अपनी बात रखें।

श्री लालजीत सिंह राठिया :- सभापति महोदय, वहां पर अपेक्स बैंक के माध्यम से ए.टी.एम. की व्यवस्था की जाये। दूसरा घरघोड़ा तमनार में अपेक्स बैंक खुला हुआ है, वहां से नजदीक 15 किलोमीटर दूरी में तहसील मुख्यालय घरघोड़ा है, वहां पर हाल ही में अपेक्स बैंक..।

श्री अजय चन्द्राकर :- राठिया जी, आप कहां के बारे में क्या बोल रहे हैं, कौन से विषय में बोल रहे हैं?

श्री लालजीत सिंह राठिया :- सहकारिता में अपेक्स बैंक के बारे में बोल रहा हूं।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप कहां-कहां के बारे में क्या-क्या बोल रहे हैं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। आप खाना खाकर आ जाइये न, तब तक दूसरे लोग बोल लेंगे।

श्री लालजीत सिंह राठिया :- ले बोल लेथव, तहां चल देहू खाय बर।

सभापति महोदय :- राठिया जी, अपनी बात रखिये।

श्री रामकुमार यादव :- भैया, तोला ये सब हा समझ ही नई आये।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप खाना खाकर आ जाइये। माईक में समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या बोल रहे हैं। आप लिखकर लाये हो तो मंत्री जी को दे दीजिए।

श्री रामकुमार यादव :- ये तोला समझ ही नई आये, न विपक्ष के और न पक्ष के।

श्री लालजीत सिंह राठिया :- ले न बाबा में खाय बर जाहूं, बोलन तो दे पहिली।

श्री रामकुमार यादव :- सभापति जी, चन्द्राकर जी को कोई बात समझ नहीं आयेगी। इसीलिए इनको बीच में बिठाकर रखे हैं। न इधर के हे, न उधर के हे इसलिए उनको बीच में बिठाकर रखे हैं।

सभापति महोदय :- चलिये, यादव जी, आप बैठिये। आप एक मिनट में अपनी बात रखकर अपनी बात समाप्त करिये।

श्री अजय चन्द्राकर :- यदि आवाज नहीं निकल रही है तो खाना खाकर आ जाइये।

श्री रामकुमार यादव :- हेडफोन लगा लीजिए।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- चन्द्राकर जी, एक काम करिये न, हेडफोन लगाकर सुनिये न, आपको सब समझ में आयेगा।

श्री रामकुमार यादव :- हाँ, अब समझ में आयेगा, अब इनके खोपड़ी में घुसेगा, अब घुस जायेगा।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति जी, राठिया जी पेंट शर्ट पहनकर आये हैं तो अभी धर्मजीत सिंह जी बात रहे थे कि रामकुमार यादव जी को कोई देखने आने वाला है, रिश्ते की बात चल रही है।

सभापति महोदय :- राठिया जी, आप बोलिये, अपनी बात को रखिये।

श्री लालजीत सिंह राठिया :- सभापति महोदय, मैं बोल रहा हूँ।

श्री रामकुमार यादव :- माननीय सभापति जी, एक मिनट, चन्द्राकर जी बोलिस, तेकर खारित में बोलत हवं। हमन के सरकार रहिस ता ओमर बैठत रहव तो ऐसे लागय कि मंत्री नई हे, एक नंबर के कुर्सी मा चल दिही। लेकिन आज तुंहर दशा ले देखे हयेन ना तो हमन आप ला समझ नई पाये हन। जैसे कि कभी-कभी मन में भ्रमित हो जात हे कि अंडा इसकी, कुकुरी आईस। हमन भ्रमित हयेन। उसी प्रकार के हमला आप ला देख के भ्रमित हन कि छत्तीसगढ़ में आप के का होने वाला हे।

सभापति महोदय :- यादव जी, आप बैठिये।

श्री अटल श्रीवास्तव :- अजय भैया, इसकी शादी की बात चल रही है, एक नहीं मिल पा रही है तो 25-25 की दो का रहा है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति जी, मैंने उनको सलाह दे दी है। आज जंगल विभाग वाले भी हैं, जैसे विविधता, पशु विभाग भी देखते हैं। बजट में जो आई.व्ही.एफ. तकनीकी आई है न, आदमी का नहीं लगे तो जानवर से ले लो।

सभापति महोदय :- चलिये, राठिया जी, आप बोलिये।

श्री लालजीत सिंह राठिया :- माननीय सभापति महोदय, मेरी यह मांग है कि घरघोडा में भी ए.टी.एम. अपेक्स बैंक के द्वारा खोला जाये। रायगढ़ जिले में बहुत औद्योगिक क्षेत्र हैं, मेरे यहां भी बहुत सारी माईन्स वगैरह हैं। वहां के जितने भी युवा वर्ग हैं, कौशल विकास के अंतर्गत उनको सरकार कैंप लगाकर सबको बुलाये और वहां जो-जो कार्य करने के योग्य हों उनको ट्रेनिंग दे। जैसे हमारे यहां बहुत सारी टेलर की गाड़िया चलती हैं, जे.सी.बी. चलती हैं। वहां पर आधुनिक यंत्र के बहुत सारे वाहन हैं, वहां पर रेल की लाईनें चलती हैं, इस तरह से वहां उनको तकनीकी ज्ञान की शिक्षा दी जाये ताकि उनका कौशल विकास हो और वहां के लोगों को रोजगार मिले, स्थानीय लोगों को रोजगार मिले।

सभापति महोदय :- चलिए, कुछ और भी मांग होगी तो मंत्री जी को लिखकर दे दीजियेगा।

श्री लालजीत सिंह राठिया :- साहब, मैं दे दूंगा लेकिन थोड़ा सा बोलने तो दीजिये।

सभापति महोदय :- हो गया, आपकी सारी बातें आ गयीं।

श्री लालजीत सिंह राठिया :- माननीय सभापति महोदय, वहां जितने भी माईन्स एरिया हैं, वहां उनको रोजगार खोजना न पड़े। सरकार औद्योगिक क्षेत्र में यह व्यवस्था करे और आई.टी.आई. की व्यवस्था चूंकि मेरे यहां कापू दूरस्थ अंचल क्षेत्र है वहां करायी जाये ताकि वहां के लोग भी सीखें, मैनपाट के नीचे के लोग सीखें, वहां पर सब लोग सीखें, वहां के लोग प्रशिक्षित हों। माननीय सभापति महोदय, सभी लोगों ने शरो-शायरी बोली है तो दो शब्द मैं भी बोल देता हूं। (हंसी) दो शब्द हैं, ज्यादा नहीं है, हरियाली के लिये है, होली भी आ रही है -

हरा रंग हरियाली का, देश की खुशहाली का,

हरा रंग हरियाली का, देश की खुशहाली का,

एक पेड़ जरूर लगाओ, वातावरण हो खुशहाली का। (मेजों की थपथपाहट)

सभापति महोदय :- चलिये, बहुत बढ़िया। श्री किरण देव जी।

श्री रामकुमार यादव :- पेड़ लगाओ लेकिन उसको काटो मत, कोरबा जैसे जंगल को यह जोड़ देना भई।

श्री लालजीत सिंह राठिया :- हां भई, कोरबा जैसे जंगल को काटो मत, यह ठीक है। मोरो इहां अब्बड़ काटे हैं। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने हेतु समय प्रदान किया इसके लिये आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री किरण देव (जगदलपुर) :- माननीय सभापति महोदय, मैं सदन में अनुदान मांग संख्या-10, 17, 23, 45, 47, 57, 75 एवं 28 की चर्चा में माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं।

माननीय सभापति महोदय, मुझे आज बहुत ही प्रसन्नता है कि मैं सदन में अनुदान मांगों की चर्चा में भाग ले रहा हूं। प्रदेश में जिस संवेदनशीलता के साथ आदरणीय मुख्यमंत्री जी और उनके

नेतृत्व में जिस तरीके के कार्यक्रम-योजनाओं के माध्यम से और उनका सतत् क्रियान्वन विकास की दृष्टि से निरंतर पूरे छत्तीसगढ़ में विगत पूरे 14 माह से हो रहा है। इसके लिये मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, हमारे आदरणीय वित्तमंत्री सहित जिस विभाग पर मैं अपनी चर्चा और समर्थन के लिए बोला हूँ। मैं हमारे बस्तर से ही आदरणीय मंत्री केदार कश्यप जी को बहुत-बहुत बधाई देता हूँ, उनका बहुत-बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। इस वर्ष हमारी सरकार बजट के माध्यम से, अपनी कार्ययोजना के माध्यम से भी हमारे छत्तीसगढ़ के निर्माता आदरणीय स्वर्गीय हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटलबिहारी बाजपेयी जी की और इस जन्म शताब्दी वर्ष को अटल निर्माण वर्ष के रूप में मनाने जा रही है और यह जो छत्तीसगढ़ है और चूंकि यह 24 वर्ष का युवा छत्तीसगढ़ है। पूरे छत्तीसगढ़ की जनता को यह सारे कार्य उनकी चिंता की दृष्टि से समर्पित हैं। मैं सीधे-सीधे आज की इस अनुदान और मांगों की चर्चा पर आता हूँ और सबसे पहले वन विभाग की दृष्टि से मैं स्वयं जिस क्षेत्र से आता हूँ। आदरणीय मंत्री जी सहित हमारे सभी और बहुत से सदस्य यहां पर बस्तर के विभिन्न-विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। मैं वन मंत्री जी को बधाई दूंगा कि हमारा जो बस्तर है वह वनों से आच्छादित है, यह हम सब जानते हैं। आदरणीय सभापति महोदय जी भी बस्तर से ही आते हैं, वरिष्ठ सदस्य के रूप में लगातार उनका बहुत अनुभव है और एक बहुत बड़ा भू-भाग वनों से आच्छादित है। विकास को लेकर अनेक संभावनाएं हैं, जो पिछले कई वर्षों से ऐसा प्रतीत हो रहा था और प्रतीक्षारत था। उस दृष्टि से अभी हमारे आदरणीय सदस्य राठिया जी इस बात को बोल रहे थे, मैं उसी से शुरुआत करना चाहूंगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी की भी वही कल्पना, एक विजन, एक पेड़ मां के नाम। मैं बधाई दूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप एक पेड़ मां के नाम की दृष्टि से विगत वर्ष उस योजना के अंतर्गत और छत्तीसगढ़ राज्य में धरती मां एवं जन्मदात्री मां की याद में अपनी धरती मां को भी और हम अपनी मां को भी जिनकी हैं, जिनकी नहीं भी हैं, इस दृष्टि से एक योजना कार्यक्रम के तहत 3,50,73,000 पौधों का रोपण और वितरण किया गया है। न सिर्फ वितरण किया गया बल्कि इस योजना के साथ और सभी चाहे वह सरकारी विभाग हो, चाहे संस्थाएं हों, सामाजिक संस्थाएं हों। हमारी जो महतारी वन्दन से जो हमारी लाभार्थी बहनें हैं, हमारी स्वच्छता समूह की बहनों एवं ऐसे अनेक लोगों को इससे जोड़कर मातृ शक्तियों का सम्मान, उनका गौरव बढ़ाने का जो काम किया है, उसके लिए मैं आदरणीय मंत्री जी को बहुत-बहुत बधाई देता हूँ, बहुत-बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। एक बड़ी योजना किसान मित्र योजना की दृष्टि से और राज्य के वानिकी क्षेत्र के अंतर्गत जो निजी क्षेत्र में हैं, उसमें वानिकी को बढ़ावा दिए जाने हेतु किसान वृक्ष मित्र योजना में वर्ष 2025-26 के बजट में 40 करोड़ रुपये की जो राशि प्रावधानित की गयी है, उसके लिए भी मैं मंत्री जी को बहुत-बहुत बधाई देता हूँ। एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना के संबंध में बीच में प्रश्नकाल में एक-दो बार इस तरीके से प्रश्न भी आये हैं। जो हमारे तैदूपता हितग्राहियों से संबंधित रहता है, मैं बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी अवरोध विरोध के आपके माध्यम से ये

जरूर कहना चाहूंगा कि चरण पादुका योजना बहुत भावनापूर्ण योजना थी और इस योजना को पिछले 5 साल में बंद कर दिया था, लेकिन अभिनंदन, बहुत-बहुत बधाई दूंगा कि इस योजना को फिर से प्रारंभ किया गया है। हमारा बस्तर जैसा क्षेत्र और वनवासी क्षेत्रों में और जो संग्रहणकर्ता हमारे वनवासी आदिवासी भाई बहन हैं, उनकी चिंता करते हुए इस योजना हेतु 50 करोड़ रुपये का ऐसा प्रावधान प्रस्ताव में किया गया है, उसके लिए भी बहुत-बहुत बधाई देता हूँ। तेंदूपत्ता को हम बस्तर में या पूरे छत्तीसगढ़ में कहें तो हरा सोना के रूप से कहा जाता है। तेंदूपत्ता संग्रहणकर्ताओं को 4000 मानक बोरा की दर से बढ़ाकर 5500 करने का जो निर्णय है, इस योजना हेतु 204 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, उसके लिए भी मैं बहुत-बहुत बधाई देता हूँ। ऐसे तेंदूपत्ता सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत 40 करोड़ रुपये का और बजट में प्रावधान किया गया है। जैव विविधता और पर्यटन विकास की दृष्टि से हमारे भानपुरी में जो बस्तर में ही है, परिक्षेत्र में जैव विविधता विकास एवं पर्यटन विकास के तहत जैव विविधता अवलोकन क्षेत्र एवं पर्यटन परिषद निर्माण हेतु राशि 10 करोड़ रुपये प्रावधानित किया है। ये पहली बार और हमारे बस्तर में वन मंडल भानपुरी के अंतर्गत है और इससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। पिछले गत नवंबर के हमारे जो विकास प्राधिकरण की बैठक में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने और आदरणीय मंत्री जी, वन मंत्री जी ने इसकी ओर चिंता व्यक्त की थी और वहां पर यह विषय सार्वभौमिक रूप से आया था। बस्तर के वनों के विषय में बोलू तो आप भी भली-भांति जानते हैं। सभापति जी, बस्तर के वनों की एक विशेषता है। मैं इसको चिन्हंकित करके कहना चाहता हूँ, बस्तर के कोई भी वृक्ष उसकी जड़ से लेकर शीश तक, उसकी टहनियां, उसकी छाल, उसकी पत्ती, उसकी सारी चीजें उपयोग की दृष्टि से मानव समाज को प्राप्त होते हैं। यह अपने आप में बहुत बड़ा विषय है और कांटा रहित ये हमारा बस्तर वनों से आच्छादित है और जिसमें अगर आप पैदल वन गमन की ओर जाएंगे, भगवान राम का वन गमन का ये क्षेत्र है और इसके लिए अनेक प्रयत्न हो रहे हैं, निश्चित रूप से उसको पर्यटन के कॉरिडोर बनाने के संबंध में जो एक विषय आया था, उसके लिए भी मैं अभिनंदन कर दूंगा। क्योंकि अगर पर्यटन के विषय को लेकर हम बात करें तो हम सब जानते हैं कि बस्तर के जो झरने हैं, हमारा चित्रकूट है और ऐसे सभी विविधताओं को प्राप्त किया हुआ क्षेत्र है, पूरा बस्तर चाहे वह बारसूर का क्षेत्र हो, हमारा बस्तर स्वर्ग है। हमारे बस्तर जनजाति का समूह है और कल कल करती हुई वहां झरने हैं, तीरथगढ़ है, हमारा बारसूर से लेकर कैलाश गुफा से लेकर अनेक ऐसे पर्यटन की स्थल हैं, उनको एक कॉरिडोर के रूप में बनाने में वन विभाग की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसको लेकर जो योजना बन रही है, उसके लिए भी मैं बहुत- बहुत धन्यवाद देता हूँ। न सिर्फ पर्यटन की दृष्टि से बल्कि इसके साथ लगा हुआ बस्तर के हमारे वनवासी आदिवासी युवा बेराजेगारों के लिए यह बहुत अच्छा अवसर होगा। आपके माध्यम से पूरे सदन को मैं बताना चाहूंगा। यह हमारे बस्तर के लिए, हमारे छत्तीसगढ़ के लिए गौरव का विषय है। कांगेर घाटी का जो राष्ट्रीय उद्यान है, उसका एक ग्राम है घुड़मारास। यह आज

पूरे विश्व के मानचित्र में और संयुक्त राष्ट्र पर्यटन संगठन ने 60 में से 20 ऐसे ग्राम और ग्रामीण जनों के क्षेत्र का चिह्नंकित किया। यह हर्ष का विषय है क्योंकि यह मेरे ही जगदलपुर विधान सभा क्षेत्र में आता है। कोटमसर से लगा हुआ है, घुडमारास में धुरवा जनजाति के लोग रहते हैं। पूरे देश में एक मात्र गांव का चयन किया गया है वह है घुडमारास। उसके विकास की दृष्टि से यह एक गौरवशाली पल होगा। मैं निवेदन करूंगा कि हमारी जो मूल संस्कृति है, हमारी जो मूल बस्तरिहा अवधारणा है, जिसे देखने के लिए पूरे विश्व से लोग आते हैं। उसका और विकसित किए जाने की दृष्टि से।

स्वास्थ्य मंत्री (श्री श्याम बिहारी जायसवाल) :- सभापति महोदय, आज यह बड़ा सुखद संयोग है कि आज आसंदी पर आप बस्तर संभाग से विराजमान हैं, मंत्री जी भी बस्तर संभाग से और बस्तर संभाग से माननीय सदस्य का भाषण चल रहा है। इसके लिए बस्तर को प्रणाम है।

श्री किरण देव :- आज के विषय में बस्तर को इसलिए फोकस कर रहा हूँ कि आप सहित हमारे आदरणीया लता जी हैं, विनायक गोयल जी हैं, नीलकंठ टेकाम जी हैं, वन मंत्री जी स्वयं बस्तर से हैं। बस्तर को इतने बड़े सिनारियो पर योजना है। मैं तीनों विभागों पर संक्षिप्त में बोलना चाहूंगा, अगर आप अवसर देंगे।

सभापति महोदय :- संक्षिप्त में बात रखिएगा क्योंकि बोलने वालों की संख्या अधिक है।

श्री किरण देव :- एकदम संक्षिप्त में। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के संबंध में मैंने ईको टूरिज्म की बात की। कांगेर घाटी में कैम्पा।

श्री लालजीत सिंह राठिया :- तोरे दल के हे, ओला तो काबर कराथस बबा तैहा?

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, तीन बज रहा है आज अशासकीय दिवस होगा या नहीं होगा या निरन्तरता में चलेगा, क्या है? इस पर आपकी कोई व्यवस्था या सूचना मिल जाए। आखिरी दिन है आज।

सभापति महोदय :- होगा।

श्री अजय चन्द्राकर :- सूचना ही दे दें। होगा या नहीं होगा, क्या है?

श्री किरण देव :- सभापति जी, आपसे आग्रह है कि इस तरह के सारे समय को मेरे समय में काउंट ना करें।

सभापति महोदय :- ये चर्चा के बाद।

श्री धरमलाल कौशिक :- सभापति जी, व्यवस्था दोनों तरफ से बनाई जा सकती है। बोलने वालों की संख्या कुछ कम कर देंगे तो आपका अशासकीय संकल्प भी आ जाएगा।

श्री धर्मजीत सिंह :- किरणदेव जी, ये आपकी चिंता का विषय नहीं है कि वह आएगा या नहीं आएगा, वह आसंदी देखेगी। आप अपना भाषण पूरे फ्लो में बोलिए, हम आपका ही भाषण सुनने आए हैं आज।

श्री संगीता सिन्हा :- सिर्फ अपने क्षेत्र की मांग रख देते हैं ।

सभापति महोदय :- इस चर्चा के बाद आ जाएगा ।

श्री रामकुमार यादव :- हुजूर, आप छत्तीसगढ़ के अमिताभ बच्चन जइसे दिखत हव, आपला कोई डिस्टर्ब नइ करय, डिस्टर्ब करही तो सिर्फ आपके क्षेत्र के मन करत हैं, देख लो आप । आप ये बात ला याद रखिहौ बस ।

श्री किरण देव :- उसी प्रकार से जब कांगेर का विषय आ रहा है तो वर्षा ऋतु में कैम्पा द्वारा कुल 2315 हेक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण किया गया है, जिसमें लगभग 19 लाख पौधे रोपित किये गये हैं । क्योंकि वन और पर्यावरण को संतुलित बनाते हुए कार्य किया गया है । एक समय हुआ करता था बस्तर जलवायु परिवर्तन की दृष्टि से पूरे छत्तीसगढ़ में श्रेष्ठ माना जाता था, इसके लिए भी बधाई दे दूंगा । हमारे 158 देवगुड़ी के संरक्षण के लिए इस वित्तीय वर्ष में 16.22 लाख का व्यय किया गया है, इसके लिए बहुत अभिनन्दन ।

समय :

3.00 बजे

सभापति महोदय, अभी नये वित्तीय वर्ष में 1850 हेक्टेयर में नए क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण का लक्ष्य रखा गया है। आपने कैम्पा मद से 25.83 लाख मानव दिवस में रोजगार उपलब्ध कराने की बात कही है। वनों की प्रबंधन, सुरक्षा देवगुड़ी के संरक्षण के लिए 700 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है, इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा। माननीय सभापति महोदय, हम बस्तर में वनों और अन्य संसाधनों की बात करते हैं तो यह आवश्यक हो जाता है कि वहां किसानों की दृष्टि से सिंचाई की व्यवस्था की भी चिंता करें, क्योंकि हमारे बहुत कम क्षेत्र सिंचित क्षेत्रों में आते हैं, मैं इसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा। माननीय मंत्री जी ने बस्तर में सिंचाई सुविधाओं की विकास की दृष्टि से जो कदम उठाया है, जो निर्माणाधीन योजनाएं हैं, उसको पूरा करने का जो संकल्प लिया है, मैं उसके लिए भी उनकी बहुत-बहुत प्रशंसा और सराहना करता हूं। मेरे ख्याल से ऐसा पहली बार होगा कि बस्तर में विकास हेतु बजट में 203 योजनाओं के लिए 7500 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है, इसके लिए भी बहुत-बहुत धन्यवाद। इससे एक लाख 40 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा में बहुत मदद मिलेगी। हमारे बस्तर क्षेत्रों में कोदो, कुटकी लगाने वाले पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं, उनके लिए बहुत परेशानी है लेकिन जो धरातल जमीन पर गवार क्षेत्र के लोगों के लिए बहुत मदद होगी। बस्तर में पूर्व में 215 करोड़ के 68 कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति जारी कर दी गई है, उसका भी अभिनंदन है। बस्तर में 275 योजनाओं में से 3 लाख एकड़ क्षेत्र में सिंचाई की क्षमता को निहित करके काम किया जाना बहुत आवश्यक होगा जिससे हमारे बस्तर के वनांचल क्षेत्रों में छोटे-छोटे रकबा के किसान हैं, उनको मदद मिलेगी। अपूर्ण योजनाओं के बारे में बात हो रही थी, उसको पूर्ण किये जाने हेतु लगभग 5 हजार करोड़ रूपए अतिरिक्त राशि की भी

आवश्यकता होगी, उसको मंत्री जी ने बजट में प्रावधानित किया है। आप उसको चरणबद्ध रूप से करने का प्रयास कर रहे हैं उसके लिए आपका बहुत-बहुत अभिनंदन है।

सभापति महोदय, मैं जल संसाधन के विषय में अपनी बात रखना चाहता हूँ। हमारे बस्तर की प्राणदायिनी इन्द्रावती नदी है। इसके लिए आपने अनेक काम स्वीकृत किए हैं, मैं उसके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। विशेषकर हमारे जगदलपुर विधान सभा से लगा हुआ बस्तर विधान सभा क्षेत्र है, मैं इसमें कुछ उल्लेख करना चाहूँगा। अनुविभागीय अधिकारी जल मौसम विज्ञान उप संभाग क्रमांक 12 एवं 13 जगदलपुर के कार्यालय हेतु नवीन भवन निर्माण किये जाने हेतु 30 लाख रूपए का प्रावधान किया गया है, ऐसा पहली बार हुआ है। जल संसाधन विभाग में सभी में 30-30 लाख रूपए है। निरीक्षण गृह के लिए भी है। हमारा जो नगरनार है, नगरनार के बैराज के लिए, उद्वहन सिंचाई योजना के लिए 30 लाख का प्रावधान किया गया है, मैं उसके लिए भी माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा।

सभापति महोदय :- चलिए समाप्त करिए।

श्री किरण देव :- सभापति महोदय, आप मुझे दो मिनट दे दीजिए, मैं अपनी बात समाप्त कर देता हूँ। हमारे सभी वरिष्ठ सदस्यों ने 30-35 मिनट, 40 मिनट बोला है।

सभापति महोदय :- आपको बोलते हुए 20 मिनट हो गए। मैं परियोजनाओं का नाम ले लेता हूँ। मैं समझता हूँ कि जो काम हुआ है उसकी प्रशंसा सदन में होनी चाहिए। हाडगुड़ा पोरसीबहार नाला में एनीकट के लिए 30 लाख का प्रावधान है। कोडंगागुड़ा एनीकट उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत 30 लाख का प्रावधान है। मैं इसको सॉट में बोल रहा हूँ। चितलगुड़ा एनीकट के लिए 30 लाख का प्रावधान है। रंधारीदास एनीकट के लिए 30 लाख का प्रावधान है। घाटलॉंगा जो आपके विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत है, उसके लिए भी 30 लाख का प्रावधान है। नगरनार बैराज की मांग बहुत लंबे समय से हो रही थी, इस बैराज के लिए आपने एक करोड़ की राशि का प्रावधान किया है, मैं इसके लिए माननीय मंत्री जी को विशेष धन्यवाद दूँगा। इस तरीके से मैंने अभी तक जितनी भी सिंचाई योजनाएं गिनाई हैं, इससे 4330 हेक्टेयर में सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो सकेगी और जगदलपुर शहर की बात करें तो यह पहली बार हुआ है। जब बाढ़ का समय और बारिश का मौसम आता है तो उसकी चिंता करते हुए आपने बाढ़ नियंत्रण कार्य हेतु 80 लाख रूपये का प्रावधान किया है। उसके लिए भी आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। जगदलपुर की इन्द्रावती नदी के विषय में पर्यावरण सुरक्षा मंच नाम की एक लंबी रैली निकली थी। मंत्री जी आप इससे अवगत होंगे। इन्द्रावती नदी के तटों का जो कटाव हो रहा है। यह हमारी प्राणदायिनी है। यह सिर्फ जगदलपुर की ही नहीं, बल्कि पूरे बस्तर की प्राणदायिनी है। उसकी दृष्टि से आपने इसकी चिंता की और हमारे इस निवेदन को भी स्वीकार किया है। आपने तट रक्षण और बांध प्रबंधन के लिए तत्काल में 80 लाख रूपये का प्रावधान किया है। उसके लिए आपको अभिनंदन है। इस तरीके से सभी

कार्यों के लिए आपके द्वारा 5 करोड़, 50 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है। जिसके लिए मैं बस्तर की जनता की ओर से माननीय मंत्री जी को हृदय से बहुत-बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से हमारे सहकारिता विभाग के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय रखना चाहता हूँ। शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर अल्पकालीन कृषि ऋण। जिस तरीके से छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, रायपुर के द्वारा वर्ष 2024-2025 में फरवरी, 2025 तक प्रदेश के लगभग 15 लाख, 21 हजार कृषकों को 7 हजार, 709 करोड़ रुपये की कृषि ऋण वितरित की गई है। यह रायपुर का विषय है, इसके लिए भी आपको बधाई हो। सहकारी प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षण संस्थान भवन निर्माण हेतु आपने बजट में प्रावधान किया है। कृषकों को शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण प्रदाय करना, यह बड़ा मामला है। कृषकों को शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण प्रदाय करने हेतु ब्याज अनुदान के अनुरूप में वर्ष 2025-2026 में आपने बजट अनुमान में 250 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित किया है। यह वास्तव में हमारे किसान भाइयों को बहुत ही संबल प्रदान करेगा। मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद। मुख्यमंत्री जी की कौशल विकास योजना के लिए भी आपने बजट में प्रावधान किया है। आपने 352 संस्थाओं के लिए 205 शासकीय संस्था एवं 147 अशासकीय संस्था की व्यावसायिक स्वीकृति दी है। उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। हमारे मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना में युवाओं की दृष्टि से आपने अनेक प्रावधान किये हैं और उसके लिए 6 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। क्षमा करेंगे। हमारे 937 युवा प्रशिक्षणरत हैं। इसके लिए आपने 30 हजार युवाओं को योजनांतर्गत विविध कोर्सों के लिए कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। यह बहुत ही प्रशंसनीय है। इस तरीके से विभिन्न योजनाएं हैं।

सभापति महोदय :- चलिये समाप्त करें।

श्री किरण देव :- माननीय सभापति जी, मैं 30 सेकण्ड में समाप्त करता हूँ। छत्तीसगढ़ के विकास के दृष्टिकोण से ये जो 3 विभाग हैं। वन विभाग, सहकारिता विभाग और सिंचाई विभाग की दृष्टि से आपने बजट में प्रावधान किया है। उसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत बधाई देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। माननीय सभापति जी, बजट के समय एक विषय आया था कि हमने ज्ञान और गति बात की थी। हमारा पिछला बजट ज्ञान को समर्पित था और उस ज्ञान को माननीय वित्त मंत्री जी ने इस बजट में गति प्रदान करने की दृष्टि से प्रावधान किया है। आज हमारे माननीय मंत्री केदार कश्यप जी ने अपना जो पूरा अनुमान दिया है और उसके लिए आपने इसको जोड़ते हुए जो सुगम रास्ता बनाया है, उसके लिए मैं आपको अभिनंदन करता हूँ। मैं इस सुगम को भी परिभाषित करता हूँ। सु से शासन, ग से गतिशीलता और म से मूल्य आधारित। आपने जो ये योजनाएं बनाई हैं और उसके लिए जो बजट प्रावधानित की है। उसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत बधाई दूंगा। सभापति महोदय, मैं छोटे-छोटे दो विषयों के लिए मंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापित कर लूंगा और आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का

ध्यान आकृष्ट कराकर अपनी बात समाप्त करूंगा। एक तो पहले मैं आपको इस विषय के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा कि हमारे जगदलपुर विधान सभा और उससे लगे हुए बस्तर विधान सभा की बहुत प्रतीक्षारत कुम्हरावण्ड उद्वहन योजना का नहर लाइनिंग का काम बहुत वर्षों से पेन्डिंग था। इसके लिए आपने सिंचाई क्षमता 680 हेक्टेयर के लिए 2 करोड़, 53 लाख रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति को बजट में प्रावधानित की है। इसकी स्वीकृति भी मिल गई है और 335.26 करोड़ रुपये की इस योजना को स्वीकृति दी गई है। मैं इसके लिए माननीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा। साथ ही बस्तर के 2 महत्वपूर्ण विषय बहुत सालों से प्रतीक्षारत हैं, मेरे ख्याल से इसमें सभी सहमत होंगे। माननीय मंत्री महोदय, एक बहुत बड़ा विषय है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से आपकी ओर और सदन का भी ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा। यह हमारे बस्तर का सबसे बड़ा मूल विषय इन्द्रावती नदी पर जोरा नाला का है। मैं आपके माध्यम से इस पर जरूर निवेदन करना चाहूंगा कि आप इस पर बहुत जल्दी समाधान निकालें। मैंने पहले भी कहा है कि इन्द्रावती नदी हमारी प्राणदायिनी नदी है। हमारे पूरे बस्तर को सिंचित करने की दृष्टि से या पेयजल की व्यवस्था की दृष्टि से, पर्यावरण की दृष्टि से, प्रकृति को संतुलित करने की दृष्टि से हम उसे अपनी मां के स्वरूप में बस्तरवासी देखते हैं। इस पर बहुत जल्द निर्णय लेने की आवश्यकता है। जोरा नाला में एक बड़ा कटाव बस्तर की ओर आने वाला है। उसका पानी मुड़कर फिर उड़ीसा में जा रहा है, इस पर दोनों राज्य मिलकर एक टीम बनाकर समाधान निकालिये। नदियों से नदियों को जोड़ने का विषय भी आ जायेगा तो महानदी से जोड़ने का जो उपक्रम है, उसको भी जोड़ा जा सकता है, मेरा इसमें निवेदन है। आ गया है, मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद ज्ञापित करूंगा। आपने महानदी से जोड़ने का निर्णय लिया है। क्योंकि नदियों से नदियों को जोड़ने की अटल जी की सोच थी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस सोच को साकार करने की ओर आगे बढ़ रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, एक और विषय है, जिसको मैंने पिछले समय लगाया था। हमारे सुकमा का जो रोड है, जगदलपुर से सुकमा का मार्ग है, इसमें लगभग-लगभग सारे काम हो चुके हैं। लेकिन हमारे जो कोलेन घाटी का क्षेत्र है, उस पर मैंने पिछली बार भी प्रश्न लगाया था। हमारे मौली पदर से लेकर दरभा तक, एक किलोमीटर तक घाट का सेक्शन है, उसमें 7 किलोमीटर का मार्ग नहीं बन पाता है। वह सिंगल रोड है, बाकी सब डबल रोड है। मेरा माननीय मंत्री जी से आग्रह है। मैंने विभिन्न माध्यम से पता लगाया कि यह काम पी.डब्ल्यू.डी. में क्यों वर्षों से लटका हुआ है, तो यह जवाब आया कि इसमें वन विभाग की स्वीकृति नहीं मिल रही है। यह कोलेन रिज़र्व फारेस्ट में आता है। माननीय सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि पूरा दरभा घाट तक रिज़र्व फारेस्ट का एरिया है, अब उसमें बसें जा रही हैं। उसमें सभी प्रकार के वाहन चलते हैं। डीजल के वाहन भी चलते हैं। यह मुख्य मार्ग से अंदर का मार्ग नहीं है। अगर इसकी वन विभाग से प्रशासकीय स्वीकृति

मिल जायेगी तो निश्चित रूप से अच्छा होगा। यह नेशनल हाईवे है, हमारे उड़ीसा और आन्ध्रप्रदेश को जोड़ने वाली सड़क है।

माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को बहुत-बहुत साधुवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहना चाहता हूँ कि समूचे छत्तीसगढ़ में जिस तरह से अपने विभाग के बजट को समाहित करने के लिए जो प्रस्ताव दिया है, आपके प्रस्ताव का समर्थन करते हुए आपका बहुत-बहुत अभिनन्दन करता हूँ, आदरणीय सभापति जी, आपने मुझे इस विषय पर बोलने का मौका दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, अभिनन्दन। (मेजों की थपथपाहट)

श्री धर्मजीत सिंह :- [xx]

श्री अटल श्रीवास्तव (कोटा) :- माननीय सभापति महोदय, वित्तीय वर्ष 2025-26 के वन, सहकारिता और जल संसाधन विभाग के अनुदान मांगों पर चर्चा करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मैं अपनी बात की शुरुआत वन विभाग से करना चाहूँगा।

माननीय सभापति महोदय, जिस तरीके से हमारे आदरणीय श्रद्धेय धर्मजीत सिंह जी ने अचानकमार का मुद्दा उठाया, मैं जब tourism corporation का चेयरमेन था तो भारत सरकार के पर्यटन मंत्री किशन रेड्डी जी ने सभी राज्यों के अध्यक्षों की बैठक बुलाई थी। जब वहाँ मुझे बोलने का मौका मिला तो मैंने बताया कि हमारे छत्तीसगढ़ में 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं, हमारे छत्तीसगढ़ में 11 अभ्यारण्य हैं, हमारे छत्तीसगढ़ में 4 टाइगर रिजर्व हैं, हमारे छत्तीसगढ़ में 2 हाथी रिजर्व हैं, हमारे छत्तीसगढ़ में 1 biosphere है, हमारे छत्तीसगढ़ में एक crocodile park है। जब मैं भाषण देकर निकला तो 3-4 राज्य के मंत्री मेरे पास आये और बोले कि सच में आपके छत्तीसगढ़ में इतना है। छत्तीसगढ़ आज भी पर्यटन के मानचित्र में टाइगर के मामले में पिछड़ा हुआ है। लोग आज भी कान्हा टाइगर रिजर्व जाना पसंद करते हैं, पन्ना नेशनल पार्क जाना चाहते हैं, जिसमें टाइगर खत्म हो गये थे, आज वहाँ 60 टाइगर हो गये हैं। कहीं न कहीं मुझे लगता है कि हमारा Tiger Conservation Plan सही ढंग से implement नहीं हो रहा है। मैंने माननीय मंत्री जी से इस बारे में बात भी की है कि हमको अचानकमार टाइगर रिजर्व को किसी न किसी तरीके से एक उंचाइयों तक पहुंचाना होगा। अधिकतर यह देखा जाता है कि अचानकमार में कोई भी अधिकारी एक साल के लिए आता है और उसे बदल दिया जाता है। माननीय मंत्री जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि अचानकमार टाइगर रिजर्व की जो टीम है, उसको कम से कम तीन साल काम करने मौका दें, ताकि वहाँ Water Conservation एवं Tiger Conservation पर Plan प्लान हो सके और वह आगे बढ़ सके। आज माननीय धर्मजीत सिंह जी बता रहे थे कि उनके शरण में 6 गांव शिफ्ट हुए थे, जो कि खुड़िया बांध में गया था। आज वहाँ से 19 गांवों के लोग शिफ्ट होने के लिए तैयार हैं। वे लोग पिछले कई सालों से राह देख रहे हैं कि कोई आएगा, लेकिन उसमें एक भी कदम आगे नहीं बढ़ पा रहा है और जब तक वह 19 गांव शिफ्ट नहीं होंगे तब

तक जो आवाजाही बढ़ी है, जो टाइगर और हाथी के बीच द्वंद्व है, वह चालू रहेगा। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि अचानकमार टाइगर रिजर्व बांधवगढ़ और कान्हा से लगा हुआ है, जो अमरकंटक से लगा हुआ है, आप बहुत ही ध्यान से बहुत वहां अच्छे अधिकारियों को भेजकर उनको कम से कम तीन साल का टाईम देंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ क्योंकि मैंने इस देश के लगभग आधे से ज्यादा टाइगर रिजर्व घूम चुका हूँ। हमारा अचानकमार टाइगर रिजर्व लैंडस्केपिंग के मामले में सबसे ज्यादा सुंदर है। उसको केवल एक ध्यान देने की जरूरत है और एक प्लानिंग करने की जरूरत है। सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में ग्राम भैंसाझार डैम है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में तीन बड़े-बड़े डैम हैं, फिर भी दिया तले अंधेरा है कि हमको एक भी पानी नहीं मिलता है। घोंघा जलाशय का पूरा पानी तखतपुर और लोरमी चला जाता है। हमारे एरिया में जो खूंटाघाट डैम बना है, उसका पूरा पानी बेलतरा विधान सभा की सिंचाई करता है। अभी-अभी जो भैंसाझार डैम बना है, उसका भी पूरा सिंचाई का पानी 2500 हेक्टेयर में हमारे पास 6 हेक्टेयर है, लगभग 26 हेक्टेयर तखतपुर और बाकी पूरा बिल्हा क्षेत्र में जाता है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे भैंसाझार के ग्रामवासी हैं, उनको वन अधिकार पट्टा का वितरण नहीं हुआ है। वे कई महीनों से इंतजार कर रहे हैं कि उन्हें वन अधिकार पट्टा मिलेगा। मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक गांव है केन्दा। मेरे विधान सभा क्षेत्र का लगभग 70 प्रतिशत क्षेत्र वनाच्छादित है और वहां लगभग 60 से 70 प्रतिशत आदिवासी लोग निवास करते हैं। वहां एक बड़ी झिरिया गांव है। जब मैं विधायक बनने के बाद वहां पहुंचा तो उन्होंने बताया कि आजादी के बाद से आज तक इस क्षेत्र में कोई विधायक नहीं आया है। वहां पहुंच मार्ग नहीं है। मैं गर्मी के समय में अपनी गाड़ी को खड़ा करके पैदल उस गांव में पहुंचा। वहां सिर्फ 400 लोग निवासरत हैं और वहां पर उरांव जाति के लोग रहते हैं। माननीय मंत्री जी से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वहां पर बिजली पहुंच चुकी है, पर वहां पर सड़क नहीं पहुंची है। मेरा आपसे निवेदन है कि बड़ी झिरिया गांव का एक पार्ट तानाखार विधान सभा क्षेत्र में आता है और वह बड़ी झिरिया गांव मेरे विधान सभा क्षेत्र में भी आता है। वहां आज तक पहुंच मार्ग नहीं बना है। क्योंकि वहां के ग्रामीण लोग पहाड़ के रास्ते से नीचे उतर जाते हैं। उनको वही सरल लगता है, लेकिन मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप बड़ी झिरिया गांव में फारेस्ट की सड़क निर्माण की घोषणा करें। माननीय सभापति महोदय, हम लघु वनोपज की बात कर रहे थे। हमारी सरकार के समय 67 लघु वनोपजों की खरीदी होती थी। इससे हमारे वनांचल क्षेत्र में रहने वाले लोगों की आर्थिक स्थिति सुधरी थी। आपके आंकड़े कहते हैं कि जो कोदो वनोपज था, वह वर्ष 2021-2022 में 1348 लाख रुपये की बिक्री हुई थी, लेकिन वर्ष 2023-2024 आते-आते 421 लाख रुपये हो गई है। कुटकी की 2391 लाख की बिक्री हुई थी, अभी 33.15 लाख आ गई है। रागी 5737 लाख रुपये में बिक्री हुई थी, वह जा 77 लाख रुपये तब आ गई है। महुआ जो 500 क्विंटल तक सेल होती थी, अब वह 157 आ गई है। यह बड़ा सोचनीय प्रश्न है कि हमारे वनांचल क्षेत्र में रहने वाले आदिवासी भाईयों की आर्थिक स्थिति सुधारने का

जो काम था, वह किस कारणों से धीमा पड़ रहा है? क्यों लोग कोदो, कुटकी एवं महुआ वनोपज की तरफ नहीं जा रहे हैं? क्यों महुआ का उत्पादन कम हो रहा है या महुआ का सेल कम हो रहा है? इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। माननीय सभापति महोदय, अब मैं जल संसाधन विभाग के बारे में बात करना चाहूंगा। मैंने बताया है कि जो बांध वह पूरे कोटा विधान सभा क्षेत्र में है और उसकी सिंचाई दूसरे क्षेत्र में होती है, पर कहीं न कहीं किसानों का भला हो रहा है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे यहां लिफ्ट एरिगेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है, वहां पर नहर नीचे हो गई है और जमीन जो है, ऊपर हो गई है। सभापति महोदय, अगर हमारे क्षेत्र में लिफ्ट एरिगेशन हो जाता है, मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि चापी जलाशय अंतर्गत लिफ्ट एरिगेशन के लिये जहां 430 लाख अनुमानित है, वहां आपने 40 लाख दिये हैं। माननीय सभापति महोदय, मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि वहां पर रहने वाले आदिवासी भाईयों को खेती करने के लिये दिक्कतें हैं, हर बार आपके बजट में स्वीकृति नहीं मिलती है, लेकिन इस बार आपने कुछ पैसा दिया है। सभापति महोदय, भैंसाझार उद्वहन सिंचाई लागत जो 400 करोड़ रुपया है, उसका आपने 60 लाख रुपया दिया है, इस बजट में शामिल होने के बाद उसकी प्रशासकीय स्वीकृति मिल जाये। सभापति महोदय, हमारे घोंघा जलाशय के मानपुर लिफ्ट एरिगेशन के लिये भी 4 करोड़ रुपये की जरूरत है, इसमें आपने 60 लाख रुपये दिया है। मेरा आपसे निवेदन है कि जो आपने 60 लाख रुपया दिया है, उसका काम इसी वित्तीय वर्ष में शुरू हो जाये, ताकि वहां के किसानों को फायदा हो सके। सभापति महोदय, सलका व्यपवर्तन योजना में मुख्य नहर जो कि लमकीन पारा की उद्वहन सिंचाई परियोजना है, जहां पर 4 करोड़ 80 लाख रुपया की जरूरत है, आपने वहां भी 60 लाख रुपया दिया है, आपसे निवेदन केवल यही है कि इस बजट में उसका काम शुरू हो जाये। सभापति महोदय, खोंगसरा व्यपवर्तन योजना में ग्राम कुनचरा के डूबान में आने वाले 29 किसानों का आज तक भूमि का मुआवजा नहीं मिल पाया है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जो 29 किसान हैं, उनको मुआवजा मिल जाये। वर्ष 2008 के डाइबछाली जलाशय परियोजना के नहर निर्माण में ग्राम डाइबछाली के 16 किसानों को भू-अर्जन नहीं किया गया है। मेरा आपसे निवेदन है कि उन किसानों का भू-अर्जन किया जाये। सभापति महोदय, हमारे सिलदहा में आपने बहुत पैसा दिया है, मैं उसके लिये आपको धन्यवाद देता हूँ, सिलदहा का व्यपवर्तन डायवर्सन नहर बन गया था, उसके नहर का निर्माण नहीं हो पाया था। आपने इस बार बजट में पैसा दिया है, आपको उसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, चूँकि वन विभाग का भी मामला है, मैं हसदेव एरिया में आना चाहता हूँ। जिस तरह से हसदेव क्षेत्र के पेड़ काटे जा रहे हैं, अभी PAKB में लगभग 3 लाख 67 हजार पेड़ काटे जा रहे हैं। PAKB Extention में 6 लाख पेड़ काटे जा रहे हैं और KETE Extention में साढ़े चार लाख पेड़ काटे जा रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, जिस तरह से हसदेव एरिया को उजाड़ने का काम

हो रहा है, वहां का घना वन काटा जा रहा है, जो हमारे छत्तीसगढ़ की जो पहचान है। सभापति महोदय, हमारे जांजगीर जिले के किसानों के आमदनी का सबसे बड़ी आस है, हसदेव एरिया में अगर पानी आना कम हो जायेगा तो पूरा जांजगीर और रायगढ़ जिला सूखा हो जायेगा। यह बात लगातार हो रही है, वहां पर वनों की कटाई चल रही है, क्योंकि नीचे कोयला पड़ा हुआ है। आपको इसको रोकना होगा अन्यथा छत्तीसगढ़ सरगुजा वनों से साफ हो जायेगा। सभापति महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि इसको जो भी परमिशन मिला है, आपकी सरकार 13 दिसम्बर को बनी थी, लेकिन 12 दिसम्बर को वहां के अधिकारी 1 लाख पेड़ काटने की अनुमति देते हैं, इस समय आपकी सरकार का शपथ ग्रहण नहीं हुआ था। सभापति महोदय, जो भी लोग इनके पीछे काम कर रहे हैं, जो छत्तीसगढ़ के 44 प्रतिशत वनों को खत्म करना चाहते हैं, इस साजिश को समझना होगा कि आखिर क्यों उजाड़ने को लगे हैं? सभापति महोदय, अगर कोयला राजस्थान की खदान को दिया गया है, उसमें भण्डारण है, उससे राजस्थान सरकार 15 सालों तक वहां से कोयला निकालेगी। नई खदानें क्यों देना, छत्तीसगढ़ के वनों को क्यों हटाया जा रहा है? माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी जो कि खुद नारायणपुर से आते हैं, खुद बस्तर से आते हैं, आदिवासी संस्कृति को समझते हैं, जल-जंगल-जमीन को समझते हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि हसदेव क्षेत्र के जो पेड़ों की अवैध कटाई हो रही है, यहां लगातार बड़ी-बड़ी मशीनों में गति आ गई है, एक दिन में 1 लाख पेड़ काटे जा रहे हैं, इसको तत्काल प्रभाव से रोका जाना चाहिये। माननीय सभापति महोदय, मैं यहां पर सहकारिता का भी एक मामला बताना चाहता हूँ कि मेरे यहां जो बेलगहना क्षेत्र है, वह कोटा से लगभग 25 किलोमीटर है, केंदा जो 55 किलोमीटर है, हमारे बेलगहना में एक सहकारी बैंक की आवश्यकता है। मेरा मंत्री जी से आग्रह है कि इसके साथ ही तीन धान विक्रय केन्द्र की आवश्यकता है। सभापति महोदय, एक किसान को 55 किलोमीटर बैंक जाना पड़ता है। अभी वहां बैंक की हालत यह है कि 8-8 घण्टे की लाईन लग रही है, वहां किसानों को पैसा उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। मेरा आपसे निवेदन है कि इसका प्रयोजन किया हुआ है, अगर आप बेलगहना में सहकारी बैंक की घोषणा करेंगे, मुझे लगता है कि इससे किसानों को बहुत-बहुत फायदा होगा। सभापति महोदय, मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री धरम लाल कौशिक (बिल्हा) :- माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी के द्वारा विभिन्न विभागों में जो अनुदान की मांगें रखी गई हैं, मैं उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मैं सबसे पहले मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद और छत्तीसगढ़ राज्य बनने के पहले सबसे ज्यादा मात्रा में 1 लाख, 49 हजार मीट्रिक टन ऐतिहासिक धान खरीदी में की गई है, जो एक रिकार्ड है। मैं उसके लिए मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ। (मेजों की थपथपाहट)

माननीय सभापति महोदय, जिस प्रकार से हमने किसानों को सुविधा दी, चाहे वह सिंचाई के क्षेत्र में हो, ऊर्जा के क्षेत्र में हो, खाद्य के क्षेत्र में हो, अन्य सुविधाएं देने के बाद में छत्तीसगढ़ में धान

उत्पादन में वृद्धि दिखाई दे रही है। उनके उपज का सही दाम उनको मिल सके, उसके लिए उन्हें कहीं भटकने की आवश्यकता न पड़े, इस बात को लेकर सरकार के द्वारा जो नीति बनाई गई और नीति बनाने के बाद इस साल आप धान खरीदी की व्यवस्था देखेंगे तो किसानों को न कहीं सड़क में उतरने की आवश्यकता पड़ी, न कहीं प्रदर्शन करने की आवश्यकता पड़ी। किसान जिस प्रकार से धान बेचना चाहे, उस प्रकार से हमारे मंत्री जी के द्वारा व्यवस्था की गई है, वह सराहनीय है। इसलिए मैंने कहा कि मैं मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति महोदय, आपने धान बेचना शुरू किया था तो हमारे विधान सभा क्षेत्र में सबसे पहले बोरे की समस्या आई थी। शुरुआत से टोकन की समस्या आई, हमने धान खरीदी के समय बहुत सारी समस्याओं का सामना किया है।

सभापति महोदय :- संगीता जी, टोका-टाकी न करें।

श्री धरम लाल कौशिक :- सबले ज्यादा खरीदे होए हे, यही ह बचे हे।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सबसे ज्यादा धनहा क्षेत्र मोरे हरे।

श्री धर्मजीत सिंह :- संगीता जी, बोरे की समस्या आयी, तराजू की समस्या आई। अंततः सरकार ने धान की खरीदी कर ली न।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- बड़ी मुश्किल से। धान खरीदने का आप लोगों का विचार नहीं था।

स्वास्थ्य मंत्री (श्री श्याम बिहारी जायसवाल) :- तोर धान तो नहीं बचे हे न खरीदे बर, नहीं तो अभी भी मंत्री जी से आग्रह करबो।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- बचे हे, टोकन के कारण कई इन के धान अभी भी बचे हे।

श्री धर्मजीत सिंह :- जब आपकी सरकार थी तो आप कहां बोलती थीं? सबको चुपचाप दबाकर रख दिए थे। अभी हम लोग सुन रहे हैं।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति जी, माननीय सदस्य कह रहे हैं कि हमारी सरकार थी तो मैं नहीं बोलती थी। मेरी सरकार थी तो कोई मुद्दा ही नहीं था और अब आपकी सरकार है तो मेरे पास मुद्दे ही मुद्दे हैं।

श्री धरम लाल कौशिक :- आपकी सरकार के द्वारा बस किसानों की पिटाई करते थे। माननीय सभापति जी, पिछली बार धान खरीदी की व्यवस्था और अभी की धान खरीदी की व्यवस्था में बहुत अंतर था। जिस प्रकार से किसानों के खाते में सरकार के द्वारा भुगतान किए गए, यदि हम अपने कार्यकाल की सवा साल की बात करें तो इन सवा सालों में किसानों के खाते में 1 लाख करोड़ रूपए की राशि सरकार के द्वारा वितरित की गई है, मैं इसके लिए बधाई देना चाहता हूँ (मेजों की थपथपाहट) किसानों को इतनी बड़ी राशि कभी नहीं मिली। जिस प्रकार से 31 सौ रूपए क्विंटल में 21 क्विंटल धान खरीदी की व्यवस्था की गई, उसके लिए सरकार निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं। धान खरीदी केन्द्र में

मंत्री जी के द्वारा माईक्रो एटीएम के संचालन की व्यवस्था बनाई गई। यदि खरीदी केन्द्र में किसानों को पैसे की आवश्यकता है तो किसानों को बैंक जाने की जरूरत नहीं है, वहीं पर उनको 10-15 हजार रूपए जो उनकी आवश्यकता थी, उस आवश्यकता की पूर्ति खरीदी केन्द्र पर इस बार व्यवस्था बनाकर किसानों के लिए बड़ी राहत देने का काम सरकार के द्वारा किया गया है। कुछ एटीएम भी खोले गए हैं, लेकिन मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूँ। मंत्री जी, आपने अच्छी व्यवस्था बनाई है, लेकिन अभी बैंकों में भीड़ लग रही है और किसानों को दिक्कत आ रही है। हमारे पथरिया में 153 गांव में केवल दो बैंक हैं, वहां पर आपको एक ब्रांच खोलने की आवश्यकता है। हमारे बिलासपुर जिले के बिल्हा विधान सभा में केवल एक ब्रांच है, इसके अलावा कोई ब्रांच नहीं है। इसके कारण किसानों में इस बात का असंतोष आता है कि हम सबेरे से सायं तक खड़े रहते हैं और हमको पैसा नहीं मिल पा रहा है और जो रात को गए हैं, वह पैसा लेकर आ जाते हैं। इस व्यवस्था को यदि आपको दुरुस्त करना है, तो एक तो आपको ब्रांच की संख्या बढ़ानी पड़ेगी और दूसरा आपको ए.टी.एम. की व्यवस्था करनी चाहिए। हमारे यहां ए.टी.एम. बहुत कम हैं। ए.टी.एम. की कमी के कारण हमारे किसानों को पैसे की आसानी से उपलब्धता नहीं है, जिसके कारण किसानों में इस बात को लेकर असंतोष दिखाई देता है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूँ कि इन दोनों व्यवस्थाओं को जितनी जल्दी हो सके, उसमें आपको सुधार करने की आवश्यकता है। हम लोगों ने पहले किसानों की हालत देखी है कि वे 15-16% ब्याज पर कर्ज लेते थे और अदायगी पर उन्हें मूल से ज्यादा ब्याज देने की आवश्यकता पड़ती थी।

समय:

3.31 बजे

(सभापति महोदय (श्री धर्मजीत सिंह) पीठासीन हुए)

सभापति महोदय, जब केन्द्र में हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार बनी, तो जो 14-15% ब्याज देने की स्थिति थी, उसे 9% पर लाया गया। 9% के बाद यहाँ पर इसे 6%-7% किया गया, फिर 1% किया गया और आज हमारे किसानों को अल्पकालीन ऋण 0% ब्याज पर उपलब्ध कराया जाता है। ये हमारी सरकार की बड़ी सफलता है, क्योंकि पहले हमारे किसान ब्याज से लद जाते थे। उनको 0% ब्याज पर लोन देने से उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है। किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड बनाया गया। आज हमारे किसान क्रेडिट कार्ड लेकर ऋण लेते हैं और समय पर उस ऋण को पटा देते हैं।

माननीय सभापति महोदय, किसानों की हालत के बारे में चाहे उर्जा के क्षेत्र में मैं कहूँ, जिस पर बाद में चर्चा करेंगे, सिंचाई के क्षेत्र में कहें और आज किसी भी क्षेत्र में हम कहें, तो यदि किसानों की प्रगति, आर्थिक स्थिति को बदलने में किसी ने काम किया है, तो वह भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मैं इस सरकार और हमारे मंत्री जी को इसके लिए बधाई देना चाहता हूँ।

माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी, आपके किसान राईस मिलों की संख्या 29 है। मुझे नहीं मालूम कि हमारे कितने किसान राईस मिल चल रहे हैं, कितने बंद हैं। दो-चार जगह तो मुझे मालूम है कि लोग उसे संचालित कर रहे हैं क्योंकि बहुत पुराने समय से वह लगे हुए हैं। मैं समझता हूँ कि उस पर भी आपको एक बार समीक्षा करने की आवश्यकता है कि आने वाले समय में क्या उन किसान राईस मिलों को नई बनाने की आवश्यकता है या बंद करने की आवश्यकता है। हमारे पास जगह पर्याप्त है, बिजली की सुविधा है, तो हम किसान राईस मिल के माध्यम से, उसे किराये या ठेके पर दें ताकि वह घाटे का धंधा न बने, बल्कि वह हमारी आय का एक साधन हो, क्योंकि वह हमारी पुरानी प्रॉपर्टी है। तो उसे कैसे सहेज कर रखा जा सकता है, इस दिशा में काम करने की आवश्यकता है।

माननीय सभापति महोदय, जल संसाधन विभाग पर बहुत सारी चर्चा हुई है। जल संसाधन विभाग के अंतर्गत हमारे क्षेत्र का जो बड़ा प्रोजेक्ट है, हमारे संभाग की वृहद सिंचाई योजना अरपा भैंसाझार परियोजना है। यह परियोजना पूर्ण हो जानी चाहिए थी, अंतिम सिरे तक उसका पानी पहुंचाकर किसानों को उसका लाभ मिलना था, लेकिन कहीं न कहीं उसमें जिस प्रकार से बीच में रुकावट आई है, वह व्यवधान चाहे हमारे ठेकेदारों के माध्यम से हो, काम करने वाले अधिकारियों के माध्यम से हो, जिसके कारण अभी तक दगौरी शिवनाथ नदी में पानी जो गिरना चाहिए, अभी तक वह पानी नहीं पहुंच पाया है। ऐसे व्यवधान को हमें समाप्त करने की आवश्यकता है। आपने उसका जिक्र किया कि मंत्री जी, अधिकारी और हम सब लोग अरपा भैंसाझार जाकर बैठे थे और बैठकर एक बार उसकी समीक्षा किए और समीक्षा में जो व्यवधान है, उसे समाप्त करने की बात आई थी। लेकिन अभी भी कई जगह उसके टेंडर का काम, कई जगह उसके पार्ट बचे हुए हैं, इन सारे पार्ट का काम जब तक हम पूरा नहीं करेंगे, तो हमारी जो एक वृहद सिंचाई की कल्पना थी कि उससे हमारे किसानों को लाभ मिलेगा, निश्चित रूप से उसमें कहीं न कहीं कमी है। हम इन सारे व्यवधान को समाप्त करते हुए जितना शीघ्र सिंचाई के क्षेत्र में उस पानी का उपयोग कर सके तो निश्चित रूप से किसानों को इसका एक बड़ा लाभ मिलने वाला है। उसमें जो बीच में गड़बड़ियां आयी हैं, आपने भी उस मामले को रखा है और हमने भी रखा है। सभापति महोदय, अभी एक मामला आया है, उस आपने देखा है। यह जो भारत माला परियोजना है, इसमें जो एकड़ के हिसाब से भुगतान होना चाहिए, उसका डिसमिल के हिसाब से भुगतान किया गया। जिससे उसमें सरकार की लागत बढ़ गयी। मुआवजे की जो लागत आयी है, वास्तविक में उसकी आवश्यकता ही नहीं थी। चंद लोगों के द्वारा अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए कुछ अधिकारियों से मिलीभगत करके उसमें अनियमितता बरती गयी, जिसके कारण आज एक डिप्टी कलेक्टर को सस्पेंड किया गया है। मैं समझता हूँ कि प्रदेश में पारदर्शिता लाने की आवश्यकता है। हम जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं तो इसमें भी हमें सक्रिय होने की आवश्यकता है। जिस प्रकार से आस-पास में एकड़ की जमीन को भाव में छोड़कर, डिसमिल में लाकर और असिंचित को सिंचित बनाने का जो काम किया गया है, उसमें भी कार्रवाई करने

की आवश्यकता है। ऐसे अधिकारियों को बखशा नहीं जाना चाहिए, छोड़ा नहीं जाना चाहिए, बल्कि उनके ऊपर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए ताकि आने वाले समय में जो इस प्रकार के करप्शन किये जाते हैं, हम उसको रोक सकते हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं इसके अलावा मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारी अटल आवास योजना, अधूरी जल सिंचाई योजना और हमारे जो प्रोजेक्ट अधूरे हैं, उनके कहीं पर 50 प्रतिशत काम हो गये हैं, कहीं पर 60 प्रतिशत काम हो गये हैं और कहीं पर 70 प्रतिशत काम हो गये हैं। उनके काम बीच में रुक गये, जिसके कारण उसकी लागत में वृद्धि हो गई और महंगाई बढ़ गयी। लागत में वृद्धि होने के कारण आज हमें विचार करना पड़ रहा है कि हम उस काम का क्या करें। लेकिन आपने बहुत अच्छा निर्णय लिया है कि हमारे जो ऐसे अपूर्ण प्रोजेक्ट्स हैं, उन प्रोजेक्ट्स को प्राथमिकता के साथ पूर्ण करना चाहिए, जिसके लिये आपने बजट में बड़ी राशि रखी है। मैं समझता हूँ कि हम कम लागत में किसानों को ज्यादा फायदा पहुंचा सकते हैं। हम कम लागत में सिंचाई में वृद्धि कर सकते हैं। आपने उसके लिये जो प्लानिंग की है, मैं उसके लिये आपको और आपकी सरकार को बधाई देना चाहता हूँ। (मेजों की थपथपाहट) हमारी दूर दृष्टि की सोच होनी चाहिए। जब हम उस योजना में पूंजी लगा ही चुके हैं तो आखिर हमको उसका लाभ क्यों नहीं मिल रहा है ? आपने इन सारी योजनाओं की समीक्षा करके उनके लिए प्रयास किये हैं। आपने उसमें पथरिया बैराज का कार्य भी शामिल किया है। मनियारी बैराज के केनाल का कार्य भी बचा हुआ है, आपने उसको भी शामिल किया है। जब मैंने ध्यानाकर्षण लगाया तो वह वित्त मंत्री जी का विभाग भी नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने आश्वासन दिया कि हम आने वाले समय में पैसा देंगे। मुझे आज इस बात की खुशी है कि आपने अपना वायदा निभाया है। वित्त मंत्री जी, आपके कारण निश्चित रूप से बहुत सारे क्षेत्रों में हमारे विकास के नये मार्ग प्रशस्त होंगे। (मेजों की थपथपाहट) माननीय सभापति महोदय, हमारे नेता प्रतिपक्ष, महंत जी चले गये। मैं आज उनके लिए सिंचाई के क्षेत्र में बोलने वाला था। मैंने प्रतिवेदन को रात में पूरा पढ़ा है। उसमें ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है, जिसके लिये वित्त मंत्री जी ने बजट का प्रावधान नहीं किया है। मैं उसमें सक्ती जिले के क्षेत्र के बारे में ज्यादा देख रहा था। इसलिए मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूँ कि हमारे मंत्री जी ने आप सब के विधान सभा क्षेत्रों के लिए भी कोताही नहीं बरती है बल्कि वह सिंचाई में हमारे अन्नदाता समान है। हमारे जनप्रतिनिधि किसी भी दल की राजनीति में हो सकते हैं, लेकिन हमारे मंत्री जी ने उनके क्षेत्रों को भी शामिल करने का काम बड़े दिल के साथ किया है इसलिए सिंचाई के क्षेत्र में उनके बजट को सर्वसम्मति से पारित करना चाहिए। मैं आप लोगों से इसके लिए आग्रह करना चाहता हूँ। जब हमारे मंत्री जी बड़ा दिल दिखा रहे हैं तो हमारे जनप्रतिनिधियों को भी बड़ा दिल दिखाना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, हम सिंचाई के बारे में जितनी बातें करें, वह कम है क्योंकि जो हमारे प्रदेश का आधार है, वह हमारे किसान हैं। हमारे किसान का आधार खेती है और खेती में फसल लेनी है

तो सिंचाई आवश्यक है। उसके बिना यह संभव नहीं है। इसलिए उस क्षेत्र में जो महती काम हुआ है, मैं उसके लिये प्रशंसा करता हूँ।

माननीय सभापति महोदय, हमारा जो संसदीय कार्य विभाग है। यदि संसदीय कार्य विभाग में हमारे अधिकारी कोई पत्र लिखें तो उसका जवाब आना चाहिए। अगर उस पर विभाग द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया है तो उसके लिए निर्देशित किया जाना चाहिए। हमारे जनप्रतिनिधि लोग अधिकारियों से फोन पर बात करना चाहते हैं, क्षेत्र के लोग उनसे बात करना चाहते हैं। यदि कोई अधिकारी बात नहीं कर रहे हैं तो आप उन अधिकारियों को निर्देशित करें कि वह जनप्रतिनिधियों से बात करें। हालांकि मेरे फोन का अधिकांश अधिकारी जवाब देते हैं। मेरी उनसे बात हो जाती है, लेकिन सामान्यतः यह सदस्यों की समस्या रहती है। यदि हम जनप्रतिनिधि हैं और हमारे पास लोग अपनी समस्याओं को लेकर आ रहे हैं तो वह, अधिकारियों के सामने उन समस्याओं को रखकर, उनका निदान कर सके।

माननीय सभापति महोदय, मैं दूसरी बात कहना चाहूंगा कि यहां पर सदन में मंत्रियों के द्वारा जो आश्वासन दिये जाते हैं, यहां उनके द्वारा यह कहा जाता है कि मैं इसे दिखवा लूंगा, इस कार्य को कर लूंगा। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, यहां पर माननीय मंत्रियों के द्वारा जो आश्वासन दिये जाते हैं, किन्तु दूसरा सत्र आने के बाद भी उन आश्वासनों पर क्या कार्यवाही हुई है, इसका कोई अता-पता नहीं रहता है। आप संसदीय कार्य मंत्री हैं इसलिए मेरा आपसे आग्रह है। यदि किसी भी माननीय सदस्य के प्रश्न के जवाब में माननीय मंत्रियों के द्वारा आश्वासन दिया जाता है, तो वह आश्वासन पूरे होने चाहिए। उसके लिए संबंधित विभाग के जो भी अधिकारी हैं, उनको निर्देशित करें।

सभापति महोदय :- आपको 15 मिनट हो गये हैं। अपनी बात समाप्त करें।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय सभापति महोदय, मैं दो-तीन मिनट में समाप्त कर देता हूँ।

माननीय सभापति महोदय, इस सदन में माननीय मंत्रियों द्वारा दिये गये आश्वासन कोरे न रहें बल्कि उन आश्वासनों पर कार्यवाही हो और आश्वासन पूर्ण हो। आपको इसके लिए भी उसमें ध्यान देने की आवश्यकता है। माननीय मंत्री जी के पास वन विभाग भी है। उसके बाद युवाओं को खासकर रोजगार, रोजगार हेतु प्रशिक्षण देने के लिए जो लाइवलीहुड कॉलेज हैं, आई.टी.आई. हैं, इनसे जुड़े हुए बहुत सारे टेक्निकल विभाग हैं, उसमें जो पदों की रिक्तता है। उन पदों की पूर्ति हो जिससे उनका प्रशिक्षण नियमित रूप से हो सके। जब नियमित रूप से उनका प्रशिक्षण होगा तभी यह यहां पर दिखेगा कि हम उनको कितना रोजगार देने में सफल हुए हैं या वह स्वयं अपना रोजगार शुरू कर सकें। सरकार या विभाग के द्वारा जो उनको रोजगार देने की पहल की गई है। मैं यह महसूस करता हूँ कि उसके लिए हमें काम करने की आवश्यकता है। इसलिए हमारे यह लाइवलीहुड कॉलेज का केवल नाम के लिए ही न रह जाये बल्कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा इन लाइवलीहुड कॉलेजों को प्रारंभ किया गया था। आज इस दिशा में एक बड़ा काम करने की आवश्यकता है। आपने आई.टी.आई. के क्षेत्र में खासकर

उसे अपग्रेड करने के दिशा में इस बजट में बहुत सारे प्रावधान किये हैं। आपने नये आई.टी.आई. खोलने और भवन के लिए भी प्रावधान किया है। मैं, आपको उसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ, लेकिन उसके साथ जो भी कमियाँ हैं हम समय रहते उन कमियों को ठीक कर सकें। ताकि हमारे युवाओं को उस दिशा में आगे बढ़ने का अवसर मिल सके। निश्चित रूप से इसमें जो उनकी अपेक्षाएं रहती हैं, आपके माध्यम से सरकार के द्वारा उन अपेक्षाओं की पूर्ति हो सके। मैं, आपसे इसके लिए आग्रह करना चाहता हूँ।

माननीय सभापति महोदय, मैं वन विभाग पर कहना चाहूंगा। आपने यहां पर बहुत सारी बातें रखी हैं। यहां पर हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री किरण देव जी ने भी बहुत सारी बातें रखी हैं इसलिए यहां मुझे बहुत सारी बातें रखने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रदेश में हम जितना वनों लगाने की बात करते हैं। हम लोग प्रत्येक वर्ष अभियान चलाकर वृक्षारोपण करते हैं। उसके बाद यह बात आती है कि हमने इतने करोड़ रुपये का वृक्षारोपण किया है। मुझे ऐसा लगता है कि यदि हम 50 प्रतिशत भी उन वृक्षों को जीवित रखने में सफल हो जाएं तो इस प्रदेश में एक नया जंगल दिखायी देने लगेगा। प्रदेश में केवल वृक्षारोपण करना ही पर्याप्त नहीं है। उसके बाद भी नये पौधे रोपण किये जाते हैं। हमारे नये वन क्षेत्र बनाये जाते हैं उसके साथ में बड़े तादाद् में चाहे बम्बू के क्षेत्र में हो या आपके सागौन के क्षेत्र में हो या अन्य क्षेत्रों में हो। उस क्षेत्र में हम जितना वृक्षारोपण करते हैं, वहां लगातार उतनी वनों की कटाई हो रही है। दूसरा, अब गर्मी का समय आ गया है और इसी समय जंगलों में आग लगती है। पता नहीं, जब हमारे जंगलों में आग लगती है तो इस कारण से हमारे बहुत सारे जंगल खाली हो जाते हैं। यह हमारा जरिया न बन जाये कि जंगल में आग लग गयी। वहां पर हमारे जंगल पेड़ों से रहित हो जायें। उसमें कठोरता के साथ कार्यवाही करने की आवश्यकता है। क्योंकि हम लोग लगातार देख रहे हैं कि हमारे जो जंगल घने होने चाहिए, घने होने के बजाय हमारे जंगलों में जो अवैध कटाई हो रही है, आज के समय में उस अवैध कटाई को रोकना बड़ी आवश्यकता है। आपने कानन पेन्डारी जू के रखरखाव के लिये, लाईट के लिये बजट में बात की है। निश्चित रूप से बिलासपुर अंचल के लोगों के लिये नहीं, बल्कि वहां पर आस-पास के लोग भी बड़ी संख्या में आते हैं, हम हर शनिवार, रविवार और कोई भी त्यौहार में देखेंगे तो वहां पर बड़ी संख्या में लोग आते हैं। क्योंकि हमारे यहां आस-पास ऐसा कोई जंगल सफारी नहीं है जहां पर लोग बच्चों के साथ में जायें। इसलिए आप उसकी जितनी सुरक्षा करेंगे, वहां पर रखे गये जानवरों की सुरक्षा करेंगे और उसके लिए आप जितना ज्यादा बजट देंगे, मैं समझता हूँ कि उसका लाभ उस पूरे अंचल को मिलने वाला है। सभापति महोदय, अभी अजय चन्द्राकर जी देख रहे हैं, उनका अशासकीय संकल्प भी आने वाला है। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए मैं माननीय मंत्री जी की अनुदान मांगों का समर्थन करते आपने जो बोलने का समय दिया, उसके लिए धन्यवाद जापित करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ।

सभापति महोदय :- श्रीमती संगीता सिन्हा जी। आप भी थोड़ा संक्षिप्त में बोलेंगी।

श्रीमती संगीता सिन्हा (संजारी-बालोद) :- माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 10, 17, 23, 45, 47, 57, 75, 28 के विरोध में बोलने के लिए खड़ी हुई हूं। सभापति महोदय जी, आप सभी ने शुरुआत शायरी से की तो मैं भी एक शायरी बोल देती हूं।

न हारेंगे हम हौंसला, इस बात का यकीन रखिये

यूं ही मिट जाना होता तो कब के मिट गये होते।

हम लोग यहां बैठे थे तो मिटाने का प्रयास किया। हमारा छत्तीसगढ़ राज्य धान का कटोरा कहलाता है। धान का कटोरा 5 साल था। अभी तो मुझे यह लगता है कि सिर्फ कटोरा रह गया है धान तो दिखता ही नहीं है। सभापति महोदय, हमारे वरिष्ठ साथी ने इस साल की धान खरीदी के बारे में बोला। मैं इसमें बोलना चाहती हूं कि जब धान खरीदी शुरू हुई तो मैं शुरुआत के एक सप्ताह के समय के बारे में आपको बता देती हूं। महज 4 या 5 दिन हुए होंगे और हमारे यहां 50 प्रतिशत बोरा किसान भाईयों से लाने को कहा गया। जब हमारे पास यह बात आई और हम सोसायटी में गये और जब वहां इस बात को रखा तब बोरे की व्यवस्था की गई। नहीं तो 40 से 50 रुपये में हमने किसान भाई बोरा खरीद रहे थे। उसके बाद धान खरीदी शुरू हुई। उसके दो-चार दिन बाद धान का उठाव नहीं होने के कारण धान खरीदी बंद होने की तादात में थी। उसमें बीच में टोकन की भी समस्या आई। मुझे यह समझ नहीं आया कि धान खरीदने की सरकार की मंशा थी या नहीं ? मेरे विधान सभा में पत्नारी, कोचवई और बहुत सारी सोसायटी बंद चुकी थीं। जब हम उसके लिए आवाज उठाये तब उन सोसायटियों में धान खरीदी की फिर से शुरुआत हुई। यह स्थिति है। किसान भाईयों का 40 किलो लेने का नियम था। उनसे सूखत की वसूली हो रही थी। मैं इस बात को राज्य सरकार को याद दिला देना चाहती हूं कि राज्य सरकार ने सूखत की व्यवस्था नहीं की है। जबकि केन्द्र सरकार की जो नीति है, केन्द्र सरकार सूखत का आधा प्रतिशत देती है। मैं राज्य सरकार से भी निवेदन कर रही हूं कि सूखत के लिए एक व्यवस्था करें ताकि वह किसान से न वसूला जाये।

माननीय सभापति महोदय, उच्चतम न्यायालय ने रजिस्ट्रार को सहकारिता का ब्रम्हा, विष्णु, महेश कहा है। मैं यहां देखती हूं तो रजिस्ट्रार सहकारिता के लिए न ब्रम्हा की भूमिका निभा रहा है और न ही विष्णु, क्योंकि विष्णु देव साय जी की सरकार है, न ही विष्णु देव की भूमिका निभा रहे हैं। मुझे तो लगता है कि [XX]⁵ और वह दिख रहा है। न वह युवा साथी के लिये कुछ किये, न किसान भाईयों के लिये कुछ किये।

वित्त मंत्री (श्री ओ.पी. चौधरी) :- माननीय सभापति महोदय, [XX] मैं इसकी घोर आपत्ति करता हूं। हिंदू सभ्यता में विनाश का जो कान्सेप्ट है, जो डिस्ट्रिक्शन है, वह एक नव निर्माण- नव सृजन के

⁵ [XX] अध्यक्षीय पीठ के आदेशनुसार निकाला गया।

लिए [XX] करते हैं। इस तरह की मानसिकता बहुत ही दुखद है इसके लिए माननीय सदस्या को ऐसे शब्दों को वापस लेना चाहिए।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति महोदय जी, रजिस्टार के ऊपर सचिव होता है और सचिव के ऊपर मंत्री जी होते हैं तो मैं निवेदन कर रही हूँ।

श्री ओ.पी. चौधरी :- माननीय सभापति महोदय, मैं [XX]⁶ की भूमिका पर बोल रहा हूँ।

सभापति महोदय :- क्या आप उसको वापस लेंगी ? [XX] करने वाला बोली हैं।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति महोदय जी, उसमें उनकी जो भूमिका रहती है, मैंने उसके बारे में बात की है। मैंने उसमें कोई आपत्तिजनक बात नहीं की है।

सभापति महोदय :- चलिये, अब वह उस शब्द को रखना चाहती हैं तो रहने दीजिए।

श्री ओ.पी. चौधरी :- माननीय सभापति महोदय, उस रजिस्टार के नकारात्मक डिस्ट्रिक्शन को [XX] के डिस्ट्रिक्शन से जोड़ना बहुत ही आपत्तिजनक तुलना है। इसको सम्मानित सदस्या को वापस लेना चाहिए।

सभापति महोदय :- चलिए न, मैं विलोपित कर देता हूँ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आदरणीय सभापति महोदय, जो भूमिका होती है उसमें बहुत ज़रूरी है कि आप उसमें लगाम बनाएं क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण सहकारी समिति संस्था रहती है, जहां पर धान खरीदी का कार्य होता है जो कि छत्तीसगढ़ में...।

सभापति महोदय :- देखिए, संगीता जी, मैं आपसे एक बात कह दूँ, आप कोई आधा घंटा के लिए भाषण देने के लिये नहीं खड़ी हुई हैं। आप धान से थोड़ा आगे निकलिए, सिंचाई में आइए और कॉंपरेटिव में आइए और दो-दो मिनट बोलकर निपटाइए। अभी 18-18 लोग हैं।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आदरणीय सभापति महोदय, मैं उसी में आ रही हूँ। प्रबंधक का कार्य होता है, अगर हमारे यहां देखें तो 2058 संस्था है, जिसमें 15 प्रतिशत संस्थाओं में ही प्रबंधक पदस्थ हैं मतलब 85 प्रतिशत रिक्त है तो मैं महोदय जी से यह निवेदन कर रही हूँ कि जितने भी अभी 14 महीने की सरकार है तो जितने भी रिक्त पद हैं वहां पर किया जाए, उसको भरा जाए। उसमें प्रबंधक बैठाया जाए। सभापति महोदय जी, मेरे यहां शक्कर कारखाना है उस दिन बोहरा जी का ध्यानाकर्षण लगा था तो मैंने उसमें बात उठायी थी। जो शक्कर कारखाना है, वह अब बंद होने की कगार पर है हैं और हमारा जो महत्वपूर्ण स्थान है। वहां बहुत से मज़दूर, हज़ारों मज़दूर काम कर रहे हैं अब उनको यह डर हो गया है कि अगर शक्कर कारखाना बंद हो जाएगा तो हम जाएंगे कहां ? उनको यह डर है और अगर गन्ना की खेती को बचाना है क्योंकि वैसे भी पानी की बहुत समस्या है। हम पिछली बार पानी की समस्या से बरसात में भी जूझे हैं, अगर हम धान को बंद करते हैं, गन्ना की खेती को बढ़ावा देते हैं तो

⁶ [XX] अध्यक्षीय पीठ के आदेशनुसार निकाला गया।

उसके लिए कारखाना चालू रखना बहुत आवश्यक है तो मैं निवेदन करती हूँ कि हमारे कारखाना को बचा लें क्योंकि कारखाना बंद होने की कगार पर हैं। किसान भाइयों की बहुत ही महत्वपूर्ण मांग है, वह लोग 200 रुपये समर्थन मूल्य की मांग कर रहे हैं और मैं निवेदन करती हूँ कि अगर यहां से घोषणा हो जाए, चूंकि सभी के लिए बजट है। यहां किसान भाइयों के लिए जो गन्ना उत्पादन करते हैं उनके लिए 200 रुपए की राशि अगर प्रोत्साहन राशि में प्रदान की जाए तो बहुत कृपा होगी।

आदरणीय सभापति महोदय, मेरे यहां वन में तेंदूपत्ता तोड़ने जाते हैं वहां एक बहुत छोटी सी समस्या है लेकिन बहुत बड़ी है। मैं छोटी इसलिए बोल रही हूँ कि बात छोटी है और बड़ा इसलिए बोल रही हूँ कि वह गरीबों से जुड़ा हुआ है। माननीय सभापति महोदय जी, अगर हमारे वहां के गरीब लोग, गांव के वनांचल के लोग तेंदू पत्ता तोड़ने जाते हैं या तो महुआ बीनने जाते हैं। उन लोग सुबह 4-5 बजे उठते हैं और महुआ बीनने निकल जाते हैं और वहां भालू ने आक्रमण किया था। भालू रहते हैं और सुबह अटेक करते हैं और भालू से एक हमारे किसान भाई जो महुआ बीनने गया था उसका तो सीधा आंख से पूरा एक तरफ विकलांग ही कर दिया और वह व्यक्ति लगातार मुआवजा के लिए सरकार से मांग करता रहा लेकिन उसको मुआवजा नहीं मिला। मैं इसके लिए हमारे माननीय मंत्री जी को निवेदन करती हूँ कि मंत्री जी इसमें विशेष तौर पर कि यदि गरीब के ऊपर जंगली जानवर आक्रमण करता है तो ऐसी पद्धति करें कि उनको डॉयरेक्ट मुआवजा मिल सके। उनको घूमने या घुमाने यानी आज तक वह तरस रहा है, मैं आपको उसका नाम दे दूंगी, आपकी कृपा होगी कि आप उसको मुआवजा दिलायें।

आदरणीय सभापति महोदय जी, हमारे यहां जितने भी वन विभाग के रोड हैं, बहुत खराब हैं। गिट्टी के बड़े-बड़े बोल्टर रहते हैं तो वह रोड हम जरूर पी.डब्ल्यू.डी. से पास करवा लेते हैं, लेकिन पी.डब्ल्यू.डी. विभाग से पास होता है, लेकिन वह वन विभाग में रुक जाता है और वन विभाग में रुकता है तो उसकी स्वीकृति प्रदान होती ही नहीं है। मेरा 5 साल गुजर गया।

श्री अजय चन्द्राकर :- संगीता जी, पी.डब्ल्यू.डी. का आप पास करवा लिया करो, वन विभाग का पास कराने के लिए सिन्हा जी को दे दिया करो। वे भी पूर्व विधायक हैं, उनको अनुभव है।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आदरणीय सभापति महोदय जी, जो एन.एच. 30 मरकाटोला से गोटाटोला-रूपटोला-हीतेकसा मार्ग 6 किलोमीटर है। यहां बहुत ही आवश्यक है। मरकाटोला से नकबेलडीह मार्ग 2 किलोमीटर है। क्योंकि यहां पर कंकाली माता का मंदिर है, जो पर्यटन स्थल है। मैं निवेदन करती हूँ कि उसको पास कर देंगे, बजट में अभी जोड़ देंगे। एक और बहुत गंभीर समस्या है। जो वनांचल में मुर्गी पालन करते हैं, वहां प्रदूषण बहुत होता है और गांव के लोगों का शोषण भी बहुत होता है। शोषण इस तरह कि वहां की जो अबोध बच्ची हैं, जो कम उम्र के बच्ची हैं, मैं मंत्री महोदय जी का ध्यानाकर्षण करना चाहूंगी कि वे मेरी बात को थोड़ी गंभीरता से लें। आदरणीय मंत्री जी। आदरणीय मंत्री जी।

सभापति महोदय :- मंत्री जी, सुन लीजिए, वे बोल रही हैं। मंत्री जी। मंत्री जी।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आदरणीय मंत्री जी से निवेदन कर रही हूँ कि मेरी बात को थोड़ी गंभीरता से लें।

सभापति महोदय :- वन मंत्री जी। थोड़ा बोल दीजिए। 2 मिनट, आपके बगैर वे भाषण नहीं दे रही हैं। आपको बगैर सुनाए नहीं बोल रही हैं, आप सुन लीजिए।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आदरणीय मंत्री जी, एक बात है, इसे बहुत गंभीरता से लें। जो वनांचल क्षेत्र हैं, वहां पर मुर्गी फार्म है। मुर्गी फार्म में बहुत ही ज्यादा प्रदूषण है। बात छोटी है, लेकिन बहुत गंभीरता से लें। वहां पर जो बच्चे अंदर में काम कर रहे हैं, वे 18 साल से कम उम्र के लोग हैं।

श्री रामविचार नेताम (कृषि मंत्री) :- अच्छा ये बताइए कि इनका सहकारिता विभाग है, वन विभाग है। अब मुर्गी फार्म के बारे में क्या बताएंगे? (हंसी)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- वनांचल क्षेत्र में मुर्गी फार्म हैं, बड़े-बड़े मुर्गी फार्म हैं। महोदय जी मेरे यहां आयेंगे तो मैं खुद ले जाऊंगी।

श्री रामविचार नेताम :- प्रदूषण की बात है। प्रदूषण फैल रहा है तो इधर पीछे चौधरी साहब ठीक करवाएंगे। (हंसी)

समय :

3.58 बजे

(सभापति महोदय (सुश्री लता उसंडी) पीठासीन हुए)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आदरणीय सभापति महोदय जी, क्योंकि ये मेरे जितने मुर्गी फार्म हैं, वे वनांचल क्षेत्र में हैं। बड़हुम में है, कोचवाही में है, नारागांव में है। इस टाइप की जगह में हैं तो वहां बहुत शोषण है। जो बेचारे गरीब लोग हैं, वे लोग कभी आवाज नहीं उठाते हैं। जब मैं गई तब मुझे पता चला कि वहां पर शोषण भी बहुत हो रहा है। कई मुर्गी फार्म ऐसे हैं कि वहां एन.ओ.सी. भी नहीं लिए हैं। उसके बाद वहां पर पूरे एरिया को जहां पांच एकड़ होना चाहिए, वह 10 एकड़ में घिरा हुआ है तो इसमें विशेष तौर पर ध्यान दें। मैं एक निवेदन करती हूँ कि जल संसाधन विभाग में मेरे क्षेत्र की जो परेशानी है, खेरथा में खारून नदी पर स्टाफ डैम के निर्माण के लिए मैं निवेदन कर रही हूँ। पेयजल, निस्तारी, मवेशियों के लिए पानी की भी विकट समस्या रहती है तो मैं निवेदन कर रही हूँ कि खारून नदी पर स्टॉप डैम बनाया जाए। बहुत ही निवेदन करते हुए कि महानदी प्रदायक नहर गंगरेल नहर में सर्विस बैंक नहर के पार में डब्ल्यू.बी.एम. या डामरीकरण का कार्य हो। सभापति महोदय जी, ये निवेदन कर रही हूँ और यह 10 किलोमीटर का है क्योंकि मैंने चंद्राकर जी के क्षेत्र में देखा है कि नहर के बाजू में पूरा सीमेंटीकरण और लाइट लगा है तो मैं भी निवेदन कर रही हूँ कि मेरे यहां भी गंगरेल के नहर में आप

डब्ल्यू.बी.एम. करवाने की कृपा करें। बहुत-बहुत धन्यवाद। सभापति महोदय जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, धन्यवाद।

श्री अजय चन्द्राकर (कुरुद) :- माननीय सभापति महोदय, मैं बहुत संक्षिप्त में अपनी रखूंगा। माननीय मंत्री जी बड़ी क्षमतावान् आदमी हैं, चौथी बार मंत्री बने हैं, जितनी बार के विधायक हैं, उतनी बार के मंत्री हैं तो अनुभव का खजाना है, बात को संक्षिप्त में समझ जाएंगे, गागर में सागर। जो मेरी रुचि का विषय है, अमूमन लोग उस पर बात नहीं करते, मैं फिर भी ध्यान में ला देता हूँ, सक्षम मंत्री हैं, उस पर कार्रवाई कर दीजिएगा। जैसे आपके पास वन्य संरक्षण का जैव-विविधता बोर्ड है। आपने उसमें बड़े-बड़े उद्देश्य लिखे हैं। रामविचार जी मैं आपकी ओर देखकर बोल रहा हूँ। आपके किन्हीं भी प्रयत्नों से हाथी-मानव द्वन्द्व या उसको अवैध तरीके शिकार करना, करंट लगाना ये सब बंद नहीं हो रहा है। हाथी-मानव द्वन्द्व इस प्रदेश की एक बड़ी समस्या के रूप में उभर रहा है। इसको आप किस तरह से लेते हैं क्योंकि जितने उपाय हमने सुने हैं। वे एक प्रायोगिक तौर पर लिए जाते हैं जैसे पायलट प्रोजेक्ट होता है, इसको देख लेते हैं, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा फिर आगे इस कार्य को करेंगे। अब समय पायलट प्रोजेक्ट का नहीं है। अब समय यह है कि जहां भी हाथी हों, लंका में भेजना पड़े, असम भेजना पड़े, जहां के बेस्ट प्रेक्टिसेस हों, उनको लाकर लागू करिये। दूसरा मामला अवैध शिकार का है। आप स्वीकार तो कर लेते हैं कि 169 हाथी मर गये, 170 हाथी मर गये। मैं अभी तक नहीं जान पाया कि इतने हाथियों के साथ हादसा कैसे हो गया? यहां कोई गिरोह है या कोई दुर्घटना है? आपके विभाग की ओर से कोई वक्तव्य आया हो कि यह किसी गिरोह का काम है या दुर्घटना है? यदि करंट से मरते हैं तो हाथी ही क्यों मरते हैं? आदमी या अन्य जीवों के साथ दुर्घटना क्यों नहीं होती? इसका मतलब यह है कि उसको शिकार करने के लिए किया जाता है। यहां कोई न कोई गिरोह एक्टिव है जिसको देखने और समझने की जरूरत है। संरक्षण के लिए, जितना बड़ा वन क्षेत्र है। आप एक जंगल सफारी को गिना देते हैं, कानन पेंडारी को गिना देते हैं। साहब, इसको विस्तारित करने की जरूरत है। दो-तीन जू या एक जंगल सफारी से 44 परसेंट में आपका जंगल है, उसके संरक्षण के लिए दो या तीन जगह पर्याप्त नहीं है। आपसे अनुरोध है कि इसके देखभाल की उचित व्यवस्था हो। आपके यहां डॉक्टर्स हैं या नहीं, यह बता दीजिए। पशु चिकित्सा में कितने डॉक्टर्स का सेटअप है, कितने दिन में उसकी रिपोर्ट आती है। आप देखेंगे कि प्रधान मंत्री जी ने समय निकालकर जामनगर का वनतारा घूमकर आए हैं। कैसे उसका संरक्षण हो रहा है, भले ही वह प्रायवेट प्रोजेक्ट हो या सी.एस.आर. के प्रोजेक्ट हों। किंतु यदि प्रधानमंत्री जी जाते हैं तो कोई न कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी चीजें वहां घट रही होंगी। छत्तीसगढ़ में आपने वनाच्छादन बढ़ाया है, मेरी बधाई स्वीकार कर लीजिए, आपके विभाग को बधाई दे देता हूँ। लेकिन नवाचार में इनके संरक्षण का काम, अब आपके जैव-विविधता बोर्ड में जो अशासकीय सदस्य हैं, उनका कार्यकाल कब से खत्म हो गया है? हम तो पॉलिटिकल आदमी हैं। कब से कार्यकाल खत्म है

और कब तक भरा जाएगा ? यदि आपके रहते ऐसा होगा तब तो यह ठीक नहीं है । मैंने पॉलिटिकल आदमी बोल दिया लेकिन उसमें बिल्कुल पॉलिटिकल आदमी मत लीजिए । उसमें आप विशेषज्ञ रखिए, जिन्होंने इन क्षेत्रों में काम किया हो । यह आपके लिए एक छोटा सा सुझाव है । दूसरा, आपके पास वेटलैंड है, वेटलैंड में उस दिन काफी बहस हुई । लेकिन अभी भी अपने प्रतिवेदन में आपने लिखा है उसमें भी 2024 से विशेषज्ञों के पद खाली हो गए। 2017 से वेटलैंड अथॉरिटी बनी, अभी तक हमारे यहां उसा कोई सिस्टम खड़ा नहीं हो पाया है कि हम किस तरह से काम करेंगे ? आज का समाचार पत्र यदि आपने पढ़ा होगा तो रायपुर के कमिश्नर का बयान है कि हम यहां के तालाबों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं । यानी जो नये विषय हैं, जो आगे ले जाएंगे, पानी की चिंता हो, वेटलैंड की चिंता हो, उन चिंताओं में, नवाचारी काम में हम क्या रहे हैं ? अब, 2.25 हेक्टेयर से ऊपर को आपने सर्वे किया है । सर्वे किया है तो उसके संरक्षण के लिए नियम, निर्देश क्या जारी हुए हैं कि यह निर्देश हैं, ये विभाग हैं, ये मीटिंग करेंगे, कलेक्टर अध्यक्ष होगा, डीएफओ अध्यक्ष होगा, सीईओ अध्यक्ष होगा, कुछ भी होगा, उसकी मीटिंग इतने दिनों में होगी जो भी होगी । दूसरा, जो तालाब पाटने की घटना बढ़ रही है, तालाब पाटने की घटना बढ़ रही है । रायपुर के अवैध कब्जे आज के पेपर में है । वो सवा दो हेक्टेयर से नीचे के हैं । मेरा आपसे ये आग्रह है कि आप सवा दो हेक्टेयर से नीचे के वेटलैंड का भी सर्वे करवाईए। इसमें भी विशेषज्ञों का कार्यकाल खत्म हो गया है, उसमें विशेषज्ञों की नियुक्ति कीजिए। आपने उस दिन लोबो का विमोचन किया है, आप लोबो से आगे निकलिए, निर्देश नियम बनाकर धरती में उतारिए, यह ज्वलंत समस्या है। मैं सोचता हूं कि आप इसको कर लेंगे।

सभापति महोदय, मुझे आपके कौशल उन्नयन में बोलना था। आप कुशल मंत्री हैं, मैं कौशल उन्नयन का प्रशंसक आदमी हूं। छत्तीसगढ़ विधान सभा ने देश का पहला कानून कौशल उन्नयन का बनाया है, इसलिए मैं सभी सदस्यों को इस बात के लिए बधाई दे देता हूं कि आपने देश के लिए एक बेहतर कानून बनाया और आगे चलकर यह राष्ट्रीय कानून बना। माननीय मंत्री जी, कौशल उन्नयन कितने तरह का हो रहा है ? आप प्रधानमंत्री कौशल उन्नयन कर रहे हैं, मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन कर रहे हैं, कांग्रेस में अब महिलाओं को ही ड्यूटी मिल गया है लगता है, 5-6 महिलाएं हैं, बाकी लोग कहां चले गए ? पुरुष लोगों को खाना बनाने के भेज दिए क्या? कांग्रेस वालों को कौशल उन्नयन से दुश्मनी थी। वे लोग नरवा, गरवा, घुरवा, बाड़ी वाले थे। छत्तीसगढ़ के नौजवान गोबर बिने।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति महोदय, आप कौशल विकास योजना की बात कर रहे हैं।

श्री अजय चंद्राकर :- जी-जी।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- अभी कौशल विकास योजना में आपका जो बजट है, अगर 33 जिला में एक-एक करोड़ रूपए बांटेंगे तो भी कम है।

श्री अजय चंद्राकर :- आप बैठिए-बैठिए। वह बांटने का नहीं है, उससे कोई सड़क बिजली नहीं बनेगी कि उसको बांटा जाए। उसमें विधायकों की अनुशंसा नहीं चलती। आपने बंद कर दिया था, इसको स्वीकार करिए, गोबर बिनना ही हमारा स्टार्टअप था बताईए। आप इसको स्वीकार कर लीजिए, उसमें क्या हैं।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आदरणीय सभापति महोदय, गौठान में महिलाओं को रोजगार मिला था।

श्री अजय चंद्राकर :- सभापति महोदय, कौशल उन्नयन भी हुआ था, गोबर और छेना थोपे से कौशल उन्नयन होथे बोलना, रोजगार मिला था तो स्वीकार करिए न। मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन है, प्रधानमंत्री कौशल उन्नयन है, श्रम मंत्री जी बैठे हैं, वे कौशल उन्नयन कर रहे हैं, ITI कौशल उन्नयन कर रहा है, शहरी आजीविका मिशन कौशल उन्नयन कर रहा है, ग्रामीण आजीविका मिशन कौशल उन्नयन कर रहा है। आखिर ये कितना कौशल उन्नयन हो रहा है, उसके कितने दर हैं, कौन विभाग मॉनिटरिंग कर रहा है ? जब आपने कौशल उन्नयन का सर्टिफिकेट दे दिया तो उसको कितने दिन का नियोजन मिलता है, उसके बाद कितने लोग खुद के रोजगार से जुड़ते हैं, इसका कोई मैकनिजम प्रदेश में नहीं है। आप इन सारे विभागों को एक अम्ब्रेला के नीचे लाकर कौशल उन्नयन का एक प्राधिकरण बनाईए जिससे ये मॉनिटरिंग हो सके कि इतने लोगों ने कौशल उन्नयन इस-इस विभाग के तहत किया, उसको इतने दिन का नियोजन दिया, नियोजन के बाद उनको फिनांस दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने मुद्रा योजना, स्वनिधि योजना पता नहीं कितनी सारी योजनाएं लाई हैं, उससे उनको जोड़ा गया या नहीं जोड़ा गया, इसकी निगरानी का मैकनिजम नहीं है। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि आप इन सारे कौशल उन्नयन को डिपार्टमेंट या प्राधिकरण बना के एक अम्ब्रेला के नीचे लाईए।

सभापति महोदय, आपके पास को-आपरेटिव्य भी है। मेरे ख्याल से आपने भारत सरकार का मॉडल एक्ट स्वीकार कर लिया है। स्वीकार करने के बाद PACS में उसका क्या प्रभाव दिख रहा है ? यदि एक साल में 1335 या 1435 जो भी PACS हैं, उसमें 50 या 100 को या एक ब्लॉक में 5 या 10 को मल्टीपर्स बनाएंगे, इससे एकटीविटी बढ़ेगी जो एकटीविटी आप सलेक्ट करेंगे। मैंने यहां कल एक शब्द का उपयोग किया था, अब निजाम बदल गया है, पूरी कार्यशैली बदलेगी, आपसे तो पूरी अपेक्षा है। PACS एक आंदोलन है जिससे किसान सशक्त होते हैं, गांव को सुविधा मिलती है, आप हर गांव तक मत पहुंचिए पर जितने PACS हैं, उन PACS को कम से कम मल्टीपर्स बनाईए, उसके परिसर हों, उसके भवन हों, उसकी सारी चीजें हों। आज भी बैंकिंग के लिए लोग कितनी दूर तक यात्रा करते हैं। यदि PACS को आप उतना मजबूत कर देंगे और माइक्रो बैंकिंग के लायक बना देंगे तो शायद ग्रामीणों को बहुत सारी सुविधायें मिलनी शुरू हो जाएंगी। चाहे वह पैक्स हो, चाहे लैम्पस हो, जिसको भी आप करें। सभापति जी, मैं केवल दो मिनट में समाप्त करूंगा। इसमें दूसरी बात यह है कि आप किसान को कर्ज देते हैं। आपको बहुत-बहुत बधाई हो कि आप शून्य प्रतिशत ब्याज में उनको कर्ज देते हैं। छत्तीसगढ़

सरकार देश की पहली सरकार थी। वह भाजपा की सरकार थी और आप उस सरकार में मंत्री थे। आपका उसमें योगदान था। इस चीज की जितनी प्रशंसा की जाये, वह कम है। लेकिन एक जो गैप है, जैसे आप DLCC की बैठक कितने दिन में करते हैं और SLCC की बैठक कितने दिन में करते हैं? माननीय वित्त मंत्री जी भी यहां पर बैठे हैं। नाबार्ड की technical committee। यूरिया कितने पैसे में मिलता है और आप यूरिया के लिए कितने पैसे देते हैं ? डी.ए.पी. का कितना रेट है और खाद के मामले में आप डी.ए.पी. के लिए कितने पैसे देते हैं? यदि दीर्घकालिक लोन है। तार घेरा का बाजार का क्या रेट है? यदि आप लोन को बाजार के रेट से हर बार समीक्षा करके कोरिलेट नहीं करेंगे तो आप किसान को money lender से मुक्त नहीं कर सकते। मेरा आपसे यह आग्रह है कि इसका भी एक mechanism बने कि हर साल या हर 2 साल में किसानों की क्रेडिट लिमिट की समीक्षा होगी। अल्पकालिक, मध्यमकालिक और दीर्घकालिक, तीनों ऋण की समीक्षा होगी। उसको आप बाजार के समकक्ष करेंगे, ताकि वह money lender के चंगुल से मुक्त हो और जिसके लिए आपने उसको जीरो परसेंट किया है। दूसरी बात, आपके पास सिंचाई विभाग भी है। आपके सचिव साहब भी वही सचिव थे और आप मंत्री भी वही थे। उसमें एक शब्द का उपयोग किया गया था कि सरकार की एजेंसी है या एजेंसी की सरकार है? आपके सचिव साहब ने कहा था कि सरकार की एजेंसी है। आज भी और कुछ विषयों में मैंने इन शब्दों का उपयोग किया था। यह मेरे जिले की नहीं है, लेकिन मैं उससे प्रभावित होऊंगा। दुलना सूक्ष्म सिंचाई योजना। मैंने 1 साल पहले जिस स्थिति में उसके संबंध में बोला था, उसी स्थिति में आज भी वह खड़ी है। मैंने सूक्ष्म सिंचाई के जो विषय उठाये थे, वह आपके प्रतिवेदन में हैं। आपने जितने सूक्ष्म सिंचाई के विषय उठाये थे, वह सारे वहीं के वहीं प्रगति में हैं या तो उसको डिलीट कर दिया जाना चाहिए और वह जहां पर है, उसको वहीं पर खड़े कर दिया जाना चाहिए। परंतु वह तो हरि अनंत-हरि कथा अनंत हो गयी है। वह कब से शुरू हुई है? 10 साल पहले दुलना, कोड़ेवोड़ की योजना शुरू हुई थी। गुजरात की expert कंपनी है। आपके सचिव साहब सुन रहे हैं। यहां से तो हम उनका नाम नहीं लेते हैं, लेकिन यह बात गलत साबित होनी चाहिए कि सरकार की एजेंसी काम करती है। आप इसको कर देंगे। आपके पास संसदीय कार्य विभाग भी है। मैं आपके सभी विभागों में एक-एक लाइन बोल देता हूं। यह आखिरी बात है। अब मैं परंपराओं में तो बोलूंगा नहीं। नियम-परंपराओं, संसदीय कार्य विभाग में बहस करने का सिस्टम नहीं है और विधान मण्डल में बहस नहीं होती है। आपके पास विधान मण्डल नहीं है। संसदीय कार्य विभाग में बहस नहीं होती है। होती है या नहीं होती है? इसलिए बिना बहस के मैं आपको केवल एक सुझाव दे रहा हूं कि 2-3 बार उच्च स्तरीय बैठकें हुईं। माननीय मंत्री जी, आप एक सेकण्ड सुन लीजिए। 2-3 बार उच्च स्तरीय बैठकें हुईं। कहां हुईं, उसका मैं उल्लेख नहीं करूंगा। आप उस बैठक में उपस्थित थे। जितने सर्कुलर जारी होने थे, वह सर्कुलर आज तक पूरे जारी नहीं हुए हैं। दो उच्च स्तरीय बैठकें हुईं। मैं 25 साल से इस सदन में हूं, लेकिन मैं नहीं जानता कि उतनी उच्च स्तरीय बैठक हुई हो। उस उच्च स्तरीय

बैठक का अर्थ निकलना चाहिए। सर्कुलर के लिए जितनी सर्वसम्मति बनी थी, उस सर्वसम्मति में सभी विभाग शामिल थे। उसका तत्काल क्रियान्वयन होना चाहिए। यह आपकी क्षमता के लिए है। यह आपकी क्षमता के अनुरूप काम है। अंत में मेरी आपसे एक ही छोटी सी मांग है। आप जानते हैं कि मेरी बहुत सारी मांगें हैं और मैंने सभी को पढ़ा है। आप देख लीजिए, सब में लाल पन्ने लगे हैं। मैंने संसदीय कार्य विभाग में केवल 1 लाइन ही बोला है। उसमें ज्यादा बहस नहीं होती है। मैं सदन की अवधि के बारे में नहीं बोल सकता हूँ। मैं पालन करने वाले नियम के बारे में नहीं बोल सकता हूँ। आज क्या घटा? मैं उसके बारे में भी नहीं बोल सकता हूँ। आज भी यहां पर असंसदीय चीजें हुई हैं। धमतरी जिले का सौंदूर जलाशय है। देश में किसी जिले में इतने dam complex नहीं होंगे। नगरी में सिंचाई का प्रतिशत कम है। सौंदूर बांध के भराव की जो भी क्षमता है और जो नाली नहीं बनी है। अब नई सरकार आ गई है। आपने 5 हजार करोड़ रुपये रखा है। आपने ऐसी अधूरी जितनी सिंचाई योजना पड़ी है, उन सबको पूरा करने का भगीरथ संकल्प लिया है। मैं, आपको फिर से कहता हूँ कि आप क्षमतावान हैं, सौंदूर का लाभ नगरी के लोगों को मिलेगा या ऐसी जितनी योजनाएं हैं, चाहे फारेस्ट कन्जर्वेशन एक्ट के कारण रूका हो, किसी का लेफ्ट बैंक केनाल किसी का छूटा है, किसी का राइट बैंक केनाल, किसी का हेड वर्क बचा है, ये सब छोटे-छोटे काम के पूरा नहीं होने से शत-प्रतिशत उपयोग में नहीं आ रहे हैं। हेडवर्क का काम बचा है। आप बाकी सबकी समीक्षा कीजिये। मैं उस जिले से आता हूँ। सौंदूर का लाभ सबको मिले, आप इसके लिए कोशिश करेंगे, आप कार्रवाई करेंगे। आप अच्छा काम कर रहे हैं, आप अच्छा काम करेंगे, लोगों के लिए काम करेंगे, मैं इस भाव के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। सभापति महोदया, आपने बोलने का अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद। (मेजों की थपथपाहट)

श्रीमती सावित्री मनोज मण्डावी (भानुप्रतापपुर) :- माननीय सभापति महोदय, माननीय केदार कश्यप, संसदीय कार्यमंत्री जी के मांग संख्या 10, 17, 23 और 45 के विरोध में बोलने के लिए खड़ी हुई हूँ।

माननीय सभापति महोदय, हमारा समूचा बस्तर संभाग वनों से आच्छादित है, जहां निवास करने वाले हमारे आदिवासी भाई-बहनों के जीवकोपार्जन का एक मुख्य साधन वन और वन उपज है, जिसे विकास के नाम पर उजाड़ा जा रहा है। जिसके संरक्षण हेतु कोई ठोस योजना नहीं है। हम सब पर्यावरण की बात करते हैं, लेकिन पेड़ों को इतना काटा जा रहा है, जिससे पर्यावरण दूषित हो रहा है। भारत माला परियोजना के नाम से सैकड़ों पेड़ अवैध रूप से काटे जा रहा है। उस काटे हुए पेड़ के उपज में पेड़ लगाना चाहिए, लेकिन नहीं लगाया जा रहे हैं। यह सिर्फ कागजों में है, धरातल में नहीं है। मैं अपने कांकेर जिले की बात करूँ तो वहां के वन्यप्राणियों का रूख गांवों की ओर बढ़ गया है। चाहे भालू हो, चाहे तेंदुआ हो, जिनके आक्रमण से उस कांकेर जिले के कई ग्रामीणों की मौत हो चुकी है। लोगों को वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए कोई बजटीय प्रावधान नहीं है। ये भालू गांव में घर तक घुस आये हैं। इसलिए

मैं चाहती हूँ कि कोई ठोस कदम उठाया जाये ताकि जिन निर्दोष ग्रामीणों की मौत हो रही है, उनकी मौत को रोका जा सके। साथ ही मेरे क्षेत्र के ग्राम पंचायत लोहत्ता के आश्रित ग्राम सोनादाई है, जहां पहाड़ी पर माता सोनादाई विराजमान है, जो वहां के लोगों के आस्था का मुख्य केन्द्र है। तो मैं चाहती हूँ कि वहां तक की जो सड़क है, जो मार्ग नहीं बना हुआ है, उस मार्ग को बनाने का कष्ट करेंगे। इसी प्रकार वहां मेरे क्षेत्र में बहुत से वन ग्राम है, वहां के पुल-पुलिया के लिए कोई प्रावधान नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, उसी प्रकार मेरे भानुप्रतापपुर विधान सभा क्षेत्र में नेचर पार्क बन रहा था, 2 साल हो गया है, वहां बहुत धीमी गति से काम हो रहा है। मैं चाहती हूँ कि वह काम जल्द से जल्द पूरा कराया जाये, उस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं, उस नेचर पार्क का काम जल्द से जल्द पूरा हो और वहां हम सब घूम सकें, वहां घूमने के लोगों की इच्छा है, उसको जल्द से जल्द पूरा करा देते तो ज्यादा अच्छा रहता। उसी प्रकार मैं चाहती हूँ कि मेरे नगर पंचायत चारामा में घूमने के लिए एक भी ऐसा पार्क नहीं है। माननीय मंत्री जी, मैं चाहती हूँ कि चारामा में भी एक नेचर पार्क की व्यवस्था कर देते तो बहुत अच्छा होता।

माननीय सभापति महोदय, उसी प्रकार जिला सहकारी बैंकों में किसान अपने उपज का भुगतान लेने जाते हैं तो उन्हें छोटी से छोटी राशि से भुगतान किया जाता है, जिसके चलते किसानों को कई बार बैंकों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। अतः मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगी कि भुगतान लिमिट को बढ़ाये जाने का प्रावधान हो। साथ ही जब किसान सहकारी बैंकों और कृषि समितियों में काम के लिए जाते हैं, तो किसान कड़ी धूप और बरसात में वहां खड़े रहते हैं, इसके लिए आवश्यक है कि जितने भी संबंधित जगह हैं, उस जगह पर शेड और पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित हो। इसके लिए भी बजट में कोई विशेष प्रावधान नहीं है। पूरे प्रदेश में किसान लंबे समय से धान खरीदी केंद्र का मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी धान खरीदी केन्द्र की स्वीकृति नहीं मिली है और आने वाले समय में भी इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। इसके लिए भी बजट में कोई उल्लेख नहीं है। माननीय मंत्री जी, इसको भी ध्यान देंगे। मैं जल संसाधन विभाग की बात करूं तो मेरे विधान सभा क्षेत्र के कुछ मांगों को सम्मिलित की गई हैं, उसके लिए मैं मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगी। मैं साथ ही यह कहना चाहूंगी कि महानदी में बहुत से जगहों पर जलस्तर को बढ़ावा देने के लिए सिंचाई हेतु जो एनिकट निर्माण किये गये हैं, खासकर चारामा क्षेत्र के भिरौद और हाराडुल्ला गांव में एनिकट निर्माण किये गये हैं, उनके रख-रखाव के लिए बजट की कोई व्यवस्था नहीं है। माननीय मंत्री जी, मैं चाहती हूँ कि उसकी भी व्यवस्था हो जाये। साथ ही खैरखेड़ा, जेप्रा और कसावाही जलाशय है, उनकी जिर्णोद्धार और विस्तार की अति आवश्यकता है। मैं चाहती हूँ कि इन तीनों जगहों को दिखाया जाये। इसके लिए भी बजट में कोई उल्लेख नहीं है। मैंने जिन-जिन कामों का उल्लेख किया है, उन सभी कामों को मंत्री जी अतिशीघ्र ध्यान देंगे। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदय :- श्री अनुज शर्मा जी।

श्री अनुज शर्मा (धरसीवा) :- माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत अनुदान मांग संख्या 10, 17, 23, 45, 47, 57, 75 एवं 28 के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ।

माननीय सभापति महोदय, छत्तीसगढ़ में विष्णु देव साय जी के सरकार के एक वर्ष के बाद यह दूसरा बजट है। पहला वर्ष विश्वास का वर्ष रहा है और यह वर्ष छत्तीसगढ़ के निर्माण के 25वां साल 'रजत जयंती वर्ष' है, साथ ही यह वर्ष छत्तीसगढ़ के निर्माता परम श्रद्धेय अटल बिहारी बाजपेयी जी का जन्म शती वर्ष है। ऐसे संयोग में जो एक भविष्य को ध्यान में रखते हुए हमारे वित्त मंत्री जी ने जो बजट दिया है और हम यहां जो चर्चा कर रहे हैं, उसमें मैं सबसे पहले माननीय मंत्री जी को बधाई दूंगा कि छत्तीसगढ़ में जो पांच लाख मीट्रिक टन से धान खरीदी की शुरुआत हुई थी, वह 1 करोड़ 50 लाख के पास पहुंची है और सोसाइटियों ने सफलतापूर्वक धान खरीदी की है। इस सफल धान खरीदी के लिए मैं माननीय मंत्री जी को अंतःकरण से बहुत-बहुत बधाई देता हूँ। (मेजों की थपथपाहट) उन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया है और इस रिकॉर्ड ने छत्तीसगढ़ में एक छत्तीसगढ़िया परिवारों को संपन्न करने का काम है। मेरे साथ एक घटना हुई है, मैं उसका जिक्र करना चाहूंगा। जब मैं अपने विधान सभा क्षेत्र से आ रहा था तब एक दंपति बढ़िया नये कार में घूम रहे थे। मैंने उनसे पूछा कैसे हो? वह बोला कि मैं हर चार चकिया गाड़ी ले हूँ। मैं बोले कि बढ़िया। मैं पूछ कि कब ले हस? ओ हर बोलिस कि मैं हर 3100 रुपये प्रति क्विंटल मा धान बेचे हों, तेन पइसा मैं लेहे हौ। (मेजों की थपथपाहट) मैं कहे कि कतका रुपये के धान बेच डाले हस, जी? ता ओ हर बोलिस कि मैं जतका पइसा मा बेचे हौ, ओला डाउन पेमेंट देहे हौ अऊ बाकी के किस्ती बंधा देहे हौ। मोर घर वाली हर एक हजार रुपये महीने पुरोहू बोले हावय। (मेजों की थपथपाहट) यह छत्तीसगढ़ में परिवारों को सशक्त करने काम इस सरकार ने इस एक वर्ष में किया है और पूरे प्रदेश में जो वातावरण निर्मित हुआ है, छत्तीसगढ़िया परिवारों में एक जो आत्मसम्मान और एक आत्मविश्वास पैदा हुआ है, वह छत्तीसगढ़ के हमारे माननीय वित्त मंत्री के शानदार बजट की देन है, माननीय श्री विष्णु देव साय जी की देन है। सभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ में ट्रेक्टरों की रिकॉर्ड सेल हुई है। मैं अब मुख्य विषय में आते हुए वन विभाग में बात करूंगा। भारतीय वन सर्वेक्षण के अनुसार छत्तीसगढ़ ने सर्वाधिक वार्षिक वृद्धि का कीर्तिमान बनाया है। हमारे विष्णु देव साय जी के सुशासन में भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए जो प्रयास किये जा रहे हैं, अब उसमें ई-ऑक्शन के जरिये ही वनोपज का विक्रय किया जायेगा, ताकि व्यापारियों के बीच प्रतिस्पर्धा तेज हो, ट्रांसपैरेंसी हो, इससे राजस्व की प्राप्ति बढ़ेगी। सभापति महोदय, यह एक बेहतरीन कदम है, मैं इसके लिये माननीय मंत्री जी का अभिनंदन करता हूँ कि एक बेहतर शुरुआत, एक बेहतर निर्णय के संकल्प के साथ राजस्व की वृद्धि हो, व्यापारियों की के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़े, यह माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी का सुशासन है। सभापति महोदय, अब वन विभाग में जो भी वस्तुओं की खरीदी होगी,

उसका क्रय DGS and D भारत सरकार के जैम वेबसाईट से होगा । यह भी भ्रष्टाचार को दूर करने और पारदर्शिता लाने का एक महत्वपूर्ण कदम है । (मेजों की थपथपाहट)

माननीय सभापति महोदय, जलवायु परिवर्तन पूरे विश्व के लिये चिन्ता का विषय बना हुआ है, जिस तादाद में ग्लेशियर पिघल रहे हैं, तापमान बढ़ रहे हैं, जिस तरह से समुद्रों के जल स्तर बढ़ रहे हैं, वह चिन्ता का विषय है । हमारे प्रदेश की सरकार ने भविष्य को ध्यान में रखते हुये क्लाइमेट स्टूडियो की स्थापना का निर्णय लिया है और राजधानी में क्लाइमेट स्टूडियो बनाया जायेगा । इसमें विशेषज्ञों को शामिल किया जायेगा, इस स्टूडियो में जलवायु परिवर्तन के नकारात्मक प्रभावों तथा उनके समाधान की जानकारियों का आडियो-विजुअल के माध्यम से दिया जायेगा तथा यहां क्लाइमेट लायब्रेरी का भी निर्माण किया जायेगा, उसका विकास किया जायेगा । हमारी सरकार से इसे एक उत्कृष्ट ज्ञान केन्द्र के रूप में स्थापित करने का निर्णय लिया है, मैं माननीय मंत्री जी को इसके लिये बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूँ । सभापति महोदय, नवा रायपुर पूरे देश में अपनी एक अलग पहचान बना रहा है और हमारे नवा रायपुर में एक आकर्षण का केन्द्र बनाने का निर्णय मंत्री जी ने इस बजट में किया है । नवा रायपुर में बॉटनिकल गार्डन, फिश एक्वेरियम और ट्री हाऊस के लिये 5 करोड़ का मद उन्होंने घोषित किया है, मैं उनको बहुत-बहुत साधुवाद देता हूँ, उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ । सभापति महोदय, हमारे जंगल सफारी ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है, वहां पर हमारे पर्यटक बड़ी संख्या में आते हैं । जब भी पर्यटक पर्यटन स्थल में जाते हैं तो उनकी इच्छा होती है कि वहां से निशानी लेकर जाये । ऐसे हमारे जंगल सफारी में सुविनियर काम्पलेक्स और वेंटिंग लाउंज के निर्माण के लिये 6 करोड़ रुपये प्रस्तावित है, मैं उसके लिये भी इनका अभिनंदन करता हूँ । (मेजों की थपथपाहट) सभापति महोदय, एक महत्वपूर्ण विषय जो मेरे सभी पूर्व के वक्ताओं ने कहा है कि तेंदूपत्ते के प्रति मानक बोरे का दाम 5500 रुपये करके हमारे आदिवासी अंचल में लोगों के घरों में वैभव लाने का महत्वपूर्ण प्रयास किया है, मैं उसके लिये भी इस सरकार का अभिनंदन करता हूँ। माननीय सभापति जी, जल संसाधन विभाग की बात करूँ तो आज सभी लोग शेरों-शायरी कर रहे हैं तो एक शेर बशीर बद्र साहब का याद आ रहा है -

हम भी दरिया हैं, हमें अपना हूनर मालूम है

जिस दर पर चल पड़ेंगे, रास्ता हो जायेगा । (मेजों की थपथपाहट)

ऐसे रास्ता बनाने वाले हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णु देव साय जी, जिन्होंने सुशासन का रास्ता बनाया है, जिन्होंने भ्रष्टाचार मुक्त छत्तीसगढ़ का रास्ता बनाया है, हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो जल संसाधन विभाग का 3800 करोड़ कुल बजट है, उसमें से 700 करोड़ नई सिंचाई परियोजनाओं के लिये है, यह बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है, मैं इसके लिये माननीय मंत्री जी का अभिनंदन

करता हूँ । (मेजों की थपथपाहट) सभापति महोदय, जो पुरानी परियोजनायें हैं, उनको भी योजनाबद्ध तरीके से पूरा करने का लक्ष्य हमारे मंत्री जी ने लिया है, मैं उसके लिये अभिनंदन करता हूँ । सभापति महोदय, छत्तीसगढ़ में इंटर लीकिंग परियोजनाओं का कार्य आरंभ करने का श्रेय भी इस बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व को देना चाहूँगा । श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक नई सोच दी थी कि देश की सभी सड़कों को जोड़ा जाये, देश की सभी नदियों को जोड़ा जाये । सभापति महोदय, जो व्यर्थ में बहने वाला पानी है, वह पानी हम इस्तेमाल कर सकें, जबकि आज पानी के लिए कहा जाता है कि अगला विश्वयुद्ध पानी के लिए होगा । ऐसी स्थिति में इस बजट के माध्यम से छत्तीसगढ़ जिस तरह से अपनी तैयारी में जुट चुका है, मैं मंत्री जी को बधाई दूँगा कि हमारी सरकार ने माननीय मोदी जी के संकल्प को पूरा करते हुए सिकासेर कोडार इंटर लीकिंग परियोजना का सर्वेक्षण कार्य पूर्णता की ओर लेकर जा रहे हैं । जल्दी ही इसका डीपीआर तैयार हो जाएगा और यह काम पूरा हो जाएगा । मैं उसके लिए बधाई देता हूँ । इसके साथ ही साथ इंद्रावती-महानदी इंटर लीकिंग परियोजना के सर्वेक्षण कार्य हेतु 100 करोड़ रूपए का बजटीय प्रावधान किया गया है । आने वाले भविष्य में यह योजना धमतरी, कांकेर, रायपुर, बालोद, दुर्ग, बेमेतरा, बलौदाबाजार-भाटापारा इन जिलों के कृषकों के लिए और औद्योगिक संस्थानों के लिए पानी उपलब्ध कराने का महत्वपूर्ण काम करेगी । साथ ही साथ बस्तर क्षेत्र के भी कई गांव में यह परियोजना पेयजल की उपलब्धता का माध्यम बनेगी । मैं केवई-हंसदेव इंटर लीकिंग परियोजना, खारंग-अहिरण, गाजरी नाला इंटर लीकिंग, रिवर लीकिंग परियोजना हेतु बजटीय प्रावधान का भी स्वागत करता हूँ । आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में बिजली की आपूर्ति को देखते हुए सोलर विद्युत उत्पादन बढ़ाए जाने की योजना भी तैयार की गई है, एक अच्छा प्रयोग है, मैं इसका भी अभिनंदन करता हूँ । ऐसे बहुत सारे दूरस्थ अंचल हैं, जहां आज भी बिजली कई घरों में नहीं पहुंच पाई है । उसकी चिन्ता भी माननीय मंत्री जी ने अपने बजट के माध्यम से की है । साथ में सन् 2030 तक भारत में नवीकरणीय ऊर्जा के लिए 500 गीगावाट गैर जीवाश्म इंधन ऊर्जा क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा है । इसका एक बड़ा हिस्सा सौर और पवन ऊर्जा से आना है। इस क्षेत्र में भी इस बजट ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और इस बजट में इस बात का प्रावधान करके भविष्य को देखते हुए माननीय मोदी जी के संकल्पों को पूरा करने के लिए काम करने का माद्दा दिखाया गया, उसके लिए मैं अभिनंदन करता हूँ ।

सभापति महोदय :- आपको बोलते हुए 10 मिनट हो गए हैं ।

श्री अनुज शर्मा :- सभापति जी, हम लोग तो नये लोग हैं, हम लोगों को भी तो अपनी बात रखने का अवसर दीजिए । मैं मुद्दे की ही बात कर रहा हूँ, मैं मुद्दे से बाहर कहीं नहीं जा रहा हूँ । साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण बात, जो इस बजट के माध्यम से सामने आई है कि जल संसाधन विभाग की प्रस्तावित उद्वहन सिंचाई योजना हेतु आवश्यक विद्युत की पूर्ति होगी तथा जल संसाधन विभाग को

ग्रीन एनर्जी विभाग घोषित किया जा सकेगा (मेजों की थपथपाहट) जलवायु परिवर्तन के इस दौर में छत्तीसगढ़ को अलग बनाने के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण कदम है। माननीय मंत्री जी ने हमारे क्षेत्र के लिए तो बहुत कुछ किया है।

माननीय सभापति महोदया, सहकारिता के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण निर्णय हुआ है कि 500 नवीन पैक्स समितियां का गठन प्रस्तावित है और यह बहुत स्वागत है, मैं इसका स्वागत करता हूँ। साथ ही साथ आधारभूत संरचना निर्माण के लिए 200 मीट्रिक टन क्षमता के गोदाम सह कार्यालय भवन निर्माण हेतु प्रति गोदाम 26 लाख रूपए के मान से वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रथमतः रूपए 96 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है, मैं अभिनंदन करता हूँ।

सभापति महोदया, बोलने को बहुत कुछ है। कहते हैं न कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता और दिल में बहुत कुछ है कहने को, मगर हौसला नहीं होता। महोदया, आप बीच में बोल देती हैं इसलिए मैं अपनी बात को संक्षेप में समाप्त करूंगा कि माननीय मंत्री जी ने हमारे क्षेत्र की 18 योजनाओं के लिए उन्होंने स्वीकृति दी है, उसके लिए मैं बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही साथ कुम्हारी जलाशय, खौलीडबरी जलाशय, पिगरीडीह जलाशय, महानदी परियोजना के लवन शाखा नहर, महानदी परियोजना के बलौदा शाखा नहर के लिए मैं उनसे मांग करता हूँ कि उसकी प्रशासकीय स्वीकृति जल्दी करा दें, ताकि यह काम समाप्त हो सके।

माननीय सभापति महोदया, माननीय मंत्री जी नोट कर लें, मेरा आग्रह है कि जैसे मनघट्टा में जंगल सफारी बनाया गया है, ऐसा ही मोहरेंगा में अगर एक सफारी बनाया जाएगा तो बढ़िया पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हो सकता है। साथ ही साथ पेंड्रावन जलाशय के पास यहां से जब फोरलेन सड़क बनने वाली है, पेंड्रावन जलाशय रायपुर-बलौदाबाजार रोड़ के बीच में है, यदि उसे सिंचाई विभाग के सहयोग से पर्यटक केन्द्र के रूप में develop किया जाए, तो मुझे लगता है कि लोगों के लिए रायपुर से लगा एक अच्छा स्थान होगा। यह मेरा आग्रह है। मेरी मांगें तो बहुत सारी हैं, जिसकी सूची मेरे पास है। मैं इसे एक बार पढ़ देता हूँ। रायपुर जिले के पठारीडीह में बाढ़ नियंत्रण योजना के लिए, रायपुर जिले के बरतनारा बाढ़ नियंत्रण योजना, रायपुर जिले में ही जरौदा स्टाप डेम तक पहुंच हेतु सी.सी. रोड़ निर्माण कार्य, ऐसे कुछ काम हैं, जिनके लिए मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। एक-दो महत्वपूर्ण विषय और हैं। मेरा क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र है और निश्चित तौर पर औद्योगिक क्षेत्र में युवाओं का जितना अधिक कौशल विकास हो सकेगा, उतना अधिक उनके भविष्य और कैरियर के लिए अच्छा होगा। तो मेरा आग्रह है कि specially सिलतरा में, मांढर में और इन गांवों में अगर अच्छे प्रशिक्षण शिविर लगाए जाएं और कौशल विकास के क्षेत्र में काम किया जाए, तो हमारे स्थानीय युवाओं को आसपास के उद्योगों में काम करने का अवसर मिलेगा, उन्हें रोजगार मिल सकेगा। ये मेरा आग्रह है। मैं इस प्रस्ताव का, इस अनुदान मांग में मांग संख्या 10, 17, 23, 45, 47, 57, 75 और 28 का

समर्थन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभापति महोदया, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री जनक ध्रुव (बिन्द्रानवागढ़) :- माननीय सभापति महोदया, मैं मांग संख्या 10, 17, 23 पर चर्चा करना चाहूंगा। जिस प्रकार से वन है तो जल है और जल है तो जीवन है और इस जीवन के लिए हमें जंगल बचाना महत्वपूर्ण है। आज दुनिया में इसी जीवन को बचाने के लिए ग्लोबल वार्मिंग की तरह विदेशों में खोज करने जा रहे हैं और अपने जंगल को हम काटे जा रहे हैं। मैं चाहूंगा कि हम पेड़ लगाएं, जैसा कि हम कहते हैं। हमारे वनांचल क्षेत्र में जितने भी लोग रहते हैं, वे सदियों से वनांचल क्षेत्र में रह रहे हैं, पेड़ लगाते हैं, पेड़ की पूजा करते हैं और पेड़ को भगवान तुल्य मानते हैं और उसी के साथ रहकर अपना जीवन-यापन कर रहे हैं। लेकिन पिछले 50 सालों से आज तक उस वनांचल में रहने वाले लोगों का जो जीवन-स्तर उठना चाहिए, वह जीवन-स्तर अपेक्षाकृत आगे नहीं उठ पाया है। हम सबको इस विषय पर सोचना भी होगा और इसके लिए मैं सभापति महोदया आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान भी आकर्षित करना चाहूंगा। जिस प्रकार से आपके बजट में प्रधान मंत्री धरती आबा जनजाती उत्कर्ष के तहत बुनियादी ढांचे के विस्तार के लिए आपने 221 करोड़ का प्रावधान किया है, जबकि अन्य घटकों, जिनमें वन अधिकार अधिनियम, एफ.आर. के तहत क्रियान्वयन करने के लिए शामिल है, लेकिन आपने तो एफ.आर. के सेल की स्थापना की है। यह महत्वपूर्ण विषय है। आपने एफ.आर. का चयन तो किया है, स्थापना की है, लेकिन वह जिला स्तर पर नहीं है बल्कि राज्य स्तर पर है। और राज्य स्तर पर है लेकिन उतना मजबूत नहीं है। इस पर मजबूती करने की जरूरत है।

समय:

4.39 बजे

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. रमन सिंह) पीठासीन हुए)

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से दूसरी बात मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारे वित्त मंत्री जी हैं, वन मंत्री जी हैं और ट्राईबल मंत्री जी हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि आपने जिस प्रकार से सुरक्षा और तैदूपत्ता की बात की है। आपने प्रमुख बजट आवंटन में तैदूपत्ता संग्राहकों को 204 करोड़ चप्पल वितरण करने के लिये 50 करोड़ रुपये और उनकी सामाजिक सुरक्षा लाभों के लिये 40 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है, जबकि उसमें सुरक्षा को मजबूती नहीं दी गयी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि इसे मजबूती प्रदान करने की कृपा करेंगे। माननीय वित्त मंत्री जी ने आदिवासी, वनांचल क्षेत्रों में बैंक खोलने की बात की है। मैं चाहूंगा कि वनांचल क्षेत्रों में जिस प्रकार से वनोपज से खरीदी होती है, उस खरीदी को बढ़ाया जाये ताकि वहां के लोगों को इसका अधिक से अधिक लाभ मिले और उसी क्षेत्र में ज्यादा बैंक भी खोले ताकि वह अपने वनोपज की राशि को उस बैंक में सुरक्षित रख सके। मैं माननीय

वित्त मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि वे वनांचल क्षेत्रों में ज्यादा बैंक स्थापित करने की ओर ध्यान देंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप देखेंगे कि हमारे आदिवासी क्षेत्रों में या वनांचल क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे होते हैं। मैंने प्रश्नकाल में भी अपने प्रश्न में पूछा था कि वनांचल क्षेत्रों में जो अलग-अलग पेड़ होते हैं, उन अलग-अलग पेड़ों की दरें अलग-अलग निर्धारित हो ताकि उनको उसका सही मुआवजा मिल सके। माननीय अध्यक्ष महोदय, वनांचल क्षेत्रों में लोग पेड़ के भरोसे रहते हैं, जबकि मैदानी क्षेत्रों में धान, गेहूँ, इस प्रकार की फसलें होती हैं। लेकिन अपेक्षाकृत वनांचल क्षेत्रों में, जैसे मैं अपने क्षेत्र, विशेषकर गरियाबंद जिले के मैनपुर क्षेत्र की बात करूँ तो वहाँ अधिकतर क्षेत्र वनों से ढका हुआ है, जिसके कारण धान की उपज कम होती है। वहाँ ज्यादा क्षेत्र में जंगल है, जहाँ पर लोग वनोपज पर ही निर्भर रहते हैं। इस प्रकार से उन वनोपज को बढ़ावा देने के लिये, वहाँ के लोगों को आर्थिक दृष्टि से आगे बढ़ाने के लिये वनोपज की दरें बढ़ाई जायें।

अध्यक्ष महोदय, मैं अपने क्षेत्र की बात करना चाहूंगा। वहाँ पर अमीर धरती के गरीब लोग कहते हैं। उस अमीर धरती के गरीब लोग, जहाँ पर हीरा का खदान है। उस हीरा के खदान का क्षेत्र ऐसे क्षेत्र में आता है, जिसे टाईगर प्रोजेक्ट कहते हैं। उस टाईगर प्रोजेक्ट में इतने सारे गांव हैं, जिसके कारण उस क्षेत्र का विकास रुक चुका है। मैंने तो आज तक नहीं देखा है कि टाईगर कहां पर है। इससे समझ में आता है कि कोई अधिकारी किसी जानवर को देखकर टाईगर कह दिया होगा और इस वजह से वहाँ पर टाईगर के नाम से हजारों रुपये का बजट आ रहा है। वे वहाँ के गांव को हटाने की बात कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, इस ओर ध्यान देने की बात है। मैं चाहूंगा कि वहाँ पर जिस प्रकार से ऊर्जा की बात हो रही है। आज लोग चांद में बसना चाह रहे हैं और वहाँ के लोगों का धरती में भी चलना मुश्किल हो गया है। मैं जब स्वयं देवभोग जाता हूँ तो राजा पड़ाव पड़ता है, उसके बाद आगे जायेंगे तो डूमर पड़ाव पड़ता है, उसके बाद मैं वहाँ से स्वयं मोटर साइकिल में जाता हूँ। वहाँ रोड भी नहीं बनी है। उसी रोड में 5-6 कि.मी. जाने के बाद उदंती नदी आ जाती है। उस उदंती नदी में छाती भर पानी से पार करके उस हीरा खदान में पहुंचता हूँ। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि इस प्रदेश में सर प्लस बिजली होने के बाद भी ...।

अध्यक्ष महोदय :- आप हीरा खदान हमेशा जाते हैं या कभी-कभी जाते हैं ?

श्री जनक धुव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं वहाँ पर हमेशा जाते रहता हूँ। मैं उस क्षेत्र में आने के लिए आप सभी सम्माननीय सदस्यों और आपको भी सादर आमंत्रित करता हूँ। वहाँ पर आप आईये, वहाँ जंगल है, जल है और शांति भी है। मैंने माननीय हमारे मंत्री ट्राईबल मंत्री, जल संसाधन मंत्री और वन मंत्री को भी आमंत्रित किया है। हमारे नेता जी को भी सादर आमंत्रित करता हूँ कि मेरे क्षेत्र में वह आएँ और वहाँ के स्वच्छ जल और स्वच्छ हवा का लाभ लें। उस क्षेत्र में ढेर सारी समस्याएँ हैं। बल्कि इस छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी से लगा हुआ मेरा विधान सभा क्षेत्र, जिला है। मैं यह चाहूंगा कि उस

क्षेत्र का चहुमुखी विकास हो, जिससे हमारे राजधानी वासियों को लाभ मिले। वहां जंगल है, नदियां हैं, उनमें हम बड़े-बड़े बांध बनने की ओर ध्यान दे सकते हैं। जहां हम सिकासार जलाशय की बात करते हैं। हम उस सिकासेर बांध से बिजली भी तैयार कर सकते हैं। वहां पर हमारा पुराना सलब जलाशय है, उस सलब जलाशय की प्रक्रिया चल रही है। मैं, माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि उस सलब जलाशय को पूर्ण करने की कोशिश करेंगे।

अध्यक्ष महोदय :- अब आप समाप्त करें।

श्री जनक धुव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं केवल दो मिनट में अपनी बात समाप्त करता हूँ। मेरे क्षेत्र में बहुत सारी समस्याएं हैं, जिनमें सलब जलाशय की पुरानी समस्या है, इसके साथ खुमर परियोजना है, जो अधूरी पड़ी हुई है। इसके साथ ही साथ कई ऐसे वनांचल क्षेत्र हैं जहां आज भी बरसात के दिनों में मोटर साइकिल नहीं चलती है तो वहां मैं ट्रैक्टर में जाता हूँ। मेरे उस सुदूर क्षेत्र के ऐसे जगहों पर सड़क बनाने की जरूरत है। माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो कैम्पा मद में जो राशि होती है उस मद से जंगलों की सुरक्षा की जाए क्योंकि मेरा क्षेत्र उड़ीसा राज्य से लगा हुआ है। वहां लगभग 200 एकड़ वनों की अवैध कटाई हुई है। हमें इस ओर भी ध्यान देने की जरूरत है। विशेषकर मेरा क्षेत्र हाथी प्रभावित क्षेत्र है। जहां पर सिकासार बांध के ऊपरी भाग से लेकर कुल्हाड़ी घाट का क्षेत्र पूरा हाथी प्रभावित क्षेत्र है। वहां पर कई किसानों की हजारों एकड़ जमीनों को नुकसान पहुंचा है। उनको कुछ मुआवजे की राशि मिली है। इस ओर ध्यान देने की जरूरत है। जिस प्रकार से मेरे क्षेत्र में तेल, उदंती, पैरी नदी है। उस क्षेत्र में ऐसी नदियों के माध्यम से सिंचाई का प्रबंधन करके सिंचाई हो सके। सलब जलाशय हमारे क्षेत्र की पुरानी मांग है। साथ ही साथ घुमर परियोजना भी पुरानी मांग है। आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि जो उस क्षेत्र के 40 से 50 गांवों में बिजली नहीं लगी है विशेषकर उस ओर ध्यान देने की जरूरत है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, मैं, आपको उसके लिए हृदय की गहराई से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और प्रणाम करता हूँ।

श्री रोहित साहू (राजिम) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। आज मैं माननीय मंत्री जी की बजट अनुदान मांगों के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज यहां पर बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा भी हो रही है। यहां हमारे सभी सम्माननीय सदस्यों के द्वारा अपने-अपने वक्तव्य भी दिये गये हैं। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूंगा। यहां पर मैं, माननीय मुख्यमंत्री और माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मैं माननीय जल संसाधन मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माता भारत रत्न पूर्व प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की नदी जोड़ो परिकल्पना को पूर्ण एवं साकार करने के लिए इंटरलिंग परियोजनाओं का कार्य प्रारंभ किया है, मैं आपको इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमारी सरकार ने अपने संकल्प पत्र में मोदी जी की गारण्टी को पूरा करते हुए,

जैसे सिकासार जलाशय जो मेरे ही विधान सभा क्षेत्र में आता है, कोडार जलाशय, इंटर लिफ्टिंग परियोजनाओं के सर्वेक्षण की पूर्णता की ओर शीघ्र डी.पी.आर. तैयार करके स्वीकृति प्रदान करने का जो बजट में लाये हैं, उसके लिए भी मैं माननीय मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद दूंगा। माननीय प्रधानमंत्री जी का नदियों को जोड़ने का जो महत्वपूर्ण लक्ष्य है, उनको पूरा करने के लिए इन्द्रावती इंटर लिफ्टिंग परियोजनाओं के सर्वेक्षण कार्य के लिये 100 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया है, इसके लिए माननीय मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद दूंगा। जल संसाधन विभाग से जुड़ी हुई कुछ बातों को मैं रखना चाहूंगा। पूर्व में बहुत सारी बातें आती थीं हमारे विपक्षी भाईयों के माध्यम से गांव-गांव में एक माहौल बनाया करते थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद इस सरकार में किसानों के लिए काम नहीं कर रहे हैं, किसानों की रबी फसल के लिए पानी नहीं दे रहे हैं। अगर कोई रबी फसल धान लगायेगा तो उनको 50 हजार रुपये दंडित किया जायेगा। यह बड़ी-बड़ी विडंबना की बातें करते थे, गांव वालों को गुमराह करने का काम करते थे। मैं इस सदन के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ में जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की विष्णु देव साय जी की सुशासन की सरकार बनी है, हमारे माननीय वित्त मंत्री जी को, केदार कश्यप, जल संसाधन मंत्री जी हैं, जिसके माध्यम से हमारी पूर्ववर्ती सरकार से 05 साल तक लगातार राजिम क्षेत्र के किसानों ने रबी फसल के लिए सिकासार डेम से पानी की मांग की थी। 05 साल तक रबी फसल के लिए एक बूंद भी पानी देने का काम नहीं किया। लेकिन बड़े सौभाग्य से छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद माननीय जल संसाधन मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी के पास हमारे क्षेत्र के किसानों ने इस बात को मेरे माध्यम से वहां तक पहुंचाया। माननीय मुख्यमंत्री और माननीय जल संसाधन मंत्री जी ने सरकार बनते ही पहली बार राजिम विधान सभा में कम से कम 20 हजार हेक्टेयर में रबी फसल के लिये पानी दिये। मैं हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बहुत-बहुत धन्यवाद दूंगा जो किसानों के हित में काम करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाये हैं। हमारी सरकार के दो वित्तीय वर्ष होने जा रहे हैं, दो वित्तीय वर्ष से लगातार राजिम क्षेत्र, गरियाबंद जिला के किसानों को रबी फसल के लिए पानी दिया जा रहा है। जिससे हमारी किसानों की आर्थिक उन्नति भी हो रही है और सिंचाई सुविधा होने से बहुत सारा लाभ भी हो रहा है। मैं किसानों की ओर से अत्यन्त हर्षित भाव से आपका आभार प्रकट करता हूं। सूखा नदी है, वह 18 गांव ऐसे गांव हैं जहां कई वर्षों से पानी नहीं पहुंच पाया है। लेकिन उन 18 गांव के किसानों ने बहुत सालों से लंबी मांग करते आ रहे थे कि वहां एक बैराज का निर्माण हो। तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह जी के कार्यकाल में भी माननीय महोदय आपके माध्यम से डी.पी.आर. तैयार हुआ था। लेकिन आज मैं हमारे छत्तीसगढ़ के विष्णु देव साय जी की सरकार के जल संसाधन मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद दूंगा जिनके माध्यम से करोड़ों रुपये की लागत से बैराज बनने वाली योजना आपके पास अभी प्रशासकीय स्वीकृति के लिए पहुंची हुई है और आपके माध्यम से कुछ ही दिनों में प्रशासकीय स्वीकृति भी मिलने

वाली है। इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद दूंगा। यह 18 गांव के किसानों के लिए एक वरदान साबित होगा। यह कई वर्षों से लंबी मांग थी, जो आज कहीं न कहीं हमने बनाया है और हम ही संवारेगे, यह लक्ष्य आज देखने को भी मिल रहा है। माननीय महोदय, यह आपके ही माध्यम से आपकी ही योजना बनाई हुई थी और लगातार मैं इस बात को लोगों के बीच बोलता भी हूँ कि हमने बनाया है, हम ही संवारेगे। यह बात कहीं कोई कल्पना नहीं है, आज चरितार्थ भी है और हम सबको आज देखने को भी मिल रहा है। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आज यह संभव हो पा रहा है कि 18 गांव के इन किसानों, अन्नदाताओं को जीवनदायिनी के रूप में करोड़ों रुपये का बैराज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में स्वीकृत होने वाला है। इसके लिए मैं बहुत-बहुत धन्यवाद दूंगा। माननीय सभापति महोदय, एक निवेदन और करूंगा, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। निःसंदेह इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद दूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसे ही यह बैराज की स्वीकृति होगी, पूरे राजिम क्षेत्र और गरियाबंदवासियों की ओर से अभिनंदन समारोह के रूप में हम आमंत्रित भी करेंगे और किसानों के हित में जो काम कर रहे हैं, उनके लिए हम सभी हमारी सरकार के जनप्रतिनिधि और हमारे सदन के माध्यम से मैं बहुत-बहुत धन्यवाद भी दूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपसे एक और निवेदन है, मैं सरकारिता में बोलना चाहूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसे हमारी सरकार द्वारा प्रदेश के कृषकों को सहकारी समितियों के माध्यम से शून्य प्रतिशत की ब्याज दर पर अल्पकालीन कृषि ऋण वितरण किया जा रहा है, यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। यह वर्ष 2024-25...।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, आपके साथ 3 महिलाएं हैं। एक पुरुष अभी अंदर आया है बाकी आपके साथ 3 महिलाएं हैं।

नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरणदास महंत) :- आपके साथ हैं।

श्री अजय चंद्राकर :- आप तो नेता हैं भैया। आपके साथ रहेंगे।

डॉ. चरणदास महंत :- मैं वही तो बोल रहा हूँ कि आपके साथ कितने हैं वह भी बता दीजिए न।

श्री अजय चंद्राकर :- मैं तो सदस्य हूँ, आप नेता हैं आपके साथ...।

डॉ. चरणदास महंत :- मैं भी तो यहां सदस्य हूँ, सदन में तो सदस्य हैं।

श्री अजय चंद्राकर :- आप नेता हैं।

डॉ. चरणदास महंत :- चलिए, यहां महिलाओं-पुरुषों में गिनती नहीं होनी चाहिए। सम्माननीय सांसद है, हमारी उपस्थिति कम हो सकती है, आपकी ज्यादा है क्योंकि उधर रेवड़ी ज्यादा है, इधर नहीं है।

श्री रोहित साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2024-25 में फरवरी तक प्रदेश में लगभग 15 लाख 21 हजार कृषकों को 7709 करोड़ रुपए कृषि ऋण वितरित किया गया है इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद दूंगा। मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे गरियाबंद जिले में जो

सेवा सहकारी समिति है और एक विशेष समस्या भी है, पांडुका क्षेत्र है। जहां पूर्व में आवेदन भी चूंकि मैंने आपको मांग-पत्र प्रेषित किया है और क्षेत्रवासियों की बहुत पुरानी मांग है। वहां गरियाबंद के पहुंचते तक 40 किलोमीटर की दूरी होती है, जहां पांडुका क्षेत्र में 5 समितियों से जुड़ा हुआ क्षेत्र है। जहां 40 किलोमीटर दूर गरियाबंद जाना पड़ता है तो माननीय अध्यक्ष महोदय में आपके माध्यम से ध्यानाकर्षण करना चाहूंगा कि पांडुका क्षेत्र राजिम से लगा हुआ पांडुका क्षेत्र है। यदि पांडुका में सेवा सहकारी समिति कॉर्पोरेटिव बैंक का निर्माण हो जाए, वहां कॉर्पोरेटिव बैंक खोल दिया जाए, वहां शुभारंभ किया जाए तो कम से कम 5 हजार कृषक उनका लाभ ले सकेंगे और जो 40 किलोमीटर के वनांचल क्षेत्र से पैसा लेकर आना-जाना करते हैं, उनको आते समय बड़ी चिंता भी होती है इससे राहत भी मिलेगी।

अध्यक्ष महोदय :- समाप्त करें।

श्री रोहित साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यही निवेदन करूंगा और एक वन क्षेत्र से जुड़ा हुआ चिंगरापखार है। चिंगरापखार गरियाबंद से लगा हुआ है, waterfall है। जैसे आपके बस्तर क्षेत्र में जो waterfall है, वैसा ही मनोरम दृश्य है। वहां भी कोई पर्यटन की दृष्टि से कुछ अच्छा कार्य हो जाए चूंकि वह उस क्षेत्र में पर्यटन से जुड़ा हुआ क्षेत्र है गरियाबंद जिला। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा यही निवेदन है। मैं आज इस बजट का भरपूर समर्थन करते हुए आपको इस सदन के माध्यम से बहुत-बहुत धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिये आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल (डोंगरगढ़) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात मांग संख्या- 23, 45, 48, 57 और 75 जल संसाधन पर अपनी बात रखूंगी। माननीय मंत्री जी ने अपना बजटीय प्रावधान 4755.34 करोड़ रुपये रखा हुआ है और समस्त जिलों के जो सिंचाई स्रोत हैं वह 39.62 प्रतिशत है। अभी सभी सदस्यों ने 5 हजार करोड़- 5 हजार करोड़ कहा लेकिन मैंने देखा तो इसमें इतना कम है। चूंकि अभी गति की बात हमारे माननीय वित्तमंत्री जी ने कही है तो मैं अभी एक छोटी सी बात कहना चाहूंगी कि मेरे से पहले पूर्व वक्ता ने, जो सदस्य थे उन्होंने कहा कि 5 साल तक एक बूंद पानी नहीं मिला तो हमारे किसान कैसे किसानी कर रहे थे और दूसरी बात अभी वर्तमान पिछले सदन की बात है। मैंने आपके पास अपनी बात रखी थी और ध्यानाकर्षण लगाया था कि हमारे राजनांदगांव जिले में सिंचाई की शुरुआत नहीं हो पा रही है। वहां किसानों की शिकायत है और वहां पर अभी तक सिंचाई के लिये पानी की व्यवस्था नहीं हो पायी है। बांधों का दरवाजा नहीं खोला गया है।

समय :

5.00 बजे

माननीय अध्यक्ष महोदय, ये दोनों बात असत्य नजर आ रही है। ये गति है या दुर्गति है? आप यह ज्यादा बेहतर समझ सकते हैं। मैं आज माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगी कि हमारे विभाग का मूल

दायित्व जल का संरक्षण एवं संवर्धन करते हुए प्रदेश में सिंचाई क्षमता का विकास और अधिक से अधिक कृषकों तक सिंचाई का लाभ पहुंचाना है। इस हेतु विभाग द्वारा वर्तमान एवं भविष्य की जल आवश्यकताओं को राज्य एवं जिला स्तर पर आंकलन एवं उसकी पूर्ति के लिए उपाय हेतु कार्य योजना बनाई जाती है। आपसे निवेदन है कि व्यवस्थित तौर पर व्यवस्था को बनायें। इस तरह से गति पर जो दुर्गति हो रही है, उसे आप रोकें। आपसे यह और कहना चाहूंगी कि मैं बहुत ही शार्ट में अपनी बातों को खत्म करना चाह रही हूं।

अध्यक्ष महोदय :- आप अपने क्षेत्र की बात में आ जाएं।

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :- मैं सीधी बात करना चाहूंगी। पिछले बजट में प्रधानपाठ बैराज के लिए उसका गेट जो टूटा हुआ है, उसके लिए बजट में प्रावधान किया गया था। उसका जब लोकार्पण हुआ तो माननीय हमारे अध्यक्ष जी, आप ही ने यहां जाकर उसका लोकार्पण किया था। आपसे निवेदन है कि वह आज टूट चुका है जो सबसे बड़ा प्रधानपाठ है और मेरे क्षेत्र से वहां से पानी डाइवर्ट होकर पूरे साजा विधान सभा तक पहुंचता है। उससे ऊपर कुकरापाट है, जहां पर पिछले बजट में राशि स्वीकृति के लिए आयी थी, लेकिन उसकी राशि नहीं मिल पाई और वह रुका हुआ है। उस कुकरापाट के बांध का जो निर्माण होना था, उसमें बहुत सारे विरोध हैं और वहां पर बहुत सारे जंगलों को काटना भी पड़ सकता है तो आपसे निवेदन करना चाहूंगी कि उससे ही ऊपर एक भादरीखोल जगह है, जिसका आप सर्वे करवा दें। मंत्री जी, आपसे निवेदन करना चाहूंगी। अगर सर्वे होता है तो वहां का पानी हमारे प्रधानपाठ और प्रधानपाठ से रूसे तक आएगा और रूसे का जो पानी है, वह साजा तक जा सकेगा। उससे मेरी पूरी विधान सभा के अलावा साजा विधान सभा को लाभ मिलेगा। आपसे एक निवेदन और करना चाहूंगी कि इस बीच पर जो लाइनिंग बनी हुई है, अभी तेंदुभाठा पर कार्य निर्माणाधीन है, जहां पर बिना भूमि पूजन के, बिना विधान सभा के विधायक को बताये वहां के अधिकारी ठेकेदारों को दे दिया गया और ठेकेदार कैसे शुरुआत किए, उसकी कोई जानकारी नहीं। जब मैंने ई.ई. पूछा तो बोले कि हमको भी जानकारी नहीं है, तो इस तरह से दुर्गति हो रही है, जिस पर आपको ध्यान देना आवश्यक एक । आज हम गति और बजट की बात करते हैं। जब हम बजट बना रहे हैं और बजट का कोई दुरुपयोग कर रहा है तो उसको रोकने का कार्य भी हमारा है। तो माननीय मंत्री जी को बताना चाहूंगी कि वहां पर बहुत सारे किसानों की खेत भूमि जिसको अधिग्रहित किया गया और उनकी फसल का नुकसान भी होना चालू हो चुका है और उनकी भूमि का जब आप अधिग्रहण कर रहे हैं तो उनको मुआवजा भी मिलना चाहिए, जो आज पर्यन्त तक के उनके लिए मुआवजा का भी कोई प्रावधान नहीं किया गया है तो आपसे मैं निवेदन करती हूं कि हमारे जो क्षेत्र तेंदुभाठा जलाशय के मोहरा ग्राम और वहां पर जितने आसपास के गांव हैं, जहां से लाइनिंग गुजर रही है, वहां पर के जितने किसानों की जमीन आ रही है, उनको मुआवजा दिया जाए। मैं आपसे निवेदन करते हुए अपनी बात को यहीं समाप्त करती हूं कि हमारे क्षेत्र में बहुत सारे कार्य हैं,

जिसे आपको व्यवस्थित तौर पर करवानी है और घुमका से पटेवा रोड पर सोनबरसा नाला है, जहां पर अगर बांध अगर बन जाता है तो वह जो एरिया सूखाग्रस्त एरिया है, वह प्रभावशील हो जाएगी, मैं आपसे उसकी भी मांग करती हूं। अपनी मांग को यहीं पर खत्म करते हुए, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय :- श्रीमती रायमुनी भगत। अपनी विधान सभा में केंद्रित रहिए।

श्रीमती रायमुनी भगत (जशपुर) :- सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, जशपुर विधान सभा चूंकि हाथी प्रभावित क्षेत्र है और इस वर्ष हाथी से कई लोगों की मृत्यु हुई है और विशेषकर हाथी शहरी क्षेत्रों में घुसने लगे हैं, इसके लिए हाई मास्ट लाइट की जरूरत है। किनारे-किनारे हाई मास्ट लाइट लगाने की बहुत जरूरत है। हमारे क्षेत्र में बादलखोल अभ्यारण्य है। बादलखोल अभ्यारण्य में अंधाधुंध तरीके से पेड़ों की कटाई हो रही है। मैं अपने विधान सभा क्षेत्र की मांग को ही रखूंगी। बादलखोल अभ्यारण्य में वन्य प्राणियों एवं हाथियों के भोजन एवं पानी की व्यवस्था के लिए बेंद नदी में बड़े बैराज की आवश्यकता है ताकि हाथी बादलखोल अभ्यारण्य से बाहर न निकलें। अध्यक्ष महोदय, जशपुर क्षेत्र में कई जलप्रपात हैं मां खुडियारानी है, कैलाश गुफा है, चिरचिरी वाटरफाल है, दनगरी वाटरफाल है, मकरभंजा वाटरफाल है जिसमें रास्ते की जरूरत है। चूंकि वन विभाग में रास्ता बनाना बहुत कठिन है। कई जगह ऐसे हैं कि ग्रामीणजनों के आने-जाने के लिए भी रास्ता नहीं है जैसे लुईकोना से रजला पहुंच मार्ग, छिरोडी से बुरजूडीह पहुंच मार्ग, वनों के बीच में मार्ग है। माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि सेंक्शन देने की कृपा करेंगे। बाकी हमारे क्षेत्र में 19 नई परियोजनाओं का बजट में शामिल होना बहुत बड़ी बात है, इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देते हुए अपनी बात को समाप्त करती हूं।

श्रीमती गोमती साय (पत्थलगांव) :- अध्यक्ष महोदय, मैं फरसाबहार नागलोक से आती हूं। वहां सर्पज्ञान केन्द्र बहुत दिनों से चल रहा है केवल एक विषय को रख रही हूं। माननीय मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि सर्पज्ञान केन्द्र में काम को थोड़ा आगे बढ़ाएं ताकि सर्पदंश के मामले में, सर्प से ही जहर को निकाल कर उससे इंजेक्शन बनाया जाता है। इसलिए उसका संरक्षण करना भी जरूरी है और तपकरा में छोटा सा सर्पज्ञान केन्द्र बना है उसका थोड़ा विस्तारीकरण करें, इतना ही निवेदन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूं।

श्रीमती उद्धेश्वरी पैकरा (सामरी) :- अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत अनुदान मांगों का समर्थन करते हुए मैं बताना चाहूंगी कि हमारे वित्त मंत्री ओ.पी.चौधरी जी ने वन विभाग और जल संसाधन विभाग की बहुत सारी मांगों को बजट में शामिल किया है। इसके लिए मैं वित्त मंत्री श्री ओ.पी.चौधरी जी और जल संसाधन मंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देती हूं। अध्यक्ष महोदय, आप जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे। मेरा विधान सभा क्षेत्र वनांचल में है और हमारे वन मंत्री जी का भी विधान सभा क्षेत्र वनांचल है। सरगुजा और बस्तर वनों से घिरा हुआ है। जिस समय आप मुख्यमंत्री हुआ

करते थे उस समय तेंदूपत्ता तोड़ने वाले हमारे आदिवासी भाई बहनों को आपने चरण पादुका प्रदान की थी। जब सुबह 4 बजे हमारे आदिवासी भाई तेंदूपत्ता, जिसे हम हरा सोना कहते हैं, तोड़ने निकलते थे तो उनके पैरों में कांटा, खूटी न गड़े, उसके लिए आपने प्रावधान किया था और आपनके द्वारा किए गए प्रावधानों को पिछली सरकार ने जो चरण पादुका दी जाती थी, उसमें कटौती कर दिया। उसको भी हमारे इस बजट में शामिल किया गया है और हमारी जन हितैषी सरकार ने इस निर्णय को लिया है और चरण पादुका योजना को फिर से चालू किया है, मैं इसके लिए बहुत-बहुत बधाई देती हूं, इस बजट में 50 करोड़ रूपए का पुनः प्रावधान रखा है। हमारी सरकार जैसे ही सत्ता में आई वैसी ही हरा सोना के दाम में बढ़ोत्तरी की। पिछली सरकार तेंदूपत्ता का 4000 रूपए प्रति मानक बोरा देती थी, उसको बढ़ाकर हमारी सरकार ने 5500 रूपए प्रति मानक बोरी किया। इसके लिए हमारी सरकार ने 40 करोड़ रूपए का प्रावधान किया है, मैं इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार ने सिंचाई परियोजना के लिए कोई बजट नहीं रखा था, हमारी सरकार 13 महीनों की सरकार है, इसमें पुरानी परियोजना और नई परियोजना को समायोजित किया है, मैं उसके बहुत-बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूं। माननीय मंत्री जी ने नई अटल सिंचाई योजना लागू करने का निर्णय लिया है, मैं इसके लिए माननीय वित्त मंत्री जी और सिंचाई मंत्री जी को बधाई और शुभकामनाएं देती हूं। अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में शक्कर कारखाना है लेकिन हमारे विधानसभा क्षेत्र के बगल में, प्रतापपुर विधान सभा में केरता में शक्कर कारखाना है, मेरे विधान सभा में बहुत मात्रा में गन्ने का उत्पादन होता है और वहां जाता है लेकिन वहां वनांचल क्षेत्र है और जंगल से लगा हुआ है, हाथी प्रभावित क्षेत्र है, जब हाथी गन्ने के खेतों में जाता है और गन्ने का नुकसान करता है, उसकी क्षतिपूर्ति की राशि किसानों को नहीं मिल पाती है। मैं आपको धन्यवाद दूंगी कि आपने इसके लिए 40 करोड़ रूपए का प्रावधान किया है। किसानों के हित को देखते हुए, किसानों को गन्ने की जो क्षतिपूर्ति होती है, उसका सही मूल्य देने की कृपा करें। अध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा न कहते हुए अपने विधान सभा क्षेत्र की बात करूंगी। मेरी विधान सभा क्षेत्र की एक दो मांगें हैं। माननीय मंत्री जी, आप विधान सभा चुनाव से पहले मेरे विधान सभा क्षेत्र के चांदो में आए थे। चांदो में बहुत पुराना फॉरेस्ट रेस्ट हाउस है, वह रेस्ट हाउस जर्जर हो चुका है। मैं आदरणीय वन मंत्री जी से निवेदन करूंगी कि चांदो में नवीन रेस्ट हाउस बनाने की कृपा करें और रेस्ट हाउस पहुंचने तक की जो सड़क है, उसको भी बनाने की कृपा करें, यह मेरी मांग है। उसी तरह से कुसमी में सिंचाई विभाग का जो रेस्ट हाउस है, वह भी बहुत जर्जर है, बहुत पुराना रेस्ट हाउस है, मैं चाहूंगी कि कुसमी में जो फॉरेस्ट रेस्ट हाउस है, उसको भी नया स्वीकृत किया जाए। अध्यक्ष महोदय, सभी सदस्यों ने अपने-अपने भाषणों में कहा कि सहकारी समिति की बैंक में हमारे किसान भाईयों ने धान बेचा है, वहां किसानों का कहना है कि हमने बैंक से लोन नहीं लिया है और हमारे पैसे को कांटा जा रहा है। मैं आदरणीय सहकारिता मंत्री जी से निवेदन करूंगी कि इसे अपने स्तर से जांच करा लें। उसी प्रकार से

हमारे राजपुर में वन रेस्ट हाऊस में बहुत इफरात जमीन है, लेकिन वह जंगल-झाड़ी से पूरा घिरा हुआ है। मैं वन मंत्री जी से निवेदन करूंगी कि आप उस झाड़-झंखड़ की साफ-सफाई कराने की कृपा करें। पर्यटन की दृष्टि से वहां पर समय-समय पर हम लोग आना-जाना करते हैं और वह रास्ते में भी है तो कभी-कभी वहां पर हिरण, खरगोश, सांप जैसे जंगली-जानवर भी देखने को मिलते हैं। आदरणीय सहकारिता मंत्री जी से मैं सेवा सहकारी मर्यादित बैंक के संबंध में मांग करना चाहती हूँ। हमारी जो सेवा सहकारी मर्यादित बैंक है, वह 40 किलोमीटर दूर है। हम लोग चांदो से कुसमी आते हैं क्योंकि चांदो में सेवा सहकारी मर्यादित बैंक नहीं है। किसानों की समस्या को देखते हुए मैं आपसे चांदो में सेवा सहकारी मर्यादित बैंक खोलने की मांग करती हूँ। उसी तरह से राजपुर में एक सेवा सहकारी मर्यादित बैंक है और वहां पर बहुत भीड़ होती है। रोड में बैंक है, लेकिन वहां पर छाया भी नहीं है, पानी की भी व्यवस्था नहीं है तो मैं आपसे बरियो में एक अलग से सेवा सहकारी मर्यादित बैंक खोलने की मांग करती हूँ। मैं ज्यादा न कहते हुए अपनी बात समाप्त करती हूँ। आज मुझे यहां पर बोलने का मौका मिला, इसके लिए मैं अध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री जी, वन मंत्री जी और आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ।

अध्यक्ष महोदय :- लता उसेण्डी जी।

सुश्री लता उसेण्डी (कोण्डागांव) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी के बजट मांग के समर्थन में बोलने के लिए खड़ी हुई हूँ। मेरे विधान सभा क्षेत्र में 5 ब्लॉक, 1 नगर पालिका और 2 नगर पंचायतें आती हैं। उस पंचायत में 2-3 गांव ऐसे हैं, जिसमें 3000-3000 व 4000-4000 मतदाता हैं। ऐसी पंचायत, नगर पालिका, नगर पंचायत और ब्लॉक मुख्यालय के इर्द-गिर्द की यदि मैं बात करूं तो वह सब वन क्षेत्र हैं। धीरे-धीरे करके उन गांवों का विस्तारीकरण हो रहा है और शहर का विस्तारीकरण हो रहा है। लोग अतिक्रमण भी कर रहे हैं। माननीय मंत्री जी, उनके संरक्षण के लिए कोई विशेष कार्य योजना बनाकर उस क्षेत्र में काम करने की आवश्यकता है। ताकि आने वाले समय में पर्यावरण की दृष्टि से और पर्यटन की दृष्टि से भी हम उसे संरक्षित कर पाये। लोगों को वहां पर अभी एक अच्छा वातावरण मिल रहा है और आने वाले समय में भी मिलता रहे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे एक और बात समझ में नहीं आई कि जब कोई भी किसान वन भूमि की कटाई करके नया खेत तैयार करता है तो मेरी जानकारी के अनुसार खेत विकसित करने में उसे कम से कम 7-8 साल लगते हैं। सबसे पहले जंगल की कटाई होती है, फिर जब वह उसको तैयार करके मरहान बनाता है तो उड़द, हरवा, कुल्थी, मक्का और फिर जब वह धान का उत्पादन करता है तो धान के उत्पादन में उसे 8-9-10 साल लगते हैं। फॉरेस्ट वालों का प्रोजेक्ट कितने साल पहले बनता है, इसका मुझे idea नहीं है, क्योंकि कई जगहों में जब वृक्षारोपण करने के लिए जाया जाता है तो उन खेतों में लोग धान उगाने की तैयारी में रहते हैं, तब फॉरेस्ट के हमारे अधिकारीगण उसमें पौधारोपण के लिए जाते हैं। यह जो controversial मुद्दा है, इसमें आये दिन हम सब लोगों के पास इस तरह के मामले

आते रहते हैं। उसके कारण हमको भी दिक्कत होती है, फॉरेस्ट के हमारे अधिकारियों को भी दिक्कत होती है और पुलिस वालों को भी दिक्कत होती है। मुझे लगता है कि इसपर चिंतन करनी चाहिए। क्या हमारे फॉरेस्ट के अधिकारियों के पास इसके लिए कोई कार्य योजना है ? वह उसे किस तरीके से करेंगे, जिससे उन क्षेत्रों में इस तरह के विवाद न हों।

माननीय अध्यक्ष महोदय, रेत की खदान जो फॉरेस्ट एरिया में आती है। उसके संबंध में लगातार मांग की जा रही है कि उसको फॉरेस्ट की NOC दी जाये, ताकि रेत खदानें चलती रहें। रेत खदानें चल रही हैं, लेकिन रेत खदानों में फॉरेस्ट की NOC नहीं होने की वजह से परमिट नहीं मिलता है। उतनी ही रेत चोरी हो रही है। आये दिन ट्रैक्टर वाले को पकड़कर ले जाया जाता है, फिर वह विषय पुलिस के पास जाता है और फिर वह विषय हम लोगों तक आता है। मैं माननीय मंत्री जी से कहना कि फॉरेस्ट से एन.ओ.सी. दिला दें। क्योंकि हमारा नारंगी नदी, मारकण्डेय नदी रेतीला क्षेत्र है, वहां उनको परमिट मिल जाये और उस तरह की दिक्कत न आये। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में 2-3 जगह ऐसी है, माननीय मंत्री उससे भी ज्यादा ऐसी जगहें हैं, आप सारे क्षेत्रों को जानते हैं। एक मालाकोट पंचायत है, यह नारायणपुर जाने वाले सड़क में है, वहां पर एक छोटा सा नाला है, वहां आए दिन हिरणों को देखा जाता है। माननीय मंत्री जी, उनके संरक्षण के लिए कुछ व्यवस्थित कार्ययोजना बनाने की आवश्यकता है। आप उसके लिए कार्ययोजना बनवा दें ताकि आने वाले समय में पर्यटन की दृष्टि से भी उस क्षेत्र का उपयोग कर सकें, ऐसे ही अपना जोगी अलवाड़ है, मालाकोट है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां एक पहाड़ है, जो शहर से लगा हुआ है। मैं उसके लिए माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगी कि उसमें भी हम लोगों ने कुछ योजना बनाई है, जिसको आने वाले समय में आप स्वीकृति प्रदान करेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जल संसाधन विभाग के विषय में कहना चाहूंगी कि माननीय मंत्री जी ने मुझे 10 नये एनीकट स्वीकृत करके दिया है, मैं उसके लिए बधाई और धन्यवाद देती हूं। लेकिन मैं एक चीज के लिए आग्रह करना चाहूंगी कि नारंगी नदी में निर्मित स्टाप डेम पुराना है, सिर्फ नारंगी नदी की बात नहीं है, कोण्डागांव जिले और कोण्डागांव विधान सभा क्षेत्र में जितने भी स्टापडेम और एनीकट बने हैं, वे काफी पुराने हो गए हैं। उनके सारे गेट की स्थिति जर्जर है इस कारण पानी का भराव नहीं हो पाता है। इसलिए उन्हें प्रोजेक्ट में लेकर मरम्मत कार्य के लिए बजट उपलब्ध करायेंगे ताकि उसका मरम्मत हो और हमारे कोण्डागांव जिले में जल स्रोत भी बना रहे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, वन में एक लाईन और जोड़ना चाहूंगी। माकड़ी, अमरावती में भी वन विभाग के रेस्ट हाऊस की आवश्यकता है, उसकी स्वीकृति माननीय मंत्री जी प्रदान करेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर मैं सहाकारिता की बात करूं तो हमारे यहां बड़ी संख्या में किसान हैं और बैंकों की संख्या कम है। लगभग 1 लाख के आसपास किसान खातेदार हैं। मैं अपने कोण्डागांव विधान सभा क्षेत्र की बात कह रही हूं। इसलिए कोण्डागांव विधान सभा क्षेत्र में दहीकोंगा है, केवड़बालेंगा

है, बड़ेकनेरा है, अमरावती-हीरापुर है, रांगना है, इन जगहों में बैंक की स्थापना होगी तो हमारे किसानों को, खातेदारों को खाता संचालित करने में आसानी होगी। क्योंकि उनके पासबुक का संधारण नहीं हो पाता है। डिजीटल का जमाना है, आजकल आनलाईन पेमेन्ट और सारी चीजें चलती हैं, लेकिन हमारे कई किसानों को यह भी पता नहीं चल पाता है कि हमारे खाते में कितने पैसा जमा है, कितना पैसा आ रहा है कितना पैसा जा रहा है। मैसेज में जो रहता है, वही रहता है। मैसेज देखने के बाद भूल भी जाते हैं और एक बड़ी कन्ट्रोवर्सल स्थिति उत्पन्न होती है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगी कि हमारे विधान सभा क्षेत्र में 4 सहकारी बैंक की भी स्थापना कर दें। एक जगह दहीकौंगा में तो ऑफिस भी बना दिया गया है, बिजली कनेक्शन भी हो गया है, सिर्फ इंतजार है कि वहां अधिकारी आये और बैंक का संचालन शुरू करें, ऐसी स्थिति मेरे विधान सभा क्षेत्र में है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए आपको धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय :- श्री योगेश्वर राजू सिन्हा, फटाफट अपने क्षेत्र की बात कर लें।

श्री योगेश्वर राजू सिन्हा (महासमुन्द) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन में माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत अनुदान मांग संख्या 10, 17, 23, 45, 47, 57, 75 एवं 28 के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने बहुत सारी जनकल्याणकारी योजनाओं हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, जिसमें कुछ बिन्दुओं पर ही अपनी बात रखना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में जल संसाधन विभाग से सिकासेर बांध का पानी राजिम विधान सभा क्षेत्र एवं खल्लारी विधान सभा क्षेत्र से होते हुए महासमुन्द विधान सभा के ग्रामों में पानी पहुंचाने हेतु सर्वे कार्य के लिए 5 करोड़ 79 लाख का स्वीकृति प्रदान प्रदान की थी। यह सर्वे का काम लगभग पूर्ण स्थिति में आ गया है। मैं मंत्री जी से यही आग्रह करना चाहता हूं कि हमारे सीकासार बांध का पानी अगर नहर के माध्यम से राजिम विधान सभा क्षेत्र से होते हुए खल्लारी विधान सभा क्षेत्र और खल्लारी विधान सभा क्षेत्र से होते हुए महासमुन्द विधान सभा क्षेत्र में आता है तो निश्चित रूप से तीनों विधान सभा क्षेत्र डबल फसल के रूप में जाना जाएगा। इससे पूरे क्षेत्र में किसानों का आय डबल हो जाएगा। प्रधानमंत्री जी का सपना है कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत का निर्माण करना है। निश्चित रूप से महासमुन्द विधान सभा क्षेत्र में डबल फसल होने से इस क्षेत्र में काफी आय का साधन बढ़ेगा। सिर्फ डबल फसल करना नहीं होगा। हमारा महासमुन्द विधान सभा क्षेत्र एन.एच.-53 से लगभग कटा हुआ है। भले ही महासमुन्द विधान सभा क्षेत्र रायपुर के नजदीक है, लेकिन एन.एच.-53 से कटे होने के कारण वहां पिछड़ापन है। अगर इसमें किसान भाईयों को डबल फसल का पानी मिलेगा तो इससे निश्चित रूप से उनको आय होगा। उस आय से हमारे व्यापार एवं अन्य साधन हैं, उसमें बहुत ज्यादा ग्रोथ होंगे। मैं मंत्री जी से यही विनती करना चाहता हूं सीकासार बांध की जो मांग है, उसको पूरा किया जाये। जहां महासमुन्द विधान सभा क्षेत्र

में सिर्फ सिंगल फसल होती है। इस वर्ष माननीय मंत्री जी ने जल संसाधन विभाग से खेती में डबल फसल करने के लिए बजट में 08 कार्यों को शामिल किया गया है, उसके लिए मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथ ही साथ पिछली सरकार ने वर्ष 2018 से 2023 के बीच में चरण पादुका योजना के लिए जो 50 करोड़ रुपये का प्रस्ताव दिया है, उसके लिए भी मैं उनको धन्यवाद देता हूँ और भी जो मेरी मांगें हैं, उसको उन्होंने पूरा किया है, उसके लिए मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय :- सभा के समय में रात्रि 07 बजे तक की वृद्धि की जाये। मैं समझता हूँ कि सभा इससे सहमत हैं।

सभा द्वारा सहमति प्रदान की गई।

वित्तीय वर्ष 2025 - 2026 की अनुदान मांगों पर चर्चा (क्रमशः)

अध्यक्ष महोदय :- माननीय डॉ. चरणदास महंत जी।

नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरणदास महंत) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया है। सब साथी लोग बोल ही चुके हैं। मैं श्री केदार कश्यप जी के ..।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, आपको मौका देने की जरूरत नहीं है। आप कहीं पर भी, कभी भी बोल सकते हैं। आपको नाम देने की भी जरूरत नहीं है।

डॉ. चरणदास महंत :- चन्द्राकर जी, ऐसा है कि आपके रहते यहां कोई बोल पाये, यह संभव नहीं है। (हंसी) जब यहां कोई बोलने के लिए उठता है तब आप उसकी टांग खींच देते हैं और मैंने आपसे कहा था कि जितने भी आंकड़ों की बातें हैं कि कितना खर्च हुआ है, कितना खर्च नहीं हुआ है, किसमें जीरो रुपये खर्च हुआ, कितने कार्यों में कितने प्रतिशत का काम हुए, उसमें मेरी तरफ से बात कर दीजिएगा। इसलिए मैं आंकड़े वाले काम छोड़ देता हूँ। चूंकि संसदीय कार्य मंत्री जी के प्रति मेरी जवाबदारी बनती है। अगर मैं नहीं बोलूंगा तो यह बाहर चले जायेंगे। चन्द्राकर जी कहेंगे कि ये लोग दोस्ती निभा रहे हैं, कुछ बात नहीं कर रहे हैं, कुछ बुराई नहीं कर रहे हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- दोस्ती किससे क्या है, मेरे को मतलब नहीं है। मेरा तो मतलब यह है कि आपका और मेरा संबंध शाश्वत है।

डॉ. चरणदास महंत :- आप वहीं तक सीमित रहिये। हम दोनों की दोस्ती, हम तीनों की दोस्ती, हमारे परिवार के साथ है। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 44 प्रतिशत तो हमारा लगभग वन क्षेत्र है और 56 प्रतिशत कृषि का क्षेत्र है। यदि हम लोग वास्तव में छत्तीसगढ़ी लोगों का उत्थान करना चाहते हैं, उनके लिये कुछ प्रगति करना चाहते हैं, उनके लिये कुछ कर के दिखाना चाहते

हैं तो हम इन दोनों क्षेत्रों में विशेष ध्यान देना पड़ेगा । कृषि के क्षेत्र में और वन के क्षेत्र में। अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से सीधे सवाल तो नहीं कर पा रहा हूँ, मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि 14 महीनों में क्या हुआ, चन्द्राकर जी ने कुछ बताया होगा, लेकिन मुझे तो नहीं दिखता है कि कुछ हुआ है ? अध्यक्ष महोदय, 14 महीनों में यह नहीं लगा कि हम लोग छत्तीसगढ़ियों के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं, ऐसा लगा ही नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ा सा वित्तीय बात कर दूँ, वित्तीय वर्ष 2024-2025 में राज्य योजना अंतर्गत कुल प्रावधानित राशि 762 करोड़ 52 लाख थी, इसके विरुद्ध हम लोगों ने कुल रूपये 173 करोड़ 92 लाख खर्च किया । अब इसको परशेंटेज में कहें तो मात्र 22.81 परशेंट होता है । अध्यक्ष महोदय, उसी तरह केन्द्र प्रवर्तित योजना की बात करूँ तो बजट प्रावधान 39 करोड़ 90 लाख था, जिसके विरुद्ध व्यय राशि मात्र 12 करोड़ 99 लाख हुआ है । यह 32 परशेंट है । अध्यक्ष महोदय, जो राशि हमारे पास है, हम उसमें से 22 परशेंट तथा 32 परशेंट ही खर्च कर पा रहे हैं, इसका अर्थ यही होता है कि हमने वन विभाग में काम करने का या तो सोचा नहीं या किया नहीं या समझ नहीं आया । अध्यक्ष महोदय, मैं केन्द्रीय क्षेत्रीय योजना की बात कहूँ तो प्रावधानित राशि मात्र 15 करोड़ थी, उसमें 0 परशेंट व्यय हुआ है । मेरे ख्याल से यह चन्द्राकर जी ने बता दिया होगा । अध्यक्ष महोदय, हमारे पास एक बहुत बड़ा धन कैम्पा मद से आता है, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि वन विभाग उससे कुछ भी काम करा सकने में सक्षम हैं । अगर आपके संबंध अच्छे हैं तो कैम्पा मद से कुछ भी हो जाता है । उसके बावजूद भी सिर्फ 50 प्रतिशत कैम्पा से राशि खर्च हुये हैं, उसमें 1000 करोड़ आया था और वह लगभग 500 करोड़ खर्च हुये हैं । अध्यक्ष महोदय, हमारे पास पैसे रहते हैं, उसके बावजूद भी हम खर्च क्यों नहीं कर पाते हैं ? हम लोग अपने पैसों को इसलिये खर्च नहीं कर पाते हैं कि फारेस्ट विभाग के पैसे फारेस्ट विभाग के अधिकारियों के माध्यम से ही खर्च कराते हैं। हमारे पास कोई टेण्डर कराने की व्यवस्था नहीं है, ठेका देने की व्यवस्था नहीं है, दूसरों को करने की व्यवस्था नहीं है, वह बात अलग है । फारेस्ट विभाग के अधिकतर अधिकारी और कर्मचारियों के पास जे.बी.सी. है, ट्रक है, ठेकेदारी के जो साधन हो सकते हैं, वह सब चीज है । अध्यक्ष महोदय, उनके इतने सारे रिश्तेदार हैं कि अपने बाल-बच्चे और रिश्तेदारों के नाम से ठेका करते हैं, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, आप पता कर लीजिए और आपको स्वयं पता होगा । अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी के सामने एक सवाल खड़ा कर रहा हूँ कि हम क्यों न फारेस्ट विभाग के कामों को निविदा के माध्यम से या ठेकेदारों के माध्यम से काम कराना शुरू कर दें ? उससे आपके पैसे का समय पर सदुपयोग हो जायेगा । भ्रष्टाचार ज्यादा से ज्यादा 5-10 परशेंट का होता है, वह तो होता रहेगा, कम से कम इससे हमारा पैसा तो खर्च हो जायेगा ? आज आपका 22 परशेंट खर्च हो रहा है, 32 परशेंट खर्च हो रहा है, 50 परशेंट खर्च हो रहा है, अब इसमें क्या आपत्ति होगी ? अगर वन विभाग का काम हम निविदा के माध्यम से, टेण्डर के माध्यम से, ठेकेदारों के माध्यम

से कराएंगे तो इसमें हमारा क्या बिगड़ जाएगा ? माननीय मंत्री जी, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इसके बारे में गंभीरता से सोचें । मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन करूंगा, आपसे भी निवेदन करूंगा और आपके सबसे बड़ी सलाहकार चन्द्राकर जी इधर बैठे हुए हैं, मैं उनसे भी निवेदन करेंगे, धर्मजीत जी से भी निवेदन करेंगे कि इसको निविदा के माध्यम से कराया जाये, ऐसा मैं समझता हूँ। आपके पड़ोसी राज्य मध्यप्रदेश में इस तरह के काम ठेके से शुरू हो गए हैं और ठेका से शुरू होने के बाद वन विभाग का काम बहुत गति पकड़ लिया है, यह आप पता कर लीजिएगा ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे जंगल कटते जा रहे हैं । उसकी हम लोग भरपाई के लिए पेड़ लगाते हैं, ऐसा दिखाते हैं कि अगर वृक्षारोपण नहीं करेंगे तो सिंचाई का पानी नहीं मिलेगा, पीने का पानी नहीं मिलेगा इसलिए काम तो दिखाते जरूर हैं, मगर होता कुछ नहीं है । मैं ऐसा समझता हूँ कि वन भूमि में जो गैर वानिकी काम होते हैं, वह कितने होते हैं ? माननीय केदार साहब, आपने देखा है, जाना है, सुना है, किया है । अधिकारी आपको कितना बताते हैं, वह आप समझें, मुझे आप पर आरोप नहीं लगाना है, मगर मेरी जानकारी में अधिकतर काम कागजों पर होते हैं और यह हम आज से नहीं वर्षों से जान रहे हैं । आपकी कृपा से जब हम लोग सांसद हुआ करते थे तो हम वहां वन, पर्यावरण समिति के सदस्य हुआ करते थे, उस बहाने से भी प्रदेश के कई स्थानों में भी दौरा किया, देखा है तो देश में इसी ढर्रे पर काम चलता है । यह तो सब जगह चलता होगा । हमारे लिए एक खुशी की बात यह हो सकती है कि कुछ दिन पहले आई.एस.एफ.आर. (भारत वन स्थिति रिपोर्ट), 2023 के अनुसार भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा द्विवार्षिक आधार पर जो यहां का सर्वे हुआ था, उसमें यह पाया गया था कि हमारे राज्य में वनों में 684 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। यह इनके खुश होने का सवाल नहीं है । यह वृद्धि कांग्रेस के जमाने में गलती से हो गई थी । अब आप इसको अपना मान लें, खुश हो जायें, जैसा भी है, आप कर लें और हमारे पास बजट तो पर्याप्त से भी ज्यादा रहा है, मगर वन क्षेत्र में रहने वाले गरीब, वन क्षेत्र में रहने वाले आपके हिसाब से वनवासी के जीवन स्तर में हम कितना सुधार कर पा रहे हैं, इस तुलनात्मक दृष्टि से हमें वन विभाग का खर्च करना चाहिए, पैसा उपयोग करना चाहिए, बजट का उपयोग करना चाहिए, यह मैं कहना चाहूंगा और आपसे अनुरोध करूंगा । राजनीति से हटकर बेहतर होगा कि आप और हम सब मिलकर वनवासियों के वास्तविक, सामाजिक जीवन को सुधारने के लिए, उनका विकास करने के लिए और उनका आर्थिक उत्थान करने के लिए वन विभाग से कुछ नियम, कानून बना सकें तो यह बेहतर होगा, ऐसा मैं मानता हूँ ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निश्चित रूप वन विभाग के कार्यक्रम से बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ । कश्यप जी, यह आपकी बुराई नहीं है । शायद आपको भी संतोषजनक नहीं लगता होगा कि वन विभाग का काम ठीक चल रहा है । इसलिए ठीक नहीं चलता कि बार-बार यह देखने में आता है कि वनों की कटाई हो रही है, जंगलों की कटाई हो रही है, वन्य प्राणियों का अवैध शिकार हो रहा है, भ्रष्टाचार में सब

चीज खत्म हो रहा है और जिस ढंग से लघु वनोपज का उत्पादन कम होने लगा है, जिस ढंग से बाघों की संख्याएँ भारत के हिसाब से कम होती जा रही है। इन सब बातों को आपको देखना चाहिए। मुझे यह कहना तो नहीं चाहिए कि 44 प्रतिशत भूमि वन क्षेत्र होने के बावजूद राज्य का जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद है, इसका योगदान मात्र 3 प्रतिशत है या इसी के आसपास रहता है, जबकि कृषि का योगदान 10 प्रतिशत के आसपास रहता है। यह मान लें कि हम इस मामले में कमजोर हैं। रोजगार के क्षेत्र में भी 8 करोड़ मानव दिवस दे रहे हैं, तो ये भी इतने बड़े विशाल वन क्षेत्र के माध्यम से बहुत ही कम है। मैं अंत में यही कहना चाहूंगा कि वन समृद्ध रहें, छत्तीसगढ़ महतारी की गोद हरी-भरी रहे और हम सब लोग मिलकर छत्तीसगढ़ की उन्नति और विकास में लगे रहें। आपने पिछली बार ज्ञान की गंगा बहाई है। वित्त मंत्री जी आ गए हैं, वित्त मंत्री जी ने जो ज्ञान की गंगा बहाई है और जिस गति से वह आगे बढ़ना चाहते हैं, उस गति को आप लोग प्राप्त करें। हमारी शुभकामनाएं हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आजकल मोबाईल देखने का फैशन हो गया है। मैंने देखा कि नरेन्द्र मोदी जी वहाँ बाघ के छोटे बच्चों को दूध पिला रहे थे। उनको बाघों के संरक्षण के बारे में, देश के बारे में जितनी चिन्ता है लेकिन हमारे यहाँ पिछले कुछ दिनों में तीन बाघ मर गए हैं। मंत्री जी, मैं गलत कह रहा हूँ? मर गए ना? अब आपने देखा नहीं, हमने नहीं देखा या आपके डॉक्टर नहीं देखे, वह तो अलग बात है, बाद में बात करेंगे। जो दुर्लभ चौसिंगा होते हैं, बड़े-बड़े चार सींग वाले होते हैं, वह भी मर गए। उनके बारे में मैंने आपका ध्यानाकर्षण किया था। छत्तीसगढ़ में काले हिरण मारे गए, मैंने इस पर आपका ध्यानाकर्षित किया था। हाथी लगातार मर रहे हैं। अब वे मारने से मर रहे हैं या करंट से मर रहे हैं या किसी दुर्भावनावश मर रहे हैं? ये तो आप देख ही रहे हैं कि कितने लोग हाथी से घायल हो रहे हैं, मानव हाथी द्वंद बढ़ रहा है। उसके कारण क्या हो सकते हैं, जवाबदारी आपकी है। अभी एक समाचार में देखने को मिला कि हमारे प्रदेश में एक बायसन इसलिए मर गया कि उसको एक्सपॉयरी डेट का इंजेक्शन लगा दिया। उसको जहाँ ले जाना था, वहाँ बिना इंजेक्शन लगाए वह जा नहीं सकता था, मगर उसको एक्सपॉयरी डेट का ऐसा इंजेक्शन लगाए कि बेचारा मर गया। और एक समाचार तो आपने सुना ही होगा कि अपने यहाँ के वन विभाग के लिए नागालैंड से हिमालयन बीयर ला रहे थे। हमारे दो डॉक्टर लेने गए थे। रास्ते में क्या हुआ, पता नहीं, मगर पूरे नियम कानून के बाद भी वे दो हिमालयन बीयर हम छत्तीसगढ़ में नहीं ला सके। एक वहीं पर रास्ते में मर गया। मेल मर गया अब यहाँ अगर फीमेल आ भी गई है, तो हम उसका क्या करेंगे? उसको लौटायेंगे या नहीं लौटायेंगे, रखेंगे और उसके लिए दूसरा बीयर लायेंगे, इस बारे में आप जरूर सोचिएगा।

अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात मोवा के बारे में तो हम सब बहुत से साथियों ने पढ़ा होगा कि मोवा के ऑफिस के अंदर से 27 चंदन के पेड़ काट लिए गए। पता नहीं किसने काटा, चोरी हो गया, ऐसा बोलते हैं। अभी मैं पता किया, कुछ दिन तक तो ठीक था, ठूठ दिख रहे थे। आज उन्होंने कोशिश की कि

भाई वन विभाग की चर्चा में हो सकता है कि कोई उठा दे, तो उस ठूठ को वन विभाग वाले जलाने की कोशिश कर रहे हैं। यही मोवा जो विधान सभा से लगा हुआ है, तो दिखवा लीजिए, ऐसा-ऐसा गलत काम आपके फॉरेस्ट वाले न करें।

अध्यक्ष महोदय, दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ, इसे बाद में कहूँगा पहले यह कह देता हूँ कि अभी-अभी आने से पहले सुना हूँ कि गुजरात जामनगर में वनतारा में अंबानी जी का एक कोई निजी चिडियाघर है। मुझे नहीं मालूम। अगर मैं गलत हूँ, तो मुझे बता दीजिएगा। वहाँ से आपके लिए एक चिट्ठी आई है। उस चिट्ठी में लिखा है कि जो वन्य प्राणी हैं या कुछ प्राणी आपके यहाँ ज्यादा हो रहे हों, तो छत्तीसगढ़ से यहाँ भेज दिया जाए। वन मंत्री जी, अगर आपको ऐसी चिट्ठी आ गई हो, तो कब तक कितने जानवर और कौन-कौन से जानवर भेजेंगे, बता दीजिएगा। आपके पास पानी भी है और वन तो लगा ही हुआ है।

अध्यक्ष महोदय, हसदेव अरण्य के बारे में अगर हम लोग, आप लोग चिन्ता नहीं कर रहे हैं, तो ये गलत है। हरदेव-अरण्य का जंगल काटा जा रहा है। मैं संख्या में नहीं जाना चाहता कि कितना काटा जा रहा है। किसने उसकी स्वीकृति दी, इस पर भी नहीं जाना चाहता। इतने कट रहे हैं कि हमारा पूरा हसदेव अरण्य बर्बाद हो रहा है। वहाँ बेशकीमती पेड़ लगे हुए हैं। वहाँ पर एक से एक दुर्लभ किस्म के जंतु बचे हैं। वहाँ पर दुर्लभ किस्म की कुछ दवाइयों के और कुछ औषधियों के पेड़ बचे हैं। यदि हम लोग उनकी रक्षा नहीं करेंगे तो कौन करेगा ? माननीय मंत्री जी, आप पढ़े-लिखे हैं, आपको इन बातों की चिन्ता होनी चाहिए। यदि हम कोयले के नाम से जंगल काट दे और जंगल काटने के बाद वहाँ से सिल्ट जमा हो जाये तो उसमें जितने हमारे हसदेव बांगों के नहर बने हैं, उसका क्या होगा ? उस पर भी सिल्ट जमा होता जायेगा। धीरे-धीरे से जिस तरह से हम लोग मना कर रहे हैं कि आपको गर्मी की फसल के लिये पानी नहीं देंगे तो एक दिन ऐसा अवसर आयेगा कि आप यह पानी देना भी बंद कर देंगे। अभी हम लोग उस पानी को अकलतरा से लेकर खरसिया के आगे तक उपयोग करते हैं। वहाँ के किसानों के खेत में पानी जाता है। अब क्या होगा ? ऐसी परिस्थितियों को सोचने के लिये हमें अपने जनिहत और अपने छत्तीसगढ़ के हित के बारे में सोचना चाहिए। हमें किसी व्यापारी मित्र के बारे में ज्यादा चिन्ता नहीं करनी चाहिए। मेरा यही निवेदन है। अध्यक्ष महोदय, इसी निवेदन के साथ मैं माननीय मंत्री जी की जितनी भी मांगें हैं, उनके प्रति असंतोष व्यक्त करता हूँ, उसका विरोध करता हूँ और आपका धन्यवाद अर्पित करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री जी, जवाब दीजिये। (मेजों की थपथपाहट)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री केदार कश्यप) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मांग संख्या 10, 17, 23, 45, 47, 57, 75 और 28, वन, सहकारिता, जल संसाधन विभाग, लघु सिंचाई निर्माण कार्य, कौशल विकास, जल संसाधन विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं, जल संसाधन विभाग से

संबंधित नाबार्ड से सहायता प्राप्त परियोजनाएं और राज्य विधान मण्डल के लिये यहां पर हमारे नेता प्रतिपक्ष सहित हमारे सभी सम्माननीय पक्ष, विपक्ष के साथियों ने महत्वपूर्ण सुझाव दिये, चर्चा की और बहुत अच्छे सुझाव भी दिये, मैं उनका अभिनंदन करता हूँ और स्वागत करता हूँ। हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष आदरणीय डॉ. चरणदास महंत जी, हमारे माननीय श्री अजय चन्द्राकर जी, माननीय श्री धर्मजीत सिंह जी, माननीय विक्रम मण्डावी जी, माननीय धरम लाल कौशिक जी, श्री लालजीत सिंह राठिया जी, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, माननीय किरण देव जी, अटल श्रीवास्तव जी, श्रीमती संगीता सिन्हा जी, श्रीमती सावित्री मनोज मण्डावी जी, श्री अनुज शर्मा जी, श्री जनक ध्रुव जी, श्री रोहित साहू जी, श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल जी, श्रीमती रायमुनी भगत जी, श्रीमती गोमती साय जी, श्रीमती उद्धेश्वरी पैकरा जी, सुश्री लता उसेण्डी जी, श्री योगेश्वर राजू सिन्हा जी और सभी हमारे विधायक साथियों ने यहां पर बहुत ही अच्छा विषय रखा और निश्चित तौर पर आज आप लोगों के जो विचार हैं, उसको लेकर विभाग लगातार बड़ी तत्परता के साथ काम कर रहा है और निश्चित तौर पर माननीय विष्णु देव साय जी के नेतृत्व में वन क्षेत्र के आवरण को बढ़ाने की दृष्टि से लगातार काम किया जा रहा है। यह उसका प्रमाण है कि हम न केवल लगातार वन क्षेत्र के लिये, वृक्षारोपण के लिये कार्य कर रहे हैं, बल्कि हम कैसे उसका संरक्षण एवं संवर्धन कर सकते हैं, हम इस दृष्टि से भी लगातार योजना बनाकर काम कर रहे हैं, जिस पर आप लोगों ने चिंता व्यक्त की है। क्योंकि हमारा पूरा छत्तीसगढ़, जो लगभग 44 प्रतिशत वनाच्छादित क्षेत्र है और देश का तीसरा बड़ा वन क्षेत्र है। यदि हम उस दृष्टि से बात करें तो हम लोग हमारे इस वन की अराधना करते हैं, पूजा करते हैं, हम इसे देवी-देवता के रूप में मानते हैं। यदि हम उसकी बात करें तो हमारे यहां वनों को बेहतर बनाने की दिशा में लगातार काम कर रहे हैं। हमारा यह जो बजट है, वह इस बात को साबित करता है कि हम न केवल वृक्षारोपण को, बल्कि अपनी संस्कृति को भी सहेज कर रखना चाहते हैं। हमारी जो प्रकृति है, हम उसको भी संरक्षित करके रखना चाहते हैं और हम इसी दृष्टि से लगातार काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ राज्य तो वैसे भी देश में तीसरे नंबर का वनाच्छादित क्षेत्र है। इसका तो बहुत ही गौरवशाली इतिहास रहा है। यहां पर हमारे श्रृंगी ऋषि जी, हमारे मारकण्डेय ऋषि जी, बाबा गुरु घासीदास जी और हमारा यह पूरा छत्तीसगढ़, जिसको हम दण्डकारण्य के रूप में देखते हैं। यह दण्डकारण्य भगवान श्री राम का वन गमन क्षेत्र है। यहां पर उन्होंने अपने वनवास के अधिकतम वर्ष इस जंगल में व्यतीत किये हैं। उन्होंने हमारे जंगल के वनवासी भाईयों के साथ रहकर, बहुत कुछ सीखा और सिखाया है। मैं तो यह हमेशा कहा करता हूँ कि जब तक प्रभु श्री राम अयोध्या में थे तब तक राजा राम के रूप में जाने जाते थे, लेकिन जब उन्होंने इस छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर अपने कदम रखे और अपने 14 सालों के वनवास में अधिकतम समय हमारे छत्तीसगढ़ में व्यतीत किया तब जाकर उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में पहचान मिली। (मेजों की थपथपाहट) हमारा ऐसा छत्तीसगढ़ का इतिहास है। हमारे इस छत्तीसगढ़ में जहां पर वन, जल स्रोत, वन्य प्राणी हैं यहां

पर सभी वनवासी भाईयों के हितों को ध्यान में रखते हुए, प्रदेशवासियों की आय में कैसे वृद्धि हो। उन वनवासी भाईयों की सुविधाओं में कैसे वृद्धि हो, उनके जीवन स्तर में कैसे सुधार हो, हमारा विभाग लगातार उनके बहुमुखी विकास, रोजगार सृजन की दृष्टि से काम कर रहा है। यहां पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे माननीय वित्त मंत्री जी उपस्थित हैं। यहां हमारे उप मुख्यमंत्री जी भी बैठे हुए हैं। हम सबकी मंशा यह है कि इस क्षेत्र में लगातार हमारे ऐसे काम हों, जिसके कारण हमारे बजट का सदुपयोग हो सके। इस दृष्टि से वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग आयोजना मद में पूर्ववर्ती सरकार के बजट में वर्ष 2022-2023 में जो प्रावधानित राशि थी वह लगभग 1 हजार 274.21 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान था, उसमें 39 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए 1 हजार 775.11 करोड़ रुपये का प्रस्ताव इस बजट में किया गया है। (मेजों की थपथपाहट) हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वन को लेकर इतना बड़ा निर्णय लिया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पूरे सदन को यह बताना चाहूंगा। गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व जो 2 हजार 829.387 वर्ग किलोमीटर में विस्तारित है। यह देश का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। (मेजों की थपथपाहट) इसको हमारी सरकार ने घोषित किया है और इस बात को लेकर...

नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरणदास महंत) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माफी चाहूंगा। मेरा माननीय सुशान्त जी से निवेदन है कि वह मेज कम थपथपायें। माननीय चन्द्राकर जी सो रहे हैं, उनकी नींद Disturbed हो जाएगी।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं नहीं सो रहा हूँ।

श्री रामकुमार यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वह सो नहीं रहे हैं। वह चिंतन कर रहे हैं।

श्री केदार कश्यप :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बात को लेकर देश के यशस्वी प्रधान मंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी ने 118 संस्करण जिसमें मन की बात में इस बात की खुशी जाहिर की। इस टाइगर रिजर्व के विकास के लिए 2 हजार 742.62 लाख रुपये का इस बजट में प्रावधान किया गया है। (मेजों की थपथपाहट) अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी अपने सम्बोधन में बता रहे थे। हम सबको यह मालूम है कि हमारा बस्तर क्षेत्र पूरा वनाच्छित क्षेत्र है और वहां ऐसे अनेक क्षेत्र हैं जहां पर आज भी हम छत्तीसगढ़ के लोग ही वहां तक नहीं पहुंच पाये हैं। कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां तक मैं भी नहीं पहुंच पाया हूँ। मैं तो अपने विधान सभा क्षेत्र की बात करूं तो मैं आज भी कई क्षेत्र को फोटो में ही देखता हूँ। मेरी भी यह मंशा है और मुझे इस बात का विश्वास है कि हमारे गृहमंत्री जी हैं तो हमारा उस क्षेत्र में जाना संभव हो पाएगा। तुलार, हमारा जो हांदावाड़ा क्षेत्र है, वह क्षेत्र जिसकी हम लोग फोटो देखकर खुश हुआ करते हैं। हमारा, वह क्षेत्र भी उस तरीके से आगे बढ़ेगा।

सदन को सूचना

अध्यक्ष महोदय :- माननीय विजय शर्मा, उप मुख्यमंत्री की ओर से माननीय सदस्यों के लिए स्वल्पाहार की व्यवस्था लॉबी स्थित कक्ष में एवं पत्रकारों के लिए प्रथम तल में की गई है। कृपया सुविधानुसार स्वल्पाहार ग्रहण करें।

वित्तीय वर्ष 2025 - 2026 की अनुदान मांगों पर चर्चा (क्रमशः)

श्री केदार कश्यप :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जो हमारे वन क्षेत्र में आते हैं और उसको आज न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान प्राप्त हो रही है, मेरे अपने बस्तर क्षेत्र का धुड़मारास है और आज उसको पूरे राष्ट्रीय स्तर पर वैश्विक पटल पर पहचान प्राप्त हुई है। अपने 20 गांव हैं, जिनको ग्रामीण पर्यटन के रूप में चयन किया गया है उसमें धुड़मारास को रखा गया है। यह हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है। ऐसे और भी बहुत क्षेत्र हैं जिन पर हम काम करें और उस दृष्टि से उनको विकसित करने का काम करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष जी और माननीय धर्मजीत सिंह जी ने भी कहा, भारतीय वन संरक्षण के प्रतिवेदन के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के वनेत्तर क्षेत्र के वन आवरण में 683 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। अभी हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष जी नहीं हैं। (मेजों की थपथपाहट) अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ को जिस दिशा में आप लेकर गये, उसके कारण से लगातार जो वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है, उसके लिए मैं आपको भी विशेष तौर पर धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। (मेजों की थपथपाहट) जिसके कारण से लगातार हमारा वन क्षेत्र बढ़ता जा रहा है। 44 प्रतिशत बढ़ करके 44.253 प्रतिशत वृद्धि हुई है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप व्यवसाय में सुगमता Ease of Doing Business एवं माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में सुशासन तथा पारदर्शिता के लक्ष्य हेतु एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाते हुए छत्तीसगढ़ वन विभाग में e-Kuber, e-auction, N.T.P.S. नेस, SPARROW और e-Office प्रणालियों को लागू किया गया है जिसके तहत मैं ट्रांसपेरेंसी के साथ में हमारी व्यवस्था को सुदृढ़ कर सकें। अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि हम लोगों ने जेम प्रणाली के माध्यम क्रय की व्यवस्था सुनिश्चित किया है ताकि हम जितनी भी सामग्री, वस्तु क्रय करें, उसमें उच्च गुणवत्ता की वस्तु का हम क्रय कर सकें और भ्रष्टाचार से मुक्त कर सकें। बिचौलियों के निजी स्वार्थ को समाप्त करते हुए उस दिशा में हम आगे बढ़ें इसके लिए राज्य सरकार ने जेम पोर्टल लागू किया है, उसको वन विभाग में भी हम लोगों ने लागू किया है। अध्यक्ष महोदय, किसान वृक्ष मित्र योजना के तहत में हमारी सरकार द्वारा वर्ष 2009 से ही वनेत्तर क्षेत्रों में वृक्षारोपण के कार्य बृहद स्तर

पर किये गये हैं। मैंने आपके पहले ही कहा कि जो हमारा वनों का आवरण बढ़ा हुआ है उसमें सबसे बड़ा योगदान 2008-09 से लगातार वृक्षारोपण के कार्य किये गये हैं, उसके कारण 683 वर्ग किलोमीटर में वृद्धि हुई है और अब तक केवल निजी क्षेत्रों में 2 करोड़ 25 लाख पौधों का रोपण किया गया है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा। मुझे याद है कि जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी हमारे बस्तर क्षेत्र में आये थे और आपके नेतृत्व में जांगला में बीजापुर क्षेत्र में 14 अप्रैल को कार्यक्रम हुआ था। उसमें उन्होंने एक हमारी आदिवासी माता के पैरो में चरणपादुका पहनाकर उस कार्यक्रम की शुरुआत की थी। (मेजों की थपथपाहट) मैं उसको आज भी नहीं भूल पाया। आपने जिस उद्देश्य के साथ मैं चरणपादुका योजना के तहत इस योजना को प्रारंभ कराया था और उस योजना के तहत मैं हमारी माताओं, बहनों को चरणपादुका देने का कार्यक्रम चलाया। लेकिन पिछली सरकार ने पूर्वाग्रह से और किस तरीके से उनकी मानसिकता है, वह इस बात को साबित करता है कि हमारी आदिवासी मातायें, बहनें...।

श्री धर्मजीत सिंह :- पिछली सरकार में इनको चरणपादुका योजना अच्छी नहीं लग रही थी, तीर्थयात्रा की योजना पसंद नहीं है, क्योंकि यह कुंभ का विरोध करते हैं। कोई औरंगजेब की तारीफ करता है, कोई और कुछ करता है। यह जो अभी महंत जी बोल रहे थे, वह बहुत वरिष्ठ नेता हैं, मैं उनका पूरा सम्मान करता हूँ। प्रतिवेदन के आंकड़ें में खर्च कम हो पाया है, उनको ऐसा दिख रहा है। पिछली सरकार में दुबई से आकर एक आदमी यहां रायपुर में बैठा था। आप नाम बोलिये तो नाम भी बता दूंगा और वह यहां फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में सब काम बांटता था। अधिकारी नहीं चाहते थे तब भी करना पड़ता था। दुबई वाला तो तेज गति में काम करेगा न। क्योंकि महादेव सट्टा ऐप वाला भी दुबई गया था। वही तो हीरोईनों को डांस कराकर शादी किया है। इनको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। इन लोगों को समझ में नहीं आना है। इसलिए तीर्थ यात्रा जारी रखिये, चरणपादुका को बांटते रहिये और सरकार के नियमों के अनुसार कैंपा का काम गरीब लोगों के कल्याण में करते रहिये। वहां सब गयीं थीं, पता नहीं कौन-कौन हीरोईन थीं, सब बड़ी-बड़ी हीरोईन थीं। अब वह डांस वगैरह करके आये थे, अभी वह सब जांच में है।

श्री केदार कश्यप :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह निश्चित तौर पर बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है। अब धर्मजीत जी कह रहे हैं, इनको अगर कोई योजना पसंद नहीं है तो उसको बंद कराने का क्या औचित्य है बल्कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जब शौचालय योजना चालू की।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- करीना कपूर को आप ही लोगों ने बुलाया था। हीरोईन करीना कपूर भी यहां छत्तीसगढ़ आयी थी।

श्री केदार कश्यप :- यूनीसेफ ने बुलाया था।

श्री धर्मजीत सिंह :- हां, हम बुलाये थे। अभी और बुलायेंगे, उसके बाद अभी और कौन आया है वह बताईए क्योंकि हम कला का सम्मान करते हैं। रायगढ़ में कला महोत्सव होता है न। अभी कौन

लेटेस्ट हीरोईन है, उसको बुलवा लेंगे, उसमें क्या दिक्कत है ।

श्री रामकुमार यादव :- नहीं, यह तो सही बात है । छत्तीसगढ़ के छत्तीसगढ़िया मन के नाम पर केवल राजनीति करथा, यह सही बात है ।

श्री धर्मजीत सिंह :- सबसे पहले पास के लिये आप ही फोन करोगे । (हंसी)

श्री रामकुमार यादव :- यह सही बात है । छत्तीसगढ़िया मन के नाम पर राजनीति करना अलग बात है, वह तो सही बात है । आप मन कर लेवा, कोई बात नइ है । ओ अनुज शर्मा जी ओती जा के सोजझे फंसे हे ।

श्री केदार कश्यप :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार ने जिस तरीके से एक-एक योजनाओं को बंद किया । यदि अब मैं यह चर्चा करूंगा तो बहुत लंबा हो जायेगा । मैं एक उदाहरण देता हूं कि यदि शौचालय गृह का निर्माण करने का है, यदि यह भी बंद कर देंगे तो लोटा लेकर थोड़ी न बाहर जायेंगे ।

श्री विक्रम मण्डावी :- माननीय मंत्री जी, आप यह कह रहे हैं कि पिछली सरकार ने पिछली योजनाओं को बंद कर दिया तो अब आप यह बता दीजिये कि सवा सालों में आपने क्या किया ?

श्री केदार कश्यप :- अभी हम बता रहे हैं, आप सुन तो लीजिये । महतारी वंदन किसका है ? माननीय अध्यक्ष महोदय, चरणपादुका के लिये हमारे इस बजट में 50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है । (मेजों की थपथपाहट) और आपने जो बात कही उसमें हमारे तेंदूपत्ता संग्राहकों को जो पारिश्रमिक प्रोत्साहन देते हैं, वह वर्ष 2023 का एक साल में थोड़ी न मिल जायेगा । वर्ष 2023 का 161 करोड़ रुपये का प्रावधान है, हम उसे भी देना प्रारंभ कर देंगे । हमारी सरकार ने वर्ष 2024 में मोदी जी की गारंटी के तहत लोगों को विश्वास दिलाया और हमारे जो तेंदूपत्ता संग्राहक हैं, लगभग 13 लाख से ऊपर तेंदूपत्ता संग्राहक हैं उन परिवारों का जो तेंदूपत्ता है वह 4 हजार रुपये प्रति मानक बोरा से बढ़ाकर उसको साढ़े 5 हजार रुपये मानक बोरा किया गया है, यह भी एक बहुत बड़ा पुण्य का कार्य है । (मेजों की थपथपाहट) इससे हमारे तेंदूपत्ता संग्राहकों का वह परिवार मजबूत होगा । मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा, हमारे माननीय वित्तमंत्री जी भी बैठे हुए हैं, मैंने वित्तमंत्री जी से भी कहा है कि हमारे जितने भी...।

श्री रामकुमार यादव :- अध्यक्ष ऐती हे, जे सुतत हे तेला हुंकारू देत हावा । अध्यक्ष ऐती हे और आप जो सुतत हे ओकरे पीछे लगे हओ ।

श्री केदार कश्यप :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे तेंदूपत्ता संग्राहक और जितने भी हमारे लघु वनोपज हैं उसका ज्यादा से ज्यादा संग्रहण करना है । हमारे माननीय वित्तमंत्री जी बैठे हुए हैं, मैं उनको धन्वाद भी जापित करता हूं जो उन्होंने हमारे तेंदूपत्ता की दृष्टि से राशि लगभग 204 करोड़ रुपये की इस व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिये इस बजट में प्रावधान किया हुआ है ताकि हम ज्यादा से ज्यादा

लघु वनोपज खरीदी कर सकें ।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय मंत्री जी ।

श्री केदार कश्यप :- आप पहले सुन लीजिये न ।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- बस एक मिनट । माननीय मंत्री जी, मैं आपसे केवल और केवल यह पूछना चाहता हूँ, यह जानना चाहता हूँ कि आप सारी याजनाओं के बारे में विस्तृत रूप से बता रहे हैं, आप डबल इंजन सरकार के बहुत महत्वपूर्ण और बहुत पॉवरफुल मंत्री हैं लेकिन हसदेव जंगल की कटाई रूकेगी कि चलती रहेगी, क्या आप उस दिशा में कुछ करेंगे, कुछ होगा ? नहीं होगा ? यह सब योजनाएं चले चाहे न चले । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूँ कि आप शेष बचे जंगल को बचा दीजिये ।

श्री धर्मजीत सिंह :- वह नहीं रूक पायेगा क्योंकि आप अनुमति देकर गये हैं । भूपेश बघेल की सरकार की 3 अनुमति है । (व्यवधान)

श्री द्वारिकाधीश यादव :- देखिये, धर्मजीत भैया । जब आप इधर थे । (व्यवधान)

श्री धर्मजीत सिंह :- तारीख सहित क्या-क्या अनुमति है, फॉरेस्ट का है, एनवॉयरमेंट का है, सब अनुमति तो भूपेश बघेल की सरकार ने दी है न । (व्यवधान)
कहां से रूकेगा ?

श्री द्वारिकाधीश यादव :- जब आप इधर थे तो आपकी आंख में इसी सदन में उस जंगल के लिये आंसू आया था तो आप तो मत बोलिये न ।

श्री धर्मजीत सिंह :- उसको कुल्हाड़ी पकड़ाकर भेज दिये हो, अब वह काट रहा है । (व्यवधान)

श्री रामकुमार यादव :- अगर विष्णुदेव साय सरकार के ढाल बनके कोई काम करथे तो हमर साहब करथे । (व्यवधान)

श्री द्वारिकाधीश यादव :- आपको तो बोलना ही नहीं चाहिए । इसी सदन में आपकी आंख में आंसू आया था ।

श्री रामकुमार यादव :- उस समय आंसू आ रहा था । (व्यवधान) अभी सांय-सांय काट रहा है तो हंसी आ रही है ।

श्री धर्मजीत सिंह :- मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि यहां से जब मैं लाया था और जब मैं यहां भूपेश बघेल की सरकार में चीख-चीख कर बोल रहा था कि इसको रोकवाइए तो हसदेव अरण्य की जगह वाइफनगर का जवाब दिया गया। आप रिकॉर्ड में देख लीजिए।

श्री रामकुमार यादव :- मोला तो अइसे लागथे, रात के अंधेरे में सिर्फ तुम्हरे करा अडानी आके मिलथे। अडानी जी तुम्हरे से मिलके आये हे। तुम्हर व्यवहार चेंज हगे हे। तुम्हर शब्द चेंज हगे हे। अडानी जी के जहाज हा तुम्हरे घर में उतरे हे।

श्री धर्मजीत सिंह :- कहां हसदेव अरण्य का मामला था और वाइफनगर का जवाब दे रहे थे।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय मंत्री जी।

श्री धर्मजीत सिंह :- अनुमति भूपेश बघेल जी ने दी थी।

श्री रामकुमार यादव :- ये अशासकीय संकल्प आप लाये हव कि जंगल को रोकना हे। अउ अभी तुमन हा काटथव गा। अउ काटने वाला के पीठ ला थपथपावथौ। तुमन क्षेत्र मा जंगल ला देखव कि कतका पेड़ ला कटवावथौ तेला।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय अध्यक्ष महोदय जी, महोदय जी का 13 तारीख को शपथ ग्रहण हुआ, उससे पहले कटना शुरू हो गया था।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी आपकी शपथ के पहले कटना शुरू हो गया था, उसके खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं, कोई जांच नहीं।

श्री रामकुमार यादव :- सिर्फ तुमन ला जंगल के शेर के चिंता हे। पेड़ के चिंता नहीं हे। एला जंगल के शेर के चिंता हे, रूप चुंदा जाए, नहर में पानी झन जाए, बघुआ बस जिंदा रहे बस।

श्री केदार कश्यप :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने लगभग डेढ़ हजार रुपये तेंदूपत्ता का मानक बोरा बढ़ाया, लगभग साढ़े 5 हजार रुपया किया किया है, उसमें वर्ष 2024 में 15 लाख 56 हजार मानक बोरा तेंदूपत्ता संग्रहित किया गया और लगभग 855.67 करोड़ रुपये हमारे तेंदूपत्ता संग्राहकों को पारिश्रमिक दिया गया। (मेजों की थपथपाहट) पिछली सरकार तुलना में लगभग 2.62 लाख मानक बोरा तेंदूपत्ता मतलब 20.25 प्रतिशत अधिक संग्रहण किया गया और संग्राहकों को लगभग राशि 233.35 करोड़ रुपये, लगभग 45.08 प्रतिशत अधिक दिया गया। अध्यक्ष महोदय, ये हमारी सरकार का, मोदी जी की जो गारंटी है, उसको पूरा करने के लिए बहुत बड़े इस कार्यक्रम के माध्यम से किया गया। हमारे 67 प्रकार के वनोपज हैं, उसकी खरीदी का भी मैंने बताया है। हमारे लगभग कई परिवार इससे लाभान्वित हो रहे हैं। उसके साथ-साथ हमारी सरकार का लक्ष्य स्वच्छ एवं हरी छत्तीसगढ़ का है और इसलिए वनों के सतत् विकास हेतु सहायक प्राकृतिक पुनरुत्पादन ए.एन.आर. योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में लगभग 300 करोड़ का बजट प्रस्तावित है। (मेजों की थपथपाहट) हम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी को धन्यवाद देते हैं, जिनकी मंशा के अनुरूप और माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम सभी इस धरती मां की याद में और इस मां की गोद में एक पेड़ मां के नाम की योजना को चालू किया है, उसके तहत 3 करोड़ 50 लाख 73 हजार पौधों का रोपण किया गया। इसमें हमारी महतारी वंदन की माताओं और बहनों को भी इस कार्यक्रम के साथ में जोड़ा गया है। (मेजों की थपथपाहट) माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा शहरी क्षेत्रों में पर्यावरण सुधार की दृष्टि से वृक्षारोपण, पर्यावरण पार्क, आदिवासियों के हमारे आराध्य स्थल एवं आस्था के केंद्र देवगुड़ियों का सम्मान करते हुए उनके संरक्षण एवं विकास के लिए जो पहले 31 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान था,

उसमें 61 प्रतिशत वृद्धि करते हुए 50 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया गया है। वर्ष 2021-22 में 2 करोड़ 67 लाख पौधों का रोपण और वितरण किया गया था और वर्तमान में वर्ष 2025 में हमने 4 करोड़ पौधों के रोपण का लक्ष्य रखा है। यह सरकार की मंशा है कि हम ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगा कर हमारी इस धरती को फिर से जो उपेक्षित है, बिगड़े वन हैं, उसको हम व्यवस्थित करके सुदृढ़ कर सकें। हमारे बिगड़े वनों के सुधार हेतु वर्ष 2025-26 के बजट में 310 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है। उसके अलावा हमारे प्रदेशवासियों को अच्छी गुणवत्ता के बांस उपलब्ध कराने, बंसोड़ों एवं निस्तारियों को बांस आधारित कुटीर उद्योगों की स्थापना हेतु वर्ष 2025-26 में 80 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया गया है, जिसमें बिगड़े बांस वनों का सुधार भी होगा और उत्पादकता में वृद्धि होगी। भू-गर्भीय जल स्तर में वृद्धि और वनस्पति विहीन क्षेत्रों में भू रक्षण एवं बाढ़ नियंत्रण हेतु पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में प्रावधानित 34 करोड़ रुपये के बजट में 253 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए इस बार 120 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया गया है। हमारे छत्तीसगढ़ राज्य की प्रमुख जीवनदायनी नदियां महानदी, अरपा, इंद्रावती, शिवनाथ, पैरी आदि नदियों के कटाव आदि को रोकने के लिए इस वर्ष हमने 7 करोड़ 48 लाख रुपये की राशि का प्रावधान किया है। राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, जिला मुख्य मार्ग और ग्रामीण मार्गों के किनारे पथ वृक्षारोपण हेतु 7 करोड़, 11 लाख का प्रावधान है (मेजों की थपथपाहट)। हमारे धर्मजीत जी जो चिंता व्यक्त कर रहे थे, जो हमाने वनवासी क्षेत्र हैं, वन मार्गों के सुदृढीकरण के लिए, नदी नालों पर रपटा पुलिया निर्माण के लिए जो चिंता व्यक्त की है उसके लिए भी पांच करोड़, 10 लाख का प्रावधान किया गया है। उसके साथ-साथ हमारा जो 2024-25 में राजस्व प्राप्ति हेतु लक्ष्य 900 करोड़ का था, उसमें से हमने जनवरी 2025 तक 694.29 करोड़ के राजस्व की प्राप्ति कर ली है शेष राशि भी हम जल्द से जल्द प्राप्त कर लेंगे। अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में वन क्षेत्रों की सीमा में पांच किलोमीटर के भीतर लगभग 11,185 ग्राम स्थित हैं, उक्त ग्रामों में गठित कुल 7,887 वन प्रबंधन समितियों के 27.63 लाख सदस्यों, जिनमें लगभग 15.21 लाख सदस्य अनुसूचित जनजाति और लगभग 4 लाख 71 हजार अनुसूचित जाति वर्ग के हैं और शेष अन्य वर्ग के हैं। उनके द्वारा वनों के संरक्षण एवं संवर्धन में भागीदारी सुनिश्चित करते हुए कुल 33.190 वर्गकिलोमीटर वन क्षेत्र का जनभागीदारी से संयुक्त वन प्रबंधन समितियों द्वारा संरक्षण एवं संवर्धन किया जा रहा है जो कि राज्य के कुल वन क्षेत्र का लगभग 55.47 प्रतिशत है। अध्यक्ष महोदय, माननीय अजय चन्द्राकर जी ने जो विषय रखे थे। जैव विविधता संरक्षण एवं जैव विविधता प्रबंधन समितियों के अंतर्गत निवासरत आदिवासियों के हितों की रक्षा एवं सुगम प्रबंधन के लिए राज्य में 12,008 बीएमसी का गठन किया गया है। जिनमें 10,056 लोक जैव विविधता पंजी पीबीआर का निर्माण कर आदिवासियों के हित एवं आय में वृद्धि बाबत सुशासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। इसके लिए 1.6 करोड़ के बजट का प्रावधान किया गया है। हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के आर्द्र

भूमि (वेट लैंड) के संरक्षण एवं प्रबंधन हेतु इस बजट में लगभग 10 करोड़ का प्रावधान किया गया है। वन्य प्राणियों के संरक्षण, संवर्धन एवं उनके रहवास के विकास हेतु 2025-26 में 277.33 करोड़ के बजट का प्रावधान किया गया है। हमारे वन्य प्राणियों द्वारा जनहानि, जन घायल, पशु हानि, सम्पत्ति हानि, फसल हानि, मकान क्षति किए जाने पर आर्थिक सहायता किए जाने पर वर्ष 2025-26 में राशि 25 करोड़ स्वीकृत की गई है। इनके नुकसान का मुआवजा भुगतान विभाग द्वारा तत्काल किया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय, हाथियों के संदर्भ में माननीय सदस्यों ने अपनी चिंता व्यक्त की है। इसके लिए और क्या बेहतर हो सकता है उस दिशा में हम लगातार चिंतन कर रहे हैं और इसके लिए क्या बेहतर उपाय कर सकते हैं ताकि हाथी-मानव द्वंद कम से कम हो सके। उसके साथ-साथ हमारे उन क्षेत्रों का समुचित विकास भी हो सके। उन वनवासी भाईयों को आर्थिक रूप से भी मजबूती प्रदान कर सकें। इस दृष्टि से हम लोग काम कर रहे हैं। मैं इसको बड़े गर्व के साथ बताना चाहूंगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने हमारे यहां के "हमर हाथी हमर गोठ" जो कि प्रतिदिन शाम पांच बजे रेडियो के माध्यम से प्रसारण करते हैं, उसकी सराहना की है और उसे अनुकरणीय बताया है। अध्यक्ष महोदय, ऐसे बहुत सारे विषय हैं जिनको लेकर हम वन विभाग के माध्यम से काम कर रहे हैं। इसके अलावा मेरे पास जल संसाधन विभाग है।

डॉ. चरणदास महंत :- अध्यक्ष महोदय, क्षमा चाहता हूं। आपने इतनी जल्दी-जल्दी में हाथी के बारे में बता दिया, कुछ समझ में नहीं आया। आप हाथी और मानव द्वंद न हो, इसके लिए क्या कर रहे हैं? यह तो बता दें। रेडियो पर हमर हाथी हमर गोठ को सुन सुनकर हाथी भाग जाएगा क्या? आप उसके लिए क्या विशेष तैयारी कर रहे हैं, कुछ तो बोलिए सरकार।

श्री केदार कश्यप :- अध्यक्ष महोदय, मैंने बताया है कि हाथी-मानव द्वंद कम हो इसके लिए विभाग लगातार काम कर रहा है और आज यदि हम बात करें तो अन्य राज्यों की अपेक्षा हमारे यहां हाथी-मानव द्वंद बहुत कम है। हमारे यहां पर लगभग....।

डॉ. चरणदास महंत :- मंत्री जी, आपने बताया कि हमारे प्रधानमंत्री जी चिंता कर रहे हैं, हम लोग भी उनका स्वागत करते हैं, वे हाथी के बारे में, बाघों के बारे में बहुत चिंतित हैं। आप उस चिंता को कैसे ले रहे हैं, ये बता दीजिए? मैं तो इतना ही पूछ रहा हूं। अगर आप कुछ सुनना चाहें तो और सुना दूंगा। आपने पेड़ लगाने की बात की, मैंने आपकी कोई विशेष आलोचना नहीं की है जिसमें आप मेरी बुराई करने लग जाओ। आपने अटल नगर रायपुर में एक पेड़ मां के नाम लगाया है, बहुत अच्छी बात है। हम चाहते थे कि दो चार पेड़ ज्यादा लगा लें। एक पेड़ की कीमत कितनी आई है पता है? 1155 रूपए प्रति नग आई है, किसी पेड़ का 950 रूपए प्रति नग आया है, किसी पेड़ का 925 रूपए प्रति नग

आया है, किसी पेड़ का 1900 रूपए प्रति नग आया है। अगर यही पेड़ मां के नाम से लगाना है जिसमें न छाया मिलेगा न फल मिलेगा तो आपके लगाने से क्या फायदा ? ऐसे करोड़ों पेड़ लगाते रहिए।

श्री केदार कश्यप :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी जिन पौधों की राशि के संदर्भ में बता रहे हैं, वह वन विभाग के माध्यम से नहीं है, मैं इसको एक बार दिखवा लेता हूँ कि वह कौन से विभाग से है।

डॉ. चरणदास महंत :- मंत्री जी, मैं आपको बता रहा हूँ, आपके बाजू में धर्मजीत जी बैठे हैं, उनको भी बता रहा हूँ, मैं उनका भी बड़ा आदर करता हूँ। मगर खर्च ऐसी करते हैं क्या ? 5 रूपए में कुछ भी हो सकता है, आप उसके लिए 9-9 हजार, 10-10 हजार 1-1 हजार रूपए से पेड़ खरीदें। आप कुछ कहें तो दुबई की बात करें। आप लोगों को 14 महीने मिल गए। अगर आपको लगता है कि हमारे लोगों ने गलत किया है तो अंदर करवा दो न। बहुत लोग अंदर हैं और कुछ लोग अंदर हो जाएंगे। आपको जांच कराने की हिम्मत तो है नहीं। बिना मतलब के चिल्लाते रहते हो।

अध्यक्ष महोदय :- कुछ नाम बता देंगे, किनको-किनको अंदर करवाना है। (हंसी)

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) :- अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी की जो चिंता है, इनकी चिंता रोज बढ़ती जा रही है, इंतजार की घड़िया समाप्त हो रही हैं। इसलिए आपकी चिंता वाजिब है, धीरे-धीरे करके, एक-एक करके सब अंदर जाने वाले हैं। इसलिए आप चिंता मत करिए। आपको ठंडक महसूस होगी।

डॉ. चरणदास महंत :- महाराज 14 महीने में तो एक भी अंदर नहीं करा सके और क्या करा लगे।

श्री रामविचार नेताम :- जाएंगे-जाएंगे, आप चिंता मत करिए। हां मैं समझ रहा हूँ।

डॉ. चरणदास महंत :- साढ़े तीन साल में कितना अंदर करा लगे। हिम्मत है तो अंदर करके दिखाईए न। आप अंदर करिए।

श्री रामविचार नेताम :- आपकी तकलीफ समझ रहे हैं।

डॉ. चरणदास महंत :- आप अंदर करिए न। हम तो तैयार बैठे हैं।

श्री केदार कश्यप :- क्या आप इस बात के लिए पीड़ा व्यक्त कर रहे हैं कि कोई नहीं पहुंचा है ?

डॉ. चरणदास महंत :- मंत्री जी, पीड़ा व्यक्त नहीं कर रहे हैं, खुशी व्यक्त कर रहे हैं कि आप कुछ भी नहीं कर सकते। उसको गलत भाषा में कहूँ तो आप हम लोगों का कुछ [xx] नहीं सकते। (हंसी)

श्री रामकुमार यादव :- जो भेजे थे, वह भी वापस आ गया। आप लोग भेज नहीं सकते। आप लोग 2047 तक जरूर भेजेंगे, आपका टारगेट 2047 है न।

श्री रामविचार नेताम :- तोर नाम उपर में तो नई हे न। (हंसी)

श्री रामकुमार यादव :- मैं कृष्ण भगवान के वंशज हो, मैं जेले में पैदा होए रेहेव। (हंसी)

श्री अजय चंद्राकर :- दाम नहीं हे, शंका वाला लिस्ट में नाम हे, उन्होंने भी बहुत सारा नोट देखा है न। (हंसी)

श्री अनुज शर्मा :- ओखर बिहाव करा देव, सब समस्या हल हो जही।

श्री अजय चंद्राकर :- उनका तो अभी [xx] । (हंसी)

श्री रामकुमार यादव :- तुमन मोरकर ई.डी. ला भेज के ही मानहू लगत हे। (हंसी)

श्री केदार कश्यप :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी जो वृक्षारोपण की कीमत की बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है।

डॉ. चरणदास महंत :- आप इसको छोड़िए चलिए, जल्दी खत्म करिए। सबको जल्दी-जल्दी जाना है।

श्री केदार कश्यप :- माननीय नेता जी, आप इसमें ध्यानाकर्षण लगाईए। हम उसका पूरा विस्तार से जवाब देंगे। समय बहुत अधिक हो चुका है। क्योंकि अन्य विभागों में भी चर्चा करना है। (मेजों की थपथपाहट)

डॉ. चरणदास महंत :- अध्यक्ष महोदय, ये 3 तारीख के प्रश्न के उत्तर में है। आपने कितने करोड़ खर्च किए हैं। उसमें ध्यानाकर्षण क्या लगाऊं, मैं आपका उत्तर ही पढ़ रहा हूं। आपने प्रति नग क्या-क्या खरीदा है, वे सब भी चले गये।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- माननीय अध्यक्ष महोदय, 15 करोड़ के 41 हजार पौधे लगाए गए थे। एक-एक पेड़ की कीमत 1200 है और WBM रोड में भी पेड़ लगा दिए गए हैं। वृक्षारोपण के नाम से WBM रोड में बीचोंबीच पेड़ लगाए गए हैं।

श्री रामकुमार यादव :- अध्यक्ष महोदय, ए पेड़ में आमा फरही कि पैसा फरही। (हंसी)

श्री केदार कश्यप :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, बहुत ही वरिष्ठ हैं और उनका जो संसदीय ज्ञान है, वह बहुत ज्यादा है। मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहना है।

डॉ. चरणदास महंत :- माननीय मंत्री जी, इसलिए मैं ज्यादा आरोप लगाता नहीं, मैं आपको सामान्य ढंग से बताते रहता हूं, यहां गलती हो रही है, गलती हो रही है, इसको सुधार लीजिए। आप मेरे ही उपर कुछ करने लगोगे तो बुरा लगेगा न।

श्री केदार कश्यप :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जल संसाधन विभाग के संदर्भ में कहना चाहूंगा। यह बड़े हर्ष का विषय है कि हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय विष्णु देव साय जी के कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन में हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारे माननीय वित्त मंत्री जी भी यहां पर बैठे हैं, जिन्होंने राज्य के विकास को गति देने वाला बजट प्रस्तुत किया है। जब हमारे वित्त मंत्री जी ने इसको

गति का बजट कहा तो हमारे विपक्ष के साथियों ने बड़ी दुर्भावनावश उसकी अलग शब्दों में व्याख्या की और उसका मजाक उड़ाने की कोशिश की। अब मैं जल संसाधन विभाग के माध्यम से ही आपको बताऊंगा कि उन्होंने जिन शब्दों का प्रयोग किया था, वे शब्द हमारी सरकार के लिए थे या उनकी सरकार के लिए थे। यह वह लोग हैं, जिन्होंने पिछली बार किस तरीके से जल संसाधन विभाग की दुर्गति करके रखी थी। यह हमारे माननीय विष्णु देव साय जी की सरकार है, जो इस विभाग को गति प्रदान कर रही है। आज हमारे जल संसाधन विभाग के लिए 3 हजार, 800 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया गया है। (मेजों की थपथपाहट)

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, ऊपर की चेयर में बैठकर आपने भी सुना था कि मैं बोधघाट परियोजना को बनाकर रहूंगा। बड़े-बड़े बोर्ड लगे। कहां है, बोधघाट परियोजना? उस बोधघाट परियोजना के बाद मिश्री भैया गोल हो गये। आपने सुना था। ऐसे ही सिंचाई विभाग भी चला था। मंत्री जी ठीक बोल रहे हैं।

डॉ. चरणदास महंत :- भैया, 14 महीने तो निपट गये। आपने हम लोगों को निपट दिया। अब क्या आप खुद निपटना चाहते हैं? आप कुछ काम करो न। हम लोग आपकी गति में आपत्ति थोड़ी न कर रहे हैं। क्या वित्त मंत्री जी चले गये? बजट को प्रस्तुत किये हुये 3 दिन हुए हैं। 3 दिन में आप कितनी गति पकड़ेंगे? क्या हम आप पर आपत्ति कर रहे हैं? आपके प्रधानमंत्री जी ने चरण पादुका बांटे। क्या हमने उनको मना किया? चरण तो मेरा ही नाम है। (हंसी) मेरे नाम का पादुका बांट दिये, उसमें मैं कौन सी आपत्ति करूं? आप बांटिये, और बांटिये।

श्री धर्मजीत सिंह :- आदरणीय, आपका तो सब कोई दिल से सम्मान करते हैं और आपको तो कोई चिंता ही नहीं है। आप तो वहां पर बैठे रहते थे। अब यहां पर आप जिस गति से बोल रहे हैं कि तत्काल जांच कराओ और जेल भेजो तो ये सब साफ हो जाएंगे। इनमें से तो कोई यहां पर रहेगा ही नहीं। सदन को खाली भी नहीं करना है। जो तन्ख्वाह बांटने वाले और बांटने वाली थी, वह सब निपट गये हैं और जो लेते थे, उसमें भी कई लोग निपट गये हैं। मैं देखता था कि इधर भी कोई बैठता था। अभी आप थोड़ा धीरे-धीरे कम speed में चलने दीजिए।

डॉ. चरणदास महंत :- नहीं सर। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि हम लोग कब तक पिछले 14 सालों की पिछली सरकारों की बातें करते रहेंगे? ईश्वर ने आपको काम करने का समय दिया है और आशीर्वाद दिया है। आपको बेहतर काम करने का समय दिया है तो आप बेहतर काम करिये न। आप उसी के पीछे क्यों पड़े हुए हैं?

अध्यक्ष महोदय :- इनका कहना है कि छोड़ो कल की बातें, कल की बातें पुरानी। चलिये, नये दौर की बात बताइये।

श्री केदार कश्यप :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। मैं हमारे सभी साथियों से आग्रह करूंगा कि हमने यहां पर जो प्रतिवेदन दिया है, उसके पेज नंबर-25 का आप एक बार अवलोकन जरूर करें। इसमें व्यय के आंकड़ों का जो ग्राफ है, उसको यदि आप देखेंगे तो उसमें सीधा-सीधा स्पष्ट दिखाई देगा कि किस तरीके से सुनियोजित तरीके से षडयंत्र करके पिछली सरकार ने जल संसाधन विभाग की जो दुर्गति की थी, वह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जो लोग अपने आपको किसान का पुत्र कहा करते थे और अन्नदाता कहा करते थे, उन लोगों ने इस दिशा में कभी भी कोई कोशिश नहीं की कि हमारे यहां पर जल की संरचनाएं कैसे निर्मित हों। अध्यक्ष महोदय, आपको भी ध्यान में है कि जब छत्तीसगढ़ राज्य बना और आपने छत्तीसगढ़ का नेतृत्व किया तो उस समय छत्तीसगढ़ में सिंचित क्षेत्र लगभग 13-14 लाख हेक्टेयर में था और आपने उसको लगातार बढ़ाते हुए कैसे सिंचाई के रकबे को बढ़ाया और किस तरीके से योजनाओं को बनाया। जिससे हमारी सिंचाई का रकबा लगभग 21 लाख हेक्टेयर तक बढ़ा। कोई तो यह बताये कि पिछले 5 वर्षों में पिछली सरकार में इन्होंने कोई भी योजना लॉन्च की हो, कोई भी योजना जमीन पर लेकर आये हो।

श्री अजय चन्द्राकर :- केदार जी, मैंने उस दिन भूपेश बघेल जी के भाषण में reference दिया था, मैं उस सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण को रख सकता हूं। सरकार ने अपने आर्थिक सर्वेक्षण में स्वीकार किया था कि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी के नेतृत्व वाली सरकार में सिंचाई का रकबा कम हुआ था और खेती का भी रकबा कम हुआ था।

श्री केदार कश्यप :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार में तो सिंचाई परियोजनाओं के लिए बजट में प्रावधान कर दिया जाता था, लेकिन उसकी प्रशासकीय स्वीकृति नहीं देते थे। चलो मान ले कि बड़ी योजनाओं के लिए पैसा नहीं है, उसमें दुर्गति है। मध्यम सिंचाई योजना का भी यही हाल था, वहां पर भी उसके लिए कोई राशि नहीं थी, बहुत ही दुर्गति थी। इन्होंने पूरे विभाग की दुर्गति करके रखी थी। किसी भी तरीके से कोई भी योजना ना कोई major schemes ना किसी medium schemes ना किसी minor schemes के लिए राशि थी। minor schemes में भी गिनी-चुनी योजनाओं के लिए रिमॉडलिंग किए जाने की सोच तक ही सीमित रह गये और यहां पर सिंचाई और किसानों के हितों की बात करते हैं। मैं अभी कहना नहीं चाहूंगा, आप लोगों ने प्रस्ताव दिया है। आप लोगों का धन्यवाद कि आप लोगों ने बहुत सारे प्रस्ताव दिये हैं। आपको विश्वास भी है कि यही वह सरकार है, जो इन सारी योजनाओं की स्वीकृति प्रदान कर सकती है और उन योजनाओं को क्रियान्वित कर सकती है। ये तो केवल यहां पर किसानों के खेतों में नाच-गाकर पूरा समय व्यतीत कर लिया और पूरे प्रदेश की दुर्गति करके रखा था। यह मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कि इन्होंने किस तरीके से किसानों के साथ अन्याय किया, किस तरीके से गरीबों के साथ अन्याय किया, इन्होंने किस तरीके से पूरे प्रदेशों के लोगों

की दुर्गति करके रखी थी। यह गति पर बात करने वाले लोग, जिन्होंने पूरा 5 साल पूरे प्रदेश की दुर्गति करके रखी थी, उस गति पर कोई चिंतन-मनन नहीं है।

समय

6.27 बजे

(सभापति महोदय (श्री धर्मजीत सिंह) पीठासीन हुए)

माननीय सभापति महोदय, यदि हम हमारे बस्तर या सरगुजा की बात करे तो उसमें तो और बहुत बुरी स्थिति थी। इन्होंने वहां की भी बुरी तरह से दुर्गति करके रखी थीं। मैं इनकी ही दुर्गति पर आ रहा हूं, जिसके कारण वहां पर जल संसाधन विभाग में कोई काम नहीं था। अभी आपने कहा कि बोधघाट के नाम पर बड़ा हल्ला करके रखे थे, पूरा 5 साल माहौल बनाकर रखे थे कि बोधघाट को हम चालू करेंगे, लेकिन लोगों को अलग आईना दिखाते थे, लोगों को अलग सब्जबाग दिखाते थे, लेकिन उस योजना को कभी भी क्रियान्वित करने की दृष्टि से आगे नहीं बढ़े।

श्री अजय चन्द्राकर :- एक वास्कप लिमिटेड था, उसको बोधघाट परियोजना के लिए एडवांस पैसा दिया गया था, वह पैसा डूब गया, उसकी वसूली करवाओ।

श्री केदार कश्यप :- बिलकुल। सभापति महोदय, वही कारण है, आज चाहे बस्तर में हो, वहां पर भी इनकी दुर्गति हुई चाहे सरगुजा हो तो सरगुजा में तो सुपड़ा साफ हो गया है। वहां तो अति दुर्गति हुई है। मुझे इसको बताने में कोई संकोच नहीं है। माननीय विष्णु देव साय जी की सरकार ने, माननीय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में जिस तरीके से जल संसाधन विभाग को दुर्गति से हटाकर वाटर विजन के साथ 2047 अमृतकाल के लिए गति देने का काम किया है, मैं उसको बताना चाहूंगा।

माननीय सभापति महोदय, देश के प्रधानमंत्री जी विकसित भारत का संकल्प लेकर चल रहे हैं, उसमें 4 महत्वपूर्ण संसाधन, जिसमें जल, परिवहन, संचार एवं उर्जा पर प्रमुखता से ध्यान केन्द्रित किया गया है। हमारी सरकार ने वाटर विजन 2047 अमृतकाल के लिए तय किए गए एजेण्डे पर हमारा क्रियान्वयन प्रारंभ हो जायेगा।

माननीय सभापति महोदय, छत्तीसगढ़ राज्य गठन के बाद लगा कि इतना बड़ा बजट है। मतलब पहली बार जल संसाधन विभाग के लिए इतना बड़ा बजट इतनी बड़ी राशि 3,800 करोड़ का प्रावधान किया गया है। हम उसके लिए अपने छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का विशेष तौर पर धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। (मेजों की थपथपाहट) हमारे माननीय वित्त मंत्री जी और हम सभी लोगों ने लगातार इस दिशा में काम किया है। हमारे यहां राज्य में विगत 5 वर्षों तक अधोसंरचना निर्माण हेतु प्रावधान किया जा रहे 300 करोड़ की राशि को 233 प्रतिशत बढ़ाकर 700 करोड़ रुपये राशि का प्रावधान इस नवीन बजट में किया गया है, जिससे लगभग साढ़े तीन हजार करोड़ रुपये तक के नवीन सिंचाई

योजनाओं की स्वीकृति प्रदान की जाएगी। विभाग के अंतर्गत वर्षों से पूर्व स्वीकृत 275 सिंचाई योजनाओं से तीन लाख एकड़ की सिंचाई क्षमता निर्मित किया जाना शेष है, उसको पूरा करने के लिए अटल सिंचाई योजना के तहत इस बजट में प्रावधान किया गया है। इस बजट में 5 लाख करोड़ रुपये से अधिक अतिरिक्त राशि का कार्ययोजना तैयार कर इन योजनाओं को चरबद्ध तरीके से पूर्ण करने का प्रावधान किया गया है। यह बहुत महत्वकांक्षी योजना है और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय जी की विशेष मंशा रहती है कि जो योजना इतने लंबे समय से पूर्ण नहीं हो पाई है, जिसका सही तरीके से रूपांकित किया गया है और उस रूपांकन के तहत सिंचाई सुविधा की दृष्टि से उनको पानी नहीं मिल पा रहा है तो उस योजना को तत्काल पूरा किया जाये। मैं उसके तहत बताना चाहूंगा कि हमारे यहां पर वर्ष 2015 के पूर्व से निर्माणाधीन वर्ष 1976 के जशपुर जिले की हल्दीबुंडा व्यपवर्तन योजना में 2840 हेक्टेयर, वर्ष 2002 की रायगढ़ जिले की केलो वृहद सिंचाई परियोजना में 21,225 हेक्टेयर, वर्ष 2003 की गरियाबंद जिले की पैरी घूमर व्यपवर्तन योजना में 2000 हेक्टेयर, वर्ष 2006 की जशपुर जिले की घरजिया बथान जलाशय परियोजना में 2064 हेक्टेयर, वर्ष 2007 की बलरामपुर जिले की खुटपाली व्यपवर्तन योजना में 4340 हेक्टेयर, वर्ष 2012 की मुंगेली जिले की पथरिया बैराज में लगभग 4800 हेक्टेयर का सिंचाई हेतु इस बजट में प्रावधान किया गया है। (मेजों की थपथपाहट) वर्ष 2015 के बाद निर्माणाधीन वर्ष 2016 की कांकेर जिले की दुधावा दाईन तट नहर कार्य में 1002 हेक्टेयर, वर्ष 2018 की कवर्धा जिले की सुतियापाट नहर का विस्तारीकरण कार्य में 3250 हेक्टेयर, वर्ष 2021 की जशपुर जिले की कांसाबाल व्यपवर्तन योजना में 1070 हेक्टेयर, वर्ष 2021 की दुर्ग जिले की किकिरमेटा उद्वहन सिंचाई योजना में 1000 हेक्टेयर, सरगुजा के वर्ष 2023 की देवगढ़ व्यपवर्तन योजना में 1980 हेक्टेयर इस बजट में सम्मिलित है। मैंने ऐसे उदाहरण देकर बताया कि ये सब ऐसी-ऐसी योजनाएं हैं, जिसको हमें समय-सीमा के साथ पूरा करना है।

श्री अजय चन्द्राकर :- आपने योजनाओं का उल्लेख किया है। अच्छी बात है। आपने पड़री महानदी लिंक लिखा है, वह क्या है? उसको आप कब क्रियान्वित कर रहे हैं? उसमें क्या करना है?

श्री केदार कश्यप :- मैं उसी में बता रहा हूँ। माननीय सभापति महोदय, हमारे सुशासन से संवरता छत्तीसगढ़ नारे को साकार करने के लिए बस्तर संभाग में सिंचाई सुविधाओं के विकास के लिए 1.50 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा सृजन करने के लिए इस बजट में 230 योजनाओं हेतु 7500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। (मेजों की थपथपाहट) बस्तर में सिंचाई सुविधाओं के विकास के लिए 60 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा सृजन के लिए 200 योजनाओं हेतु 3000 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है। पिछले एक साल में हमने बस्तर और सरगुजा संभाग में लगभग 550 करोड़ रुपये के 170 से ज्यादा कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की है। पिछले सरकार के पांच सालों के कार्यकाल में जल संसाधन विभाग के सिंचाई योजनाओं में निर्माण हेतु पूंजीगत व्यय में 1115 करोड़,

1137 करोड़, 1143, 1131, 1140 और 1120 करोड़ रुपये व्यय किये गये थे। हमारी सरकार ने 25 वर्षों के इतिहास में प्रथम छमाही में ही सितंबर तक पूंजीगत व्यय में 994 करोड़ रुपये व्यय किया है तथा मार्च तक 2000 करोड़ रुपये व्यय किया जाएगा, जो कि 25 वर्षों में जल संसाधन विभाग का सर्वाधिक पूंजीगत व्यय है। माननीय सभापति महोदय, वर्ष 2025-2026 में पूंजीगत व्यय बढ़ाकर 2900 करोड़ का प्रावधान किया गया है। अधोसंरचना निर्माण में गुणवत्ता लाने के लिये बस्तर एवं सरगुजा संभाग में नई क्वालिटी कंट्रोल यूनिट स्थापित करने के साथ ही इसे अपग्रेड करने का प्रावधान किया गया है। SWIC राज्य जल सूचना केन्द्र के गठन की स्वीकृति जारी कर दी गई है, इसके लिये अतिशीघ्र ही भारत सरकार से समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करके केन्द्र का संचालन प्रारंभ किया जायेगा। माननीय सभापति महोदय, हमारे आदिवासी विकास को गति देने के लिये सरगुजा क्षेत्र के कुनकुरी में जल संसाधन विभाग का संभागीय कार्यालय तथा विद्युत यॉत्रिकी का उप संभाग कार्यालय प्रारंभ किया गया है। माननीय सभापति महोदय, जगदलपुर में नया मुख्य अभियंता कार्यालय प्रारंभ किया जा रहा है। वर्ष 2025-2026 में प्रस्तावित नवीन परियोजनाओं में आगामी वर्षों में 2 लाख हेक्टेअर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता निर्माण किये जाने का कार्ययोजना हमने तैयार किया है। सभापति महोदय, वर्ष 1980 से निर्माण हेतु लंबित मिनी माता बॉगों परियोजना के आर्गुमेंटेशन अंतर्गत परसाई उद्वहन सिंचाई परियोजना का निर्माण कर जांजगीर चांपा जिले के अकलतरा एवं बलौदा विकासखंड के 55 ग्रामों के 26 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में रबी सिंचाई सुविधा का प्रावधान बजट में किया गया है। सभापति महोदय, अटल निर्माण वर्ष की अवधि वर्ष 2025-2026 में 60 पाईप लाईन डिस्ट्रीब्यूशन प्रणाली सहित उद्वहन सिंचाई परियोजनाओं का बजट में प्रावधान किया गया है, जिससे आगामी वर्षों में 80 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचित क्षमता निर्मित होगी। सभापति महोदय, निर्माणाधीन इन सिंचाई योजनाओं से वित्तीय वर्ष 2025-2026 में 500 सिंचाई योजनाओं को पूर्ण करने बजटीय प्रावधान किया गया है। अभी हमारे माननीय अजय चन्द्राकर जी सिकासेर के संबंध में पूछ रहे थे और उन्होंने अपने संबोधन में भी कहा है कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न और छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माता माननीय स्व. श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो सपना था कि देश के नदियों को आपस में जोड़कर सिंचाई की क्षमता में वृद्धि कैसे की जा सकती है, इस दृष्टि से उन्होंने पूरे देश को एक विजन दिया था। हम लोगों ने उस पर आगे बढ़ते हुये कार्य करना प्रारंभ किया है, इसके तहत इंटर लिंकिंग परियोजना स्वीकृत करने की कार्ययोजना बनाई है। इंटर लिंकिंग में सिकासेर, कोडार इंटर लिंकिंग परियोजना, इंद्रावती-महानदी इंटर लिंकिंग परियोजना, खारंग-अहिरन-गाजरीनाला इंटर लिंकिंग परियोजना, रेहर-अटैम लिंक परियोजना, केवई-हसदेव लिंक परियोजना, इसमें सम्मिति है, जिसमें सर्वे का काम हम करेंगे और जल्द से जल्द इस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण के बाद यानी 25 साल बाद यह पहला ऐसा अवसर होगा, जब इस दिशा में हम लोग आगे बढ़ेंगे। (मेजों की थपथपाहट)

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ..।

श्री अजय चन्द्राकर :- का होंगे ममा, बैठना ।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- रूक तो भांचा । माननीय मंत्री जी, मैं उस दिन भी आपसे निवेदन किया था कि सिकासेर बांध का जो डी.पी.आर.तैयार हो रहा है, उसमें केवल किसानों का रखा जाये ।

श्री केदार कश्यप :- हम आपके साथ जायेंगे ।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- जी । धन्यवाद ।

श्री केदार कश्यप :- माननीय सभापति महोदय, जल संसाधन विभाग के इस पूरे बजट के माध्यम से गति का जो कांसेप्ट रखा है, उसके तहत सारी योजनाओं को गति मिलेगी । हमारे अजय चन्द्राकर जी इसके संदर्भ में कह रहे थे कि विधायकों के प्रश्नों का, उनके उत्तर का, उनके आश्वासनों को आश्वस्त करते हैं कि ऐसी स्थिति निर्मित नहीं होगी । आपने कहा कि हाई लेवल कमेटी के माध्यम से जो निर्णय हुआ है, मैं समझता हूँ कि उसमें बहुत सारे विषयों पर स्वीकृति मिली है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- सरकार मेरे और सरकार के क्षमतावान मंत्री मेरे, इसमें दो बैठक हुई और आखिरी बैठक 7 महीने पहले हुई ।

श्री केदार कश्यप :- इसके संदर्भ में अलग से चर्चा कर लेंगे ।

श्री अजय चन्द्राकर :- कहां अलग से ? आजतक अलग से कुछ नहीं हुआ।

श्री केदार कश्यप :- मैं आपके साथ कर लूंगा ।

श्री अजय चन्द्राकर :- मेरी बात तो सुनिए सरकार । कक्ष में चर्चा करेंगे, अलग से जानकारी दे दूंगा, यह कभी नहीं हुआ। आजतक न कोई मंत्री कक्ष में ले गया है, न अलग से कोई जानकारी दी है ।

श्री केदार कश्यप :- मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इसी सत्र में कक्ष में ले जाकर जानकारी दूंगा ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आपका कितना बड़ा दर्द है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप मेरी बात सुन लीजिए । इसको एक लाइन में बोल दीजिए कि जो रूका चीज है, हम उसको जारी करेंगे । बात खतम ।

डॉ. चरण दास महंत :- गति आ रही है न महाराज, काहे के लिए चिन्ता कर रहे हो । गति से होगा, सांय-सांय गति से होगा, आप चिन्ता मत करिए । साय जी की सरकार है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- नेता जी, बहुत मेहनत लगी । जो उपसर्ग लगा था न दु । दु उपसर्ग लगा था तो आपकी दुर्गति के दु को काटने में बहुत मेहनत लगी है । अब दुर्गति का दु गया है, अब गति आई है ।

श्री केदार कश्यप :- द्रुत गति आ गई ।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप उसको यह बोल दीजिए कि हम करेंगे । हर चीज में परीक्षण, अलग से करेंगे । (हंसी) यह क्या है ?

श्री केदार कश्यप :- हम परीक्षण नहीं कर रहे हैं ।

श्री अजय चन्द्राकर :- अलग से खोली में ले जाकर क्या करेंगे ? (हंसी)

श्री केदार कश्यप :- सभापति जी, कोई परीक्षण नहीं हो रहा है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- उसको आप बोल दीजिए कि मैं कर रहा हूँ ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय मंत्री जी, आप उनकी बात मान लीजिए, वे वरिष्ठ सदस्य हैं । वे अपना दर्द बयां कर रहे हैं ।

श्री केदार कश्यप :- उससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता ।

सभापति महोदय :- आप बैठिए न, नेता प्रतिपक्ष खड़े हैं और आप खड़ी हो गईं ।

श्री केदार कश्यप :- समय खतम हो रहा है, 7 बजे खतम भी करना है, मेरे पास बहुत सारे विषय हैं ।

श्री अजय चन्द्राकर :- एक सेकण्ड में एक लाईन खतम हो जाएगा ।

श्री केदार कश्यप :- सभापति महोदय, बहुत सारे विषय हैं ।

डॉ. चरण दास महंत :- आप छोड़ दीजिए न । केदार जी, हम आपकी किसी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं हैं, आप बजट पास करवा लीजिए, हम बैठे हैं। आप उनकी बात का बस जवाब दे दीजिए । पूरा सदन उन्हीं के लिए बैठा हुआ है । आप लंबा भाषण मत दीजिए, समय भी हो गया है ।

सभापति महोदय :- मंत्री जी, समय हो रहा है ।

डॉ. चरण दास महंत :- आप कुछ देर के लिए समझ लीजिए कि एक ही इंजन में बैठे हुए हैं, बड़ी तेजी से चलते रहिए ।

श्री केदार कश्यप :- जी, बड़ी तेजी से चल रहा हूँ । मैं जल्दी खतम कर रहा हूँ । सभापति महोदय, मैं कौशल विकास के बजट पर कहना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ राज्य पहला ऐसा राज्य है, जो कौशल विकास के लिए कानून बनाया और हम उसके लिए हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष आदरणीय डॉ. रमन सिंह जी को हम बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं । वित्त मंत्री जी अभी सदन में नहीं हैं । हम लोग पहली बार दंतेवाड़ा जिले, जो वनांचल क्षेत्र है, जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, वहां पर पहला लाईवलीहुड कॉलेज चालू किया और आज सभी जिलों में इसका विस्तार हो रहा है और वहां पर लाईवलीहुड कॉलेज के माध्यम से जो प्रशिक्षण दिया जा रहा है, उनके दृष्टि से हम लगातार काम कर रहे हैं । छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण के अंतर्गत 2025-26 में 19 करोड़, 88 लाख, 50 हजार रूपए, राज्य परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी के लिए 9 करोड़, 52 लाख, 50 हजार रूपए का प्रस्ताव है । कुल मिलाकर यदि हम बात करें तो 29 करोड़, 40 लाख रूपए का बजट का प्रस्ताव

है। हमारे यहां के छत्तीसगढ़ राज्य में निवासरत् 14 से 45 वर्ष की आयु के युवा को उनके रुचि के किसी भी व्यवसाय में उनकी पात्रता अभिव्यक्ति, रूझान के अनुरूप कौशल विकास के अवसर उपलब्ध कराने के लिए छत्तीसगढ़ युवाओं के कौशल विकास के अधिकार अधिनियम, 2013, दिनांक 17 सितम्बर, 2013 से लागू किया गया है। उसके तहत हम अपने यहां के युवाओं को मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध करा रहे हैं और हमारे कौशल प्रशिक्षण प्रदाय किये जाने के उद्देश्य से बाजार की मांग एवं आधुनिक तकनीकी पर आधारित राष्ट्रीय अर्हता कौशल फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) कोर्स में प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। कौशल प्रशिक्षण हेतु कुल 352 संस्थाएं व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता के रूप में पंजीकृत हैं और पंजीकृत संस्थाओं में 164 लघु अवधि के कोर्स कौशल प्रशिक्षण हेतु उपलब्ध है। योजना प्रारंभ होने से अब तक 4,81,616 युवा प्रशिक्षणार्थी इसमें प्रशिक्षण ले चुके हैं और लगभग 2,65,557 युवा इसमें नियोजित हुए हैं। 2024-25 में 3128 प्रशिक्षित युवा में से 1983 युवाओं को इसमें नियोजित किया गया है।

समय :-

6:40 बजे

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. रमन सिंह) पीठासीन हुए)

अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2024-25 में 3128 प्रशिक्षित युवाओं में से 1983 युवाओं को इसमें नियोजित किया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, क्योंकि आपने एक विज्ञान के साथ इस योजना को चालू कराया था, उसके तहत आज इतने सारे युवाओं को रोजगार की दृष्टि से नियोजित किया जा रहा है, इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। निश्चित तौर पर कौशल विकास की दृष्टि से जिस तरीके से आपने बस्तर के सुदूर वनांचल क्षेत्र दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर जैसे क्षेत्रों में इस योजना को चालू किया और आज उस योजना को आगे बढ़ाते हुए अब हमारे उन क्षेत्रों में आवासीय व्यवस्था के साथ मैं हमने वहां पर बस्तर संभाग के 7 जिलों के सभी ब्लॉकों में कौशल विकास केन्द्रों की स्थापना करने का निर्णय लिया है। वहां के युवाओं को मुख्य धारा से जोड़ने और उनकी रुचि और योग्यता के अनुसार कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर उनकी आजीविका वृद्धि करने का प्रावधान किया गया है। इसके लिए लगभग 400 लाख का प्रावधान इस बजट में किया गया है। इसके साथ-साथ प्रशिक्षण के लिए हमारे बहुत से नियम हैं, जिसके तहत हम चाहते हैं कि हमारे ज्यादा से ज्यादा युवाओं को रोजगार मिल सके, उनका प्लेसमेंट हो सके, इस दृष्टि से हम लोग कोशिश कर रहे हैं। हमारे 60 प्रतिशत प्रशिक्षणार्थी हितग्राहियों के नियोजित होने के उपरांत ही प्रशिक्षण केन्द्रों को भुगतान करने का प्रावधान हमने किया हुआ है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, नक्सल प्रभावित 14 जिलों के मुख्यालयों में हम इस वर्ष से लाईवलीहुड कालेजों में, छात्रावासों में आवासीय एवं भोजन की व्यवस्था भी सुनिश्चित कर रहे हैं, ताकि

उन अंदरूनी क्षेत्रों में रहने वाले जो हमारे बंधु हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा लाकर उन्हें आवासीय व्यवस्था दे सकें, उनके भोजन की व्यवस्था हम सुनिश्चित कर सकें। इसके लिए एक हजार लाख का प्रावधान इस नवीन मद में किया गया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, लाईवलीहुड कालेज के लिए भवन निर्माण और छात्रावास भवन के लिए लगभग राज्य के 7 जिलों दुर्ग, गौरैला-पेंड़ा-मरवाही, सक्ती, सारंगढ़-बिलाईगढ़, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई एवं मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी साथ ही नगर पंचायत भखारा-भठेली, शायद आपका ही क्षेत्र है, में लाईवलीहुड कालेज भवन निर्माण तथा एक जिला नारायणपुर में बालक छात्रावास हेतु राशि 600 लाख का बजट में प्रावधान किया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, लाईवलीहुड कालेज में कला स्टूडियो की स्थापना के लिए 200 लाख का इस बजट में प्रावधान किया गया है।

अध्यक्ष महोदय, पी.एम.विश्वकर्मा योजना के तहत हमने वर्ष 2025 में लगभग 71 हजार 588 युवाओं को संबंधित व्यवसाय में आधारभूत प्रशिक्षण उपलब्ध कराया है। उसके तहत इसमें हम लगातार अपने युवाओं को प्रशिक्षण देने का काम कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, नियद नेल्लानार योजना अर्थात् मेरा अच्छा गांव, आपका अपना अच्छा गांव योजना। इसके तहत हमने घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के कैंपों को चिन्हांकित करके उनके कौशल विकास की दृष्टि से लगभग 3598 युवाओं का सर्वे किया है, जिनमें से 1833 युवा कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करने के इच्छुक हैं। वहां पर हम जल वितरण संचालक के रूप में, लाईट मोटर व्हीकल ड्राइवर, असिस्टेंट इलेक्ट्रिशियन, असिस्टेंट मेशन, सेल्फ इम्प्लॉयड टेलर्स, ड्राईविंग असिस्टेंट, सीविंग मशीन ऑपरेटर कोर्स इन सभी विधाओं में उनको प्रशिक्षण दे रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, इसके साथ-साथ में सहकारिता विभाग के विषय में कहना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण के बाद आपने धान खरीदी की व्यवस्था को सुदृढ़ करने का काम किया था। उसमें आगे बढ़ते हुए अब तक के छत्तीसगढ़ के इतिहास में इस वर्ष रिकॉर्ड 150 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हमारे विष्णु देव साय जी की सरकार ने की है। (मेजों की थपथपाहट) माननीय अध्यक्ष महोदय, सहकारिता विभाग की विभिन्न योजना के लिये लगभग 440 करोड़ 11 लाख रुपये और वेतन मदों में लगभग 79 करोड़ 79 लाख रुपये, अर्थात् कुल 520 करोड़ रुपये का बजट में प्रावधान किया गया है।

अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर 5 लाख रुपये तक की सीमा तक का अल्पकालीन कृषि ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। यदि हम बात करें तो हम इसमें हमारे किसानों को सीधे-सीधे लगभग 5,000 करोड़ रुपये से ऊपर का अल्पकालीन ऋण उपलब्ध कराते हैं। हम लोगों ने बीते वर्ष में 8,025 करोड़ रुपये का अल्पकालीन ऋण उपलब्ध कराया था। हमने इस वर्ष 2025 में हमारे और भी किसानों को लगभग 7,709 करोड़ रुपये का अल्पकालीन ऋण सहकारी समितियों के माध्यम से उपलब्ध कराने का प्रावधान किया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा सहकारिता विभाग लाख उत्पादन में, गौ पालन में, कृषि के लिये, मत्स्य पालन के लिये ज्यादा से ज्यादा ऋण उपलब्ध कराकर उनको सक्षम बनाने की दृष्टि से काम कर रहा है। हमारे कृषक ऋण ब्याज दर को युक्तियुक्तकरण करने हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में 250 करोड़ रुपये का प्रावधान इस बजट में किया गया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, शक्कर कारखाना के संदर्भ में तो विस्तृत रूप से चर्चा हो गयी है और उसमें भी हम और क्या बेहतर कर सकते हैं, उस दृष्टि से आगे बढ़ रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, हमारे सहकार से समृद्धि की संकल्पना के लिए नवीन पैक्स संचालन के लिये और कर्मचारियों पर होने वाली व्यय संबंधी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए प्रति पैक्स 01 लाख 50 हजार रुपये के मान से 7 करोड़ 50 लाख रुपये का प्रबंधकीय अनुदान भी दिये जाने का इस बजट में प्रावधान किया गया है। सहकारी संस्थाओं में अंश पूंजी के लिए भी इस बजट में प्रावधान किया गया है, जिसके तहत हमारे वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में सहकारी बैंक के एवं अन्य सहकारी समितियों की साख में वृद्धि एवं व्यवसाय हेतु पूंजी उपलब्ध कराने हेतु अंश पूंजी में निवेश हेतु 5 करोड़ रुपये का प्रावधान इस बजट में किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी की सहकार से समृद्धि की संकल्पना के अंतर्गत वर्ष 2025-26 में, वर्तमान में पैक्स का पुनर्गठन कर 500 नये पैक्स का गठन प्रस्तावित है। इन 500 नवीन पैक्स समितियों को सक्षम बनाने के लिये प्रति समिति 1 लाख 50 हजार रुपये के मान से अंश पूंजी में निवेश हेतु 7 करोड़ 50 लाख रुपये का प्रावधान इस बजट में किया गया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, सहकार से समृद्धि, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की संकल्पना है, उसके तहत नाबार्ड सहायता से गोदाम निर्माण के लिये वर्ष 2025-26 में 500 नवीन पैक्स का गठन करना है। उसके साथ-साथ हमारी आधारभूत संरचना निर्माण के लिए तथा उन समितियों के लिये लगभग 200 मीट्रिक टन क्षमता के गोदाम सह कार्यालय भवन निर्माण हेतु प्रति गोदाम 26 लाख रुपये के मान से वित्तीय वर्ष 2025-26 में 96 करोड़ का इस बजट में प्रावधान किया गया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार की केंद्र प्रवर्तित परियोजना, डिजिटাইजेशन, ऑफ प्रायमरी एग्रीकल्चर को कोऑपरेटिव सोसायटी अंतर्गत प्रदेश के पंजीकृत 2028 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति का कम्प्यूटरीकरण किया जा रहा है। कम्प्यूटरीकरण करने से सभी ऋण अमानत खातों से ब्याज की गणना तथा लेनदेन के हिसाब किताब की तारीख पूर्ण रहेगी। कामकाज पारदर्शी होने से किसानों को अपने खाते की सही जानकारी तत्काल प्राप्त हो सकेगी। इस योजना के तहत 63 करोड़ 61 लाख रुपये हैं, जिसमें भारत सरकार एवं राज्य सरकार के मध्य हिस्सों के अनुपात 60, 40 का है। राज्य में प्रथम चरण में चयनित सभी 2028 पैक्स गो लाइव स्तर पर पहुंच गये हैं। वर्ष 2025-26 के बजट में पैक्स कम्प्यूटरीकरण हेतु 24 करोड़ 41 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। सहकारी समितियों के पंजीयन, उप विधि में संशोधन, विवाद समाधान एवं अन्य विषयों से संबंधी प्रक्रियाओं को सुगम, पारदर्शी

दक्ष एवं पेपरलेस बनाने के लिए सहकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा राज्य के पंजीयक कार्यालयों पर कम्प्यूटरीकरण की योजना लायी गयी है। परियोजना की कुल लागत 2 करोड़ 72 लाख 38 हजार रुपये है। राज्य सरकार द्वारा उक्त योजना में सहमति देते हुए वित्तीय वर्ष 2025-2026 में 1 करोड़ 95 लाख 40 हजार रुपये का प्रावधान किया गया है। छत्तीसगढ़ में अपैक्स बैंक 6, जिला सहकारी बैंक, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक तथा 2058 पैक्स संचालित हैं। इनके अध्यक्ष, संचालक तथा अधिकारी कर्मचारी बेहतर ढंग से सहकारी सिद्धांतों का पालन करते हुए, काम करने के लिए शिक्षा एवं प्रशिक्षण की अति आवश्यक है। वर्तमान में बैंकिंग कार्य प्रणाली में कई तरह के बदलाव आये हैं तथा नयी तकनीकी का प्रयोग किया जाने लगा है।

अध्यक्ष महोदय :- शायद नेता प्रतिपक्ष जी, आपके जवाब से संतुष्ट हैं। अब समाप्त किया जा सकता है।

श्री केदार कश्यप :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बिल्कुल। हमारे सहकारी प्रशिक्षण संस्थानों में भवन निर्माण हेतु ...।

नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरणदास महंत) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो यह पहले ही बोल चुका हूँ कि मैं आपके पढ़े, बिन पढ़े, कहे और अनकहे सभी बातों से संतुष्ट हूँ। आज जल्दी समाप्त कर लीजिए।

अध्यक्ष महोदय :- आप जल्दी समाप्त कर सकते हैं। सभा में सभी लोग संतुष्ट हैं।

श्री केदार कश्यप :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने बहुत सारे प्रस्ताव दिये हैं। माननीय धर्मजीत सिंह जी ने जो प्रस्ताव दिया है। वहां पर संकरी में निरीक्षण कुटीर के लिए, मैं आश्वस्त करता हूँ कि वहां पर तत्काल निरीक्षण कुटीर भी बनायेंगे। (मेजों की थपथपाहट)

श्री विक्रम मण्डावी :- भईया, आपने जो नहीं दिया है, वह देंगे।

श्री रामकुमार यादव :- माननीय मंत्री जी, हमने भी मांग की थी।

श्री केदार कश्यप :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हम उसमें तत्काल प्रस्ताव करके देंगे। मैं अपने साथियों पक्ष विपक्ष के हमारे नेता प्रतिपक्ष सहित सभी को धन्यवाद देता हूँ। यहां पर मैं एक बात कहना चाहूंगा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बजट प्रावधान किया है, जिसको हमारे वित्त मंत्री जी ने GATI कहा है। उसको इन शब्दों में व्यक्त करना चाहूंगा।

"ज्ञान से गति मिली, गति से मिली उड़ान"।

विष्णु देव साय जी के सुशासन से छत्तीसगढ़ को मिली नई पहचान।"

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। (मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय :- यदि आपने इसको पहले सुना दिये होते तो आपको इतना लम्बा बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। (हंसी)

डॉ. चरणदास महंत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इतनी सी असंतुष्टि जाहिर कर रहा हूँ। केवल आधे मिनट की बात है।

अध्यक्ष महोदय :- आप बोलिए।

डॉ. चरणदास महंत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने यह पूछा था कि आपके भाषण करते तक यदि पता लग जाये कि गुजरात जामनगर से अंबानी जी की कोई चिट्ठी आयी है यह सही है या गलत है। यहां से वह कुछ जानवर मंगाना चाहते हैं। तो आप कैसे-कैसे जानवर को भेज रहे हो, मैंने केवल इतना ही पूछा था।

अध्यक्ष महोदय :- ऐसी कोई चिट्ठी है तो आप बता दीजिए।

श्री केदार कश्यप :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी मेरे संज्ञान में ऐसी कोई जानकारी नहीं आयी है।

अध्यक्ष महोदय :- मैं, पहले कटौती प्रस्तावों पर मत लूंगा।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि मांग संख्या- 10, 17, 23, 45 एवं 47 पर प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव स्वीकृत किये जायें।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।

अध्यक्ष महोदय :- अब मैं, मांगों पर मत लूंगा।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि- दिनांक 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को :-

मांग संख्या	-	10	वन के लिये- दो हजार पांच सौ इकतालीस करोड़, अट्ठाईस लाख, साठ हजार रुपये,
मांग संख्या	-	17	सहकारिता के लिये- तीन सौ बयालीस करोड़, सत्तर लाख, बाईस हजार रुपये,
मांग संख्या	-	23	जल संसाधन विभाग के लिये- एक हजार छः सौ तिरानबे करोड़, छियानबे लाख, पचासी हजार रुपये,
मांग संख्या	-	45	लघु सिंचाई निर्माण कार्य के लिये- आठ सौ चौहत्तर करोड़, इक्यावन लाख, पंचानबे हजार रुपये,
मांग संख्या	-	57	जल संसाधन विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं के लिये- सत्तावन करोड़ रुपये,

- मांग संख्या - 75 जल संसाधन विभाग से संबंधित नाबार्ड से सहायता प्राप्त परियोजनाएं के लिये- तीन सौ आठ करोड़, इकहत्तर लाख रुपये तथा
- मांग संख्या - 28 राज्य विधान मण्डल के लिये- एक सौ छः करोड़, बयासी लाख, पचहत्तर हजार रुपये तक की राशि दी जाये।

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(मेजों की थपथपाहट)

समय

7.00 बजे

अशासकीय कार्य को अगले कार्यदिवस में लिया जाना

अध्यक्ष महोदय :- आज की कार्यसूची में सम्मिलित अशासकीय कार्य को अगले कार्यदिवस शुक्रवार को लिया जायेगा। मैं समझता हूँ कि सदन इससे सहमत है?

(सदन द्वारा सहमति प्रदान की कार्य)

अध्यक्ष महोदय :- सभा की कार्यवाही सोमवार, दिनांक 10 मार्च, 2025 को 11.00 बजे दिन तक के लिए स्थगित ।

(7.00 बजे विधान सभा सोमवार, दिनांक 10 मार्च, 2025 (फाल्गुन 19, शक सम्वत् 1946) के पूर्वाहन 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

रायपुर (छ.ग.)

दिनांक : 07 मार्च, 2025

दिनेश शर्मा

सचिव

छत्तीसगढ़ विधान सभा